खण्ड-416, अंक-3
मंगलवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1917
(18 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
प्रश्नोत्तर	1–94
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94
प्रदेश में निर्बल वर्ग के लोगों को राजकीय व्यय पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
प्रदेश के कारोबारियों पर प्रस्तावित व्यवसाय लाइसेंस शुल्क लगाने से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद अल्मोड़ा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 1994-95 की जिला योजना द्वारा आवंटित धनराशि का जनहित में उपयोग न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ नगरों में पेयजल की भीषण समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96–97
सदन में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न...	97
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	98
आगरा महानगर में व्याप्त विद्युत संकट उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपनद बांदा में लघु डाल सिंचाई के अनन्तर्गत आने वाले अधिकांश पम्प हाउसों के खराब होने से धान की फसलों को क्षति होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया होने विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)	99–105
उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री दी० आर० वर्मा को बधाइयां	105–115
प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया होने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	115–122
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995, (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	122
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (पारित)... ...	122–126

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन में अक्षेपात्मक व अपमानजनक कथन पर आपत्ति तथा मुस्लिम आरक्षण नीति के संबंध में चर्चा की मांग	126–129
औचित्य के प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	129–131
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना की जानकारी	131
वित्तीय वर्ष 1995-96 की आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	131–161
उत्तर प्रदेश पंचायत राज विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	161–180
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	180–181
नत्थियां	182–201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 1995

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री ..... की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	दरोगा प्रसाद, सरोज	आजमगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया

दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द किशोर मिश्र, श्री	देवरिया
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रभु सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर

उत्तर प्रदेश सभा

राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्प विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 1995

प्रश्नोत्तर

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में.....

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जांय ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की सरकार की नीति

**1–श्री नरेश अग्रवाल, श्री अखिलेश कुमार सिंह, तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्रता प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के समिति वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में 31 मार्च, 1995 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? उनमें से कितने लोगों को रोजगार देने में सरकार सक्षम है ? क्योंकि किसी योजना के तहत हरियाणा राज्य में बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में बेरोजगार भत्ता दिया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया जा सकता ?

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह अन्ताक्षरी ठीक नहीं है । श्रम मंत्री जी खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हीं को उत्तर देने दीजिये ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में सक्रिय पंजिका पर दिनांक 31-12-1994 तक कुल 23,57,465 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत थे । जिनमें से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 16,35,559 थी । इन शिक्षित बेरोजगारों में 5,78,486 हाईस्कूल स्तर के, 7,19,261 इण्टरमीडिएट स्तर के 2,73,493

स्नातक स्तर के, 64,319 स्नातकोत्तर स्तर के बेरोजगार अभ्यर्थी थे । प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, एक बहुत बड़ी समस्या इस सदन के सामने रखी गई है । माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बढ़ती हुई आबादी तथा बेरोजगार ने आज प्रदेश की सारी अर्थ-व्यवस्था को चरमरा दिया है । जो प्रश्न पूछा गया माननीय मंत्री जी ने उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को बताया कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 23 लाख के आसपास है । मैं तो कहना चाहता हूं कि इस संख्या से तीन गुना बेरोजगारों की संख्या होगी, जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया होगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने लोगों को रोजगार देने की क्षमता सरकार में है ? दूसरा, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये क्या शासन ने कोई नीति बनायी है, यदि हां, तो उसे सरकार बताने की कृपा करे, ताकि पंजीकृत बेरोजगारों को पता लग सके कि यह योजना उनके लिए है । तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि हरियाणा सरकार बेरोजगारों को 200 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देती है । यदि सरकार 200 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देती है तो सरकार पर कितना वित्तीय व्यय भार आयेगा और क्या सरकार उसे वहन नहीं कर सकती है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए एक बजाज कमेटी का गठन 11-1-1994 को हुआ था ताकि बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बनाये जा सकें और उन्हें रोजगार में लगाया जा सके । इसके लिए तमाम विभागों द्वारा तमाम योजनायें बनायी गई हैं । जिसमें दुग्ध, मत्स्य, तथा पशु पालन योजनायें हैं । जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अब तक कितने लोगों को लाभान्वित किया जा सका है, इसका रिकार्ड अभी हमारे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह बेरोजगार भत्ता दिये जाने के संबंध में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं जिसकी कोई आमदनी का जरिया नही है और उसे रोजगार पाने के लिये कई प्रकार से खर्च करना पड़ता है उसमें उनको सहायता देने की बात है । सरकार तुरन्त सहायता देने में सक्षम नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार जब आवेदन पत्र देते हैं या इण्टरव्यू में जाते हैं तो उनको रजिस्ट्री में खर्च करना पड़ता है और बस में यात्रा करनी पड़ती है, परीक्षा में जाने के लिये खर्च करान पड़ता है, रजिस्ट्री करनी पड़ती है । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो भी नौकरी के लिये बस में यात्रा करे वह निःशुल्क हो जाय और आवेदन-पत्र भेजने के लिए जो रजिस्ट्री करनी पड़ती है तो उसके लिये जिलों में यह व्यवस्था हो जाय, कि सारे आवेदन पत्र जिला सेवा योजन कार्यालय में जमा हो जाय और वहीं से भेजने की व्यवस्था हो और परीक्षा शुल्क या बांड न लिया जाय ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी का सुझावात्मक सवाल है ।

श्री श्याम लाल यादव–

जो माननीय गुप्त जी ने सवाल किया है जो बेरोजगार लोग रोजगार के लिये जाते या आते हैं उनको किराया आदि दिये जाने के संबंध में है । (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर आ जाने दें, उत्तर पूरा सुन लें ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

उन्होंने कह दिया है कि गुप्त जी का प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया है तो उत्तर देना चाहिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने गुप्त जी के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में यह कह कर, कि यह मूल प्रश्न से अलग है, विषय से भिन्न है लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया है उसमें यह स्वीकार किया है कि बेरोजगारों की समस्या के संबंध में उनको रोजगार देने के संबंध में एक बजाज समिति का गठन किया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस बजाज समिति का गठन कब हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट आई है और उस समिति की रिपोर्ट के अनुपालन में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैइया किया गया है ।

श्री श्याम लाल यादव–

बजाज कमेटी का गठन 11-1-94 को हुआ है । जो प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं वह कमेटी के अध्यक्ष थे (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो जिज्ञासा माननीय सदस्यगण ने जाहिर की है उसका उत्तर लेना चाहते हैं ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए समिति की संस्तुति आयी है जिसमें 71.42 करोड़ रुपये का व्यय आएगा और इसमें 5.18.854 हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं चूंकि यह दलित वर्ग की सरकार है, इसलियें क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दलित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल बेरोजगारों में कितने दलित वर्ग के हैं और कितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं ?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि इन बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए शासन ने क्या कोई समय सीमा बांधा है और कब तक बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर अलग से प्रश्न कर लेंगे चूंकि इस समय दलित बेरोजगारों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें । श्री राम आसरे वर्मा जी आप अन्तिम प्रश्न पूछ लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस बजाज समिति की संस्तुति का जिक्र किया है और कहा है कि इसमें 78 करोड़ रुपये की बात है, तो इस धनराशि के उपलब्ध कराने के सिलसिले में शासन की ओर से कोई ठोस प्रयास किये गये ? किये गये तो क्या किये गये और नहीं किये गये, तो क्यों नहीं किए गए ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इसका तो उत्तर आ गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी यह उत्तर कहां आया है, बिलकुल नहीं आया है । मैंने यह पूछा है कि बजाज समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो 78 करोड़ रुपये की उपलब्धता का जिक्र किया गया है, तो उसको पूरा करने के लिए शासन द्वारा कोई प्रयास किए गए ? और नहीं किए गए तो किन कारणों से नहीं किए गए ?

श्री श्याम लाल यादव–

इसके प्रयास किये गये हैं...(व्यवधान) इसमें 41.42 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से और 30 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से अपेक्षित हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

इस सबसे स्पष्ट है कि बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारों को राहत देने की शासन की कोई स्पष्ट नीति नहीं, इसलिए अपने दल के सदस्यों के साथ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा अपने जनता दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी भी अपने कांग्रेस दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

पूर्वांचल विकास निधि के धन का व्यय विधायकों की संस्तुति पर किये जाने का प्रस्ताव

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री "पूर्वांचल विकास निधि" योजना का धन केवल विधायकों के प्रस्तावों पर ही खर्च करने हेतु विचार करेंगे ? यदि हीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि नियमावाली के प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर 2 व 3 में यह व्यवस्था है कि निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के 50 प्रतिशत भाग को निधि के अन्तर्गत पोषित होने वाली योजनाओं के लिये सम्बन्धित जिला अधिकारी अपने जनपद के सांसद/सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् के साथ बैठक करके अन्तिम रूप देंगे। अवशेष 50 प्रतिशत भाग की स्वीकृति बड़ी परियोजनाओं के लिये शसन द्वारा की जायेगी।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मैं मंत्री जी का ध्यान उनका जो जवाब आया है उसकी ओर आकर्षित करते हुए यह पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि से इसमें आने वाले जिलों में कितने लाख रुपये का प्राविधान किया गया है वर्ष 95-96 में और इसके पूर्व वर्ष में कितना प्राविधान किया गया था, क्योंकि यह योजना 22 जिलों से सम्बन्धित है ? साथ ही क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि चूंकि विधायक विकास कार्यों में सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं तो ऐसी कोई योजनाएं सुनिश्चित करेंगे, जिसके चलते निश्चित रूप से क्षेत्रों में निर्माण व विकास कार्य कराया जा सके। दूसरा यह कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सांसदों के लिये एक करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के लिये सुनिश्चित की गई है वैसे ही कोई धनराशि विधायाकों के लिये आरक्षित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आपके इन प्रश्नों का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, उसी से जुड़े सवाल हैं । अगर हम पूरे प्रदेश में कोई काम कराना चाहें तो यह कैसे और किस योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित होगा ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय मल्ल जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि वर्ष 94-95 में पूर्वांचल विकास के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी । वर्ष 94-95 में 48 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी और इस वर्ष के बजट में 56 करोड़ रुपये की धनराशि, जो कि पिछले वर्ष की बजट धनराशि से अधिक है, पूर्वांचल विकास के लिये स्वीकृत की गई है । जैसा कि माननीय विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों को धनराशि विकास कार्यों के लिये आवंटित किये जाने का सवाल है नियमावली में यह प्राविधान है कि निधि का 50 प्रतिशत जिलास्तर पर जिलाधिकारियों के साथ माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद् के सदस्य क्षेत्रीय कार्यों के लिये व्यय करेंगे और शेष 50 प्रतिशत बड़ी-बड़ी योजनाओं पर जो अर्न्तजनपदीय स्तर की हैं जिनमें सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य बजट के हिसाब से निर्धारित होता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वंयवर चौधरी–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमने बजट भाषण पढ़ा 95-96 का । इसमें पूर्वांचल विकास निधि का कोई जिक्र ही नहीं है । ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार इस पूर्वांचल विकास निधि योजना को बन्द करने जा रही है या यह भूल से छूट गया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि योजना लागू है या इसको समाप्त किया जा रहा है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जनपदों में विकास संबंधी बैठक होती है तो उसमें सांसद नहीं आते हैं । सांसदों को तो केन्द्र से बजट मिल जाता है विकास कार्यों के लिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जिज्ञासा व्यक्त की है कि बजट में पूर्वांचल विकास निधि का उल्लेख नहीं है और भी कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की बात कही है । श्रीमन्, बजट में इस निधि का स्पष्ट उल्लेख है और जैसा कि मैंने अभी घोषणा की, कि इस वर्ष 95-96 के बजट में 56 करोड़ धनराशि का प्राविधान किया गया है पूर्वांचल विकास निधि के लिये । जब मैंने इस आदरणीय सदन में घोषणा कर दी है तो अब इस तरह गलत बात नहीं कहना चाहिए । विकास कार्यों के लिये मिल बैठकर तय कर लेना चाहिए । माननीय सांसदों के लिये नियमावली की धारा–6 में स्पष्ट प्राविधान कर दिया गया है और राशि का आवंटन भी सुनिश्चित किया गया है ।

श्री छब्बू पटेल–

श्रीमन्, पूर्वांचल विकास निधि के लिये जो बजट पिछले वर्ष स्वीकृत किया गया था, उसमें भी कटौती कर दी गई । 95-96 के लिये जो बजट पेश किया गया है उसमें पूर्वांचल विकास के लिये कोई धनराशि का उल्लेख नहीं है । हमारा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से सांसदों को एक करोड़ रुपया दिया जाता है उसी तरह से पूर्वांचल के 22 जिले हैं, इनके लिये हर विधायक को 50-50 लाख रुपये अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये दिये जाने का प्राविधान संसदीय कार्य मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी करें । दूसरी बात यह है कि सांसदों को एक करोड़ रुपया मिल रहा है और वह सीधे जनता से नहीं जुड़े हैं उनको पूर्वांचल विकास योजना में न रखा जाय सीधे विधायकों के लिये ही प्राविधान किया जाय। हमारे जो यह एम० एल० सी० हैं वह जनता से जुड़े नहीं हैं इसलिये पूर्वांचल में विधायकों को इसमें प्रतिनिधि होना चाहिए ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्रीमन्, आपसे मांग है कि इस तरह की व्यवस्था संसदीय कार्य मंत्री से करायें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस निधि का धन किस प्रकार से आवंटित हो इसके लिये नियमावली है उसमें स्पष्ट प्राविधान है ।

(व्यवधान)

श्री छब्बू पटेल–

विधायकों के लिए नियमावली में प्राविधान किया जाए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उत्तर सुन लें । एक हिस्से का उत्तर आया है । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि लेखानुदान में इस निधि को क्यों नहीं लिखा तो लेखानुदान में स्पष्ट लिखा है, पहले लेखानुदान पेश किया गया उसमें 16 करोड़ का था और इस बार 14 करोड़ का स्पष्ट प्राविधान है । माननीय सदस्य की जिज्ञासा थी जिस प्रकार से भारत सरकार अपने माननीय सांसदों को 1-1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिये देती है उसी प्रकार से पूर्वांचल निधि में हो सकता है तो मैं बताना चाहूंगा कि नियमावली में 50 फीसदी हिस्सा जिला स्तर पर तय होता है । सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे.....(व्यवधान)

उत्तर तो सुन लें सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे .....(व्यवधान) आप लोग तो उत्तर ही नहीं सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

सभी विधायक इसमें लिखकर दे देंगे इसमें आप नियम–49 पर चर्चा करा लें ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है उनकी जो जिज्ञासा है उसको देखते हुए।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं चाहूंगा कि बजट पर जो सामान्य चर्चा है उस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी बात साफ सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पूर्वांचल विकास निधि के उत्तर के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है अनेक माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। अभी बजट पर सामान्य चर्चा में पूरा-पूरा अवसर सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध होगा जो पूर्वांचल के सदस्यगण हैं वह जो सुझाव रखना चाहते हैं जो ख्यालात उनके हैं उस पर उनको पूरा अवसर मिलेगा। उस समय माननीय सदस्य इस पर कह दें।

(व्यवधान)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

श्रीमन्, फैजाबाद मंडल में पूर्वांचल निधि का क्या मापदण्ड है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। आप अलग से पूर्वांचल के विधायकों की एक बैठक बुला लें। उस बैठक में विचार कर लिया जायेगा कि नियमावली में क्या संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि योजनाओं का अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

पूर्वांचल क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के विकास के संबंध में सम्मानित सदन के कई सदस्यों ने शंका प्रकट की है। जब सम्मानित सदस्यों को केन्द्र सरकार प्रति सांसद को एक करोड़ रुपया दे रही है कि वह अपनी इच्छानुसार उस पैसे को खर्च कर सकें। उनके जो मानक हैं, उनके अनुसार खर्च कर सकते हैं। हम विधायकों को भी दैनिक जीवन की अनेक जनसमस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। पूर्वांचल विकास की जो निधि है उसको पूर्वांचल के विधायकों के सुझाव पर ही खर्च किया जाए।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आप भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

सरकार नियमों में संशोधन के लिये सदन में प्रस्ताव लाये। हम विधायकगण उसमें संशोधन के लिये तैयार हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अगर नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो नियमों में परिवर्तन कर दिया जाये। आप पहले पूर्वांचल के विधायकों को सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। यह प्रश्नोत्तर हो रहा है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सवाल उठाया उसका मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं मिला है। मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हूं। यह संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है कि किसी को उत्तर न देने दिया जाये। प्रश्न का उत्तर सुन लें, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मुझे आदरणीय सदस्यों से अनुरोध करना है कि वह संगत नियमों के तहत लिखकर दे दें, हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रश्न के माध्यम से एक बहुमूल्य सुझाव दिया है कि सभी पूर्वांचल के विधायकों से परामर्श कर लिया जाय, मैं सत्र के बाद सभी पूर्वांचल के माननीय सदस्यों से अपने कक्ष में विस्तार से वार्ता करूंगा और उनकी भावनाओं का श्रीमन्, सरकार पूरा सम्मान करेगी।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

एक प्रश्न मुझे कर लेने दीजिये।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप संगत नियमों के अन्तर्गत लिखकर दे दीजिये मैं इस पर चर्चा स्वीकार कर लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अयोध्या काण्ड के बाद दंगों के नाम पर दायर किये गये मुकदमों को वापस लिये जाने की मांग

*1.-श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या काण्ड के बाद प्रदेश में दंगों के कितने मुकदमें कायम हुए ? क्या यह सही है कि दिनांक 4-6-95 को प्रदेश मंत्रि-मण्डल ने एक वर्ग पर कायम ऐसे मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में शान्ति स्थापित करने के लिये सभी वर्गों पर कायम ऐसे मुकदमें वापस लेने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी हां । शासन को अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकार के 177 मुकदमें कायम हुए हैं ।

जी नहीं । शासन द्वारा 1989 के बाद हुए विभिन्नि साम्प्रदायिक दंगों में विभिन्न बेकसूर व बेगुनाह लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमों को, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, वापस लेने का निर्णय लिया गया है जिससे सभी वर्ग आच्छादित होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने पैरा-1 में उत्तर दिया है कि 177 मुकदमें कायम 6 दिसम्बर, 1992 के बाद हुए हैं तो इसमें से कितने मुकदमें अल्पसंख्यकों के विरोध में कायम हुए हैं और कितने मुकदमें बहुसंख्यकों के विरोध में कायम हुए हैं । दूसरे, माननीय मंत्री जी ने बताया कि बेकसूर और बेगुनाह लोगों के खिलाफ जो मुकदमें हैं उनको शासन ने वापस लेने का निर्णय लिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका मानक क्या है और कितने मुकदमें शासन वापस ले रहा है ? इसमें से कितने मुकदमें अल्पसंख्यकों के विरोध में हैं और कितने मुकदमें बहुसंख्यकों के विरोध में हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, मुकदमों का ब्रेकअप, धर्मगत और मजहबगत विभाजन मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न देखें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो पढ़कर आते हैं, मैंने एक वर्ग विशेष के बारे में जिज्ञासा की है, मेरा उत्तर दे दें, अगर तैयार होकर नहीं आये हैं तो मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष-

माननीय नरेश जी, क्या क्लास और कम्युनिटी दोनों एक ही है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरा कहना है कि सबके मुकदमें वापस कीजिये जिससे प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, वर्गीकरण का तात्पर्य मेरा नहीं है, यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने सम्भवतः मेरे उत्तर को ठीक से पढ़ा नहीं है । मेरे उत्तर में साफ है, जिससे सभी वर्ग आच्छादित होते हैं, जब मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी वर्ग इसमें आ गये हैं तो फिर अलग से धर्म और जाति के आधार पर ब्रेकअप देना उचित नहीं होगा । अगर अग्रवाल जी के पास कोई सूचना है कि एक ही वर्ग आच्छादित है तो हमारे ऊपर विशेषाधिकार ला सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश की जनता में उत्सुकता है कि नयी सरकार जिसको एक ऐसे दल का जो एक | × × × |

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, कार्यवाही से | × × × | शब्द निकाला जाय ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि 177 मुकदमें जो कायम हुए हैं उसमे आपने क्या मानक बनाया मुकदमा वापस लेने के लिये, किस-किस तरीके के मुकदमें वापस लेंगे और अन्य मुकदमें जो हैं उनके बारे में सरकार क्या करेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया गया है था कि विभिन्न बेकसूर व बेगुनाह लोगों को जो फर्जी मुकदमें में फंसाये गये हैं उनकी अपनी ओर से रिपोर्ट बनाकर दें तो यह वहां के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के ऊपर छोड़ दिया गया । शासन की समीक्षा के अनुसार 177 मुकदमें ऐसे पाये गये जिस पर शासन ने संज्ञान लिया, 68 मुकदमें वापस हो गये, 4 मुकदमें अन्य कारण से समाप्त हो गये एक मुकदमें में अभियुक्त की मृत्यु हो गयी है, 105 मुकदमें ऐसे हैं जिन पर शासन विचार कर रहा है विचारोपरान्त सम्यक् कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि कदाचित यह प्रश्न आता नहीं अगर माननीय मंत्री जी ने निर्वाचित होने के बाद शपथ

नोट :– | × × × | यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ग्रहण करने के बाद यह घोषणा न की होती कि अल्पसंख्यकों के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया जायेगा । चूंकि उन्होंने घोषणा कर दी इसलिये यह प्रश्न डाल दिया था । सरकार अब बड़ी सफाई के साथ बचकर निकलना चाहती है, अल्पसंख्यकों के ऊपर से मुकदमा वापिस लेने का उसका कोई इरादा नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है ।

हमारा प्रश्न यह है कि वर्ग के आधार पर हमने पूछा था, वर्ग के आधार पर आप बता दें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 1989 के बाद जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उसमें एक जांच आयोग बैठा था भागलपुर में और उसने एक राष्ट्रीय दल को अभियुक्त ठहराया है ।

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह गलत उल्लेख कर रहे हैं इसे वापस लिया जाय ।

अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी-अपनी बात खड़े होकर कहने का प्रयास करने पर सदन में (घोर व्यवधान) उत्पन्न हो गया ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इसकी इजाजत नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं यह नहीं कहूंगा कि भागलपुर दंगे में भारतीय जनता पार्टी दोषी है ।

डा० सरजीत सिह डंग–

अवसर का लाभ उठाकर | × × × | बात यहां विधान सभा में यह कह रहे हैं और | × × × | के साथ यह कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

ये | × × × | हैं तो ये | × × × | हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर मैं | × × × | हूं तो ये | × × × | हैं ।

(व्यवधान)

नोट :– | × × × | यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अगर प्रश्न पूछने में इतनी आपत्ति है, मैं आपसे कहता हूं कि आप आपत्ति कर दिया करें, लेकिन |× ×× |

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अब आप देखें मान्यवर, ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

कोई आक्षेप न लगा । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं प्रश्नकर्ता हूं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जितना समय आपको दिया गया है, वह बहुत है ।

(व्यवधान)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

|× × × |

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । आप लोग शान्त रहें । बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आज की कार्यसूची में दर्ज कराये गये हैं । मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल उत्तरित हो और मात्र एक दूसरे पर आरोप या प्रत्यारोप न लगायें, इसी में सारा समय खर्च करेंगे तो यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य बैठ जांय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने मुझे एक भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी है ।

नोट :– |× × × | यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने काफी समय आपको दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं एक प्रश्न पूछूंगा । मुझे आप बता दें कि 6 दिसम्बर की जो घटना है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश का कोई भूतपूर्व मंत्री मुलजिम है और अगर है, तो उसका क्या नाम है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मूल प्रश्न में, मुकदमों के वापस लेने की बात कही गयी है, लेकिन कितने-कितने लोग हैं और कौन-कौन लोग अभियुक्त हैं, इसकी बात नहीं है । मैं तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, वह हमारे कक्ष में आ जायें, पत्रावली देख लें और बात हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह सरकार भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह, जो मुलजिम हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रही है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी की बढ़ती गतिविधियों के रोकथाम की मांग

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी (आई० एस० आई०) द्वारा लगातार बढ़ती जा रही गतिविधियों से प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है और वह प्रभावी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह सत्य नहीं है कि सन्दर्भगत खुफिया एजेंसी की गतिविधियों से शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है ।

एहतियात के तौर पर प्रश्नगत समस्या की रोकथाम की दिशा में उक्त एजेंसी से सम्बद्ध संदिग्ध एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न अंगों को निर्देश दिये गये हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा उत्तर में बताया गया है कि उक्त एजेंसी से सम्बद्ध संदिग्ध एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न अंगों को निर्देश दिये गये हैं, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे संदिग्ध लोग निश्चित रूप से शासन प्रशासन की जानकारी में हैं । ऐसे लोगों की

जानकारी शासन प्रशासन में रहने के बावजूद भी इन लोगों को अपनी हरकतें जारी रखने की खुली छूट क्यों मिली हुई है ? अभी-अभी सहारनपुर में बम काण्ड हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों की जानें गयीं, यह बम काण्ड आई० एस० आई० के लोगों द्वारा किया गया, ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखने के बजाय उनको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ताकि वह अपनी हरकतें न कर सकें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि आई० एस० आई० की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं । वर्ष 1992 में इस तरह की केवल एक घटना हुई थी । वर्ष 1993 में कोई घटना की जानकारी नहीं है, इसी प्रकार वर्ष 1994 में कोई घटना की सूचना नहीं है और वर्ष 1995 में दिनांक 13 जुलाई, 1995 तक की जो सूचना है, उसके अनुसार कोई घटना नहीं हुई है । चूंकि 1992 में एक घटना हुई थी, अतः सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को सतर्क कर दिया है कि वह आगे से कड़ी निगाह रखें इस संबंध में एक कार्य योजना भी बनायी गयी ताकि इस तरह की घटनायें न हों और इस तरह की एजेंसी के लोग शान्ति व्यवस्था भंग न कर सकें । जहां तक इन्होंने पूछा है कि शासन को तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी भी होगी, तो यह बड़ा संवेदनशील सवाल है । इसलिए कदाचित ज्यादा तर्क करना उचित नहीं होगा, फिर भी माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1994 में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 1994 में ही जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में आई० एस० आई० खुफिया एजेंसी के कुछ महिला और पुरुष एजेंट गिरफ्तार किये गये थे और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने वार्ता में स्वीकार किया था कि यह घटना सही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया, कि गिरफ्तार किये गये लोगों का संबंध आई० एस० आई० से है, उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और वर्तमान में क्या स्थिति है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं वह घटना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, अगर माननीय सदस्य की ऐसी कोई जानकारी है तो निश्चित ही ठीक बोल रहे होंगे क्योंकि उनकी पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई होगी । मैं मानीय सदस्य को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह सदन के बाद इस घटना की सम्पूर्ण जानकारी मुझको दे देंगे और इसको मैं अलग से संज्ञान में लूंगा । माननीय सदस्य जिस एजेंसी से चाहेंगे उसकी जांच करा ली जायेगी ।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लिए जाने के विवरण की जानकारी

*3–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें वापस लेने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने मुकदमें वापस लिए गये हैं ? क्या शेष मुकदमें शीघ्र वापस ले लिए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां, शासन द्वारा बेकसूर तथा बेगुनाह लोगों व राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों के विरुद्ध बदले की भावना से दर्ज फर्जी मुकदमें, जो न्यायालय में विचाराधीन है, को वापस लिए जाने का निर्णय लिया है।

शासन के इस निर्णय के अनुपालन के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न विशेष रूप से इसलिए किया था कि जो राजनैतिक बदले की भावना से बेकसूर लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं उनको कब वापस लिया जायगा ? आज जब मैंने जवाब पढ़ा तो मुझे अच्छा भी लगा और इससे सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हो, पहले तो यह होता था कि धर्म और जाति के आधार पर, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर निर्णय होते थे, यह पहला प्रश्न है कि उन्होंने कहा है कि बेकसूर तथा बेगुनाह चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस राजनैतिक दल के हों, यदि वह बेगुनाह हैं तो उनके मुकदमें वापस लिये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारियों को इस आशय का कोई आदेश भेजा जा चुका है या नहीं ? मेरी सूचना है कि इस प्रकार का आदेश वहां नहीं गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें यह दिया है कि बेकसूर या बेगुनाह शब्द का राजनैतिक दलों के लोग या माफिया या अपराधी लोग इसका दुरुपयोग न करें, जिला प्रशासन से यह न कहें कि मैं बेगुनाह हूं या बेकसूर हूं मुझे छोड़ दिया जाये और जिला प्रशासन को सुविधा शुल्क देकर जैसे हमेशा छूटते रहे हैं, वैसे छूट जायं। क्या इस स्थिति के दुरुपयोग को रोकने के लिये भी इस आशय के निर्देश जिला प्रशासन को दे दिये गये हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय शुक्ल जी ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है कि जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश नहीं गये हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, कि 6 जून, 1995 को प्रमुख सचिव (गृह) की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को इस आशय के निर्देश दे दिये गये हैं कि दिनांक 4-12-93 से दिनांक 3-6-95 तक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जो फर्जी मुकदमें कायम हो गये हैं उनको चिन्हित करके सम्यक परीक्षण कर शासन को भेज दें। जो लोग राजनैतिक असर का लाभ उठाकर, किसी अन्य माध्यम से दबाव बनाकर इस तरह के आदेशों का फायदा उठा लेते हैं, शासन स्तर पर जिलाधिकारियों से और पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त इस प्रकार के मुकदमों की सूची जब मिल जाती है तो यहां पर गम्भीर और गहन परीक्षण होगा और जो वास्तव में शासनादेश के पात्र हैं, उन्हीं लोगों के मुकदमें वापस होंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने श्री राम कुमार शुक्ल जी के प्रश्न के उत्तर में अपनी बात कही, कि शासनादेश जारी किया जा चुका है, कि जो फर्जी मुकदमें

किसी भी सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं पर लगाये गये हैं, क्या वे सभी वापस होंगे या फिर यह शासनादेश केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिये ही लागू होगा ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

उत्तर में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि ऐसे सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता जिन पर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं, उन्हें वापस नहीं लिया गया है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यदि आपके पास कोई निश्चित जानकारी है तो आप माननीय मंत्री जी को दे दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, केवल बी० जे० पी० के कार्यकर्ताओं पर लगे फर्जी मुकदमें ही वापस होंगे, ऐसा कहीं पर भी आदेश में नहीं लिखा गया है । मैं उस आदेश के विषय को पढ़ देता हूं । गृह विभाग–3 से यह शासनादेश निर्गत हुआ है । जिसमें कहा गया है–दिनांक 4-12-1993 से दिनांक 3-3-95 के मध्य बेकसूर तथा बेगुनाह लोगों व राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों पर बदले की भावना से कायम फर्जी मुकदमों को वापस लिया जायेगा । दिनांक 6 जून, 1995 को यह आदेश जारी हुआ है । इसमें कहीं पर भी बी० जे० पी०, बी० एस० पी० व किसी पार्टी का उल्लेख नहीं किया गया है । कदाचित् माननीय श्री पाल जी अब मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जायेंगे । यह कोई एक दल का मामला नहीं है । पूर्व सरकार में ऐसी स्थितियां आयीं थी और पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे काल में राजनैतिक विरोधियों को बदले की भावना से पीड़ित करवाया था । इसीलिये इस प्रकार के आदेश, इस सरकार को करने पड़े कि बेकसूर व बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित न किया जा सके । इसमें कहीं पर भी किसी एक दल को लाभ पहुंचाने की बात नहीं है ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के नाम को पुकारे जाने के मध्य)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, जनपद रामपुर में 13 सितम्बर को बन्द के दौरान श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया और 22 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें कायम किये, जो अभी तक वापस नहीं हुए हैं । इसी प्रकार 18 दिसम्बर को छात्रों ने तहसील मिलक में बिजली के संबंध में धरना दिया । जिसमें तत्कालीन एस० पी० श्री रामेन्द्र विक्रम सिंह ने स्वयं उन पर लाठी चार्ज किया और मुकदमें कायम किये, जो अभी तक वापस नहीं हुए हैं, इसे उन्हें वापस लेने के आदेश दिये जायं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने सारी बातें अपने उत्तर में कह दी हैं ।

[18 जुलाई, 1995 मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को रोकने की नीति की जानकारी

*1.–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की लगातर बढ़ रही संख्या पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां ।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार में नियोजित किये जाने की संस्तुति की गयी है । स्वतः रोजगारपरक योजनायें विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने का उल्लेख किया है, इस समिति के गठन के बाद और जिन योजनाओं का उल्लेख इनमें किया गया है, उनको क्रियान्वित किये जाने के बाद, इन बेरोजगारों की संख्या में कितनी कमी आयी है और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सका है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, यह कमेटी जनवरी, 1994 को गठित हुई । उसकी संस्तुतियों के बाद राज्य के सबसे पिछड़े 100 विकास खण्डों में योजना को विस्तार से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक विकास खण्ड पर 20 लाख रु० दिये जाने का प्रस्ताव इस कमेटी ने किया है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जिस हिसाब से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरी के स्थान नहीं बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को हम नौकरी दे नहीं सकते हैं नौकरी के लिये इन्तजार करते करते लोग 27, 28 साल के हो जाते हैं और 10 दिन बाद कोई चांस आता है तो वह उसमें बैठ नहीं सकते हैं तो क्या उनकी आयु सीमा बढ़ाने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं है फिर भी माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें, तो दे सकते हैं ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी उसकी संस्तुतियों के हिसाब से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों से बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होंगे । जैसे दुग्ध विकास विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग और उद्योग विभाग वर्ष 1994-95 में स्वतः रोजगार में नियोजित करने से 27,400 को रोजगार मिलेगा, लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, उद्यान, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा

रही योजनाओं में 60,764.65 लाख की धनराशि के विनियोजन द्वारा 2.23 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह सत्य है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । यह जो स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर की जायेगी उसमें समिति द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उसके अनुसार जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने में कितने वर्षों का समय लग जायेगा ?

श्री श्याम लाल यादव–

बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए यह निश्चित कह पाना कि कितना समय लगेगा संभव नहीं है । हां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता ।

*2–हरक सिंह रावत–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र श्री पुष्पेन्द्र शुक्ल के ऊपर घटित घटना में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की सूचना

*3–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मा० गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि माह फरवरी/मार्च, 1995 में सम्पन्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव परिणाम के बाद म्योराबाद, इलाहाबाद में रह रहे एक छात्र पुष्पेन्द्र शुक्ल को कुछ अपराधी तत्वों द्वारा गोली मारी गयी थी ? इस घटना की नामजद एफ० आई० आर० होने के बावजूद क्या सभी नामजद व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस उदासीनता के लिये सरकार पुलिस के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां ।

घटना के संबंध में थाना कैन्ट इलाहाबाद पर दिनांक 27-2-95 को सायं 8-40 बजे मुकदमा दर्ज हुआ । अभियोग में नामित तीन अभियुक्तों में से अभियुक्त जुबेर व नियाज दिनांक 28-2-95 को ही सुबह 4.00 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये तथा तीसरे अभियुक्त जफरुद्दीन उर्फ जफरउल्ला के फरार हो जाने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी । उसके विरुद्ध दिनांक 2-3-95 को धारा 82 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत नोटिस तामील की गयी थी कि इसके बाद ही दिनांक 7-3-95 को मामले की जांच सी० आई० डी० ने ग्रहण कर लिया । प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गयी है, इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला हमारे विधान सभा क्षेत्र का है इसलिये मैं इसे जानता हूं। मान्यवर, वह छात्र मेधावी था जिसको गोली मार कर मारने का प्रयास किया गया और इस संबंध में 27 फरवरी को एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी और दो अभियुक्तों को गिरफ़्तार भी किया गया था। मेरी वहां के डी० एम० और एस० एस० पी० से वार्ता हुई तो मालूम हुआ कि उनकी संस्तुति के बिना, राजनैतिक कारणों से, इस मामले में सी० आई० डी० जांच के आदेश दे दिये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि सी० आई० डी० आदेश क्यों दिये गये और किसकी संस्तुति से सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये गये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सी० आई० डी० जांच क्या अभियुक्तों को बचाने के लिए की जा रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सी० आई० डी० जांच अभियुक्तों को बचाने के लिए नहीं बल्कि घटना की और बारीकी से जांच की जाने के लिए की जा रही है। मान्यवर, इस प्रकरण में निर्दोष व्यक्ति न फंस जायं इसलिए सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये गये हैं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जिस परिवार का वह छात्र था उस परिवार की तरफ से सी० आई० डी० जांच की मांग नहीं की गयी और न ही डी० एम० और एस० एस० पी० ने सी० आई० डी० जांच के लिए संस्तुति किया था। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी० आई० डी० जांच के आदेश उच्च स्तर से दिये गये है ? यदि हां, तो क्या इस जांच को निरस्त कर पुलिस से जांच करवाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सी० आई० डी० जांच को निरस्त कर क्या स्थानीय पुलिस से जांच करायेंगे ? मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सी० आई० डी० जांच में भी पुलिस की जांच होती है और उसमें भी पुलिस के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा सी० आई० डी० जांच में तथ्यों की जानकारी हेतु अच्छा समय मिल जाता है। इसके साथ ही जांच प्रक्रिया की उच्च अधिकारी समीक्षा भी करते हैं लेकिन मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि यदि उनके पास कोई तथ्य हो तो वह मुझे बता देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सी० आई० डी० इनक्वायरी के आर्डर होने पर संबंधित मामले में पुलिस तफशीश रुक जाती है। मेरी सही जानकारी है कि सी० आई० डी० जांच के आदेश इसलिए दिये जाते हैं कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी न हो और वह बाहर रह कर अपने राजनैतिक दबाव के कारण जांच रुकवा सकें। इसलिए सी० आई० डी० जांच के आदेश पुरानी सरकार ने किया था। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि इस प्रकरण में मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों ने सी० आई० डी० जांच की मांग नहीं की थी बल्कि वे स्थानीय पुलिस से जांच चाहते थे इसलिए स्थानीय पुलिस से जांच न कराने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सी० आई० डी० जांच को वापस कर स्थानीय पुलिस से जांच करायेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए आप लोग परामर्श कर लेंगे और जैसा बतायेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करवा देंगे।

सूचना अधिकारी जनपद मिर्जापुर को प्रदत्त टेलीविजन सेटों के विवरण की जानकारी

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सूचना अधिकारी कार्यालय, मिर्जापुर को कितने टेलीविजन सेट आज तक विभाग द्वारा दिये गये हैं ? इन टेलीविजन सेटों को देने का क्या उद्देश्य था सम्प्रति टेलीविजन कहां-कहां लगे हैं और इस आवंटन का मापदंड क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

जिला सूचना कार्यालय मिर्जापुर को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 130 रंगीन टेलीविजन तथा 10 श्वेत/श्याम टेलीविजन सेट्स उपलब्ध कराये गये हैं।

टेलीविजन सेटों द्वारा जनता को देश-विदेश के समाचार, कृषि संबंधी जानकारी, विज्ञान एवं शिक्षा की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ शासन द्वारा जनता के लिए किये गये कार्यों की जानकारी देने के अलावा ग्रामीण जनता को मनोरंजन देने का मुख्य उद्देश्य है।

जिला सूचना कार्यालय, मिर्जापुर द्वारा जनपद में स्थापित टेलीविजन सेटों की सूची संलग्न है।

टेलीविजन सेटों के आवंटन के संबंध में शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित है। निर्धारित मापदण्ड की नियमावली की एक प्रति संलग्न† है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसमें विभाग या शासन का उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था, लेकिन इसमें संबंधित नियम और शर्त जो संलग्न हैं, उसमें पृष्ठ संख्या एक का प्रस्तर आठ देखें, जिसमें दिया है कि "पुस्तकालय, शिक्षा संस्थाएं अथवा सांस्कृति संस्थाएं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1960 के अधीन निबन्धित हों", और उसका उल्लेख कर दें और सार्टीफिकेट लगा दें, किन्तु इसमें नियमों में जो विसंगतियां हैं उसका लाभ उठाकर, जो 140 सेट्स बंटे हैं, उसमें से 55 ऐसी संस्थाएं हैं जो निबन्धित नहीं थीं और 4-4 हजार रुपया लेकर ऐसी फर्जी संस्थाओं को यह टी० वी० सेट्स दिये गये। इसमें यह भी शर्त है कि शासन चाहे तो इसे वापस भी ले सकता है और इसके चलते स्थिति यह है कि बहुत से जिले के अधिकारियों के घरों पर ये सेट्स रखे हुए हैं। तो यह मेरे सारे आरोप हैं, सारा प्रकरण सन्देह के घेरे में है, तो क्या शासन, इस मामले में कोई जांच बिठाकर दोषी लोगों को सामने लाने और उन्हें दंडित करने का आश्वासन सदन को देगा ?

श्री नन्द लाल पटेल–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके लिए यह सूची संलग्न है, इसके लिए अगर कोई टी० वी० सेट्स लगे हों तो उसकी सूचना उन्हें अलग से देनी चाहिए।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग–

मैं इसमें सीधे मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सारे प्रकरण पर जांच बैठाकर वास्तविकता को सामने लाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ? (व्यवधान) मेरा विशेषाधिकार है, इस प्रकार की | x x x | करने वाले जो विधायक हैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वह अपनी वाणी पर कन्ट्रोल रखें, नहीं तो मेरा | x x x | होगी। (व्यवधान) जिस भाषा का वह प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जवाब देना भी मुझे आता है।

---

† छापी नहीं गयी।

| | यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर के बाद ही यह हो सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन् 12.20 तो हो गया है । अब अवसर दे दें ।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खड्डा जनपद पड़रौना पर हुई डकैती में नामजद लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*5–श्री नन्द किशोर मिश्र–(अनुपस्थित)

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 21 जुलाई, 1994 को भाजपा कार्यालय खड्डा, जनपद पड़रौना पर हुई डकैती के सभी नामजद मुल्जिमों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि नामजद मुल्जिमों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की धाराओं में स्थानीय पुलिस ने फेरबदल किया है ? क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रश्नगत घटना के संबंध में दि० 22-7-1994 को श्री रमाशंकर गुप्त, मण्डल अध्यक्ष भाजपा खड्डा की तहरीरी सूचना पर मु० अ० सं०–30/94 धारा 395 भा० द० वि० थाना खड्डा में पंजीकृत किया गया था ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने 7 अभियुक्तों को नामजद कराया था जो निम्नवत् है :–

(1) रधई चौधरी (2) रधई चौधरी के पिता बृजलाल (3) गया प्रसाद पुत्र बृज लाल (4) त्रिलोकी पुत्र बृजलाल (5) सुरेश सिंह पुत्र रामधारी (6) छठू प्रसाद निराला पुत्र बुद्धू (7) अलाउद्दीन पुत्र कासिम ।

उक्त अभियोग की विवेचना से मु० अ० सं०–30/94 में धारा 395 का अपराध पुष्ट होना नहीं पाया गया । अपितु जो अपराध होना पुष्ट पाया गया वह धारा 448/427 के अन्तर्गत किया गया था । इसके साथ ही नामजद 7 अभियुक्तों में से केवल 4 अभियुक्त किए गये अपराध के लिए दोषी पाये गये । अतः दोषी पाए गए 4 अभियुक्तों (1) रधई चौधरी (2) बृजलाल (3) गया (4) त्रिलोकी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उनके विरुद्ध आरोप पत्र ए/27 30-9-1994 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । शेष तीनों नामजद व्यक्ति (1) सुरेश सिंह (2) छठू प्रसाद निराला (3) अलाउद्दीन विवेचना में दोषी नहीं पाए गये । अतः उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का आरोप पत्र भेजने की कोई कार्यवाही नहीं गयी ।

प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना के दौरान जिस धारा के अन्तर्गत अपराध होना पाया गया उन धाराओं के अन्तर्गत ही केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी है जो वास्तव में दोषी पाए गये । इस प्रकार पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है । अतः पुलिस कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 को फैजाबाद में हुयी घटना के लिए जिला प्रशासन के विरुद्ध आरोप

*6–श्री परशुराम यादव-(अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 को फैजाबाद जिले के शहरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम वर्ग ने विरोध स्वरूप दुकानें बन्द रखी थीं तथा कचेहरी में मुस्लिमों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों के बारे में मुस्लिम समाज द्वारा 3-4 दिन पहले घोषणा कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इन स्थितियों को जानते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा इसी दिन अयोध्या जा रहे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कल्याण सिंह को बाजार में मुस्लिमों की दुकानें बन्द रहने और विरोध प्रदर्शित करते समय मुख्य बाजार चौक के बीचोंबीच से होते हुए ले जाया गया और चौक में मस्जिद के सामने मंच बनाकर सभा करने दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

यह कहना सही नहीं है कि चौक में मस्जिद के सामने मंच बनाकर सभा करने की अनुमति दी गयी थी । तथ्य यह है कि मंच मस्जिद के सामने नहीं था अपितु मस्जिद से दूर पूर्वी छोर पर बनाया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के कार्यक्रम के संदर्भ में कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया गया था । पुलिस अधिकारियों के द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री के लिये मार्ग निर्धारण का न तो कोई प्रश्न था और न पुलिस कर्मियों द्वारा ऐसा कोई मार्ग निर्धारित किया गया था । तथ्य यह है कि यह एक दल विशेष का कार्यक्रम था और मुख्य सड़क मार्ग से सामान्य स्थिति के अनुसार जाने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा बनाया गया । यह एक नितान्त सामान्य प्रक्रिया है । जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि इस कार्यक्रम के दौरान और संदर्भगत विरोध को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक प्रकार से शान्ति व्यवस्था कायम रखी जाय । शान्ति व्यवस्था पूरी तरह कायम भी रही और कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर समाप्त हो जाए, (कुछ क्षण बाद) अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति की जानकारी

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति के अनुसार विशेष सुविधा उन्हीं निजी औद्योगिक इकाइयों को दी जायेगी जो अपने सेवायोजन में आरक्षण लागू करें जिसमें 10 प्रतिशत

---

* नोट :–नाथी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

मजदूर अल्पसंख्यक वर्ग के भी होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार यही नीति राजकीय औद्योगिक इकाइयों में भी लागू करने पर विचार कर रही है ? यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिये सेवायोजन में आरक्षण का निर्णय किसी अधिनियम के तहत लिया गया है अथवा शासन द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक आदेश से ?

सुश्री मायावती–

नई औद्योगिक नीति के अनुसार विशेष सुविधायें संगठित निजी क्षेत्र की उन्हीं इकाइयों को दी जायेंगी जो अपने पर्यवेक्षकीय और श्रमिक श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग को क्रमशः 23, 27 एवं 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देंगी । इकाइयां इसे मानने के बाध्य नहीं हैं । जो इकाइयां इसे मानेंगी उनको प्रोत्साहन स्वरूप उक्त सुविधायें दी जायेंगी ।

जी नहीं, क्योंकि राजकीय औद्योगिक इकाइयों पर आरक्षण नीति लागू है ।

संगठित निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है, अतः किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है । बल्कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की कार्य शक्ति (वर्क फोर्स) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए यह व्यवस्था औद्योगिक नीति, 1994 के अनुसार की गई है ।

विगत दो वर्षों में जनपद शाहजहांपुर में हुई हत्या की घटनाओं का विवरण

*8–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1993 व 1994 में शाहजहांपुर जनपद में कितनी हत्यायें ऐसी हुई हैं जिसमें अभी तक मुल्जिमों का पता नहीं हो सका ? क्या थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर में दि० 10-9-93 को ग्राम बरखेड़ा में एक डकैती पड़ी व एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी जिसमें अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया ? यदि हां, तो कब तक पता चल जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1993 एवं 1994 में हुई क्रमशः 19 तथा 25 हत्याओं के अभियोगों में हर सम्भव प्रयास के बावजूद अभियुक्तों का पता नहीं चल सका ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में सतत प्रयास किये जाने के बावजूद भी माल एवं मुल्जिमान का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 30-9-94 द्वारा विवेचना समाप्त कर दी गई है ।

वर्ष 1993 से फरवरी 95 तक जनपद बाराबंकी में हुयी हत्या/चोरी/दलित उत्पीड़न/अफीम की तस्करी आदि घटनाओं का विवरण

*9–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि पूरे बाराबंकी जनपद में माह दिसम्बर, 1993 से 1 फरवरी, 95 तक कितनी हत्यायें/दलित उत्पीड़न/चोरी/डकैती/अफीम स्मैक तस्करी आदि की घटनायें घटित हुई हैं ? क्या सरकार प्रत्येक थानावार विभिन्न घटनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखने की

कृपा करेगी ? क्या बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत अवधि में निर्दिष्ट किये गये अपराधों का थानावार विवरण अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।

जी हां।

अपराधों को नियन्त्रित करने के लिये शासन दृढ़संकल्प है तथा अपराध मुक्त समाज की संरचना हेतु अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 182 पर)

ग्राम कलन्दरपुर, थाना बलरामपुर देहात, जनपद गोण्डा में अगस्त की प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह 1992 तक तोड़-फोड़ की घटना में जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों को दण्डित न किये जाने की शिकायत

*10–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या मा० गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम कलन्दरपुर, थाना बलरामपुर देहात, जनपद गोण्डा में स्थानीय पुलिस एवं शरारती तत्वों द्वारा दि० 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 अगस्त, 1992 को लगातार एक सप्ताह तक तोड़-फोड़, लूटपाट व मारपीट की घटना की जांच उ०प्र० शासन द्वारा दि० 24-2-94 को एक माह के अन्दर सी०आई०डी० से करा लेने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जांचोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नकर्ता मा० विधायक के प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-2-94 के संदर्भ में शासन के आदेश दिनांक 10-5-94 द्वारा सी०आई०डी० जांच आदेशित हुई है।

जांच प्रचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में जून, 1994 से फरवरी, 1995 तक थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण का विवरण

*11–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल में माह जून, 1994 से फरवरी, 1995 तक कुल कितने थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण किये गये ? क्या यह सही है कि जाति विशेष के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद नैनीताल में 17 थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न निगमों के घाटों को रोकने की योजना की जानकारी

*12–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मा०मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न निगमों में बढ़ते घाटों को रोकने हेतु कौन सी प्रभावी योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में कार्यरत निगमों में घाटे को रोकने एवं दक्षता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा नीति प्रतिपादित की गयी है, जो मुख्य रूप से निम्नवत् है :–

(क) 1–सभी निगम कारपोरेट प्लान बनायें ताकि वे भविष्य में नियोजित ढंग से अपना विकास कर सकें ।

2–निगमों द्वारा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं को समाप्त किया जाय जिनका योगदान उद्यमों की निश्चित लागत की पूर्ति हेतु नगण्य अथवा ऋणात्मक है ।

3–सभी उद्यमों द्वारा रहतियों एवं देनदारियों की समीक्षा कर उन्हें यथासम्भव कम किया जाय और इस प्रकार फंसी हुई धनराशि को अवमुक्त कराकर व्यवस्था में लगाया जाय ।

4–उद्यमों द्वारा अतिरिक्त कार्मियों का अभिज्ञान करके उन्हें नियोजित ढंग से कम किया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों के प्रति सुविधा एवं प्रोत्साहन की प्रेरणा से प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों की सूची

*13–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की उद्योगों को सुविधायें व प्रोत्साहन देने की नीति से प्रभावित होकर प्रदेश में नये उद्योग लगाने के लिये कितने समूहों या कम्पनियों की ओर से पूंजी निवेश के कुल धनराशि के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? इनमें से किनके द्वारा कितना पूंजी निवेश होकर कौन सा नया उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3676 उद्योगों के स्थापनार्थ प्रस्ताव विभिन्न औद्योगिक समूहों/कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) उपरोक्त प्रस्ताव में से जनवरी, 1980 से मार्च, 1995 के बीच 1733 प्रस्ताव ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है ।

(2) अगस्त, 1991 से अप्रैल, 1995 के बीच 1943 प्रस्ताव ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिनमें लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त 3676 प्रस्तावों में कुल पूंजी निवेश रु० 1,90,209.63 करोड़ होगा तथा 7,46,998 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। कुल प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष में नये उद्योगों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है। कुल स्थापित 660 उद्योग, जिनमें रु० 8047.48 करोड़ का विनियोजन हो चुका है, का विस्तृत विवरण संलग्नक–"ब" पर दर्शाया गया है।

आशापुर सारनाथ, जिला वाराणसी में झुनझुनवाला के मूंगफली तेल की रिफाइन्ड फैक्ट्री बन्द होने की शिकायत

*14–श्री ऊदल–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि मूंगफली तेल की रिफाइन्ड फैक्ट्री, स्थान आशापुर सारनाथ, जिला वाराणसी झुनझुन वाला की वर्षों से बन्द पड़ी है ? इस फैक्ट्री पर सरकार के वित्तीय संस्थानों का कितना रुपया मय ब्याज के बाकी है तथा मजदूरों का कितना रुपया वेतन तथा अन्य बकाया है ? सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

मूंगफली तेल की झुनझुनवाला की रिफाइन्ड फैक्ट्री बन्द नहीं है अपितु सुचारु रूप से उत्पादन कार्य कर रही है। फैक्ट्री पर राज्य सरकार की वित्तीय संस्थाओं का कोई बकाया नहीं है। केवल बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिए गए ऋण का ब्याज एवं दण्ड ब्याज के मद में रु० 6.37 लाख दि० 30-6-95 की स्थिति के अनुसार बकाया है। इकाई में फैक्ट्री के किसी मजदूर या कर्मचारी का कोई वेतन/मजदूरी बकाया शेष नहीं है। अतः सरकार द्वारा इस विषय में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं होता।

प्रदेश की सरकारी/सहकारी इकाइयों को निजी क्षेत्र में देने के औचित्य की जानकारी

*15–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयों को निजी क्षेत्र में सौंपने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा कितनी इकाइयां विगत एक माह में निजी क्षेत्र को सौंपनी जा चुकी हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों को निजी क्षेत्र में सौंपने का औचित्य क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूची संलग्न है।

कोई नहीं।

सामाजिक उपादेयता तथा जन कल्याण से जुड़े हुए उद्यमों/इकाइयों को छोड़कर जो उद्यम/इकाइयां हानि की स्थिति में है और जिन्हें लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तथा/अथवा जिनकी उपयोगिता नगण्य है, का निजीकरण/संयुक्त क्षेत्र में सौंपने, पट्टे पर चलाये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 183-185 पर)

अतारांकित प्रश्न

थानाध्यक्ष से इंचार्ज बनाये जाने के प्रतिबन्धों के विपरीत कतिपय तैनाती की शिकायत

1–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि थानाध्यक्ष को इन्चार्ज बनाते समय 53 वर्ष की आयु होने का प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या 53 वर्ष की आयु से अधिक के भी थानाध्यक्ष प्रदेश में इन्चार्ज के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही में चौरी थानान्तर्गत चोरी के मुल्जिम को पुलिस द्वारा छोड़ दिये जाने की शिकायत

2–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में दि० 17, 18, 19 सितम्बर, 1994 की रात में चौरी थानान्तर्गत कपसेठी बाजार में कोई चोरी की घटना हुई जिसमें भरहरिया निवासी श्री पाण्डेय द्वारा रिपोर्ट रात्रि में ही दर्ज करायी गई थी तथा उसमें से तीन अपराधियों को मौके पर जनता ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था तथा 12 घण्टे जिनको चौकी पर बैठाने के बाद पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार कपसेठी बाजार के निवासी श्री राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 20-9-94 को प्रातः 2.30 बजे एक चोर के घर में घुसने की रिपोर्ट थाना चौरी पर दर्ज करायी गयी थी चूंकि मौके पर कोई भी अपराधी पुलिस के हवाले नहीं किया गया था, इसीलिए अपराधी को 12 घंटे पुलिस चौकी पर रखने के बाद उसे छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर पशुधन विभाग में आरक्षण आधारित नियुक्तियों का विवरण

3–श्री उमाकान्त यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विभाग के अधीनस्थ सभी जनपदीय कार्यालयों में लिपिकीय वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों व मुख्यालय सहित पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है ?

पशुधन राज मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

पशुधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों (मुख्यालय छोड़कर) में लगभ 740 लिपिकीय वर्ग व लगभग 5108 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं ।

पूरे उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों सहित मुख्यालय लेकर लिपिकीय वर्ग में 149 पिछड़ी जाति, 126 अनुसूचित जाति तथा 621 सामान्य वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका अलग-अलग प्रतिशत क्रमशः 17, 14 तथा 69 है इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के 2273 पिछड़ी जाति, 1510 अनुसूचित जाति तथा 1395 सामान्य वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका अलग-अलग प्रतिशत क्रमशः 44, 29 व 27 है ।

थानाध्यक्ष, मछलीशहर, जिला जौनपुर के विरुद्ध शिकायत

4–श्री तीरथ राज–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि थानाध्यक्ष मछलीशहर, जौनपुर द्वारा ग्राम मोलनापुर, थाना मछलीशहर, जौनपुर में होली जलाने नहीं दी गयी है ? इस संबंध में क्या ग्रामवासियों द्वारा उनको दिनांक 29-3-94 को तार द्वारा घटना की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रदेश प्रशासन को अवगत कराये जाने के बाद कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1994 में ग्राम मोलनापुर, मछलीशहर, जनपद जौनपुर में शांति व्यवस्था के हित में पुलिस प्रशासन द्वारा विवादित स्थल पर होलिका दहन की अनुमति नहीं दी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 4-12-93 से 24-10-94 तक पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर के विरुद्ध शिकायतों पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

5–श्री महेश चन्द्र–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 4-12-93 से लेकर 24-10-94 तक पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर को प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में उल्लिखित कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया तथा कितनी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है ? लम्बित समस्याओं के विलम्ब से निराकरण के लिये कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर को प्रश्नकर्ता के कुल तीन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

दिनांक 20-12-93 के पत्र में अंकित तथ्य पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी । द्वितीय पत्र दिनांक 3-6-94 जो पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर के विरुद्ध था, की जांच करायी गयी ? जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । तीसरे पत्र दिनांक

11-6-94 में अंकित तथ्यों पर कार्यवाही प्रचलित है । अतः विलम्ब के लिए कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है । जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

निवर्तमान थानाध्यक्ष जी० आर० पी० टूण्डला, अलीगढ़ के संबंध में कतिपय जानकारी

6–श्री रामपाल सिंह–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि निवर्तमान थानाध्यक्ष जी० आर० पी० टूण्डला, अलीगढ़ विगत जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1991 के मध्य कहां-कहां तैनात रहे ? उनके कार्यकाल में संबंधित थानों में किस-किस धारा में कौन-कौन अपराध दर्ज किये गये ? उनमें से उक्त थानाध्यक्ष द्वारा किन-किन मामलों में तफतीश/विवेचना की गयी ? उनका क्या परिणाम निकला ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अवधि में संबंधित थानाध्यक्ष, जी० आर० पी० श्री उमा शंकर पाण्डेय निम्नांकित स्थानों पर तैनात रहे :–

दि० 1-1-90 से 18-1-91 तक–चौकी हापुड़

दि० 19-1-91 से 6-8-91 तक–थाना शामली

दि० 13-8-91 से 14-8-91 तक–लाइन आगरा

दि० 15-8-91 से 31-12-91 तक–चौकी मैनपुरी

कुल 54 अपराध पंजीकृत किये गये जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 186-188 पर)

पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र शुक्ल द्वारा सब इन्सपेक्टर थाना नौरंगिया जनपद देवरिया के विरुद्ध शासन को की गई शिकायत पर कृत कार्यवाही

7–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मा० मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र शुक्ल ने दि० 30-7-94 को प्रमुख सचिव, गृह को जनपद पडरौना के अन्तर्गत, थाना नौरंगिया में तैनात सब-इन्सपेक्टर श्यामरथी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध जांच हेतु कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मा० पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र शुक्ल का पत्र संबंधित अनुभाग में उपलब्ध न होने के कारण मा० पूर्व विधायक से पत्र की प्रति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी ।

थानाध्यक्ष, नेबुआ नौरंगिया जनपद पड़रौना के विरुद्ध पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल का प्रमुख सचिव, गृह को विगत जुलाई, 1994 के भेजे गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मा० मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रमुख सचिव, गृह को संबोधित श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल, पूर्व विधायक, पडरौना का दिनांक 27-7-94 का पत्र जो थानाध्यक्ष, नेबुआ नौरंगिया, जनपद पडरौना के विरुद्ध है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मा० पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल का पत्र संबंधित अनुभाग में उपलब्ध न होने के कारण मा० पूर्व विधायक से पत्र की प्रति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी ।

रिपोर्टिंग चौकी ग्योड़ी, थाना खन्ना, जिला हमीरपुर के संबंध में जानकारी

9–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी, थाना खन्ना में रिपोर्टिंग चौकी कब से संचालित है ? उक्त चौकी की अव्यवस्थाओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1994 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्र में उल्लिखित सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत स्थान पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्वीकृत नहीं है । स्थानीय स्तर से केवल अस्थाई पुलिस चौकी दिनांक 29-3-93 से संचालित है ।

जी हां ।

मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख है :–

1–पिछड़े एवं दलित बाहुल्य क्षेत्र में लगभग 35 हजार आबादी के ग्राम ग्योड़ी में एक रिपार्टिंग पुलिस चौकी स्थापित होना,

2–उस पर सब इन्सपेक्टर न होना ।

संदर्भगत अधिकारियों से आख्या/प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं । यह प्रस्ताव के औचित्य प्रमाणित होने पर निर्भर करता है ।

श्रम विभाग में अपर/उप श्रमायुक्त के पदों का विवरण उन पर पदोन्नति न होने की शिकायत

10–श्री छोटे लाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त के अलग-अलग कितने पद हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि विभाग में योग्य अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद अपर श्रमायुक्त के चार पद तथा उप श्रमायुक्त के कई पद विगत कई वर्षों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल उक्त रिक्त पदों पर योग्य अधिकारियों को प्रोन्नत कर रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

श्रम विभाग उ० प्र० में विभागीय अपर श्रमायुक्तों के 6 तथा उप श्रमायुक्तों के 22 पद हैं जिनमें से अपर श्रमायुक्त के 4 तथा उप श्रमायुक्त के 2 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

अपर श्रमायुक्त के रिक्त पदों को भरने हेतु कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति न हो सकने के कारण भरा नहीं जा सका अब अपर श्रमायुक्तों के दो पदों को भरने हेतु चयन कर लिया गया है नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । उप श्रमायुक्तों के रिक्त पदों को भरने के लिए पोषक संवर्ग सहायक श्रमायुक्त की ज्येष्ठता को अंतिम रूप अभी नहीं दिया जा सका है । सहायक श्रमायुक्त की आपसी ज्येष्ठता अंतिम रूप से प्रकाशित करने के बाद ही उप श्रमायुक्त के पदों पर चयन की कार्यवाही संभव है ।

अलीगंज, लखनऊ में सरकारी कालोनी के टाइप चार के आवास संख्या एम० आई० जी०–8 के संबंध में शिकायत

11–श्री छोटे लाल–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगीं कि अलीगंज स्थित सरकारी टाइप चार आवास संख्या–एम० आई० जी०–8 में रह रहे अध्यासी श्री नन्द किशोर, जो माह जुलाई, 1993 में लखनऊ से स्थानान्तरित हो गये थे, के द्वारा उक्त सरकारी आवास अभी तक क्यों नहीं रिक्त किया गया ? क्या उक्त आवास को रिक्त कराने के लिये राज्य संपत्ति विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? आवास को रिक्त कराने में बरती गयी शिथिलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आवास संख्या–एम० आई० जी०–8, अलीगंज कालोनी के पूर्व आवंटी श्री नन्द किशोर द्वारा उक्त आवास रिक्त किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अगस्त, 94 से मार्च, 95 तक भर्ती पुरुष कान्स्टेबिलों के भर्ती के संबंध में विवरण

12–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि अगस्त, 1994 से आज तक पूरे प्रदेश में उ० प्र० पुलिस में कितने पुरुष कान्स्टेबिल भर्ती किये गये तथा उत्तराखण्ड के कितने लोगों को भर्ती किया गया ? किसी जनपद को भर्ती केन्द्र निर्धारित करने का क्या मापदण्ड है ? उत्तराखण्ड के किन-किन भर्ती केन्द्रों में कुल कितनी-कितनी भर्तियां हुई तथा इन केन्द्रों में कितने-कितने स्थानीय (उत्तराखण्ड क्षेत्र के) लोगों को भर्ती किया गया ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार अगस्त, 1994 से आज तक कुल 3000 जनपदीय पुरुष कान्स्टेबिलों की भर्ती की गयी । चयनित अभ्यर्थियों में से कुल 42 उत्तराखण्ड के लोगों को भर्ती किया गया ।

भर्ती हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र के किसी एक जनपद को भर्ती केन्द्र के रूप में चयनित किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

उत्तराखंड के अन्तर्गत जनपद नैनीताल से 20 एवं देहरादून से 13 अभ्यर्थी उत्तराखण्ड क्षेत्र के भर्ती किये गये ।

कानपुर की श्रमिक बस्तियों के सुधार की योजनाओं की जानकारी

13–श्री सतीश महाना–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित श्रमिक बस्तियों के सुधार के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जाजमऊ स्थित जे० के० कालोनी में पीने के पानी, टूटी सड़कों के सुधार एवं श्रमिक क्वार्टर्स सुधारने के लिये क्या योजना है ?

श्री श्यामलाल यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील मुख्यालय उतरौला, जनपद गोण्डा में फायर ब्रिगेड की स्थापना की मांग

14–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय उतरौला पर फायर बिग्रेड की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तहसील मुख्यालय उतरौला, जनपद गोण्डा में फायर ब्रिगेड की स्थापना किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है ।

कु० संगीता सुपुत्री श्री बल्देव प्रसाद, कान्सटेबिल, बरेली को सेवा में बहाल करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

15–श्री धनराज यादव–

क्या मा० गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री शारदानन्द अंचल, तत्कालीन राज्य मंत्री, उ० प्र० शासन, लखनऊ का पत्र तथा उसके साथ संलग्न कु० संगीता पुत्री श्री बल्देव प्रसाद, निवासी ग्राम सिन्धौरा रिछा रोड, जनपद बरेली, दिनांक 16-6-94/बी० आई० पी०, पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमायूं क्षेत्र नैनीताल को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भू० पू० कान्स० श्री बल्देव प्रसाद को सेवा में बहाल करने सम्बन्धी श्री बल्देव प्रसाद की अपील समुचित विचारोपरान्त दिनांक 14-4-94 को अस्वीकार की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कोतवाली, नगर बांदा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1036/93 धारा एवं 506 आई० पी० सी० के संबंध में जानकारी

16–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर बांदा में दिनांक 19-7-93 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–1036/93 धारा 505 एवं 506 आई० पी० सी० वादी सन्तोष कुमार निवासी मोहल्ला खिन्नी नाका, बांदा के प्रकरण में नसीमुद्दीन सिद्दीकी व दो अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित थाना पुलिस के द्वारा चार्जशीट संबंधित न्यायालय में अब तक प्रेषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । दिनांक 10-8-93 को पंजीकृत प्रश्नगत मुकदमें में विवेचना से अपराध का न होना पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 21-12-93 को लगायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना निवासी बांदा के शिकायती-पत्र पर थाना कोतवाली, नगर बांदा द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

17–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद बांदा निवासी श्री मोहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना के शिकायती पत्र दिनांक 9-10-93 में सी ओ० सिटी, बांदा द्वारा दिनांक 20-10-93 के पत्र में संदर्भित अपराधी तत्वों अतीकुद्दीन खां, लईकुद्दीन खां, मतीनुद्दीन खां पुत्रगण हिसामुद्दीन खां के विरुद्ध

उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश पारित किये जाने के बावजूद संदर्भित थाना कोतवाली, नगर बांदा द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

आवेदक श्री मोहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना पुत्र श्री इम्मी शेख मन्सूरी केयर आफ पी० के० लाइट हाउस मयूर टीकीज रोड मु० गूलर नाका, बांदा द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांकित 9-10-93 की जांच की गयी । जांच से अतीकउद्दीन खां, लईकउद्दीन खां, मतीनउद्दीन खां पुत्रगण हिसामुद्दीन खां निवासीगण मर्दन नाका, शहर बांदा के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम आदि के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया और न ही क्षेत्राधिकारी नगर, बांदा द्वारा दिनांक 20-10-93 को उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंधी कोई आदेश थाना कोतवाली, नगर बांदा को पारित किये गये ।

विधायक निवास 1 व 2 के मध्य से जाने वाले रास्ते को केवल पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित किये जाने की मांग

18–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री राम आसरे वर्मा तथा धामूराम भाष्कर–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगी कि विधायक निवास दारुलशफा के अन्दर प्रवेश तथा निकासी के कितने रास्ते बनाये गये हैं और क्या उक्त रास्ते मात्र मा० सदस्यों के आवागमन के लिये हैं या आम रास्ता भी है ? यदि आम रास्ता है तो कब से और क्यों ? यदि नहीं, तो लालबाग एवं जनपथ मार्केट की तरफ से बाहरी कार, स्कूटर, रिक्शा, टैक्शी एवं साइकिलें आदि क्यों आने दिया जाता है ? क्या मा० सदस्यों की सुरक्षा हेतु पैदल चलने वाले व्यक्तियों को छोड़कर बाहरी कार आदि न आने के लिये कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि भीका लेन/कन्धारी बाजार की तरफ से अवैध रास्ता बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह रास्ता पैदल वालों को छोड़कर, मा० सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बन्द कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधायक निवास दारुलशफा में प्रवेश तथा निकासी के लिये सात रास्ते हैं । इनसे मा० विधायकगण तथा अन्य लोग जो उनसे मिलने आते हैं, आते-जाते हैं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निर्धारित स्थानान्तरण नीति

19–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री धामूराम भाष्कर–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचरियों के स्थानान्तरण के संबंध में स्थानान्तरण-नीति सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान)

अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2441/बीस-ई–1-91-600(1)/81, दिनांक 7 मई, 1991 को निर्धारित की गई तथा सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं० 3394/बीस-ई-1-92-600(1)/81, दिनांक 25 जून, 1992 द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत अब तक कुल कितने स्थानान्तरण सचिवालय प्रशासन विभाग से दिये गये ? किये गये स्थानान्तरणों में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनका पालन किया गया ? अनुपालन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 7 मई, 1991 तथा दिनांक 25 जून, 1992 द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वर्ष 1991, 1992 एवं 1994 में सचिवालय सेवा के कुल 163 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिसके समक्ष 118 अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यावहारिक कारणों से 45 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण निरस्त/स्थगित किये गये । चूंकि प्रशासनिक एवं कार्यहित में स्थानान्तरण आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था, अतः इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

19–अ–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री धामूराम भाष्कर–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति/मध्य सत्र/शिकायत के आधार पर/समर्पण के आधार पर किये गये स्थानान्तरणों पर पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है, ताकि कोई अधिकारी अपने हित में किसी अधिकारी/कर्मचारी को रोकने का प्रयास न करे क्या साथ ही स्थानान्तरण रोकने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानान्तरण नीति में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी नियत तिथि को अवमुक्त कर दिये जायें और तत्पश्चात् उनका वेतन स्थानान्तरण वाले नये विभाग से निकाला जायेगा । इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित होने वाले सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने तथा स्थानान्तरण नीति के अनुपालन हेतु संबंधित विभाग के सचिव को उत्तरदायी बनाया गया है । स्थानान्तरण नीति के अलावा अन्य आधारों पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों के संबंध में भी यही नीति अपनायी जाती रही है । प्रशासनिक एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में स्थानान्तरण आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना संभव नहीं हो पाता है, अतः इस दृष्टिकोण से किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अधिशासी अभियन्ता (सिविल), अनुरक्षण खण्ड–2, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), अनुरक्षण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग की समस्याओं के संबंध में आदेश

20–श्री धामू राम भाष्कर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–66 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (सिविल), अनुरक्षण खण्ड–2, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग को निहित समस्याओं के समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ? उक्त निर्देश क्या थे तथा उस पर अभी तक कार्यवाही न किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त के संदर्भ में दिनांक 13-5-94 व 29-6-94 को और भी पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कालिका लेन, दारुलशफा स्थित चतुर्थ श्रेणी आवासों के अध्यासियों की आवासीय समस्याओं का समाधान अब तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त अध्यासियों की समस्याओं को दूर करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

निहित समस्याओं का समाधान कराने हेतु निर्देश दिये गये थे । नियमानुसार अनुमन्य कार्य सम्पादित कराये गये ।

दिनांक 13-5-94 का पत्र प्राप्त हुआ है । दिनांक 29-6-94 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ पाया गया ।

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए आवासीय समस्याओं का समाधान कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सचिवालय के आवास विभाग में अनुभाग अधिकारियों/प्रभारी के पांच साल से अधिक समय से कार्यरत होने की शिकायत

21–श्री नेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में आवास विभाग में वर्तमान समय में कितने अनुभाग अधिकारी/प्रभारी लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही शाखा में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनमें से कतिपय अनुभाग अधिकारी/प्रभारी ऐसे हैं जो उसी शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं, उनको उसी शाखा में नियुक्त करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार ऐसे अनुभाग अधिकारियों/प्रभारी को आवास शाखा से स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में आवास सचिव शाखा में श्री जय प्रकाश पाण्डेय ही एक मात्र प्रभारी/अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध प्रवर वर्ग सहायक के रूप में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत रहे हैं । श्री पाण्डेय का स्थानान्तरण कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 24 मई, 1995 द्वारा आवास अनुभाग–1 से परिवहन अनुभाग–2 में कर दिया गया है ।

प्रमुख सचिव, गृह विभाग को श्री हरेन्द्र सिंह मलिक स० वि० स० द्वारा भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

22–श्री रतनलाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन को संबोधित श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, स० वि० स० का माह नवम्बर, 1994 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य

क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या थाना निचलौल, जनपद महराजगंज पर तैनात कान्स्टेबिल श्री भारती बाबा व हेड कान्स्टेबिल श्री लल्लन सिंह विगत 15 वर्षों से रेंज के अन्तर्गत ही तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल को रेंज के बाहर स्थानान्तरित कर दिये जाने के निर्देश उ० प्र० शासन ने जारी कर दिए हैं ।

कम्पाइलर पद सृजन हेतु की गई शिथिलता के संबंध में शिकायत

23–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाइलर का पद दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 के बाद न बढ़ाए जाने का निर्णय पत्रावली में अंतिम रूप से लिया गया था ? यदि हां, तो प्रशासकीय विभाग में समय रहते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 के पूर्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ? क्या यह सही है कि मृत सरकारी कर्मचारी नियमावली के प्राविधानों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को उक्त नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है तो उसे सेवा से व्यवधान नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो श्रीमती जयन्ती जोशी के मामले में उपरोक्त नियमावली का पालन क्यों नहीं किया गया ? इसके लिये कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–8 के आदेश सं०–3676/एच० ई०/6–पु०–8/92, दिनांक 31-7-1992 द्वारा उक्त पद की निरन्तरता दिनांक 31-12-1992 तक के लिए ही जारी की गयी थी । इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुपालन में समय से कार्यवाही कर ली गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । वैसे भी श्रीमती जोशी की सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग टी० एम० सी० एवं उसकी चार इकाइयों को पिकप द्वारा दिया गया ऋण का विवरण

24–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग टी० एम० सी० या उसकी 4 सिस्टर कन्सर्न की उत्तर प्रदेश वित्त निगम व पिकप द्वारा कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया है ? उक्त ऋण के भुगतान की स्थिति क्या है ? देय ऋण की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

मेसर्स टी० एम० सी० एवं इसकी दूसरी सिस्टर कन्सर्न गोयल टिन वर्क्स को क्रमशः रु० 45 लाख एवं 45 लाख का ऋण वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया है । पिकप द्वारा इस उद्योग को कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया है । वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली नियमित रूप से हो रही है ।

जनपद गोण्डा के कोतवाली उतरौला में वर्ष 1994 में कतिपय अपराधों के विवरण की जानकारी

25–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद उतरौला कोतवाली में माह जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1994 तक हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार एवं हरिजन उत्पीड़न तथा आगजनी की कितनी-कितनी अपराधिक घटनायें घटीं ? सरकार ने बढ़ते अपराध को रोकने के लिये क्या विशेष प्रभावी कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :–

अपराध का प्रकार	अपराधों की संख्या
हत्या	9
लूट	4
बलात्कार	1
आगजनी	11
डकैती	3
अपहरण	6
हरिजन उत्पीड़न	26

इस संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :–

1–एक उप निरीक्षक, दो आरक्षी को दुश्चरित्र लेख तथा 9 आरक्षियों को चेतावनी दी गयी ।

2–शेष 627 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107, 116 द० प्र० सं० के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है ।

3–निरन्तर सघन गश्त एवं पेट्रोलिंग किया जाना ।

4–ग्राम सुरक्षा समितियों को अपराधियों से निबटने के तौर-तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाना ।

5–क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से निरन्तर सम्पर्क करके उनका सहयोग लिया जाना ।

6–पंजीकृत अपराधों की त्वरित विवेचना एवं आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया जाना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्योहार मनाने की सरकार की नीति की जानकारी

26–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सम्प्रदायों (पंथो) के त्योहारों को प्रशासन द्वारा मनाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या दिनांक 20 फरवरी, 1995 को गाजियाबाद के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व प्रशासक, नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया रोजा अफत्यार का आयोजन शासन की नीति के अनुरूप है ?

सुश्री मायावती–

सभी त्योहारों को शान्तिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाये जाने की शासन की नीति है ।

सभी सम्प्रदायों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा रोजा अफत्यार का आयोजन, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है ।

पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी श्रेणी के लोगों के स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन की मांग

27–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत उप निरीक्षकों, मुख्य आरक्षी, आरक्षी श्रेणी में आने वाले अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को अपने गृह जनपद तथा गृह जनपद के बगल के जनपद में कार्यरत रहने पर सरकार या विभाग द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या पुलिस विभाग के उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों की व्यवहारिक व आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए इन आदेशों के बारे में पुनर्विचार कर उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी कर्मचारियों को गृह जनपद में सेवा करने का अवसर दिये जाने के बारे में सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी श्रेणी के कर्मचारियों को गृह जनपद तथा गृह जनपद के बगल के थानों को छोड़कर सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का सीधा सम्पर्क जनता से होता है और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व इन्हीं पर निर्भर रहता है । जनहित एवं निष्पक्ष रूप से कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को गृह परिक्षेत्र एवं गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त न किये जाने की नीति निर्धारित है । इसी दृष्टि से मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी श्रेणी के कर्मचारियों को भी गृह जनपद के बगल के थानों में नियुक्त न किये जाने की भी नीति है । अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना महिलाबाद में निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को पदस्थ करने की मांग

28–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना महिलाबाद में निरीक्षक स्तर का पद है ? यदि हां, तो क्या निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी ही पदस्थ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इतने पुराने एवं कोतवाली स्तर के थाने में थानाध्यक्ष के पद पर निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को पदस्थ करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में खनन विभाग के मुहर्रिर के विरुद्ध अनियमितता संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

29–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में खनन (माइन्स विभाग) में कार्यरत मोहर्रिर जो जनपद में मात्र एक है, की अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 23-11-94 द्वारा कोई शिकायत की थी, जिसमें जांच की मांगकर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी ? क्या उस पर जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

अनियमितताओं के लिये उन्हें दण्डित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत वर्ष में सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 के आदेश के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त न किये जाने की शिकायत

30–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5364–बीस-ई-5-3/94, दिनांक 11 नवम्बर, 1994 के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं, उनमें से किन-किन कर्मचारियों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या इन्हें कार्यमुक्त करने हेतु सरकार स्वतः मुक्त आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत कार्यालय-ज्ञाप द्वारा स्थानान्तरित सभी सहायक कार्यमुक्त हो गये हैं और उन्होंने अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह वर्ष 1994 में भदोही/वाराणसी के कथित कालीन कम्पनी में नैपाली बाल श्रमिकों की बरामदगी के विवरण की जानकारी

31–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 94 के प्रथम सप्ताह में नेपाली बंधुआ बाल श्रमिकों लड़कियों एवं लड़कों को भदोही के किसी कालीन कम्पनी व वाराणसी से बरामद किया गया है ? यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है और उस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां । उक्त कम्पनी का नाम मैसर्स गुलाम संजरी कालीन निर्माता मुहल्ला जमुन्दबाड़ा, कटरा बाजार, भदोही है । उक्त कम्पनी के विरुद्ध थाना–भदोही में अपराध संख्या–231/94 की धारा 342/374/504/506 भारतीय दण्ड विधान 16–बंधुआ अधिनियम/18 उत्तर प्रदेश बा०अधि० धारा–6 चिल्ड्रेन ऐक्ट का अभियोजन पंजीकृत कराया गया है ।

दिनांक आठ नवम्बर, 1994 को ग्राम मौघटिया, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में चार व्यक्तियों की हत्या का मामला एवं पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिये जाने की मांग

32–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 8-11-94 मौघटिया, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में 4 व्यक्तियों की हत्या दिन में घेरा बन्दी करके कर दी गई जबकि थाने की पुलिस चौकी घटना से 2 कि० मी० की दूरी पर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इनकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में स्थानीय पुलिस की भूमिका के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा जांच कराई गई । जांच में दोषी पाये गये मुख्य आरक्षी तथा तीन अन्य आरक्षियों को उ० प्र० अधीनस्थ दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के प्रस्तर–14(2) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख दिये जाने की संस्तुति की गई है । इसके अतिरिक्त तत्कालीन थानाध्यक्ष, जैतीपुर को भी कड़ी चेतावनी दे दी गई है ।

33–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के ग्राम मौघटिया, थाना जैतीपुर में दिनांक 8-11-94 को दिन में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पीड़ित परिवार को क्या आर्थिक सहायता शासन की ओर से दी जायेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस प्रकार के मामलों में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर उ० प्र० मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1989 के अन्तर्गत विचार किया जाता है ।

गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थिति उद्योग टी० एम० सी० व उनकी चारों सिस्टर कन्सर्न में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं उनके स्थायीकरण की मांग

34–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग टी० एम० सी० व उसकी चारों सिस्टर कन्सर्न में क्रमशः कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो एक से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं तथा अस्थाई हैं ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम लाल यादव–

मेसर्स टी० एम० सी० व उसकी सहयोगी इकाइयों में कुल 204 श्रमिक निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

(1) मे० टिन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी आफ इंडिया –144

(2) मे० गोयल टिन वर्क्स प्रा० लिमिटेड –43

(3) मे० भारत टिन उद्योग –17

(4) मे० डोलफिन कैनपैक प्रा० लिमिटेड –शून्य

उक्त तीनों इकाइयों में एक से अधिक वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 116, 43 तथा 3 कुल 162 है जो सभी स्थाई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक पुलिस, शाहजहांपुर के स्थानान्तरण के बावजूद भी कार्यमुक्त न किये जाने की शिकायत

35–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 में दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक के स्थानान्तरण के आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त भी उन्हें आज तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक को एक ही थाने पर तैनात हुये 6 वर्ष का समय हो गया है ? यदि हां, तो क्या जनहित में श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक को किसी अन्य थाने में स्थानान्तरित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती––

श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक को जनपद शाहजहांपुर से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुस्लिम सम्प्रदाय के उपाधीक्षकों एवं निरीक्षकों के स्थानान्तरण की जानकारी

36–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपाधीक्षक एवं निरीक्षक श्रेणी के कितने मुस्लिम अधिकारी गैर नागरिक पुलिस शाखाओं एवं सेलों में से नागरिक पुलिस में इस सत्र में स्थानान्तरित किये गये हैं ? क्या शासन इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध करायेगा ? गैर सिविल पुलिस में सम्प्रति कितने मुस्लिम अधिकारी हैं जो इस स्थानान्तरण में सिविल पुलिस में स्थानान्तरित नहीं हो पाये हैं ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत सत्र में संदर्भित श्रेणी के एक पुलिस उपाधीक्षक तथा 10 निरीक्षक गैर नागरिक पुलिस शाखाओं एवं सेलों से नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित हुए ।

सूची निम्नवत् है :–

पुलिस उपाधीक्षक

1–सैय्यद वसीम अहमद

निरीक्षक

1–श्री मंसूर अहमद काजी 2–श्री मो० शमीम सिद्दीकी 3–श्री मुसाफा खां 4–श्री अहमद हसन जैदी 5–श्री सैयद अहमद सिद्दीकी 6–श्री शेख यूसुफ 7–श्री आफताब अहमद खां 8–श्री मो० अयूब 9–मो० खलीकुज्जमा 10–श्री अब्दुल वहाब खां ।

एक पुलिस उपाधीक्षक को सम्मिलित करते हुए इस श्रेणी के कुल पांच अधिकारी नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित नहीं हुए ।

गोण्डा जनपद में वर्ष 1991 से 1995 तक विभिन्न थानों में पंजीकृत अपराधों के विवरण की जानकारी

37–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 तक प्रत्येक थाने में कितने अपराध पंजीकृत किये गये ? कितनों पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई ? कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ? क्या सरकार लम्बित पड़े मामलों में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अपेक्षित विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 189-190 पर)

38–श्री हरक सिंह रावत–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1993-94 व 1994-95 में कराये गये निर्माण कार्यों के संबंध में कतिपय जानकारी की मांग

39–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर कराये जाने वाले निर्माण व आपूर्ति कार्यों के क्रम में जिला फैजाबाद में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माण व आपूर्ति कार्य कराने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 के लिये निविदायें आमंत्रित करके संबंधित ठेकेदारों से कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त निविदायें किस-किस तिथि को आमंत्रित की गई तथा किन-किन ठेकेदारों ने किन कार्यों के लिये निविदायें दी थीं ? यदि निविदायें नहीं आमंत्रित की गई हैं तो किस पद्धति से और कितनी-कितनी राशि से कार्य कराये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत भवन निर्माण/विशेष मरम्मत व आपूर्ति क्रय के संबंध में निविदायें आमंत्रित की गयी थी व जिन ठेकेदारों को कार्य दिया गया था उसकी सूची अलग-अलग संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

चौकी सिपाह, थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में अज्ञात व्यक्ति के लाश के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि चौकी सिपाह थाना कोतवाली, जौनपुर के अर्न्तगत दिनांक 22-1-94 को सुबह सात बजे कोई लाश संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस अज्ञात व्यक्ति का क्या नाम था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-1-94 जो कि मुख्य मंत्री तथा पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मृतक का नाम लल्लन सिंह पुत्र श्री राम लोचन सिंह सा० वीरभान पुर थाना बक्शा, जौनपुर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिकप द्वारा गाजियाबाद के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण के विवरण एवं ऋण की अदायगी न किये जाने वाले उद्योग इकाइयों की जानकारी

41–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में स्थित उद्योगों को पिकप द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है तथा कौन-कौन उद्योग ऋण का नियमित भुगतान नहीं कर रहे हैं ? क्या मा० मुख्य मंत्री उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

पिकप द्वारा गाजियाबाद में स्थित कुल 292 उद्योगों को रु० 247.20 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।

78 उद्योगों द्वारा ऋण का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 191-193 पर)

† छापी नहीं गई।

जिला कारागार लखनऊ के प्रांगण में खाली भूमि के सदुपयोग की मांग

42–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला जेल में दसियों एकड़ खाली जमीन, जिसमें केवल कुछ सरवेंट्स क्वार्टर बने हैं, पर कोई सरकारी दफ्तर का भवन, आवासीय कालोनी या अस्पताल के निर्माण पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)–

जी नहीं । क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कारागार के समीप सरकारी दफ्तर का भवन, आवासीय कालोनी या अस्पताल का निर्माण उचित नहीं है ।

हमीरपुर/महोबा के कबरई-कुनेहटा मार्ग पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में विधान सभा सदस्य श्री अरिमर्दन सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43–श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर/महोबा के कबरई-कुनेहटा मार्ग में स्थित गांवों में जर्जर कानून व्यवस्था के संबंध में श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1995 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत विषय पर मा० सदस्य विधान सभा श्री अरिमर्दन सिंह के बजाय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, मा० सदस्य विधान सभा का एक पत्र दिनांक 31-12-94 शासन को पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिस पर पुलिस महानिदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को शासन द्वारा आवश्यक निर्देश पहले ही भेजे जा चुके हैं ।

थाना ठाकुरगंज, जिला लखनऊ में दिनांक पच्चीस जनवरी, 95 को दर्ज मुकदमें पर कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

44–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के अन्तर्गत ग्राम लाला बाग में अराजक तत्वों द्वारा दिनांक 24-1-95 की रात्रि में श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नन्हकू के घर पर धावा बोलकर मारपीट की गयी थी ? जिसका मुकदमा 25-1-95 को थाना ठाकुरगंज में दर्ज हुआ परन्तु पुलिस द्वारा आज भी नामजद श्री रमेश पुत्र गुरु प्रसाद, महेश पुत्र बल्लू, राधेश्याम पुत्र बल्लू आदि छः लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत छः अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–190 दिनांक 30-4-95 को न्यायालय प्रेषित किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम देवरीबारी, पो० जलालाबाद, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर निवासी सतिराम पुत्र श्री निरहू द्वारा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को भेजे गये शिकायती-पत्र दिनांक 18-12-93 के संबंध में जानकारी की मांग

45–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतिराम पुत्र श्री निरहू, निवासी ग्राम–देवरीबारी, पोस्ट–जलालाबाद, थाना–दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर का शिकायती पत्र दिनांक 18-12-93 पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र में सतिराम के 3 आम के हरे पेड़ों को जबरदस्ती काट कर गिराने एवं जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दबंग व्यक्तियों की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा कार्यवाही करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच से पाया गया है कि ग्राम समाज के चकरोड पर सतिराम का एक सूखा पेड़ था जिसे विपक्षी की शिकायत पर परगनाधिकारी के आदेश से हटाया गया । यह आरोप कि दबंगई से जमीन पर कब्जा किया गया जांचोपरान्त असत्य पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री अजय कुमार पोद्दार–

।विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

47–डा० सरजीत सिंह डंग–

।स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

48–श्री राजाराम त्यागी–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

अपर निदेशक गोधन विकास के पद पर कार्यरत अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वापस लिये जाने की मांग

49–श्री पारस नाथ यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक गोधन विकास पद पर आसीन वर्तमान अधिकारी के विरुद्ध अब तक कितने विजीलेन्स जांच, कितनी विभागीय जांच कब-कब से किस स्तर के आदेश से चल रही हैं, और उन जांच कार्यों में प्रगति क्या हुई ? क्या सरकार जांच के दौरान जांच प्रभावित न होने देने के लिये उक्त अधिकारी का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जांच होने तक छीन कर निष्पक्ष जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० ए० के० सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध प्रचलित जांचो/शासन को प्राप्त जांच रिपोर्टों की जानकारी

50–श्री मुक्ति नाथ यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० ए० के० सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध कितनी जांचें चल रही है ? कौन-कौन प्रकरण ऐसे जिनकी जांच रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है और उन जांच रिपोर्टों के बाद जांच अधिकारी द्वारा आरोपित बिन्दु के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जगदीशपुर में बढ़ते अपराधों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर एवं डी० आई० जी० फैजाबाद रेंज को भेजे गये पत्रों के बारे में की गयी कार्यवाही की जानकारी

51–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित डी० आई० जी०, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-11-94 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के थाना जगदीशपुर में बढ़ते अपराध, हत्याओं पर समुचित नियंत्रण न हो पाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र में वर्णित हत्याओं में समुचित कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शिकायती पत्र में संदर्भित मामलों में मुकदमें दर्ज करके विवेचना की गयी तथा एक मामला, जिसमें 2 अभियुक्त मफरूर हैं, को सम्मिलित करते हुए कुल 4 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये । 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अन्य 6 अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया । 4 अभियुक्तों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । केवल एक मामले में अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

उपर्युक्त कार्यवाही के अतिरिक्त हत्या के एक मामले में रहस्योद्घाटन न कर सकने के दोष में थानाध्यक्ष, जगदीशपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठना ।

प्रदेश स्तर विशेषकर बिजनौर जनपद में वर्ष 1994-95 में हुई अपराधिक घटनाओं के विवरण की जानकारी

52–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

52–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार तथा कितनी हत्यायें वर्ष 1994-95 में हुईं ? बिजनौर जनपद में उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ? उनमें किस-किस जाति के लोगों को अपराधिक करार दिया गया है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पशुपालन विभाग के अपर निदेशक गोधन विभाग के ऊपर दवा आदि की खरीद में गड़बड़ी किये जाने का आरोप एवं जांच की मांग

53–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1994 में विभिन्न दवाओं और वस्तुओं की खरीदारी के लिये पशुपालन विभाग के अपर निदेशक गोधन विकास ने 25 मार्च से 31 मार्च, 1994 तक किन-किन 25 फर्मों से आपूर्ति हेतु आर्डर आदेश दिया था और उन्हीं तिथियों के अन्तर्गत किन-किन 25 फर्मों से सामान प्राप्त करने के लिये बिल प्राप्त किया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 25 फर्मों और अपर निदेशक गोधन तथा संबंधित लेखाकार तथा प्रधान लिपिक ने आदेश का सामान बिना प्राप्त किये केवल 25 मार्च से 31 मार्च के बीच सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी कर ली ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण पर जांच के लिये कितने शिकायती पत्र शासन में विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1994 में आयोजित राज्य सेवा/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में पिछड़ी जाति को दिये जाने वाले आरक्षण की जानकारी

54–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1994 में आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–93 में पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों के लिये कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा तथा उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में विहित प्राविधानानुसार सम्मिलित राज्य/प्रवर सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–1993 में पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठतानुसार उनकी उपलब्धता के पश्चात् ही उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

प्लाइवुड उद्योगों में सेवारत मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की जानकारी

55–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) उद्योग में नियोजित मजदूरों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विचाराधीन बिन्दु क्या हैं ? निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां, मामले का परीक्षण किया जा रहा है। प्लाइवुड नियोजन में नियोजित श्रमिकों का वेतन अद्यतन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया जाना विचारणीय है। यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

56–श्री चैनसुख भारती–

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

एक जनवरी, 1986 से 30 अगस्त, 1992 के मध्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के ग्रामोद्योग अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाहियों का विवरण

57–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 30-8-92 तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जौनपुर में कार्य कर चुके कितने जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, प्रत्येक शिकायती-पत्र का विवरण क्या है उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई तथा कितने ग्रामोद्योग अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? उसका विवरण क्या है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

प्रश्नगत अवधि में केवल एक अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए। सभी शिकायती पत्रों में ऋण अनुदान वितरण में अनियमितता से संबंधित शिकायतें की गयी थीं। इन शिकायतों की बिन्दुवार जांच एक विभागीय अधिकारी से करायी गयी। विभागीय जांचोपरान्त अनियमितताओं में किसी भी रूप में लोक धन की हानि, गबन अथवा अपहरण का होना नहीं पाया गया। प्रक्रियात्मक त्रुटियां दृष्टिगत हुईं, जिनके परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी गयी। अतः कार्यवाही न होने का प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश तथा जिला सेवा योजन कार्यालय फैजाबाद के विरुद्ध श्री जगन्नाथ यादव के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

58–श्री परशुराम यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश द्वारा जिला सेवायोजन कार्यालय,फैजाबाद स्तर से की गयी गम्भीर अनियमितताओं व हेरी-फेरी विषयक श्री जगन्नाथ यादव के शिकायती पत्र दिनांक 29-9-94 के आधार पर दिनांक 4-10-94 व इसके बाद कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है और जांच अधिकारी द्वारा किन-किन अनियमितताओं के लिये किसे-किसे दोषी पाया गया और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव–

श्री जगन्नाथ यादव का शिकायती पत्र दिनांक 29-9-94 नहीं बल्कि दिनांक 21-9-94 निदेशालय में प्राप्त हुआ । जिसकी दिनांक 4-10-94 को निदेशक द्वारा क्षेत्रीय-सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ से जांच करायी गयी ।

श्री यादव के शिकायती पत्र दिनांक 21-9-94 में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है :—

1–जिला सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद द्वारा प्रार्थी के नाम एवं रजिस्ट्रेशन पर दिनांक 30-11-83 से ही किसी अन्य को नौकरी पर लगाया जाना तथा अनेकों प्रार्थना-पत्र देने पर भी इस पर किसी कार्यवाही का न किया जाना । जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी ।

2–जांच अधिकारी द्वारा नवीनीकरण लिपिक को उत्तरदायी पाया गया फलस्वरूप उसे भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी ।

3–श्री यादव को वर्ष 1983 की पंजीयन की वरिष्ठता भी प्रदान कर दी गयी ।

वर्ष 1994 में जनपद गाजियाबाद में आयकर के छापे में बिना आदेश के पुलिस सहायता की शिकायत

59–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1994 में आयकर विभाग के अधिकारियों को गाजियाबाद जनपद में छापा डालने हेतु कितनी बार पुलिस उपलब्ध करायी गयी ? पुलिस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पुलिस बिना बाधित प्रक्रिया के आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ जाती है ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994 में आयकर के अधिकारियों द्वारा पुलिस की मांग करने पर थाना सिंहानीगेट, कविनगर, साहिबाबाद से एक-एक बार नियमानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था ।

आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा पुलिस बल को शान्ति व्यवस्था के लिए मांगने पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है । पुलिस बल केवल शान्ति व्यवस्था के उद्देश्य से लगाया जाता है। छापे के

दौरान छापे में उनका कोई योगदान नहीं रहता है तथा बाधित प्रक्रिया के विपरीत पुलिस बल आयकर अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।

बांदा पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांदा को भेजे गये शिकायती पत्र के बारे में जानकारी

60–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 19-1-1995 पत्रांक 223/95, श्री लल्लू राम, श्री छोटे लाल आदि निवासी पहाड़ तरे, जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र पुलिस उत्पीड़न के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांच कराकर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस चौकी औरन, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

61–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 25-1-1995 पत्रांक 233/95 श्री जगत नारायण सिंह एवं श्री दारा सिंह, निवासी ग्राम चौसढ़, थाना बिसण्डा, चौकी औरन, जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कराकर सन्दर्भित पत्र में चौकी इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये, जिसके कारण चौकी इंचार्ज औरन, बांदा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए० के० त्रिपाठी, पत्रकार, कबरई, जनपद हमीरपुर द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजे गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

62–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ए० के० त्रिपाठी, पत्रकार, कबरई, जनपद हमीरपुर का रजिस्टर्ड पत्र डाक संख्या 1672/30-8-1994 पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र में जांच कराकर पत्र में संदर्भित थानाध्यक्ष के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, प्रश्नगत पत्र दिनांक 30-8-94 के बजाय दिनांक 28-8-94 प्राप्त हुआ, जिस पर उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 7-9-94 को पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को निर्देशित किया गया।

श्री देव नारायण तिवारी, कान्सटेबिल, थाना नाका, जिला लखनऊ के स्थानान्तरण के संबंध में विधान सभा सदस्य श्री चन्द्रशेखर (गाजीपुर) एवं श्री राम प्रसाद टण्टा का पत्र

63–डा० माम चन्द्र लाम्बा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री (श्री पी० एल० पुनिया) को विधायक श्री चन्द्र शेखर, गाजीपुर व श्री राम प्रसाद टण्टा, अल्मोड़ा का शिकायती पत्र श्री देव नारायण तिवारी, कान्स० थाना नाका, लखनऊ को स्थानान्तरित करने के संबंध में माह जनवरी, 1995 के अन्तिम सप्ताह अथवा माह फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त कान्सटेबिल का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को प्रेषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन छात्रावास अधीक्षक के पद को प्रत्यावर्तित करने की शिकायत

64–श्री तेजभान सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत छात्रावास अधीक्षक का पद समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यरत छात्रावास अधीक्षकों को वरिष्ठ सहायक का पद दिया जा रहा है, जो अधीक्षक पद से निम्न स्तर का पद है ? यदि हां, तो कार्यरत पद से निम्न स्तर के पद पर समायोजन का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास अधीक्षक वर्ष 1984 से सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन कार्य भी उक्त ड्यूटी के साथ-साथ कर रहे थे तथा छात्रावास अधीक्षक व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमाधारी भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधीक्षकों को अनुभव के आधार पर सामाजिक विषय का अनुदेशक तथा राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े व्यायाम शिक्षक के पदों पर समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1525/36-6-89-99 (बी)/86, दिनांक 20-7-99 के द्वारा जीरो बेस बजट प्रणाली के अन्तर्गत 50 छात्रावास अधीक्षकों के पद समाप्त करके इन पद धारकों से वरिष्ठ सहायक के पद

का कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रावास अधीक्षक एवं वरिष्ठ सहायक का पद समकक्ष है और दोनों का वेतनमान रु० 1,200-2,040 है। प्रश्न नहीं उठता है।

प्रशिक्षण संस्थानों में कहीं-कहीं छात्रावास अधीक्षक अपने कार्य के साथ-साथ सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने हेतु अनुदेशक का पद स्वीकृत नहीं है। अधिकांश कार्यरत छात्रावास अधीक्षक व्यायाम डिप्लोमाधारी भी हैं।

जी नहीं।

छात्रवास अधीक्षकों को सामाजिक अध्ययन अनुदेशक तथा व्यायाम शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पद स्वीकृत नहीं हैं।

श्री रत्नेश्वर प्रसाद शुक्ल, प्रवक्ता, प्रताप नारायण सिंह जनता इण्टर कालेज, बरही, सोनबरसा, गोरखपुर द्वारा थाना झंगहा, गोरखपुर में दिनांक 11-10-94 को दर्ज मुकदमा के बारे में जानकारी

65-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में अपराध संख्या-406/94, धारा-147/148/149/504/506/352 भा०द०वि० में दिनांक 11-10-994 में कोई मुकदमा श्री रत्नेश्वर प्रसाद शुक्ल, प्रवक्ता, प्रताप नारायण सिंह जनता इण्टर कालेज, बरही, सोनबरसा, गोरखपुर ने इसी विद्यालय के प्रवक्ता श्री सुवाष चन्द्र राय व कुछ अन्य बाहरी लोगों के विरुद्ध असलहों से विद्यालय परिसर में आक्रमण करने आदि संबंधी दायर किया है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

नामजद अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण विषयक रिपोर्ट पर निलम्बन की कार्यवाही के पूर्व ही उसकी हत्या के कारण उक्त शस्त्र लाइसेंस के निलम्बन का अवसर नहीं रह गया।

प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष झंगहा व अभियुक्त की सुभाष चन्द्र राय के विरुद्ध पूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा दर्ज मुकदमा के बारे में जानकारी

66-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में मु० अ० सं०-406, धारा-147/148/149/504/506/352 भा० द० वि० में दिनांक 11-10-94 में अंकित मुकदमे के संबंध में थानाध्यक्ष, झंगहा व अभियुक्त श्री सुवाष चन्द्र राय के विरुद्ध पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने कोई पत्र क्रमांक 4372, दिनांक 10-11-94 को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है ? यदि हां, तो अब तक अभियुक्तों व थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संदर्भित पूर्व विधायक से प्राप्त पत्र की सही तिथि 23-11-94 है ।

अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 30-11-94 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है । आरोप अप्रमाणित होने के कारण थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर के स्थानान्तरण का मामला

67–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक थाने में एक ही निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कितने वर्षों तक रह सकता है ? क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के थाना सदर बाजार में श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक को थाना सदर बाजार में दोबारा प्रभारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और इस पद पर उनका कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक हो गया है ? क्या जनहित में जंग बहादुर सिंह को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सामान्यतया 3 वर्ष तक ।

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री जंग बहादुर सिंह को जनपद शाहजहांपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही तथा वाराणसी जनपद में 19 जून, 1994 से 23-3-95 तक हुई हत्या, डकैती, राहजनी, छिनैती, लूट एवं चोरी की घटनाओं के विवरण की जानकारी

68–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही तथा वाराणसी जनपद में 19 जून, 1994 से 23-3-95 तक कितनी हत्या, डकैती, राहजनी, छिनैती, लूट, चोरी किन-किन थानान्तर्गत हुई ? क्या पिछले साल की अपेक्षा इस साल अपराधों में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 194-196 पर)

69–श्री रंगनाथ मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वर्ष 1994-95 में पचास वर्ष से अधिक आयु वालों को थानाध्यक्ष बनाये जाने की शिकायत

70–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् क्या पुलिस अधिकारियों को थानाध्यक्ष न बनाने का शासनादेश है ? यदि हां, तो सन् 1994-95 में 50 वर्ष की आयु प्राप्त कितने अधिकारियों को थानाध्यक्ष बनाया गया और क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–डा० सरजीत सिंह डंग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में पांच साल से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत रहने की शिकायत

72–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनको लखनऊ जनपद में पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है ? इनका स्थानान्तरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? ऐसे लोगों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में 2 अधिकारी, तृतीय श्रेणी के 21 कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के 10 कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

एक अधिकारी की पत्नी लखनऊ में कार्यरत है । अतः शासन की नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ से स्थानान्तरित करके उप प्रमुख विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र लखनऊ के पद पर तैनात कर दिया गया है । दूसरे अधिकारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम है, अतः स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः प्रशासनिक आधार पर अथवा स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है । इससे आच्छादित न होने के कारण तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

73–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 14-7-95 को अता० प्र० सं० 55 द्वारा उत्तरित]

उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मारे गये/घायल हुए लोगों को राहत हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी

74–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मारे गये आन्दोलनकारियों के परिवार व गम्भीर रूप से घायल आन्दोलनकारियों को राहत देने की घोषणा मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो प्रत्येक मृतक परिवार के लिये कितनी और गम्भीर रूप से घायल के लिये कितनी ? क्या इस घोषणा के निर्देश उत्तराखण्ड के सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कुल कितने लोगों को राहत राशि दी जा चुकी है तथा कितने लोगों को दी जानी शेष है ?

सुश्री मायावती–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऐसी किसी घोषणा की सूचना नहीं है ।

उपलब्ध सूचनानुसार मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 15 मृतकों के आश्रित परिवारों को रु० 15 लाख एवं 58 घायलों को रु० 9 लाख 85 हजार (कुल रु० 24 लाख 85 हजार) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है । शेष बिन्दुओं का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रा० ग्योड़ी, विकास खण्ड मौदहा, जिला हमीरपुर में पशु चिकित्सालय संचालित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

75–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम–ग्योड़ी, विकास खण्ड मौदहा, में पशु चिकित्सालय के संचालन हेतु संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1994 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या हैं ? उक्त पत्र में उल्लिखित सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी हां ।

पत्र दिनांक 15-11-94 में ग्राम ग्योड़ी, जनपद हमीरपुर के पशु चिकित्सालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु स्टाफ एवं दवाओं का सही बन्दोबस्त करने की अपेक्षा की गयी है ।

ग्राम ग्योड़ी विकास खण्ड मौदहा, जनपद हमीरपुर में पशु चिकित्सालय नहीं बल्कि पशु सेवा केन्द्र है जिस पर नियमानुसार एक पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत है । उपलब्ध बजट से दवाओं की यथा सम्भव व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 1994 में पीलीभीत जेल में बंदी सिक्खों की हत्या के पीड़ित परिवार को राहत दिये जाने की मांग

76–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1994 में पीलीभीत जेल काण्ड में सिक्ख बन्दियों की हत्या के दोषियों के विरुद्ध तथा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित सिक्खों के अदालतों में विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटारा हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अकबर अली–

वर्ष 1994 में पीलीभीत जेल में सिक्ख बन्दियों की हत्या की घटना के संबंध में सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा की गयी जांच के अनुसार दोषी पाये गये 42 जेल कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

वर्ष 1984 में घटित दंगों से संबंधित 35 अभियोगी की पुनर्विवेचना की जा रही है ।

77–श्री महेश बाल्मीकि–

[दि० 6-2-95 को प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती नरगिस खान पत्नी डा० ए० ए० खान निवासी 111/465 हर्षनगर, कानपुर द्वारा दिनांक 7-10-92 को प्रमुख सचिव, गृह एवं जिलाधिकारी कानपुर को भेजे गये पत्र की जानकारी

78–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्रीमती नरगिस खान पत्नी डा० ए० ए० खान, निवासी 111/465, हर्षनगर, कानपुर का पत्र दिनांक 7-10-92 प्रमुख सचिव, गृह एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध मे श्रीमती नरगिस खान का बयान अभिलिखित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । श्रीमती नरगिस खान पत्नी डा० ए० ए० खान निवासी 111/465, हर्षनगर, कानपुर का पत्र दिनांक 7-10-92 शासन को नहीं बल्कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत मामले में मु० अ० सं० 472/92 धारा 147/148/323/336 भा० दं० वि० थाना नजीराबाद, कानपुर नगर में पंजीकृत हुआ । जांच से राकेश बाजपेयी एवं समर चौहान की नामजदगी गलत पायी गयी विवेचना से अभियोग में आरोप पत्र संख्या–2, दिनांक 21--1-93 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

विवेचक द्वारा आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

सीतापुर जनपद में तैनात हेड कान्स० 58 ना० पु० श्री यदुनाथ सिंह के विरुद्ध श्री खुर्शीद आलम का शिकायती पत्र दिनांक 23-3-95 पर कार्यवाही

79–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर मे तैनात हेड का० 58 ना०पु० यदुनाथ सिंह के संबंध में खुर्शीद आलम द्वारा रजिस्टर्ड पत्रांक 23-3-95 को पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? उस प्रार्थना पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं व जांचोपरान्त उसमें कौन-कौन सी बातें सही पायी गयी हैं तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पत्रांक 23-3-95 नहीं प्राप्त हुआ । बल्कि पत्र-सं०–बी० एस० पी०/मेमो/बलरामपुर, दिनांक 20-3-95 प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र दिनांक 20-3-95 के श्री खुर्शीद आलम नगर अध्यक्ष, बलरामपुर (गोण्डा) के पत्र में यह कहा गया है कि हे० कां० यदुनाथ सिंह विगत 8 वर्षों से जनपद सीतापुर में कार्यरत है यह जानबूझकर अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करते हैं और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उक्त जातिवादी, अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति विरोधी हे० का० का स्थानान्तरण अन्यत्र जनपद में कर दिया जाय।

उक्त पत्र में वर्णित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी श्री के० के० पुष्कर से कराई गयी। जांचोपरान्त सभी आरोप बेबुनियाद तथा गलत पाये गये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

80--श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

| पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त |

श्री रफीक खान निवासी जनपद बांदा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-12-94 के बारे जानकारी की मांग

81–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 12-12-94 के साथ संलग्न श्री रफीक खान निवासी जनपद बांदा का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गयादीन निवासी खालेगढ़ी थाना सन्दना जिला सीतापुर द्वारा दहेज संबंधी शासन को की गई शिकायत

82–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गयादीन निवासी खालेगढ़ी, थाना सन्दना, जिला सीतापुर ने इस आशय के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर, पुलिस अधीक्षक, सीतापुर तथा मुख्य मंत्री को दिनांक 29-10-94 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे हैं कि उनकी पुत्री श्रीमती रामगुनी को उसके पति श्री प्रकाश पुत्र श्री गुमानी तथा उसकी ससुराल वाले जो ग्राम चन्देहरा, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर के निवासी हैं दहेज के लिए बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में दहेज के रूप में भैंस की मांग करने व उत्पीड़ित किये जाने सम्बन्धी कतिपय आरोप अंकित किये गये थे। उक्त आरोपों की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष कमलापुर द्वारा की गई। जांच से दहेज आदि मांगे जाने या उसके कारण उत्पीड़ित किये जाने संबंधी कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह निवासी खैरपुर डा० सैंदपुर जनपद बुलन्दशहर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन दिये जाने की मांग

83–श्री किरन पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदन सिंह नि० ग्राम खैरपुर, डा० सैदपुर, जनपद बुलन्दशहर आजादी के आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बुलन्दशहर जेल में बन्द रहे तथा अंग्रेजों की यातनायें झेली ? यदि हां, तो क्या उक्त श्री बदन सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन नहीं

दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री बदन सिंह को पूर्वगामी प्रभाव से पेंशन स्वीकृत कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री बदन सिंह अब तक सरकार को कितने आवेदन इस संबंध में दे चुके हैं ?

श्री अकबर अली–

अभिलेखीय पुष्टि के आधार पर श्री बदन सिंह पुत्र होराम ने दिनांक 28-4-41 से 16-5-41 (18 दिन) तक जिला कारागार बुलन्दशहर में सजा भोगी थी।

जी हां, स्वतंत्रता संग्राम सम्मान राज्य पेंशन के लिए वे ही व्यक्ति नियमानुसार पात्र है जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में कम से कम दो माह सिद्ध दोष बन्दी के रूप में अथवा तीन माह नजरबन्दी/विचाराधीन बन्दी के रूप में कारावास की सजा भोगी हो।

श्री बदन सिंह ने मात्र 18 दिन की सजा भोगी थी अतः पेंशन हेतु उनकी पात्रता स्थापित नहीं होती है।

श्री बदन सिंह लगभग 7 प्रार्थना-पत्र दे चुके है।

मिर्जापुर जनपद में जुलाई 1993 से अप्रैल, 1994 तक जारी विभिन्न किस्म के अस्त्रों के लाइसेंसों का विवरण

84–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में माह जुलाई, 1993 से अप्रैल, 1994 तक प्रति माह कितने रिवाल्वर, बन्दूक, रायफल एवं पिस्तौल के लाइसेंस जारी किये गये तथा मात्र मई-जून, 94 में कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ? क्या माह मई-जून, 1994 में जारी किये गये इस प्रकार के लाइसेंसों की संख्या शेष वर्ष से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जुलाई, 1993 से अप्रैल, 1994 तक जारी लाइसेंसों का विवरण निम्नवत् है:–

माह	रिवाल्वर	बन्दूक	राइफल	पिस्तौल
जुलाई, 93	12	20	4	1
अगस्त, 93	–	4	–	–
सितम्बर, 93	2	3	–	1
अक्टूबर, 93	–	–	–	–
नवम्बर, 93	–	–	–	–
दिसम्बर, 93	–	5	–	–
जनवरी, 94	–	2	1	1
फरवरी, 94	1	6	1	–
मार्च, 94	–	20	–	–
अप्रैल, 94	2	12	1	–

46 लाइसेंस जारी किये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती नीतू पत्नी मनोज कुमार निवासी शुक्ल तालाब थाना अकबरपुर जिला कानपुर द्वारा सुरक्षा हेतु शासन को दिये गये प्रार्थना-पत्र

85–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नीतू पत्नी मनोज कुमार निवासी शुक्ल तालाब, अकबरपुर, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-2-95 को थानाध्यक्ष, थाना अकबरपुर के खिलाफ एस० पी०, देहात कानपुर को दिया और डी० आई० जी०, कानपुर रेंज को दिनांक 13-2-95 को दिया था तथा अरविन्द राज स्वरूप मंत्री, मा० क० पा०, शहर कानपुर ने भी डी० आई० जी०, कानपुर को अपने पत्र के साथ दिनांक 15-2-95 को दिया है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? क्या सरकार नीतू एवं उसके परिवार की सुरक्षा हेतु एस० पी०, देहात को आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर जिला कानपुर देहात द्वारा करायी गयी ।

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान समय में श्रीमती नीतू एवं उनके परिवार को किसी प्रकार का संकट नही है । अतः सुरक्षा प्रदान करने का औचित्य नहीं है ।

जिला सेवायोजन कार्यालय फैजाबाद में नाम के भेजने में हेरा-फेरी की शिकायत

86–श्री परशुराम यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद द्वारा हेरा-फेरी करके श्री जगन्नाथ यादव के स्थान पर फर्जी ढंग से दूसरे व्यक्ति का नाम भेजकर नियुक्ति करा दिये जाने और इनके साथ अब तक न्याय न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र को उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 12-1-95 को "सचिव, श्रम उ० प्र० शासन" को कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, गोरखपुर एवं क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ से करायी गयी । जांचोपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारी श्री बी० एन० द्विवेदी, कनिष्ठ लिपिक की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि कर दी गयी है ।

जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में स्वीकृत आई० टी० आई० भवन न बनाये जाने की शिकायत

87–श्री परशुराम यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र के लिए स्वीकृत आई० टी० आई० का गत दो वर्षों से जिला बस्ती के आई० टी० आई० छात्रावास में चलाये जाने आदि के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र को उनके कार्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश सहित दिनांक 4-3-95 को "सचिव, श्रम, उ० प्र०" को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव–

जी हां ।

डुमरियागंज में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किराए के भवन में संचालित करने का प्रस्ताव निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र० से प्राप्त हुआ है जिस पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला फैजाबाद कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक पद पर तैनात श्री सूर्यबली सिंह के विरुद्ध जांच का मामला

88–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक पद पर तैनात श्री सूर्यबली सिंह को स्थानान्तरित करके विभिन्न शिकायतों की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 12-1-95 को "प्रमुख सचिव गृह" को इस आदेश के साथ भेजा गया है कि "उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा क्या जांच में शिकायतकर्ता (प्रश्नकर्ता) से साक्ष्य लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा की जा रही है, जो अभी जारी है ।

जिला फैजाबाद के तहसील बीकापुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) खोले जाने की मांग

89–श्री परशुराम यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नही उठता है ।

जिला फैजाबाद में कचेहरी स्थित मालखाने से पुलिस निगरानी में वर्ष 1994-95 के मध्य दो बार चोरी की घटना की शिकायत

90–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में कचेहरी स्थित पुलिस मालखाना से पुलिस निगरानी में जमा किये गये और रखे गये सामानों के चोरी हो जाने की घटनायें वर्ष 1994-95 में दो बार हुई हैं ? यदि हां, तो पुलिस का पहरा होने पर भी यह घटनायें कैसी घटी और क्या-क्या सामान गायब हुए है ?

सुश्री मायावती–

जनपद फैजाबाद में कचेहरी स्थित पुलिस मालखाना में वर्ष 1994-95 में कोई चोरी नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91–डा० सरजीत सिंह डंग–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

श्री इश्तियाक पुत्र हदयार खां निवासी मालूपुर थाना जलालबाद शाहजहांपुर द्वारा जलालबाद के सब-इन्सपेक्टर की शिकायत का मामला

92–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको 4-3-95 का इश्तियाक पुत्र हदयार खां नि० मालूपुर, थाना जलालबाद, जनपद शाहजहांपुर का पत्र जो कि थाना जलालबाद के एक सब-इन्सपेक्टर की शिकायत के संबंध में भेजा गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच प्रचलित है ।

93–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

। स्पष्टीकरण हेतु बताया गया ।

थाना कलान जनपद शाहजहांपुर की धारा 376 के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

94–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कलान, जनपद शाहजहांपुर के अ० सं०–18/95, धारा 376 अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार बलात्कार की शिकार महिला को आर्थिक अनुदान/सहायता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत प्रकरण में थाना कलान पर धारा 376, 506, 342, 343, 364 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 18/95 बनाम श्री कृष्ण, मुन्ना, श्रीपाल व डालचन्द की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को निर्दिष्ट कर दी गई है।

तथाकथित पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया जाना उ० प्र० मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री महातम पुत्र जगेसर ग्राम मथौली थाना कप्तानगंज जिला देवरिया को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किये जाने की मांग

95–श्री अम्बिका सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, देवरिया का पत्रांक 854/स्व०सं० से० 92 दिनांक 16-1-92 अनुसचिव, उ० प्र० शासन, गृह (सामान्य) अनुभाग–3, लखनऊ, जो कि श्री महातम पुत्र जगेसर ग्राम मथौली बाजार, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया वर्तमान पड़रौना को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अकबर अली–

श्री महातम पुत्र जगेसर की वर्ष 1942 की वर्णित सजायाबी स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित थी या अन्य कारणों से, की जांच जिला मजिस्ट्रेट देवरिया/गोरखपुर से कराई जा रही है। उक्त आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार परीक्षण कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

96–श्री ओम प्रकाश सिंह–(मिर्जापुर)–

[2 सरे दुधवार में अता० प्र० सं०–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राम खेलावन निवासी ग्राम देवकली थाना जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के पुत्री कु० प्रेमवती के अपहरण का मामला

97–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, थाना जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम देवकली (पश्चिम) निवासी कु० प्रेमवती पुत्री राम खेलावन (अनुसूचित जाति) (नाबालिग) का अपहरण 6/7 मार्च, 1995 को हो गया है ? यदि हां, तो दर्ज करायी गयी एफ० आई० आर० में क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां। नियमानुसार विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना में अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र शिव दयाल यादव, शिव दयाल पुत्र भरोसे यादव निवासी देवकली थाना जगदीशपुर प्रकाश में आये। शिवदयाल को दिनांक 24-5-1995 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त हरिश्चन्द्र ने 1-6-1995 को न्यायालय

में आत्मसमर्पण किया तथा उसे जेल भेजा गया। अपहृता प्रेमवती पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गयी। उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप संख्या–35 दिनांक 5-6-1995 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 23-3-95 तक बी० आई० पी० मंत्री आवासों के रख-रखाव में व्यय किये गये धन के विवरण की जानकारी

98–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 23-3-95 तक विभिन्न मंत्रियों के आवास आदि के नवीनीकरण, उन्हें सजाने तथा उनके सौन्दर्यीकरण पर कितना धन व्यय किया गया ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 23-3-95 तक विभिन्न मंत्रियों के आवासों के नवीनीकरण कार्यों पर रु० 3.36 लाख, उन्हें सजाने (साज-सज्जा) पर रुपया 37.62 लाख तथा उनके सौन्दर्यीकरण पर रु० शून्य धन व्यय किया गया।

वर्ष 1994 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कब्जे को गिराने के लिए पुलिस सहायता के बारे में जानकारी

99–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक अवैध निर्माण गिराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कब-कब प्रशासन ने पुलिस उपलब्ध करायी थी ? पुलिस उपलब्ध कराने का आधार क्या है ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक अवैध निर्माण गिराने के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उनके उच्चाधिकारियों द्वारा पुलिस की मांग करने पर थाना विजयनगर से दिनांक 29-10-94 को नियमानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था।

विभाग के द्वारा मांग करने पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है।

100–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

101–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[2 सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निर्वतमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश स्तर पर बैंक डकैती अपहरण के मामलों के विवरण वार जानकारी

102–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, 93 से अब तक बैंक लूट तथा अपहरण फिरौती से संबंधित कितनी घटनायें राज्य में दर्ज हुई और कितनी-कितनी धनराशि की क्षति हुई ? उक्त आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

सुश्री मायावती–

दिसम्बर, 93 से अब तक प्रश्नगत घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

अपराध	दिसम्बर 1993	1994	1995
बैंक लूट/डकैती	3	25	1
आर्थिक क्षति	302777.00	2483122.00	20800.00
बरामदगी	—	189865.00	—
फिरौती हेतु अपहरण	32	281	93

शासन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जनपदों तथा चम्बलघाटी से लगे तीन जनपदों में ''हाईवे पेट्रोल'' पुलिस व्यवस्था लागू की गई है जिसमें स्वचालित शस्त्रों से लैस वायरलेस जिप्सी गाड़ियों में पुलिस दस्ते सड़क बैरियर पर लगाये गये हैं।

सक्रिय अपराधियों को सूचीबद्ध कर उन पर दबाव बनाकर उनके विरुद्ध सघन कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1990 से अब तक काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं का विवरण

103–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 90 से अब तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में किन-किन संकायों के कितने छात्रों ने विभिन्न तरीके से आत्महत्या की ? क्या उक्त मामलों की कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 90 से मई 1995 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कला संकाय के 3, विज्ञान संकाय-2, तथा इंजीनियरिंग संकाय के 1 छात्र ने आत्महत्या की है।

जांच से सभी छात्रों की मृत्यु आत्महत्या के कारण होना पाया गया।

वर्ष 1991 में गजरौला जिला मुरादाबाद के सेन्ट मैरी मिशनरी स्कूल के अध्यापिकाओं के साथ हुए बलात्कार की घटना पर 1995 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उ० प्र० शासन को दिये गये निर्देश

104–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1991 में गजरौला के सेन्ट मेरी मिशनरी स्कूल के अध्यापिकाओं के साथ बलात्कार के मामले में मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा 1995 में राज्य सरकार को कोई निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सरकार ने उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देश व उनके अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:–

क–निम्नलिखित को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय :–

(I) तत्कालीन थानाध्यक्ष, गजरौला, मुरादाबाद ।

(II) तत्कालीन उपनिरीक्षक पुलिस, गजरौला, मुरादाबाद

(III) तत्कालीन महिला चिकित्सा अधिकारी विक्टोरिया जनाना अस्पताल मुरादाबाद

उक्त तीनों को निलम्बित किया जा चुका है और विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

ख–7 पीड़ित महिलाओं को प्रतिकर के रूप में दस लाख रुपये की धनराशि दी जाय ।

वांछित धनराशि मार्च, 1995 में ही स्वीकृत कर दी गई है । उसके भुगतान को न्यायालय के आदेशानुसार सुनिश्चित कराया जा रहा है ।

ग–निम्नलिखित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय:–

(I) दोषी पाये गये तत्कालीन डी० पैथोलोजिस्ट जिला अस्पताल, मुरादाबाद ।

(II) दोषी पाये गये तत्कालीन रेडियोलोजिस्ट संयुक्त जिला अस्पताल, मुरादाबाद ।

(III) तत्कालीन हेडमोहर्रिर/मुख्य आरक्षी थाना गजरौला, मुरादाबाद ।

उक्त सभी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करा दी गई है ।

लखनऊ में विभिन्न विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या एवं दायित्व की जानकारी

105–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित विभिन्न विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण क्या है तथा उन कर्मचारियों का दायित्व क्या है ? रात्रि में विधायक निवासों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ स्थित विभिन्न विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण संलग्न है । इन कर्मचारियों का दायित्व उनके पद के अनुरूप है ।

रात्रि में विधायक निवासों में सुरक्षा के लिए चौकीदारों की व्यवस्था है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 197-198 पर)

दिसम्बर 1993 से 3 अप्रैल, 1994 की वाराणसी नगर की आपराधिक घटनाओं का विवरण

106–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, 93 से अब तक वाराणसी नगर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि तथा उनके पर्दाफाश करने में पुलिस की विफलता का कारण क्या है ? अपराधों में कमी लाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह भी बतायेंगे कि अब तक विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनायें कितनी घटित हुई ?

सुश्री मायावती–

संलग्न सूची के अनुसार लूट, हत्या, दलवा, सड़क दुर्घटना व चोरी पशु के अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई एवं शेष अन्य अपराधिक घटनाओं में गिरावट आयी है । आंकड़ों से विदित है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी में नगर पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है । अतः यह कहना कि पुलिस अपराधों का पर्दाफाश करने में असफल रही उचित नहीं है ।

अपराधियों/माफियाओं की श्रेणी सूची बना ली गयी है । राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । विवादों के निस्तारण में नागरिक सुरक्षा समिति एवं शांति सुरक्षा समिति की भी मदद ली जा रही है । संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेटिंग बनाकर प्रभावी पेट्रोलिंग करायी जा रही है तथा असमाजिक व साम्प्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 199-200 पर)

राजकीय मुद्रणालय की रुड़की, रामपुर जनपद वाराणसी की शाखाओं को निजी हाथों में बेचने के प्रस्तावों की जानकारी

107–श्री पृथ्वी सिंह "विकसित"–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मुद्रणालयों की शाखायें–रुड़की, रामपुर तथा रामनगर (वाराणसी) को निजी हाथों में बेचने का शासन का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन का मुद्रण सम्बन्धी कार्य यथा सम्भव निजी मुद्रणालयों से कराये जाने की उ०प्र० शासन द्वारा गठित व्यय बचत आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में 2 राजकीय मुद्रणालयों को निजी क्षेत्र में दिये जाने के प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

अभियोजन निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

108–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियोजन महानिदेशालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या 47 कनिष्ठ लिपिक के पदों पर माह जून, 1993 में आयोजित चयन में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन के पत्र संख्या–3803/छः–पु–931(75)/93, दिनांक 18-6-93 में क्या इनको नियमित किये जाने का प्रस्ताव महानिदेशक से मांगा गया था ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अभियोजन निदेशालय में कुल 3 शिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 16-10-93 से कार्यरत है । इसके अतिरिक्त दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी परिक्षेत्रीय कार्यालय में तथा एक जनपदीय कार्यालय में है ।

जी नहीं, लिपिक वर्गीय (सीधी भर्ती) सेवा नियमावली 1985 एवं सपठित नियमावली 1986 तथा विभागीय लिपिक वर्गीय नियमावली 1992 के अन्तर्गत दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता देने का कोई प्रविधान नहीं है ।

जी नहीं, शासन के सन्दर्भगत पत्र द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया था अपितु कतिपय दैनिक श्रमिक कर्मियों के विनियमितीकरण के मांग पत्र पर महानिदेशक अभियोजन से कतिपय सूचनाएं मांगी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता, लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1992 में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित किये जाने का कोई प्रविधान नहीं है ।

वर्ष 1982 से 92 तक थाना अटरिया जिला सीतापुर पर बकाये किराये की वसूली की मांग

109–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना अटरिया, जिला सीतापुर वर्ष 82 से 92 तक किराये के भवन में था ? यदि हां, तो उस अवधि का किराया मकान मालिक को अब तक न देने का क्या कारण है जबकि मकान मालिक श्री शिव बालक अवस्थी तथा थाना प्रभारी अटरिया के बीच किरायेदारी का लिखित अनुबन्ध है ? किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

यथोचित किराए की स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

वर्ष 1993-94 में मंत्रियों के आवासों के रख-रखाव व साज सज्जा पर किये गये व्यय के विवरण की मांग

110–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में मंत्रियों के आवास के साज-सज्जा व रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993-94 में माननीय मंत्रीगणों के आवासों में साज-सज्जा उपलब्ध कराने व रख-रखाव पर रु० 34.77 लाख का व्यय किया गया है ।

जी हां ।

श्रीमती फूलमती निवासिनी ग्राम बिजवापुर थाना मिश्रिख जिला सीतापुर की दहेज हत्या का मामला

111–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 27/28 अक्टूबर, 1994 की रात्रि श्रीमती फूलमती की दहेज हत्या ग्राम बिजवापुर, थाना मिश्रिख जिला–सीतापुर में कर दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28 अक्टूबर, 94 को मृतका के भाई शिवराम द्वारा थाना मिश्रिख में लिखाई गई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं,

वरन् प्रश्नगत प्रथम सूचना दहेज हत्या की धाराओं के अन्तर्गत दर्ज कराई गई ।

विवेचना के उपरान्त कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया इसलिये किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीश चन्द्र गुप्ता ग्राम बलीपुर खुर्दना गौरीगंज द्वारा अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट न लिखने के विरोध में जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष गौरीगंज को भेजे गये टेलीग्राम

112–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष, थाना–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, ग्राम–बलीपुर खुर्दना, गौरीगंज का टेलीग्राम दिनांक 13-3-95 जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत टेलीग्राम दिनांक 13-3-95 का नहीं अपितु दिनांक 10-3-95 का है । इस टेलीग्राम के आधार पर मु० अ० सं०–57/95 अन्तर्गत धारा 302/58 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त हरी प्रसाद तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी 15-6-1995 को गिरफ्तार करके जेल भेजे गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में विभिन्न सुरक्षा समितियों की बैठकों की जानकारी

113–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला–फैजाबाद में जिला स्तर तथा विकास खण्ड और नगर स्तर पर शान्ति सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और इन समितियों की बैठकें होती हैं ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1994-95 में जिला फैजाबाद में जिला स्तरीय तथा मुख्यालय के नगर क्षेत्र में नगर स्तरीय समितियों की बैठक किन-किन तिथियों में हुयी हैं ? नगर स्तर फैजाबाद के लिए पुलिस द्वारा बनायी गयी शान्ति कमेटी की सूची में कौन-कौन लोग है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सूची संलग्न है । *

–तदव–

जनपद बाराबंकी में दिसम्बर, 1993 से जनवरी, 94 के मध्य चोरी, डकैती अफीम, स्मैक, तस्करी, राहजनी हरिजन उत्पीड़न व बलात्कार की घटनाओं का विवरण

114–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में चोरी, डकैती, हत्या, अफीम, स्मैक, तस्करी, राहजनी, हरिजन उत्पीड़न, बलात्कार की 1993 दिसम्बर से । जनवरी, 1994 तक कितनी घटनायें घटित हुई ? प्रत्येक थानावार विवरण क्या है ? अपराध स्थिति को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत अवधि में थानावार अपेक्षित विवरण संलग्न कर प्रेषित है ।

प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में सामयिक/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से सभी संबंधित स्तरों पर अनुश्रवण किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 201 पर)

---

* रखी नहीं गयी ।

टाउन एरिया कस्बा हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में रास्ताजाम के कार्यक्रम में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का मामला

115-श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 नवम्बर, 1993 में टाउन एरिया कस्बा हैदरगढ़, जनपद–बाराबंकी में जनसमस्याओं को लेकर नागरिकों द्वारा रोड जाम आन्दोलन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा फायरिंग किये जाने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई जिसमें 41 लोग घायल हुए ? क्या उक्त घटना के दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया तथापि जिलाधिकारी, बाराबंकी से प्राप्त विवरण के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :–

दिनांक 24-10-93 को कस्बा हैदरगढ़ के ठेकेदार नहबाजारी श्रीकान्त मिश्रा व पान विक्रेता गया प्रसाद चौरसिया के बीच आपसी विवाद में सुबह के बाद श्रीकान्त मिश्रा द्वारा अभियोग दर्ज कराये जाने के अनन्तर 25-10-93 को इस सूचना पर कि उक्त श्रीकान्त मिश्रा द्वारा श्री गया प्रसाद को अपनी दुकान में बन्द कर लिया गया है, पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर श्री गया प्रसाद को मुक्त कराई और श्रीकान्त मिश्रा को गिरफ्तार की । इस बीच लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर श्रीकान्त मिश्रा की मुक्ति को लेकर एकत्रित प्रदर्शनकारियों/भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तथा सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाया । इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति को नियन्त्रित किया । पथराव से 7 पुलिस कर्मियों को आई चोट के संबंध में मु० अ० सं०–368/93 धारा 147/148/149/323/307/332/435/504/506 भा० द० वि० तथा 7 क्रिमिनल ला एमेंडमेंट अधिनियम धारा 4 दी प्रिवेंशन टू पब्लिक प्रापर्टी डैमेज ऐक्ट, 1984 पंजीकृत कर विवेचना की गयी । विवेचनोपरान्त दोष सिद्ध होने पर 51 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्त घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी न पाये जाने की दशा में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

वर्ष 1994-95 में प्रदेश के मंत्रि-परिषद के सदस्यों पर हुए विभिन्न मदों पर व्यय का ब्योरा

116-श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री सहित समस्त मंत्रियों के टेलीफोन, अतिथि सत्कार, गाड़ी व जेब खर्च के रूप में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या मुख्य मंत्री इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों पर कृत कार्यवाही

117-श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 1993-94 में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ? एक आवेदन के लिए आवेदक को कितना धन व्यय करना पड़ता है ? लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा–

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में कुल 30208 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

आवेदक से, आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवेदक को, निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं ।

वर्ष 1993-94 में प्रदेश के लिये 4420 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित था । उक्त वर्ष में यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू थी और दिसम्बर, 1993 में प्रदेश में चुनाव के कारण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन जनवरी, 1994 से प्रारम्भ हुआ । निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों एवं जिला उद्योग केन्द्रों को समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा एवं मण्डल/जिला स्तरीय टास्क फोर्स समितियों के माध्यम से लगातार समीक्षा की जाती रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार सोनी निवासी महुआ जिला बांदा द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को भेजे गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

118–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार सोनी नि० महुआ जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना पत्र रजि० डाक संख्या 3159 दिनांक 24-2-94 पुलिस अधीक्षक, बांदा, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड डाक सं० 3159 दिनांक 17-2-95 द्वारा श्रीमती कमलेश कुमारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24-2-95 को प्राप्त हुआ । जांच से आवेदिका के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही पुलिस अधीक्षक छतरपुर (मध्य प्रदेश) के स्तर से अपेक्षित पाये जाने पर प्रार्थना पत्र व जांच आख्या समग्र प्रपत्रों सहित मूलरूप में पुलिस अधीक्षक छतरपुर (म० प्र०) को दिनांक 16-3-95 को अग्रेत्तर कार्यवाही/जांच हेतु भेजे जा चुके हैं ।

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री जमुना प्रसाद निवासिनी ग्राम भिटाई थाना माधौगंज जनपद हरदोई द्वारा दहेज के संबंध में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट

119–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री जमुना प्रसाद निवासिनी-ग्राम-भिटाई, थाना-माधौगंज, जनपद-हरदोई द्वारा कोतवाली शहर-हरदोई में मु० अ० सं०–निल/95, धारा–498ए/342/323/506, आई० पी० सी० 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम दिनांक 7-1-95 को कायम

कराया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमें की विवेचना थाना-चकेरी, जनपद कानपुर नगर से होने की स्थिति में थाना चकेरी में अ० सं०–100/95 कायम हुआ ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

वादिनी श्रीमती पुष्पा देवी ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर अपने पति एवं विपक्षीगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने की इच्छा प्रकट की है जिसके फलस्वरुप मुकदमें में विवेचना समाप्त कर एफ० आर० न्यायालय सी० एम० एम० कोर्ट दाखिल की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओ० सी० आर० के विधायक कक्षों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

120–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओ० सी० आर० विधायक कक्षों में निरन्तर ताला तोड़कर सामान चोरी करने की घटनाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र 2 नवम्बर, 1994 को गृह सचिव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? ओ० सी० आर० के विधायक कक्षों को प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा वहां सक्रिय अपराधी गैंग के उन्मूलन हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? 28 नवम्बर, 94 को कक्ष सं०–106 "ए" ब्लाक में हुई चोरी में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? उसका परिणाम क्या रहा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह के कक्ष संख्या 106 में घटित घटना के संबंध में उनके नौकर श्री सुरेश कुमार की सूचना पर मु० अ० सं०–439/94, धारा–454/380 भा०द०वि० थाना हुसैनगंज, जनपद लखनऊ विवेचनाधीन था । स्थानीय पुलिस को गश्त करने, अपराधियों का पता लगाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे और वहीं कार्यवाही निरन्तर चल रही है ।

श्री ए० एल० सोनकर, उ० नि० थाना हुसैनगंज, लखनऊ द्वारा मामले की विवेचना की गयी किन्तु माल व मुलजिम का पता नहीं लग सका । अन्तिम रिपोर्ट सं०–113 दिनांक 25-11-94 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

थाना राजेसुल्तानपुर जनपद फैजाबाद में भूमि आधिपत्य अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकर के मामले में शिकायती-पत्र

121–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-राजेसुल्तानपुर जनपद-फैजाबाद के अन्तर्गत लालसा पुत्र बसन्ती एवं राम शकल पुत्र नन्हई नामक काश्तकारों का कोई प्रतिकर विशेष भूमि आधिपत्य अधिकारी, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1987 में बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत प्रतिकर लालसा एवं राम शकल को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या राम शकल द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित

थाने में इस प्रकरण में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो दर्ज प्रथम सूचना पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

राम शकल द्वारा दिनांक 18-8-87 को थाना कोतवाली नगर फैजाबाद में जगदीश पाण्डेय, प्रेम सागर शुक्ल तथा गंगा सरन त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं०–1183/87. में दिनांक 13-7-95 को न्यायालय में जगदीश पाण्डेय के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

थाना जामो सुल्तानपुर में दिनांक 26-1-95 को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

122–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु० अ० सं०–6/95, धारा–302/201 के अन्तर्गत थाना जामों, सुल्तानपुर में दिनांक 26-1-95 को कोई प्राथिमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो घटना की वस्तुस्थिति और विस्तृत विवरण क्या है तथा अब तक जांच आख्या में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

दिनांक 26-1-95 को **श्री राम अधार यादव** पुत्र श्री राम दुलार यादव निवासी ग्राम पूरे राजा सरनाम सिंह मौजा-गौरा ने थाना जामों जनपद सुल्तानपुर में तहरीरी सूचना दिया कि उसका पुत्र इन्दल आयु लगभग 10 वर्ष जो दिनांक 22-1-95 को 4 बजे शाम खेलते समय गांव से गुम हो गया था, कि किसी ने हत्या कर लाश को ग्राम पूरे फत्ते सिंह मौजा पूरब गौरा के नाले में फेंक दिया है । इस पर थाना जामों में मु० अ० सं०–6/95 धारा–302/201 भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी । मामले में अब तक की विवेचना से किसी ठोस प्रमाण के अभाव में घटना का रहस्योद्घाटन नहीं हो सका है । रहस्योद्घाटन हेतु तत्परता से विवेचना जारी है । अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल निवासी 402, नेशनल टाकीज रोड, फैजाबाद द्वारा दिनांक 1-12-94 व 7-12-94 को पुलिस विभाग के अधिकारियों को भेजे गये शिकायती-पत्र की जानकारी

123–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर डी० जी० पी०, आई० जी०, डी० आई० जी० फैजाबाद व एस० पी०, सुल्तानपुर को पृष्ठांकित/सम्बोधित पत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, 402, नेशनल टाकीज रोड, सुल्तानपुर का क्रमशः दिनांक 1-12-94 तथा 7-12-94 मिला है जिसमें जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं खड़े होकर प्रार्थी की जमीन पर रिश्तेदार को अवैध तरीके से कब्जा कराकर मकान बनवाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस

अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या तथ्य सामने आये ? इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री चन्द्रमा सिंह, क्षेत्राधिकारी, नगर सुल्तानपुर द्वारा जांच की गयी ।

सिविल लाइन, सुल्तानपुर में श्री अशोक अग्रवाल के पिता श्री विश्व नाथ अग्रवाल व श्रीमती प्रेम लता अग्रवाल के नाम पी० डब्लू डी० कार्यालय के पास स्थित मकान जो राज्य विद्युत परिषद् को किराये पर दिया गया है तथा जिसे खाली कराने के लिए मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, के पूर्व में बाउन्ड्रीवाल से लगी श्री सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की जमीन है इसमें एक विस्वा जमीन श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री राम शिरोमणि यादव द्वारा बैनामा कराकर मकान बनवाया गया है । मकान निर्माण के समय श्री राम शिरोमणि यादव द्वारा श्री अग्रवाल की जमीन के अन्दर कुछ बढ़कर मकान बनवाने के संबंध में उक्त श्री अग्रवाल द्वारा परगनाधिकारी सदर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है । इस मुकदमें की सुनवाई के संबंध में न्यायालय जाते समय रास्ते में दोनों पक्षों में विवाद की सूचना मिलने पर शान्ति व्यवस्था के उद्देश्य से श्री राम चन्दर यादव क्षेत्राधिकारी गौरीगंज मौके पर गये थे तथा दोनों पक्षों को उन्होंने समझा बुझाकर शान्त कर दिया था । क्षेत्राधिकारी श्री यादव का श्री राम शिरोमणि यादव से किसी प्रकार के संबंध होने की बात जांच से असत्य पायी गयी । उक्त दोनों पक्षों के बीच भूमि विषयक विवाद न्यायालय में विचाराधीन है । श्री अग्रवाल को स्थानीय पुलिस से वैधानिक सहायता उपलब्ध है । मामले में सतर्क दृष्टि रखने व कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड अध्यक्ष द्वारा निरीक्षक के पद की जारी सूची में श्री लोकनाथ राम का नाम न रखने की शिकायत

124–श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में उ० प्र० पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजनाथ गुप्त ने निरीक्षक पद की सूची दिनांक 3-1-89 अपने अर्ध०शा०प० सं०–वी-531-87 के माध्यम से अन्य जनपदों के साथ-साथ जनपद बस्ती में नवनिरीक्षकों (9 निरीक्षकों) की सूची जारी की थी ? यदि हां, तो क्या श्री लोकनाथ राम, उप निरीक्षक को प्रोन्नति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपयुक्त न पाने के कारण ।

श्री लोकनाथ वर्मा थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा चार डकैतों को पुलिस मुठभेड़ में मारने के फलस्वरूप इनाम एवं पदोन्नति की मांग

125–श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनकाउन्टर में (पुलिस मुठभेड़) मारे गये डकैतों में पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति के साथ-साथ शासन द्वारा इनाम देने का वर्तमान में प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या श्री लोक नाथ वर्मा ने मात्र एक सिपाही के साथ कुख्यात पंजीकृत गैंग इनामी डकैत उमेश मिश्रा सहित दिनांक 19-10-93 को थाना इकदिल, जनपद इटावा में 4 डकैतों को मारा था ? यदि हां, तो श्री वर्मा ऐसे बहादुर उप निरीक्षक को शासन ने इनाम व सम्मान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री वर्मा को इनाम, सम्मान और प्रोन्नति शासन द्वारा दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सन्दर्भगत दिनांक को श्री वर्मा उप निरीक्षक द्वारा इनकाउन्टर में 4 डकैतों को मारा गया । श्री लोक नाथ वर्मा, उप निरीक्षक को इनाम देने का प्रस्ताव नहीं है । इन्हें सम्मानित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है । इनाम एवं सम्मान की स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है । प्रश्नगत घटना प्रोन्नति विषयक शासनादेश दिनांक 3-2-94 के प्रभावी होने के पूर्व की होने के कारण श्री वर्मा को अगले पद पर पदोन्नति का अवसर नहीं बना ।

लखनऊ जनपद के देहात क्षेत्र में स्थित कोतवाली मलिहाबाद में सृजित पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग

126–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के देहात क्षेत्र में स्थित कोतवाली मलिहाबाद में रिक्त पुलिस निरीक्षक के पद को भरने में क्या कठिनाई है ? क्या सरकार प्रभावी नियंत्रण हेतु निरीक्षक की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

निरीक्षक तैनात है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड के आन्दोलनकारियों पर हुई पुलिस फाइरिंग का मामला

127–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर के राम तिराहा पर उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में ओम गोपाल सिंह रावत पुत्र श्री चन्दन सिंह रावत ग्राम–आगर, तहसील व थाना नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, पुलिस की गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री द्वारा घायलों के लिये घोषित राहत राशि अब तक उसको क्यों नहीं दी गयी ? कब तक उक्त राहत राशि दे दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उपर्युक्त घायल को रु० दस हजार की आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत की जा चुकी है ।

तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

128–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एवं वर्ष 1995-96 की जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण रा० औ० प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर में जनवरी, 1994 से अप्रैल, 1995 तक अनुसूचित जाति की हत्या एवं उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या की जानकारी

129–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में जनवरी, 1994 से अब तक अनुसूचित जाति हत्या और उत्पीड़न की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं ? उनमे पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत अवधि (1-1-94 से 30-6-95) में अनुसूचित जाति की हत्या एवं उत्पीड़न के क्रमशः 5 व 394 अपराध पंजीकृत हुए । दोनों प्रकार के मामलों में अब तक कृत कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :––

	अपराधों का प्रकार	
	हत्या	उत्पीड़न
पंजीकृत अपराधों की संख्या	5	394

न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	3	360
खारिज किये गये अपराधों की संख्या	--	3
विवेचनाधीन अपराधों की संख्या	2	25
लापता मामलों की संख्या	--	6
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की संख्या	6	225
अदालत् के समक्ष हाजिर होने वाले अभियुक्तों की संख्या	7	630
विवेचनाधीन मामलों में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तों की संख्या	--	40
लापता अभियुक्तों की संख्या	--	29
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तों की संख्या	4	--

130–श्री मित्रसेन यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को संबोधित श्री रमेशर पुत्र राम हरख ग्राम कैमा, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर का शिकायती पत्र

131–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रामेशर पुत्र रामहरख, ग्राम कैमा, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 22-3-95 का प्रार्थना पत्र जिसमें अदालती स्थगन के बावजूद रास्ता बन्द करने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रमेशर पुत्र श्री राम हरख निवासी ग्राम कैमा, थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर का कोई भी पत्र 22-3-95 पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्राप्त नहीं हुआ है । यह तथ्य स्वयं श्री रमेशर ने जांच के दौरान स्वीकार किया है । उसने यह भी माना है कि अगस्त, 1994 के बाद उसने कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है ।

प्रश्नगत मकान से सम्बन्धित एक मुकदमा न्यायालय दीवानी में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम निलाथू, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा में लूटपाट/राहजनी एवं डकैती को रोकने के लिये श्री रुद्रदत्त द्विवेदी के पत्र पर कृत कार्यवाही

132–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुद्रदत्त द्विवेदी पुत्र श्री राम प्रताप निवासी ग्राम निलाथू, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा का प्रार्थना-पत्र दिनांकित 28-2-1995 जिसमें श्री दिनेश पुत्र श्री इन्द्रपाल नि० तहसील बबेरू, जनपद बांदा का अपहरण दिनांक 27-2-1995 सशस्त्र डकैतों द्वारा कर लिये जाने का

उल्लेख है, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार ग्राम निलाथू में हो रही लूटपाट/राहजनी/डकैती को रोकने हेतु कोई सुरक्षा व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के आधार पर तथा कथित श्री रुद्रदत्त द्विवेदी का शिकायती पत्र दिनांकित 27-2-95 में ग्राम-निलाथू में हुई दिनेश कुशवाहा के अपहरण की घटना के संबंध में मु० अ० सं० 76/95 धारा 364 ए भा० दं० वि० पंजीकृत कर विवेचना दौरान अपराधियों का पता लगाकर दबाव डालकर बिना किसी फिरौती दिये अपहृत दिनेश को छुड़ा लिया गया था । प्रकाश में आये 5 अभियुक्तों में 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल गये । शेष दो अभियुक्त फरार हैं जिनकी कुर्की की जा चुकी है । सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र मे लगातार गश्त कराया जा रहा है ।

उत्तराखण्ड राज्य के लिये आन्दोलन के दौरान महिलाओं को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

133–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 व 3 अप्रैल, 1995 को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग के समर्थन में बन्द के दौरान समूचे उत्तराखंड में किन-किन थानों से कितनी महिलाओं की गिरफ्तारियां हुईं ? क्या सरकार के पास महिलाओं की गिरफ्तारी के लिये पर्याप्त महिला पुलिस बल उपलब्ध था ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह गिरफ्तारियां अवैधानिक नहीं थी ? क्या महिलाओं की गिरफ्तारी में अनियमितता बरतने व दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत बन्द के दौरान जनपद देहरादून के थाना कोतवाली से 58, थाना कैन्ट से 44, थाना डालनवाला से 53 कुल 155 महिलाओं की गिरफ्तारियां हुईं । उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

इसके लिये महिला उपनिरीक्षक–1, महिला कान्सटेबिल–20 एवं महिला होमगार्ड–57 उपलब्ध थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना चोलापुर, जिला वाराणसी के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायत

134–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० बी० नं० 266/93 थाना चोलापुर, जिला वाराणसी के पुलिस कर्मियों एवं अस्पताल चोलापुर के डाक्टरों के खिलाफ की गयी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? क्या चोलापुर की पुलिस ने सैनिक त्रिभुवन सिंह व हवलदार प्रभू नारायण सिंह गांव धरसौना,

थाना चोलापुर, वाराणसी को बुरी तरह से मारकर फर्जी मुकदमें में चालान किया था और पुलिस कर्मियों की फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट स्वास्थ्य केन्द्र, चोलापुर, वाराणसी में बनवाया था ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण में सी० आई० डी० जांच प्रचलित है ।

थाना कोतवाली हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में दिनांक 2-4-95 को श्री रामसुफल व राम खेलावन के विरुद्ध आगजनी की प्रथम सूचना दर्ज रिपोर्ट

135–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बबुरियापुरवा मजरे गोतौना, थाना कोतवाली हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में दिनांक 2-4-95 को रात्रि लगभग 11 बजे रामसुफल पुत्र झरिहग व राम खेलावन पुत्र जग्गू आग लगा कर भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या थाना कोतवाली हैदरगढ़ जिला बाराबंकी को दिनांक 2-4-95 को ही रात्रि में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु जाने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-4-95 जो कि प्रमुख सचिव (गृह) उ० प्र० शासन लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्राथमिकी में प्रश्नगत आरोप लगाये गये परन्तु विवेचनोपरान्त इस मामले में दिनांक 27-4-95 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच क्रमित है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एवं पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजे गये श्री सुखराम पुत्र श्री माता प्रसाद निवासी पुरेलाल मजरे मिक्षौली थाना जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के पत्र पर कृत कार्यवाही

136–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री सुखराम पुत्र माता प्रसाद निवासी पूरे लाल मजरे मिक्षौली, थाना जगदीशपुर, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें चोरी की रिपोर्ट न लिखने व अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री सुखराम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर थाना जगदीशपुर में श्री राम औतार पुत्र श्री बसंत लोध (श्री सुखराम के पड़ोसी) के विरुद्ध पंजीकृत मु० अ० सं०–152/95 धारा 457/380 भा० दं० वि० की विवेचना की गई । विवेचना में चोरी का कोई ऐसा साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री शिव गोपाल पुत्र श्री राम कृष्ण निवासी काकूपुर माना ताला के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

137–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर देहात में दर्ज अ० सं० 145/95 धारा 364 आई० पी० सी० दिनांक 23-2-95 की जांच सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री शिवगोपाल पुत्र श्री राम कृष्ण निवासी ग्राम काकूपुर माना ताला का प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1995 को प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा उपरोक्त की जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

श्री होरी लाल प्रजापति निवासी–ग्राम-कपरफोरवां, थाना जैसा, जिला वाराणसी को क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

138–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि होरी लाल प्रजापति निवासी गांव कपरफोरवां थाना जैसा जिला वाराणसी को तथा उसकी स्त्री को गांव के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी स्त्री मौके पर मर गयी और होरी लाल गम्भीर रूप से घायल होकर शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल, वाराणसी में 7-8 माह भर्ती रहा है ? क्या इसकी दरखास्त को प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री जी को 17-8-94 को दिया था ? यदि हां, तो कितने रुपये की सहायता दी गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । किन्तु घायल होरी लाल 7-8 माह नहीं वरन दिनांक 29-7-94 से दिनांक 11-11-94 तक शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल वाराणसी में इलाज हेतु भर्ती रहा ।

जी हां ।

अब तक होरी लाल प्रजापति को कुल रु० 39,000/- की सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

उत्तराखण्डीय आन्दोलन कारियों पर गोली चलाने एवं बलात्कार के दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

139–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 2 अक्टूबर, 94 को मुजफ्फरनगर में दिल्ली रैली में जाने वाले पुरुष एवं महिलाओं पर गोली चलाने वालों तथा महिलाओं के साथ बलात्कार करने की पुष्टि सी० बी० आई० ने कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों को दण्डित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी० बी० आई० द्वारा की गयी । सी० बी० आई० की जांच आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रदेश में सुदृढ़ राजकीय डेरी फार्मिंग की स्थापना एवं अच्छे नस्ल के दुधारु पशुओं की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

140–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार राजकीय डेरी फार्मिंग की स्थापना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार अच्छे नस्ल के दुधारु पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर उत्तम नस्ल के सांड़ों के उत्पादन हेतु प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण, संतति परीक्षण पर आधारित पशु प्रजनन की नीति, शुद्ध उत्तम नस्ल के देशी पशुओं के सम्वर्धन, विकास तथा उत्तम विदेशी नस्ल के होलस्ट्रीन फ्रीजियन एवं जर्सी नस्ल के सांड़ों का प्रयोग तथा अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली के अन्तर्गत पशु प्रजनन एवं देशी नस्ल के अन्य पशुओं के वर्ण संकरण की प्रजनन नीति अपनाकर, दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारु पशुओं को प्रदेश के बाहर से क्रय कर व्यवस्थित करने की भी योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

उत्तरांचल में मत्स्य पालन की नीति की जानकारी

141–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पालन की क्या नीति बनायी जा रही है ? कितने लोगों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर भूमि आवंटित की जा चुकी है ? क्या उत्तरांचल में मत्स्य पालन में कोई प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उत्तरांचल के लिये सरकार कोई ठोस नीति बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप बनाया जा रहा है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के ध्येय से प्रदेश के समस्त मैदानी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण गठित किये गये हैं। अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों की दीर्घकालीन पट्टों में सहयोग, तालाब सुधार तथा प्रथम वर्षीय उत्पादन निवेश हेतु व्यवसायिक बैंक से ऋण व्यवस्था व अनुदान, उत्तम मत्स्य प्रजापतियों के बीज की आपूर्ति, अल्पकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है।

प्रदेश में 94-95 तक मत्स्य पालकों को 65,831.65 हेक्टेयर जल क्षेत्र के 72,532 तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

उत्तरांचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो मण्डल स्तरीय पर्वतीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण क्रियाशील हैं, जिसके माध्यम से हौज/तालाब सुधार हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण मत्स्य बीज आपूर्ति आदि सुविधायें मत्स्य पालकों को उपलब्ध करायी जाती है। जी नहीं। केवल उत्तराखण्ड की जलधाराओं में अवैधानिक शिकारमाही तथा डाइनामाइटिंग के फलस्वरूप शीतल जल मत्स्य प्रजापतियों की सम्पदा का ह्रास होने के कारण नदियों में शीतल जल मत्स्य प्रजापतियों के पुनर्स्थापन हेतु पर्वतीय क्षेत्र में ट्राउट एवं महाशेर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरियों की स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक मत्स्य बीज उत्पादन पर नदियों में शीतल जल मत्स्य प्रजापतियों की पुनर्स्थापना की जा सके।

पशुपालन विभाग में सांड भैंसा केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को वेतन न दिये जाने की शिकायत

142–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जलागम से पशुपालन विभाग में स्थानान्तरित/समायोजित सांड एवं भैंसा केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को वर्षों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से और इसका क्या कारण है ? इसके लिये दोषी कौन है और क्या उन्हें दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इन कर्मियों को वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है तथा उन्हें सांड तथा भैंसों को चारा भी अपने घर से खिलाना पड़ रहा है ? इसके लिये दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर नगर के मोहल्ला आर्यनगर में साम्प्रदायिक दंगे में निर्दोष लोगों पर चलाये जाने वाले मुकदमों को वापस लिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

143–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र आर्य नगर, कानपुर में दिनांक 14-11-93 को हुए साम्प्रदायिक दंगे के दौरान निर्दोष व्यक्तियों पर से मुकदमा वापस लिये जाने के संबंध में श्री महेश बाल्मीकि, विधायक के कितने पत्र विधायक प्रकोष्ठ में प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों पर अब तक तिथिवार क्या कार्यवाही की गयी ? निर्दोष व्यक्तियों पर मुकदमा वापस लेने संबंधी शासन के आदेश किस तिथि तक निर्गत कर दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 14-11-93 को हुए साम्प्रदायिक दंगे से संबंधित श्री महेश बाल्मीकि विधायक, के विधायक कोष्ठक में कुल सात पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुकदमा वापस का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

दिनांक 24-9-94 को कानपुर नगर में जनता पार्टी के पराजित प्रत्याशी स्वर्गीय प्रदीप बाल्मीकि के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

144–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पराजित प्रत्याशी स्व० श्री काला बच्चा के परिवार को अर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 24-9-94 को कानपुर नगर में मारे गये जनता पार्टी के सीसा मऊ कानपुर से पराजित प्रत्याशी स्व० श्री प्रदीप बाल्मीकि के परिवार को भी आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं।

स्व० प्रदीप बाल्मीकि की हत्या दंगे में नहीं हुयी थी इससे मृतक के आश्रितों को शासनादेश के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

गौतम बुद्ध विद्या मंदिर चन्द्र नगर कानपुर पर अराजकतत्वों द्वारा जबरन कब्जा किये जाने की शिकायत

145–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतम बुद्ध विद्या मंदिर 107/10 चन्द्र नगर, कानपुर पर अराजक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा रोके जाने के संबंध में श्री राम प्रसाद आजाद , अध्यक्ष गौतम बुद्ध शिक्षा समिति चन्द्र नगर थाना सीसामऊ कानपुर नगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 9-11-94 पंजीकृत डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिये जाने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री बृजनाथ यादव, ग्रा० भवानी मजरे, चन्दौर थाना कूड़ेभार जिला सुल्तानपुर के यहां घटित घटना पर की गई कार्यवाही की जानकारी

146–श्री मित्रसेन यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–19 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक परिवार के आश्रितों को कौन-कौन सी सहायता

शासन द्वारा दी गयी है ? क्या परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत आश्रितों को आर्थिक सहायता नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण इसका अवसर नहीं बना।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रताशीघ्र करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

वर्ष 1987 के माह अगस्त में चौरी-चौरा स्टेशन पर ट्रेन डकैती का मामला

147–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 के अगस्त माह में चौरी चौरा ट्रेन की डकैती में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ढोढई तथा मारकण्डेय पुत्र श्री विश्वनाथ यादव निवासी नगर पंचायत मुडेरा बाजार जनपद गोरखपुर को डकैती का मुख्य अभियुक्त बनाकर थानाध्यक्ष जी० आर० पी० भटनी द्वारा मुल्जिमों को चालान किया गया था ? यदि हां, तो क्या मुल्जिमों ने फर्जी अभियुक्त बनाये जाने के विरुद्ध शासन में आवेदन पत्र जांच कराने हेतु दिया था, जिस पर सी० आई० डी० विभाग द्वारा जांच कराई गयी है ? क्या जांच में तथ्य की जानकारी अभियुक्तों के न होने के कारण अभियुक्तों ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 5-9-94 को डाक पंजीकरण सं०-82877/0092 व 0093 द्वारा भेजकर जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा सी० आई० डी० जांच जो कराई गई है उस जांच में कितने लोग दोषी पाये गये हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मुल्जिमों की शिकायत पर मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गयी जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष लोकनाथ यादव एवं कांस्टेबिल चन्द्रभूषण राय दोषी पाये गये। अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

148–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। दिनांक 7-2-95 को अता० प्र० सं०–103 द्वारा उत्तरित।

भारत एवं नेपाल में अन्तर्राष्ट्रीय जालीनोट निर्माता गिरोह के जांच की मांग

149–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा भारत एवं नेपाल में जाली नोटों के धन्धे में लिप्त रहने की जांच हेतु प्रश्नकर्ता को प्राप्त गोपन अनुभाग–7 के अशा० प० सं० एम० एल० ए० 593/94 सी० एक्स०–7 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुसार अब तक उक्त प्रकरण पर

क्या जांच हुई और उसमें कौन दोषी पाया गया ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन से 5 (पांच) जनपदों की तथा उनके जोन के बाहर जनपद गोण्डा के बारे में संबंधित पुलिस अधीक्षक से आख्यायें प्राप्त की गयीं । अब तक जांच आख्याओं के आधार पर संदर्भगत कार्यकलाप में सम्प्रति किसी गिरोह की सक्रियता प्रकाश में नहीं आयी । किसी कार्यवाही का अवसर अभी नहीं बना ।

जी नहीं ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच लम्बित होने के कारण उक्त आख्यायें प्रस्तुत करना उचित न होगा ।

थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 49/93 धारा 364 आई० पी० सी० के संबंध में कृत कार्यवाही

150–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर में अंकित अपराध संख्या 49/93 तहत धारा 364 आई० पी० सी० की जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कब प्रारम्भ हुई तथा क्या उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर पर धारा 364 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–49/93 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 24-6-93 से प्रारम्भ की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

151–श्री राम आसरे वर्मा–

।2सरे शुक्रवार में अना० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

ग्राम अमरौधा थाना भोगनीपुर जिला कानपुर में दिनांक 6/7-3-95 को पड़ी डकैती एवं हत्या के अपराधियों को पकड़ने तथा पीड़ित परिवार को सहायता दिये जाने की मांग

152–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अमरौधा थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर में दिनांक 6/7-3-95 की रात्रि पड़ी डकैती, जिसमें भारी लूट के साथ-साथ दो व्यक्तियों की हत्या भी कर दी गई थी, के संबंध में अभी तक क्या तथ्य सामने आये हैं ? क्या किन्हीं व्यक्तियों को पकड़ा गया ? यदि हां,

तो उनके नाम क्या-क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतकों के आश्रितों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । उक्त डकैती में श्री राम चन्द्र गुप्ता एवं श्रीमती राम सजीवनी की मृत्यु हुयी थी । प्रकरण में थाना भोगनीपुर में मु० अ० सं० 76/95 धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ ।

जी हां । उक्त डकैती में बादू पुत्र सादुल्ला एवं जाहर पुत्र नागा को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

मृतकों के आश्रितों को शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गयी ।

औचित्य नहीं पाया गया है ।

आरक्षण नीति को लागू करने वाली औद्योगिक इकाइयों की जानकारी

153–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाइयां कौन-कौन सी हैं जिन्हें रोजगार सृजन में शासन की आरक्षण नीति का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के कारण अधिक अथवा विशेष सुविधायें उपलब्ध कराई गई ? प्रत्येक में कितने मजदूर सेवायोजित हैं तथा उनमें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्गीकरण में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी सेवायोजित हैं और उनमें आरक्षण का लाभ पाने वालों का प्रतिशत क्या है ?

श्री राम लखन वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रोजगार सृजन में शासन की आरक्षण नीति समाविष्ट न होने के कारण अनुपालन में सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बभनान शुगर मिल जनपद गोण्डा के कर्मचारी श्री विजय प्रताप सिंह की हत्या का प्रकरण

154–श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री आनन्द यादव तथा श्री दरोगा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विगत वर्ष 1994 के फरवरी/मार्च में बभनान शुगर मिल गोण्डा के कर्मचारी श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री जोखम सिंह ग्राम मकोइया थाना खोडारे जिला गोण्डा की हत्या करके लाश तीन चार दिन कहीं रखकर फेंक दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच के दौरान उक्त हत्या में गन्ना मिल के महाप्रबन्धक (श्री मित्तल) का सह० सुरक्षा अधिकारी (श्री पाण्डेय) तथा एक मिल कर्मचारी तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष खोडारो (श्री लोकनाथ यादव) का संरक्षण एवं सहयोग होना पाया गया था जिसके कारण संबंधित थानाध्यक्ष को पदावनत करके हटा दिया गया था ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त श्री मित्तल द्वारा मिल के संबंधित सुरक्षा अधिकारी एवं कर्मी को निलम्बित न करके सेवारत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल प्रशासन एवं उक्त महाप्रबन्धक को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

यद्यपि संदर्भित कर्मचारियों के मध्य सांठ-गांठ/साजिश के साक्ष्य प्रकाश में नहीं आये तथापि मु० अ० सं०–9/94 अन्तर्गत धारा 302/201 भा० दं० वि० की विवेचना में लापरवाही बरतने की शिकायत सत्य प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप तत्कालीन थानाध्यक्ष-खोडारे को पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा दिनांक 5-1-95 को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी गयी है तथा सम्प्रति उन्हें थानाध्यक्ष के प्रभार से हटा दिया गया है ।

प्राइवेट मिल होने तथा उस पर शासकीय नियंत्रण न होने के कारण मिल के कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

155–श्री दीनानाथ चौधरी–

[2सरे सोमवार में अता० प्र० सं० 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हेलीकाप्टरों तथा विमानों की संख्या एवं उन पर विगत तीन सालों में ईंधन एवं रख-रखाव पर व्यय हुये धन का विवरण

156–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार के पास वर्तमान में कितने हेलीकाप्टर तथा विमान हैं ? उस पर वर्ष 1992-93; 1993-94 तथा 1994-95 में ईंधन तथा रख-रखाव पर कितना खर्च हुआ है ?

सुश्री मायावती–

राज्य सरकार के पास विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिये दो हेलीकाप्टर तथा दो वायुयान हैं । इन पर ईंधन तथा रख-रखाव की मदों पर प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है –

वर्ष	ईंधन पर व्यय	रख-रखाव पर व्यय
1992-93	रु० 24,94,119.60	रु० 11,67,851.80
1993-94	रु० 39,33,622.40	रु० 52,65,316.50
1994-95	रु० 76,30,410.80	रु० 30,43,589.88

जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की मांग

157–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय महराजगंज पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तहसील मुख्यालय महराजगंज, जनपद रायबरेली में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है ।

रायबरेली जिले के महराजगंज कोतवाली के कोतवाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

158–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली के कोतवाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-3-1995 का कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड जनपद प्रतापगढ़ के मशीनों के इस्तान्तरण एवं सरकार के हिस्से के धन का दुरुपयोग

159–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ को वर्तमान प्रबन्ध तंत्र ने लगभग 25 स्क्रेप मशीनें बंगलौर से स्थानान्तरित करके उनकी कीमत नई मशीनों की दर से भुगतान किया है एवं फैक्ट्री में सरकार के हिस्से में धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी टेक्निशियन से इनकी आवश्यकता एवं कार्यक्षमता की जांच करायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मशीनें लगभग इस डेढ़ वर्ष की अवधि में कार्यरत है ? यदि नहीं, तो इनकी खरीद का क्या औचित्य था ?

सुश्री मायावती–

मशीने सिपानी आटो मोबाइल्स लि०, बंगलौर से ए० टी० एल० प्रतापगढ़ ट्रायल हेतु लायी गयी हैं । लेकिन अभी तक टैक्टर्स उत्पादन में विलम्ब के कारण मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सका । इन मशीनों का ए० टी० एल० प्रतापगढ़ में हस्तान्तरण या क्रय हेतु कम्पनी के प्रबन्ध तंत्र द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आटो टैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का विवरण

160–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ के प्रबन्ध तंत्र ने 4 वर्षों में लगभग 1200 कर्मचारियों को नौकरी दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अथवा माह जनवरी, 1994 से अब तक लगभग 800 कर्मचारियों को आटो ट्रैक्टर्स के प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त आटो ट्रैक्टर में अब तक कितने कर्मचारी नियमित हैं और कितने अनियमित रूप से कार्यरत हैं ? उक्त आटो ट्रैक्टर में कितने कर्मचारियों को परिवीक्षा पर और कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा गया है ?

सुश्री मायावती–

यह सत्य नहीं है कि आटो ट्रैक्टर्स लि० ने 1200 कर्मचारियों को गत 4 वर्षों में नौकरी दी है।

यह भी सत्य नहीं है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अथवा माह जनवरी, 1994 से अब तक लगभग 800 कर्मचारियों को आटो ट्रैक्टर्स लि० के प्रबन्ध तंत्र द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है।

आटो ट्रैक्टर्स लि० में 173 कर्मचारी नियमित, 15 परिवीक्षा पर तथा 87 कर्मचारी प्रशिक्षण पर हैं। कम्पनी में अनियमित रूप से कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1995-96 में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा छपवाई गयी सूक्ष्म डायरियों के संबंध में कतिपय विवरण की जानकारी

161–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 के लिए सूचना विभाग द्वारा कितनी डायरियां छपवाई गयीं ? प्रत्येक डायरी की कीमत क्या है ? डायरियां किस फर्म से छपवाई गयीं और किसके आदेश से ? सरकारी कोष से इतनी बड़ी धनराशि अपव्यय करने का क्या औचित्य है ? इसके लिए कौन दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1995-96 के लिए सूचना विभाग द्वारा 30,000 सामान्य तथा 5,000 विशिष्ट डायरियां छपवाई गयीं।

प्रत्येक सामान्य डायरी का मूल्य लगभग रु० 22.06 तथा प्रत्येक विशिष्ट डायरी का मूल्य लगभग 44.83 रु० है।

दोनों प्रकार की डायरियों का मुद्रण श्रीमंत प्रतिभा प्रेस 33–कैन्टोनमेन्ट रोड लखनऊ से निदेशक सूचना के आदेशानुसार छपायी गयीं।

प्रदेश सरकार एवं शासन से संबंधित अद्यतन एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार होता है जिससे समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए डायरियां अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। अतः यह अपव्यय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापनों के ब्योरे की मांग

162–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 में कितने समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये गये ? उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो वे समाचार पत्र कौन-कौन हैं ? उन्हें विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 में (1599 मान्यता प्राप्त और 532 गैर मान्यता प्राप्त) कुल 2131 समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया गया ।

उस पर कुल रुपये 6,73,05,989/–की धनराशि व्यय हुई ।

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

समाचार पत्र के प्रकाशन बन्द होने अथवा अनियमित प्रकाशन होने के कारण ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 201पर)

163–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

164–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना धमौर के ग्राम पूरे बुनियाद का पुरवा मजरे मझना में दो अप्रैल, 1995 को पड़ी डकैती एवं उससे हुई हत्याओं के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी

165–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर के थाना–धमौर अन्तर्गत ग्राम–पूरे बुनियाद का पुरवा मजरे मझना में दिनांक 2 अप्रैल, 1995 को पड़ी डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया है ? इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या अब तक इसमें कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । दिनांक 2-4-1995 को नहीं अपितु दिनांक 3/4-4-1995 की रात्रि में 12 बजे ग्राम पूरे बुनियादी सिंह का पुरवा मजरे मझना में पड़ी डकैती के संबंध में श्री लल्लन प्रसाद की सूचना पर मु० अ० सं०–96/95 धारा 395/397 भा० द० वि० दर्ज किया गया ।

एक व्यक्ति की ।

जी हां । विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजे गये श्री दूधनाथ तिवारी ग्राम माधोपुर थाना गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर द्वारा एक अनुसूचित जाति के लड़के को गायब करके उसकी जमीन लिखाने की शिकायत के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

166–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री दूधनाथ तिवारी, माधवपुर थाना–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर का दिनांक 3-4-95 का प्रार्थना पत्र जिसमें अनुसूचित जाति के एक नाबालिग लड़के के लापता होने तथा उसकी जमीन लिखाकर ट्रान्सफर करा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी गौरीगंज द्वारा करायी गयी ।

जांच से यह ज्ञात हुआ कि लापता युवक वीपत पुत्र कल्पनाथ पासी सा० सराय हृदय थाना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर है । युवक की आयु 28-30 साल की है ।

वीपत के माता पिता बचपन में ही मर गये हैं । वह अविवाहित है और उसके नाम एक बीघा तेरह बिस्वा भूमि थी जिसका बैनामा उसने 23-9-93 को श्री सूर्यबली पुत्र बुद्धी कोरी सा० मुराई का पुरवा मजरे नरौली थाना गौरीगंज के नाम कर दिया था । इस बैनामे से वीपत को बीस हजार रुपये मिले थे । जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है । मौके पर जमीन परती पड़ी है ।

वीपत ने बैनामा के बाबत अपने मामा दूधनाथ को कुछ भी नहीं बताया और न उनको पैसा ही दिया ।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गौरीगंज में मु० अ० सं०–112/95 धारा 364 भा० द० वि० 3/(1)/10 एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट पंजीकृत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

167–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

[3 सरे मंगलवार के लिए स्थगित ।

168–169–श्री नजमउद्दीन–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।

170–श्री हीरामणि पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या–13 पर मेरा एक प्रश्न है । इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह लिखा है कि संलग्न परिशिष्ट (अ) पर दर्शाया गया है कि कितनी योजनायें हैं और संलग्न परिशिष्ट (ब) पर व्यय दिया गया है जबकि मान्यवर, मुझे उत्तर के साथ कोई संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं मिला है तो मिल जायेगा । आप प्राप्त कर लें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस अधूरे उत्तर का कोई अर्थ नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे अगली बार प्राथमिकता के आधार पर ले लें, ताकि मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का मौका मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्नों से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है नत्थी (ग) पर प्रश्न संख्या–6 पर श्री परशुराम यादव का प्रश्न....

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 8 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से श्लोका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनायें स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री गया चरन दिनकर की प्रदेश में निर्बल वर्ग के लोगों को राजकीय व्यय पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने के संबंध में है ।

प्रदेश में निर्बल वर्ग के लोगों को राजकीय व्यय पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरन दिनकर–

मान्यवर, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ से ही उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, लूटपाट व अपमानजनक घटनायें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अन्य निर्बल वर्ग के साथ परम्परागत ढंग से होती चली आ रही हैं । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं शासन प्रशासन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मीलों पीछे होने के कारण योग्य, दक्ष एवं परिश्रमी होने के बाद भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछली सरकारों ने समय-समय पर विभिन्न प्रकार की घोषणायें करके प्रश्नगत लोगों की मान-सम्पत्ति व स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु लगभग मदद करने का प्रयास किया। अभियोग पंजीकरण करके कृत जुल्म-ज्यादती अपमान से निजात पाने का कारगर उपाय नहीं है। कानून किसी की हिफाजत नहीं करता बल्कि घटित अपराध का इतिहास बनाता है। सरकार का समय, शक्ति और धन बराबर व्यय होने के बाद भी शत-प्रतिशत सुरक्षा/न्याय नहीं मिल पाता। प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस धनवान बाहुल्य एवं अपराधों में अग्रणी लोगों को 90 प्रतिशत से अधिक शस्त्र आज तक जारी किये गये हैं, निर्बल व कमजोर लोगों को शक्तिमान बनाने की कोशिश नहीं की गयी। परिणामतः जुल्म ज्यादती पर काबू पाना लम्बे समय तक के लिए मुश्किल है। अनु० जाति/ अनु० जनजाति व निर्बल लोगों की जान-माल व स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु उन्हें आत्म निर्भर बनाना परमावश्यक है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि अनु० जा०/जनजा० एवं निर्बल वर्ग के ऊपर अनवरत घटित अपराधों से मुक्ति पाने के लिए समस्त शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाने अथवा राजकीय व्यय पर पर्याप्त मात्रा में अनु० जाति/जनजाति अन्य निर्बल लोगों को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

प्रदेश में कारोबारियों पर प्रस्तावित व्यवसाय लाइसेंस शुल्क लगाने से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री रमेशकान्त लवानिया की प्रदेश के कारोबारियों पर प्रस्तावित व्यवसाय लाइसेंस शुल्क लगाने में जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है।

*श्री रमेशकान्त लवानिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की श्री मुलायम सिंह यादव की पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश के भिखारियों को छोड़कर प्रस्तावित व्यवसाय लाइसेंस शुल्क मनमाने ढंग से और अनाप-शनाप दरें निर्धारित करके हर कारोबारी के ऊपर आरोपित करके अपनी हठधर्मी व निरंकुशता का परिचय दिया है। प्रस्तावित व्यवसाय शुल्क आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन उद्यम व्यापार बिना शक कारोबारियों, व्यवसायी वर्ग, रिक्शा, तांगा, नाई, धोबी, बैलगाड़ी, हथठेला, घास, भूसा से लेकर किसी भी सामान के छोटे-बड़े विक्रेता मोची, हलवाई से लेकर बड़े उद्यमी व्यवसायी, हर्कीम, डाक्टर, ठेकेदार आदि सभी पर व्यवसाय शुल्क लगाया है। आगरा नगर निगम में तो 18-6-95 से इसे लागू करने का निर्णय भी ले लिया गया है।

व्यापारियों ने 27-28 जुलाई को 48 घण्टे का प्रदेश बन्द की घोषणा कर दी है। उक्त शुल्क से जनता में घोर असन्तोष है जिसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किये जाने विषयक नियम 340 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री बची सिंह रावत जी की सूचना जनपद अल्मोड़ा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

* श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना को प्रस्तुत करता हूं :–

जनपद अल्मोड़ा में स्थित उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय महाविद्यालय स्याल्दे, राजकीय महाविद्यालय मानिला राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में प्रवक्ताओं के अधिकांश पद रिक्त हैं। इन पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति न होने से पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे छात्रों तथा जनता में तीव्र रोष व्याप्त है।

छात्रों द्वारा आन्दोलन करने की चेतावनी भी दी गयी है तथा अनशन भी किया जा रहा है।

अतः कृपा कर शासन को निर्देश देने की कृपा करें कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र की जायं।

जनपद उन्नाव में वर्ष 1994-95 की जिला योजना द्वारा आवंटित धनराशि का जनहित में उपयोग न होने विषयक नियम 340 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुन्दर लाल लोधी की सूचना जनपद उन्नाव में वर्ष 1994-95 की जिला योजना द्वारा आवंटित धनराशि का अभी तक जनहित में उपयोग न हो पाने से उत्पन्न सिथति के संबंध में सूचना दी है।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1994-95 के अन्तर्गत जिला योजना द्वारा आवंटित धन लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त हुआ। अभी तक जनहित कार्यों में नहीं लगाया गया है। जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को चर्चा हेतु स्वीकार करने का कष्ट करें।

फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ नगरों में पेयजल की भीषण समस्या के संबंध में नियम 340 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी की सूचना फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ नगरों में पेयजल की भीषण समस्या के संबंध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद में मुख्य नगर अधिकारी फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ में पेयजल की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। नगर पालिका द्वारा संचालित पेयजल व्यवस्था पूरी तौर से ध्वस्त है और दिन में एक बार भी पानी की सप्लाई सुनिश्चित नहीं है अधिकतर नलकूप खराब पड़े हैं और जलकल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भारी पैमाने पर "राइजिंग" लाइन से कनेक्शन देकर उस समस्या को और गम्भीर बना दिया है और पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा है जो इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प भाजपा सरकार में लगाये गये थे अब खराब हो गये हैं जिनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था न होने के कारण आये दिन पानी को लेकर लड़ाई भागदौड़ संघर्ष होता रहता है। ज्ञातव्य है कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की पेयजल योजना पुरानी पड़ चुकी है पुराने कुंए समाप्त हो गये हैं और भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार जल स्तर के पिछले 3 वर्षों में 15 से 20 फिट तक की गिरावट आयी है। फतेहगढ़ जिले का मुख्यालय होते हुए भी अधिकारी वर्ग तक की महिलाओं को गंगा नदी पर पानी भरने व नहाने जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं। जिससे तरह-तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए युद्ध स्तर पर पेयजल व्यवस्था हेतु 100 इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगवाने और पेयजल योजना दुरुस्त करने की मांग करता हूं।

सदन में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब पहले राजेन्द्र कुमार गुप्त जी अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री गुप्त व जगदम्बिका पाल के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर आपने मेरा नाम पुकारा है तो मैं खड़ा रहूं नहीं तो बैठ जाऊं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने आपको ही बुलाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे हम जातीय पूर्वाग्रह में विश्वास करें या न करें, लेकिन कुछ शख्स ऐसे हैं जो किसी जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष को चिढ़ाने के उद्देश्य से और जान बूझकर बदनीयती के साथ उन शब्दों का प्रयोग सदन में बार-बार करते हैं जो कि निन्दनीय है। हंसी मजाक तो वह है जो हम किसी के साथ करें और इस प्रकार का न हो कि वह उसका बुरा माने। किसी जाति विशेष को चिढ़ाने के उद्देश्य से गलत परम्पराओं से जुड़े उन शब्दों का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का परिचय देना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ आप टोका-टाकी करें और ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें। मान्यवर, इस तरह का आचरण सदन में कई बार हो चुका है और ऐसे आचरण को नियंत्रित करने का आपको अधिकार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा और असंसदीय शब्द होंगे तो कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्नों से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है ।

(इस समय 12 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए)

मान्यवर, आज के एजेण्डे में नत्थी (क) के अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 और नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या–2 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह का यह प्रश्न है मूल प्रश्न मेरा भी वही है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लूंगा अगर आपका छूट गया है जो अलग से शामिल कर लूंगा ।

आगरा महानगर में व्याप्त विद्युत संकट उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा महानगर में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आगरा महानगर तथा जनपद की जनता इस समय वहां विद्युत आपूर्ति में की जा रही घोषित व अघोषित प्रतिदिन 8–10 घंटे तक की जा रही कटौती तथा हो रहे व्यवधान से गम्भीर रूप से त्रस्त है । शहर के विभिन्न भागों में अथवा एक साथ विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने से कल कारखाने, उद्योग व्यापार, अस्पतालों में पड़े मरीज तथा बड़ी संख्या में प्रतिदिन आने वाले देशी तथा विदेशी पर्यटकों को अकथनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है । विद्युत आपूर्ति भंग हो जाने से जलापूर्ति पर भी बुरा असर पड़ता है और पहले से ही पेयजल संकट से त्रस्त जनता पानी की एक-एक बूंद के लिये तरस जाती है । स्थानीय स्तर पर कई-कई बार और कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति भंग हो जाने का अधिकारी स्तर पर एक ही जवाब होता है कि उनके पास ट्रांसफामर्स की बेहद कमी है और बढ़ते लोड के कारण उन्हें आपूर्ति बन्दी करनी पड़ती है । विद्युत के इस घोर संकट से जहां जनता त्रस्त है वहीं उसका आर्थिक विकास पर्यटकों का आगमन तथा रोजगार व काम धन्धे भी बड़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि आगरा के पर्यटन केन्द्र व उसके ऐतिहासिक महत्व को देखिते हुए विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने तथा स्थानीय स्तर पर वहां की आवश्यकतानुसार ट्रांसफारमर्स व अन्य सामान उपलब्ध कराये जाने के लिये शासन की ओर से तत्काल आदेश दिये जायें ।

जनपद बांदा में लघु डाल सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश पम्प हाउसों के खराब होने से धान की फसल को क्षति होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री भैरो प्रसाद मिश्र की सूचना जनपद बांदा में लघु डाल सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश पम्प हाउसों के खराब होने से धान की फसल की रोपाई न होने के संबंध में है ।

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

अधिष्ठाता महोदय, बांदा जिले के अन्तर्गत लघु डाल सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले अधिकतर पम्प हाउस खराब पड़े हैं जिनमें चिल्ली मल पम्प कैनाल की सबसे खराब स्थिति है वह बन्द पड़ा है। बार्जे न बदले जाने से उसका इस वर्ष चल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिससे कि हजारों एकड़ भूमि बिना बुवाई के रह जाएगी। ओरा पम्प कैनाल भी बन्द है उसकी मोटर तथा पम्प खराब हालत में पड़े हैं। अधिकारियों से कहने पर कैहते हैं कि हमारे पास रिपेयर कराने हेतु पैसा नहीं है। इसी तरह जिले के अधिकतर पम्प हाउसों की हालत खराब है। कई बार यहां विधान सभा में भी मामला उठाया गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इन पम्प हाउसों को ठीक कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने एवं सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

शेष जितनी भी सूचनाएं हैं सब अस्वीकृत की जाती हैं।

प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया होने विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के संबंध में पीठ से यह कहा गया था कि इसको अगले दिन सुन लिया जाएगा।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, इस संबंध में इसी पीठ से गन्ना किसानों के बकाये के संबंध में सुनने के लिये सहमति मिल चुकी थी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इस संबंध में मैंने 14 तारीख को सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

जिन्होंने आज यह सूचना दी है उनको सुन रहे हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं कि आप इस समय उस पीठ पर विराजमान हैं और जो लोकमहत्व का प्रश्न इस समय है और जो सबसे ज्वलन्त प्रश्न है और जिसके लिये हमारा दल जद्दो जहद कर रहा है हम आपके आभारी हैं कि आपने उसको प्राथमिकता के आधार पर ग्राह्य किया है। श्रीमन्, आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

स्वयं पूरे प्रदेश के किसानों की समस्याओं से वाकफियत है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चाहे वह राज्य चीनी निगम की मिलें हों संघ की मिलें हों, 111 जो चीनी मिलें हैं, केन यूनियनों के दफ्तरों में किसान जा जाकर लौट रहे हैं उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है । सरकार की तरफ से भी कोई कार्यवाही गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में नहीं हो रही है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देवरिया की रामकोला पंजाब मिल पर 4 करोड़ रुपया बाकी था । गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, तो एक दुखद घटना हो गयी और फायरिंग हुई जिससे 3 किसान मारे गये ।

आज सरकार की तरफ से स्थिति यह आयेगी कि गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया है और जहां नहीं हुआ है वहां भुगतान करने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे लेकिन इससे किसानों का तो कोई भला नहीं होगा । आज रामकोला पर 3 करोड़, 15 लाख, 18 हजार रुपया, श्योरही मिल पर 7 करोड़, 18 लाख, 72 हजार, बलरामपुर पर 2 करोड़, 72 लाख, वाल्टरगंज पर 3 करोड़ 75 लाख, बस्ती पर 2 करोड़ 50 लाख रुपया गन्ना मूल्य का बाकी है । उत्तर प्रदेश की शुगर कारपोरेशन की जितनी चीनी मिलें हैं, सितम्बर से पेराई सत्र शुरू होने वाला है और कारपोरेशन की चीनी मिलों में रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ है । यदि सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो राज्य चीनी निगम ने जो गन्ना मूल्य के लिये (60) करोड़ रुपये की मांग कर रखी है उस पैसे को सरकार निर्गत करे । कोई भी सरकार रही हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार रही हो जब निगम पर बकाया होता था तो सरकार उसको धन उपलब्ध कराती थी ताकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके । राज्यपाल के शासनकाल में भी 45 करोड़ रुपया निगम को दिया गया था और माननीय कल्याण सिंह ने भी अपने शासन काल में गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु रुपया दिया होगा । गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से किसानों को अनेकों परेशानियां हो रही हैं । पूरे उत्तर प्रदेश में आज भुगतान ठप है । मुंडेरवा, घुघली, खड्डा, हरदोई मिलों में रिपेयर का काम नहीं चल रहा है । अगर सरकार इनको बेचना चाहती है तो बता दे । पिछली सरकार ने बेचने का निर्णय लिया था लेकिन वह विक्रय नहीं हो सका ।

अगर वर्तमान सरकार बेचना चाहती है तो पारदर्शी बिक्री करे, हम देखना चाहेंगे । आज चीनी मिलें उच्च न्यायालय को चली गयी हैं, चीनी मिलों को बेच नहीं सकते हैं । अगर चीनी निगम की मिलें सितम्बर, अक्तूबर से नहीं चलेंगी तो उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अपने गन्ने की आपूर्ति कहां करेगा । आज गन्ना किसान को पैसों की आवश्यकता है, गांवों में किताबों कापियों की खरीद के लिये किसान को पैसा चाहिए । किसान के पास पैसा नहीं है किसान पर्चियां लिये मारा-मारा घूम रहा है उसके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है । अगर इन पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ तो वह छात्रों की प्रवेश की फीस भरने में किसान विवश है, तमाम शादियां किसान इस नाते नहीं कर पाये कि गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ जिससे उनकी शादियां टूट गयीं और भुगतान न होने के कारण वे अपने बाप की तीमारदारी दवा आदि भी नहीं खरीद सकते हैं लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी किसी चीनी मिल के खिलाफ कोई रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया, किसी चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

मान्यवर, अगर भुगतान कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो सरकार स्पष्ट तौर पर बताये कि जो चीनी मिलें हैं अगर वह इतने दिन तक भुगतान नहीं करेंगी तो उनको सजा मिलेगी। मान्यवर, अगर कोई उपभोक्ता बाजार में जाता है तो बिना पैसा लिये उसको सामान नहीं मिलता लेकिन

किसान अपने खेत से गन्ना लेकर मिल को देता है और उसके बाद एक साल तक भटकता है जबकि चीनी बनाकर मिल मालिक बेच चुका है लेकिन किसान अपने पैसे के लिये दरबदर ठोकरें खाता है। मान्यवर, मैं सदन में आपसे कहता हूं शासन से कहता हूं लेकिन इन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

एक बजे माननीय अध्यक्ष का चुनाव होना है इसलिये यह एक मिनट पहले ही खत्म हो जाय।

* श्री नरेश अग्रवाल

मान्यवर, मैं अपनी बात तीन मिनट में खत्म करूंगा।

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न इस मारे बनता है कि संविधान के अनुच्छेद 162(2) के अन्तर्गत मंत्रिमंडल की समूहिक जिम्मेदारी है एक मंत्रिमंडल के सदस्य ने बयान दिया कि प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। एक सदस्य ने बयान दिया जो सारे मंत्रिमंडल पर लागू होगा। जैसा पाल जी ने बताया कि सरकारी चीनी मिलों पर 92 करोड़ रुपया और निजी चीनी मिलों पर 60 करोड़ रुपया आज तक का गन्ना किसानों का बाकी है जबकि तीन माह हुए चीनी मिल बन्द हुए हम सब यहां पर किसान दलित और गरीबों की बात करते हैं लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसकी शुरुआत करें इसमें इस तरह का एक्ट बनना चाहिए कि अगर चीनी मिलें 7 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करेंगी तो ब्याज देना होगा, कानून में ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और सजा मिलेगी।

मान्यवर, तहसील वसूली कर रहा है और 10 प्रतिशत कर किसानों पर पड़ता है। क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि अगर गन्ना किसान का बकाया है और हम पर्ची तहसील में जाकर दें तो हमारा भुगतान अदा कर लिया जाय। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस बात की घोषणा करें अगर वाकई में आप गन्ना किसानों का हित चाहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है और करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और रुपये के भुगतान की जिम्मेदारी इस प्रदेश सरकार की है। किसानों का जो गन्ना मिलें खरीद चुकी हैं और पैसा नहीं दिया गया है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पैसा दिलवाये। जैसा जगदम्बिका पाल जी ने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं कि यही स्थिति पूरे प्रदेश में किसानों की गन्ना बकाये की है। मैं पश्चिमी चीनी मिलों के बारे में भी बताना चाहता हूं बहुत सी चीनी मिलें शामली, देवबन्द अगौता आदि तथा अन्य और माननीय हरेन्द्र मलिक जी बता देंगे। इन मिलों पर गन्ना जो कैशक्राप है का भुगतान बकाया है और मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की जा रही है। और किसानों पर जो देय है उस पर उनके ऊपर सूद लग रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और किसानों के पैसे पर सूद नहीं मिल रहा है, तो मैं ज्यादा समय न लेकर मांग करता हूं, माननीया मुख्य मंत्री जी बैठी हैं, किसानों की जो पीड़ा है, उसको दूर करें। किसानों को वसूली वाले तंग करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वस्त करें कि सरकार किसानों का रुपया उनकी जेब में कितने दिनों में पहुंचवा देंगी। मैं इन शब्दों के साथ इस पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता जी, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, माननीय पाल जी ने जो विषय रखा है, वह बहुत ही गम्भीर है। इससे ज्यादा गम्भीर और विषय नहीं हो सकता है। इतने साथियों ने जो इस पर बल दिया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नई चीनी मिलें लगा नहीं रही है, लाइसेन्स जो निर्गत होने चाहिए, उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और जो चीनी मिलें हैं उनको बेचकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में यह चीनी मिलें बन्द नहीं की जानी चाहिए। इससे किसानों का नुकसान होगा। यह किसी को बेची नहीं जायेंगी,बल्कि इनको ठीक करके चालू किया जाये। अगर आपको कोई यह समझाता है कि यह घाटे पर चल रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार है, व्यापार नहीं है। सरकारें जो हैं वह किसी काम को घाटे या मुनाफे पर नहीं चलाती हैं, बल्कि जनहित में कार्य किया जाता है। जब तक इन मिलों की उपादेयता बरकरार है, तब तक उनको चलाया जाना चाहिए, व्यापारियों को बेचा नहीं जाना चाहिए।

आप पूरे प्रकरण की जांच करायें और यह देखें कि इनको बेचने की कार्यवाही किस दशा में की गयी। चीनी मिलों को बेचने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। 34 चीनी मिलें हैं जिन्होंने अपने बकाया पैसे का भुगतान कर दिया है, तो क्या कारण है कि 77 चीनी मिलें अपने बकाया को भुगतान न कर सकें। अगर वह भुगतान नहीं कर रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार के कर्मचारी पहुंचते हैं वह किसानों को पकड़ कर ले जाते हैं और हवालात में बन्द कर देते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं, लेकिन किसान का जो पैसा बकाया है, वह उसको नहीं दिया जाता है और जो नहीं देते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी नहीं की जाती है। उनका पैसा न सरकार देती है और न मिल मालिक ही देते हैं और सरकार को जो पैसा किसानों पर बकाया होता है वह जबरिया वसूल किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रामकोला में किसानों ने जब अपने खून पसीने का हिसाब मांगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल्याण सिंह जी की सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई उन्होंने किसानों को उनका पैसा दिलाने के बजाय उन मिलों को ही बेचने की कोशिश की। इन दोनों सरकार ने जनता के साथ गद्दारी की।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक व कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें ग्राह्यता के प्रश्न पर आगे भी सुना जायेगा । अध्यक्ष जी के निर्वाचन के बाद भी सुना जायेगा और अगर आज समय नहीं मिला तो कल भी सुना जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आज गन्ना किसान अपने बकाये को परेशान है वह सरकार के माध्यम से चीनी मिल मालिकों को अपना गन्ना बेचता है । यह कटु सत्य है कि कभी भी गन्ना किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान नहीं मिल पा रहा है । गन्ना विभाग, जिसका करोड़ों रुपया कर्मचारियों के वेतन का जाता है, वह इसमें बिचौलिये का काम करता है । मान्यवर, जनता दल पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के संबंध में, जो मिल मालिकों के ऊपर है, संघर्षरत है । मान्यवर, तीन दिन से हम इस पर बराबर सवाल दे रहे हैं अभी मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों 50 हजार लोग इस सिलसिले में इकट्ठा हुए थे । मान्यवर, जहां तक बकाये का सवाल है जो सरकारी चीनी मिल है उन पर 60 करोड़ रुपया बकाया है निजी जो मिल मालिक हैं उन पर 60 करोड़ बकाया है सहकारी क्षेत्र की मिलों पर 10 करोड़ रुपया बकाया है भारत सरकार की चीनी मिलों पर 22 करोड़ रुपया बकाया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है इसकी ? अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय किरन पाल जी बोल रहे थे । मान्यवर, जो व्यवस्था है निजी मिल मालिकों के भुगतान के लिये बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं ?

मान्यवर, एक गरीब किसान का बेटा जिस पर यदि 200 रुपये की शासकीय देनदारी है तो वह जेल के सीकचों में पड़ा रहता है । मान्यवर, यह एक विडम्बना है । मान्यवर, 22 करोड़ रुपया भारत सरकार के मिलों पर और 60 करोड़ रुपया यहां की सरकारी मिलों पर जो बकाया है तो उनकी गिरफ्तारी के भी वारन्ट जारी किये जायें ।

मान्यवर, नेता सदन बैठी हुई हैं । वे दलितों को किसानों को रिप्रेजेन्ट करती हैं, पश्चिम की भूमि से आई हैं, वे आज घोषणा करें कि कोई भी किसान का मिल मालिकों पर जो बकाया है और यदि उसका कोई सरकारी देय है तो उसकी उस पर्ची को सरकारी देनदारी में एडजेस्ट कर लिया जायेगा और दूसरे मिल मालिकों को भारत सरकार का जो नियम है, उसके तहत ब्याज देने के लिये बाध्य किया जायेगा । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में तीन घन्टे की चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं हमारे यहां के किसान परेशान हैं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन के फ्लोर पर आ गये और श्री जगदम्बिका पाल के प्रयास से अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद तिवारी जी अपने सदस्यों को वेल में आने से रोकें, माननीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है ग्राह्यता पर सुना जायेगा, अगर आज पूरा नहीं हो पायेगा तो कल भी सुना जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है ।

* श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के किसान गन्ना बकाये को लेकर त्रस्त हैं । पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने, जहां गन्ना मुख्य रूप से उपज के रूप में है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है । आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जो पूर्व सरकार श्री मुलायम सिंह यादव जी की, उनकी नीति से त्रस्त है । पूर्व सरकार ने जो गन्ना मिलों को बेचने का निर्णय लिया था वह ऐसा निर्णय था जिसकी जितनी निन्दा की जाये कम है । आज हमारे इधर के साथी जो चीनी मिलों को बेचने की निन्दा कर रहे हैं ये लोग कल तक श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का समर्थन कर रहे थे । उनके समर्थन से वह सरकार चल रही थी । आज गन्ना नीति को बदलने की बात है । पक्षपात पूर्ण रवैये से मुलायम सिंह यादव जी के सरकार के समय में जनपद रामपुर में टांडा में जो मिल स्वीकृत की गयी थी प्रदेश से प्रपोजल चला गया था दिल्ली से स्वीकृति हो गयी थी लेकिन केवल द्वेष भावना से लोकल राजनीति की भावना से उसे टांडा में तहसील स्वार से तहसील शाहाबाद में करने की जो कार्यवाही की गयी कृपया उसकी जांच कराने का कष्ट करें और उसे पूर्व स्वीकृत स्थान पर ही लगाये जाने की कार्यवाही की जाय । मान्यवर, आज पश्चिम का गन्ना किसान बहुत परेशान है गन्ना किसान अपना गन्ना सेन्टर में डालता है लेकिन उसका समय से भुगतान नहीं होता है । गन्ना बोने से लेकर गन्ना भुगतान तक उसका लगातार शोषण होता है । ऐसे अधिकारी हैं जो जिला स्तर पर गन्ना किसानों का शोषण होते देखते रहते हैं । ऐसे मामलों में जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के गन्ना किसान मूल्य भुगतान से चिंतित हैं । अभी कहा गया कि तत्कालीन सरकार का हम लोगों ने समर्थन किया था मिलों को बेचने में । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने ही माननीय उच्च न्यायालय में जाकर उसे स्थगित करा दिया था । माननीया नेता सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि जो कोआपरेटिव की, फेडरेशन की, कारपोरेशन की और प्राइवेट मिलें हैं, इन मिलों पर भुगतान के लिये एक समय सीमा निर्धारित की जाए, आज इसकी सदन में घोषणा की जाए । यह सरकार दलितों की, किसानों की और पिछड़ों की सरकार है । किसान, दलित, पिछड़ा जब इनका गन्ना मिलों में चला जाता है तो भुगतान के लिये उनको तमाम तरह से प्रताड़ित किया जाता है । मुझे आशा है कि आज सदन में गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में एक समय सीमा सुनिश्चित होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी में दो चीनी मिलें हैं मेरे क्षेत्र में बुढ़वल शूगर मिल है, जिसमें किसानों ने मुझे बताया कि उनके बकाये के भुगतान हेतु पैसा पहुंच गया है परन्तु अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पता नहीं क्यों उसका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है । वहां गन्ने की अच्छी उपज है । पूर्व सरकार ने उस चीनी मिल को नीलाम किया और वहां के किसानों ने उस पर तमाम प्रदर्शन और धरना दिया । और हाईकोर्ट से मुकदमा जीता । सरकार के माध्यम से चीनी मिल इस वर्ष चली और इस साल का बहुत अच्छा सीजन गया और उसके माध्यम से वहां के श्रमिकों का अतिरिक्त भुगतान होना भी सुनिश्चित हुआ । लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से वह सब कार्यवाही रुकी हुई है। विस्तारीकरण की पूर्व सरकार की योजना थी उसमें किसानों की जो जमीन ली गयी उसमें अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या तीन ले रहा हूं आपका भाषण बाद में होगा ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं किसानों का शोषण रोका जाए और दोषी लोगों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा को बधाइयां

श्री अधिष्ठाता–

श्री अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मंत्रीगण, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण तथा अन्य माननीय सदस्यगण । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज का दिन श्री अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नियत किया गया है । नियमानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 17 जुलाई, 1995 के मध्याह्न 12.00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिए थे । उक्त अवधि के भीतर जो वैध नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है :–

क्र०सं०	नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्थापक	समर्थक
1	2	3	4
1	श्री बी० आर० वर्मा	श्री हृदय नारायण दीक्षित	श्री कल्याण सिंह
2	श्री बी० आर० वर्मा	श्री किरन पाल सिंह	श्री प्रमोद तिवारी
3	श्री बी० आर० वर्मा	श्री प्रमोद तिवारी	श्री ऊदल
4	श्री बी० आर० वर्मा	श्री काशी सिंह ऐरी	श्री हृदय नारायण दीक्षित

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

1	2	3	4
5	श्री बी० आर० वर्मा	श्री जगदम्बिका पाल	श्री रणजीत सिंह जूदेव
6	श्री बी० आर० वर्मा	श्री राम अचल राजभर	श्री धामूराम भास्कर
7	श्री बी० आर० वर्मा	श्री इश्तियाक अंसारी	श्री राम सजीवन निर्मल
8	श्री बी० आर० वर्मा	श्री ऊदल	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

उक्त सभी आठों नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है । अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (3) (क) के अनुसार इस निर्वाचन के लिये औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं माननीय श्री बी० आर० वर्मा को अध्यक्ष पद के लिये सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं । मैं माननीय श्री बी० आर० वर्मा को सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने पर बधाई देता हूं । आशा है वह अपने व्यवहार एवं कार्यकलाप से अध्यक्ष पद की गरिमा बनाये रखेंगे तथा उसकी श्रीवृद्धि भी करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा का जन्म प्रदेश के आजमगढ़ जिले के टण्डवा–खानपुर गांव में पिछड़ी जाति के एक कृषक परिवार में 14 सितम्बर, 1957 को हुआ था । आपके पिता जी का नाम श्री बैजनाथ वर्मा है। राज्य के पूर्वांचल के अविकसित क्षेत्र में जन्म लेकर आपने स्थानीय विद्यालयों से आरम्भिक शिक्षा प्राप्त कर बी० एस-सी० और एल-एल० बी० की उच्च शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की । अध्ययन काल में आपने प्रत्येक स्तर पर अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया ।

राजनीतिक और सामाजिक सेवा से आप छात्र जीवन से ही जुड़ गये थे । समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के प्रति हो रहे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक चेतना और संकल्प लेकर उनकी सेवा के लिये पटेल मेमोरियल क्लब, बी० एच० यू०, 1977 से 82 तक लोकतांत्रिक युवा समाज, सरदार पटेल स्मारक परिषद्, आजमगढ़ को अपना योगदान दिया और उनके संस्थापक सदस्यों में रहे । सेवा की इसी भावना को लेकर आपने बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में प्रदेश और देश की सेवा करने के लिये माननीय श्री कांशीराम जी से प्रभावित होकर पार्टी का काम करना आरम्भ किया । वर्ष 1986 से आप पार्टी के महासचिव रहे । बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर साहित्य का आपने गहन अध्ययन किया । उनके विचार और उद्देश्य जन-जन तक पहुंचाने के लिये सदैव क्रियाशील रहे और आज भी उसी के प्रति समर्पित हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा० सर्वप्रथम मई-जून, 1991 के मध्यावधि निर्वाचन में आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए । दूसरी बार उसी क्षेत्र और उसी दल से 1993 में सगड़ी की जनता ने आपको पुनः निर्वाचित किया । वर्ष 1991-92 में आप विधान सभा की लोक लेखा समिति के सदस्य थे और वर्तमान विधान सभा में आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रह चुके हैं ।

दो पुत्रियां और एक पुत्र के पिता श्री बी० आर० वर्मा का विवाह श्रीमती प्रभावती से हुआ । व्यवसाय से आप वकील रहे हैं । अध्ययन आपका प्रिय शौक है । बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर द्वारा लिखे गये और उन पर लिखे गये अन्य लेखकों के साहित्य तथा संसदीय और असंवैधानिक विषयों

के अध्ययन में आपकी विशेष रुचि है। अब मैं माननीय सुश्री मायावती जी, नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव जी एवं अन्य दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि माननीय बी० आर० वर्मा को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करें।

श्री मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं, कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है इसलिये माननीय प्रमोद तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय बी० आर० वर्मा को लाकर अध्यक्ष आसन पर बिठावें।

(नेता सदन सुश्री मायावती एवं नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी ने माननीय बी० आर० वर्मा को अध्यक्ष आसन पर बैठाया, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाकर निर्विरोध निर्वाचित माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया)

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा अध्यक्ष पीठ पर आसीन हुए)

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष के पद पर आपके निर्विरोध निर्वाचन पर मैं आपको बधाई देती हूं तथा माननीय सदन के उन सभी नेताओं और सदस्यों के प्रति भी अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने इस गरिमामय पीठ के लिये आपको निर्विरोध चुनने में अपना महान योगदान दिया है। अन्त में मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सदन के संचालन में मेरा दल और शासकीय पक्ष पूरा-पूरा सहयोग देगा और इस आशा के साथ आपकी अध्यक्षता में इस सदन की मर्यादायें फलेंगी–फूलेंगी। इसी विश्वास के साथ मैं आपको पुनः बधाई देती हूं और आपका अभिनन्दन करती हूं। मान्यवर, आपकी इजाजत से आज मैं सदन के बीच में मुसलमानों के आरक्षण के बारे में भी अपनी सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहूंगी। मैं यह समझती हूं कि विभिन्न पार्टियों के नेतागण.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, इस प्रकरण के बाद आप इसे लें।

सुश्री मायावती–

आपको बधाई देंगे। उसके बाद आपकी इजाजत से मुसलमानों के आरक्षण के बारे में अपनी सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहूंगी।

(प्रतिपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

* श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन मेरी दृष्टि से बड़ा गौरव का दिन है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़े प्रदेश के इस सम्मानित विधान सभा की अध्यक्ष पीठ पर आपका सर्वसम्मति से निर्वाचित होना, एक अच्छा संदेश पूरे देश में देगा। श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि आपकी

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निष्पक्षता, आपकी न्यायप्रियता और आपकी निर्भीकता तथा जन जीवन से जुड़े हुए सवालों तथा समस्याओं पर आपकी एक अच्छी व्यवस्था निश्चित तौर पर संसदीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी । वैसे भी आपके ऊपर एक गुरुत्तर दायित्व है । दुर्भाग्य से पिछले कुछ काल खण्ड में इस सम्मानित अध्यक्ष पीठ की गरिमा गिरायी गयी । पूरे देश में इस अध्यक्ष पीठ को मखौल जैसा बनाया गया । पूरा देश यह जानकर परेशान रहा कि उत्तर प्रदेश जिसने देश को दिशा दी है और देश को नेतृत्व प्रदान किया है और जिस विधान सभा में राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी जैसे राजर्षि अध्यक्ष पीठ पर बैठे, माननीय खेर साहब बैठे, माननीय अग्रवाल जी बैठे, माननीय प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी बैठे, केशरी नाथ त्रिपाठी जी जैसे मनीषि बैठे, माननीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी बैठे, इन सब लोगों ने अध्यक्ष पीठ की गरिमा को बहुत ऊंचा उठाया था, किन्हीं कारणों से कुछ काल खण्ड में इस पीठ की गरिमा को गिराया गया, इसलिये भी आपके ऊपर एक और गुरूत्तर दायित्व आ जाता है कि दुनिया के सामने आ जाय कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पीठ की गरिमा बहुत ऊंची है, बड़ी धवल है और बड़ी उज्वल है। मुझे विश्वास है कि आप उसकी गरिमा पर और चार चांद लगाने में सफल होंगे । आज आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं । आपको पूरे सदन का विश्वास प्राप्त हुआ है । अब आप किसी पक्ष के व्यक्ति नहीं रह गये हैं अपितु आप पूरे सदन के अध्यक्ष हैं और इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के अधिकारों के आप संरक्षक भी हैं । यहां पर संवैधानिक व नियमावली की बातें उठेंगी । उस समय हम में से प्रत्येक माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपकी ओर देखेगा । मुझे विश्वास है कि आपका संरक्षण प्रत्येक माननीय सदस्य को प्राप्त होगा । उस पीठ पर बैठने के पश्चात् व्यक्ति का जो दलगत सम्बन्ध होता है, वह भी एक किनारे पड़ जाता है । अब इस अध्यक्ष पीठ पर बैठने के बाद आप सदन के अध्यक्ष हैं और इस नाते से पूरे सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी व्यवस्थायें आयेंगी ऐसा मुझे विश्वास है । इस सदन के सफल संचालन के लिये नियमों के अन्तर्गत रहते हुए, अनुशासन के अनुसार काम करने में मैं और मेरी पार्टी आपका पूरा-पूरा सहयोग करेगी ।

एक बात कह कर मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं । यह वह आसन है जिस पर [illegible] पुरुषोत्तम दास बैठे हैं जिन्होंने कह दिया था कि जिस दिन एक भी सदस्य मेरे प्रति अविश्वास [illegible] देगा, मैं उसी समय इस आसन पर नहीं रहूंगा । एक बार ऐसा हुआ कि एक माननीय सदस्य ने [illegible] इतना कह दिया था कि आपकी व्यवस्था जो है वह पक्षपातपूर्ण है इतना सुनना था कि वह आसन छोड़ कर चले गये और कहा कि अब मेरे इस आसन पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है । जब बड़ी मिन्नतें की गयीं, खेद व्यक्त किया और सभी दलों के लोगों ने कहा तब जाकर उन्होंने आसन ग्रहण किया । तो यह वह आसन है जिसकी गरिमा इस सीमा तक जा चुकी है । आप भी उसी प्रकार की निष्पक्षता और न्याय प्रियता के द्वारा इस [illegible]न की गरिमा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे । मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन के सफल संचालन के लिये हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा ।

* श्री प्रमोद तिवारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस पद पर निर्वाचन के लिये मैं आपको बधाई देता हूं और आपके साथ-साथ सम्पूर्ण सदन को बधाई देता हूं विशेषकर नेता सदन और अन्य विरोधी दलों के नेताओं को जिन्होंने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पीठ पर आपको आसीन कराया। इस सदन की गौरवशाली परम्परा रही है और उसमें एक कड़ी आज और जुड़ी है। आपको एक विशेष बात के लिये बधाई दे रहा हूं क्योंकि यह भारतवर्ष ही नहीं अन्य देशों के किसी भी प्रदेश की विधान सभाओं का सबसे बड़ा सदन है। तो आप देश के सबसे बड़े प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष हैं इसलिये आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इसलिये भी आप बधाई के पात्र हैं कि इतनी कम आयु के युवा अध्यक्ष के रूप में आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा के इस गरिमाशाली पीठ पर बैठने वाले पहले व्यक्ति हैं। लेकिन इसी के साथ एक चुनौती भी आपके सामने है और कसौटी पर भी आप हैं कि क्या युवा अध्यक्ष निष्पक्षता के साथ न्यायशील बन कर कार्य कर सकेंगे यह आने वाला समय बतायेगा और यह बात सदियों तक जब तक लोकतंत्र का इतिहास रहेगा आपको सम्मान के साथ याद किया जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप निष्पक्षतापूर्वक सदन का संचालन करेंगे इसकी शुभकामना मैं करता हूं। आपके जीवन पर जब नजर डालें तो एक बात खुलकर सामने आती है। आपने विज्ञान के स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उसी के साथ कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वैज्ञानिक हर चीज को वास्तविकता के धरातल पर रख कर सोचता है और लॉ-ग्रेजुएट उसके वैधानिक पक्ष को देखता है तो आप में इन दोनों का संगम है। काशी विश्वविद्यालय जैसे सर्वोच्च विश्वविद्यालय से डिग्रियां प्राप्त करने का जो गौरव आपको मिला है उसका अनुभव आपको इस सदन में निष्पक्ष संचालन में काम आयेगा यह मैं कामना करता हूं।

मुझे मालूम है कि आपने शैक्षिक जीवन में किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त नहीं की है सदैव प्रथम श्रेणी में आप रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि यह भी आपकी परीक्षा है। जैसे आपने हाई स्कूल, इण्टर और बी० एस-सी० प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है उसी प्रकार इस परीक्षा में भी प्रथम उत्तीर्ण हों इसके लिये मैं आपको शुभकामनायें अर्पित करता हूं। मान्यवर, अब मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि काशी विश्वविद्यालय में आपने लोकतांत्रिक मोर्चा की स्थापना किया था जब आप छात्र थे तो लोकतांत्रिक मूल्यों की सजगता आपमें छात्र जीवन से रही है। लेकिन आज लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है। मान्यवर, 19 तारीख को जिन परिस्थितियों में, उस दिन ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के राजनैतिक, संसदीय मर्यादाओं पर कलंक का टीका लग जाएगा किन्तु सम्पूर्ण सदन ने आपको चुनकर उस अध्यक्ष की पीठ पर बिठाया और आपने जिस कुशलता से सदन का संचालन किया उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसा करते रहें। मान्यवर, 19 तारीख की घटना ऐसी है जिस पर लोकतंत्र पर विषवमन हुआ और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसे समय आपको उस पीठ पर बिठाया गया और आप द्वारा कहे गये एक-एक वाक्य जब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब तक नजीर होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसलिये आप भविष्य में ऐसी नजीर न दें कि वह कड़ुवाहट से याद की जाए बल्कि आशा है कि आप ऐसी नजीर देंगे जो लोग श्रद्धा से याद करेंगे। मान्यवर, सौभाग्य से आप ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सदन का सबसे बड़ा दल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम विरोधी दल के लोगों ने इस परम्परा को निभाया है कि जो दल सरकार चलाये उसी दल का सदस्य अध्यक्ष चुना जाए और इसीलिये हम लोगों ने आपका समर्थन किया। लेकिन आपका भी कर्तव्य है, चूंकि अब आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं बल्कि सम्पूर्ण सदन के अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं। इसलिये विरोधी दलों के हितों की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ शासकीय कार्य पूरे हों यह भी आपको देखना है किन्तु विरोधी पक्ष की आवाज सुनी जाए, यह आपकी पहली जिम्मेदारी है।

मान्यवर, मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, विधान सभा अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि आंखें तो विरोध पक्ष की ओर होनी चाहिए लेकिन कान शासन पक्ष की ओर रहने चाहिए। इसलिये आपकी आंखें तो हमारी ओर रहें लेकिन कान उधर रहें और बीच में यह जो भाजपा के लोग बैठे हैं उनकी तरफ आपकी न आंखें रहें और न कान ही रहें नहीं तो वह लोग आपको बरगला देंगे। इसलिये आपके कान शासन पक्ष की ओर और आपकी आंखें कांग्रेस, जनता दल, निर्दलीय दलों के नेताओं की ओर रखें और बीच में बैठे श्री कल्याण सिंह की ओर न आंखें रखें और न कान नहीं तो जिस तरह पुराने। [× × ×]

मान्यवर, आपके पहले के अध्यक्ष ने एक बार कुछ कहा था जिसके आप भी गवाह हैं, उस समय कहा था कि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिससे गुस्सा नहीं आता है लेकिन वह जिस डाक्टर की दवा खाते थे उससे सदन का इतिहास ही बदल गया इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डाक्टर और दवा दोनों ही बदल दें जिससे हरदम मुस्कराते रहें।

मान्यवर, दूसरा आपसे आग्रह है कि मार्शल से आप कहें कि आपकी कुर्सी कुछ इधर मोड़कर कर दें जिससे आपका पूरा ध्यान विरोध पक्ष की ओर रहे आप अपना कार्य अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। तभी आप अपना कर्तव्य पालन सही ढंग से कर पाएंगे मान्यवर, आपको सदन की गौरवशाली परम्पराओं और इतिहास की रचना में लोकतंत्र की रक्षा की भूमिका का निर्वहन करने के लिए कांग्रेस विधान मंडल दल का पूरा-पूरा और सशक्त सहयोग मिलेगा इस बात का आज मैं आपको पूरे सदन में विश्वास दिलाता हूं। साथ ही आपसे फिर एक आग्रह करूंगा कि आप जितने दिनों तक इस कुर्सी पर बैठें यशस्वी आपका कार्यकाल हो–आप ऐसे गौरवशाली इतिहास और आदर्श की रक्षा करें, कि जिससे आम लोग गर्व से कह सकें कि इस गरिमामय पद पर एक युवा ने बैठकर एक नया इतिहास रचा है। मैं आपको अपने सहयोग का आश्वासन देते हुए और पुनः बधाई देते हुए आपके प्रति अपनी और अपने दल की ओर से शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आया कि इनके द्वारा आपको बधाई दी गई या चेतावनी दी गई। अब तक की इस सदन की यह परम्परा रही कि इस पद पर आसीन होने वाले अध्यक्ष को बधाई ही दी गई है, कदापि चेतावनियां नहीं दी गई हैं। अपने भाषण में आपने जो भाषा प्रयोग की है, वह उस पीठ के प्रति चेतावनी के अलावा कुछ नहीं है और उसे हमें सुनते अच्छा नहीं लगा है, आपको चाहे जैसा लगा हो। मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि पहली बार जो आज उस पीठ पर बैठा है, उसे केवल बधाइयां और शुभ कामनाएं ही दी जाएं, चेतावनियां इस प्रकार से न दी जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो इधर से कहा गया कि चेतावनियां दी गईं, तो मान्यवर, इसे कार्यवाही का हिस्सा न बनाएं

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

और चेतावनी क्या होती हैं "व्यवधान"

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि पूरे सदन से इस बात को पास कर दिया जाना चाहिए कि प्रमोद तिवारी जी ने जिस मानसिकता का परिचय दिया है, वह विदूषक की संज्ञा उनको इस सदन के द्वारा दी जानी चाहिए। (हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं अपनी बात कह दूं..... (व्यवधान) यह बीच में बैठे। × × × ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके सर्वसम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मान्यवर, आप इस गौरवशाली पद पर बैठे हैं, जिस पर इस प्रदेश के महापुरुषों ने बैठकर इस सदन का संचालन किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उन महापुरुषों की जीवन शैली से, उन पुरखों के ज्ञान से और उन पुरखों के व्यक्तित्व से आप शिक्षा ग्रहण कर सदन का संचालन करेंगे। आप मान्यवर, निर्विरोध चुने गये हैं, बड़ी विषम परिस्थिति में आपने इस पद को संभाला है। मान्यवर, आपको इस सरकार, जो नवगठित है उसके विधायी कार्यों को पूरा कराने में सहयोग करना है और विरोध पक्ष तमाम जन समस्याओं को लेकर जो इस सदन में अपनी बात रखेगा, उस पर भी पूरा ध्यान देना है। उनका भी विशेष ध्यान देना है। मान्यवर, आपसे यह बड़ी आशा है और देखना है पिछले कुछ दिनों से जब आप कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इस सदन का संचालन कर रहे थे, तो विश्वास जगा है कि आप अपने कुशल नेतृत्व से, अपनी कुशलता से तथा आप अपने ज्ञान से विवेक से इस सदन का बखूबी संचालन करेंगे। जो जिसका हक है, वह उसको मिलना चाहिए। जो इस सदन की परम्परा रही है वह कायम रहनी चाहिए। मान्यवर, आपको नियमावली के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– । × × × । यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत इस सदन को चलाना है। इससे भी ऊपर आपका विवेक होता है। आपका विवेक इस सदन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। नियम कानून और संविधान के अनुसार इस सदन की कार्यवाही चलायेंगे जिससे सदन के संचालन की कार्यवाही में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस सदन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से आपको इस सदन के संचालन में पूरा-पूरा सहयोग दिया जायेगा।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपको अधिष्ठाता की हैसियत से बधाई दे चुका हूं लेकिन पार्टी की हैसियत से बधाई देना चाहता हूं। सन् 57 से लेकर आज तक जितने माननीय अध्यक्ष हुए हैं, सबको मैं जानता हूं और तब से आपकी कृपा से इस माननीय विधान सभा का सदस्य रहा हूं। यह जो अध्यक्ष का पद है, यह बहुत ऊंचा पद होता है और इस पद की गरिमा और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसकी गरिमा सर्वोपरि है। हमारा सदन या दुनिया के जितने सदन हों लोकतंत्र के एक मंदिर के रूप में हैं। वाद-विवाद विवेक तक और तर्कों के आधार पर ही लोगों को अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने की छूट है और लोग कहते हैं। जितने माननीय अध्यक्ष हुए सभी ने इस अध्यक्ष पद की, इस कुर्सी की गरिमा को बहुत ही ऊंचा उठाया है सिर्फ एक ही माननीय अध्यक्ष हुए जिनके बारे में माननीय नेताओं ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इनके अलावा जितने भी अध्यक्ष हुए उन्होंने इस पद की गरिमा को, मर्यादा को सदन की गरिमा को सबसे ऊंचा उठाया। यह हमारा उत्तर प्रदेश अगर देखा जाय तो दुनिया में जितने देश हैं उनकी आबादी के हिसाब से यह दुनिया में आठवें देश के रूप में है। अगर अलग होता तो आठवें देश की मान्यता न मिलती। इतने बड़े प्रदेश की विधान सभा का अध्यक्ष होना मामूली गौरव की बात नहीं है। बहुत बड़े गौरव की बात है और उसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष होना और भी गौरव की बात है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके पीछे वर्मा लगा है माननीय सदस्य कहते हैं धनीराम वर्मा, राम आसरे वर्मा और बी० आर० वर्मा, तो वर्मा लोगों के प्रति बड़ी आशंकायें होती हैं। मैं जाति में विश्वास नहीं करता हूं इसलिए मैं अपने नाम के आगे लगाता भी नहीं हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने पिछले दिनों मैंने देखा जो बैठकर जोर से बोलते थे कि "वर्मा" शब्द लगा है तो इसका असर है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप "वर्मा" शब्द की भी गरिमा उस कुर्सी पर बैठकर बनायें किसी को यह कहने का मौका आप न दें कि वर्मा के साथ ऐसी बातें जुड़ी हैं और सभी वर्मा ऐसे होते हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे कष्ट होता है आप बुलाते हैं मैं खड़ा होने के बाद बैठ जाता हूं। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा आपकी निगाह इस तरफ होना चाहिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं सदन की गरिमा को बचाने में और गरिमा को ऊंचा उठाने में प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार और कर्तव्य है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारी नियमावली और संविधान बहुत उच्च स्तर का है और इसके अन्तर्गत हमें काम करना है। हमारी जो परम्परायें हैं वह परम्परायें आपके विवेक के ऊपर हैं। परम्परायें कायम करना अच्छी बात है। आपकी कुर्सी पर बैठकर जो परम्परा कायम हो सकती है हमारी नियमावली, संविधान और अच्छी परम्परा यह तीनों का मेल होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने विवेक से अच्छी परम्पराओं को डालेंगे। आप माननीय सदन की गरिमा उस कुर्सी की गरिमा और अध्यक्ष पीठ की गरिमा को आगे बढ़ायेंगे। माननीय सदस्य चाहे किसी पार्टी के बैठें विरोध पक्ष में बैठें चाहे अकेले माननीय सदस्य हों, कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि आप अकेले हैं अरे अकेले हैं तो क्या हमारा माननीय सदन में अधिकार नहीं है विचारधारा अपनी है और अधिकार भी अपना है माननीय सदन में हैं तो हमारे अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं इसलिये मैं चाहता हूं आपके संरक्षण में, माननीय सदस्यों को तो सुनना नहीं होता है, आपके द्वारा तो सबको बराबर का संरक्षण मिलेगा विरोधी दल के लोगों को और ज्यादा कहने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनायें प्रकट करना चाहता हूं और निर्विरोध चुने जाने के लिये आपको बधाई देता हूं।

श्री इन्द्रजीत सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा के गौरवशाली पद पर आपके निर्विरोध निर्वाचन पर अपनी तरफ से अपने सम्मानित साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप निष्पक्षता, निर्भीकता एवं समान व्यवहार से हम सभी साथियों को भी आप सदन में बोलने का अवसर देंगे। इसके पूर्व इस कुर्सी पर बहुत से लोगों ने अपने उत्तरदायित्व को सम्भाला है। यह पहला अवसर है कि हमारे किसी नौजवान साथी को इस पद पर बैठने का अवसर मिला है। मैं चाहूंगा यह सदन में हमारे सभी वरिष्ठ साथी हम नये सदस्यों की उपेक्षा करते हैं और बोलने का कम अवसर देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। आप जब भी इस कुर्सी पर रहे हैं आपने हम लोगों को अवसर दिया है इसके लिये हम आभारी हैं और विश्वास दिलाता हूं कि हम अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से इस सदन को चलाने में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके इस उत्तर प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिये महिला विधायकों की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनन्दन करती हूं और आपसे उम्मीद करती हूं कि आप महिलाओं को भी सदन में बराबर बोलने का मौका देंगे।

श्री इरशाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस तारीखी मौके पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की कानूनसाज़ एसेम्बली में सबसे आला और सबसे बड़ी एसेम्बली उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बिना मुकाबले इन्तखाब होना अपने आप में तारीखी कारनामा है। इस तारीखी कारनामे और इस तारीखी मौके पर मैं पूरे अवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके अलावा मुझे इस बात का गर्व और फख्र महसूस हो रहा है कि जिस सरजमीं से आपका ताल्लूक है वह एक तारीखी सरजमी धरती है। मुझे गर्व है कि मैं आजमगढ़ आपके पड़ोसी कांस्टीटुएन्सी का हूं। आपने हमेशा से

गरीब लोगों की मदद की है । इस तारीखी मौके पर ऐवान के इज्जतमाव सदर को मुवारकवाद पेश करता हूं । मुझे यकीन है कि आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश की अजीम रवायात और जम्हूरियत की खिदमत के लिये इस सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ कर आप तारीखी कारनामा अंजाम देंगे और जम्हूरियत के मुहाफिज़ बनकर जम्हूरियत की हिफाजत करने वालों की तारीख में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लेंगे, इसका मुझे यकीन है । मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं और मुवारकवाद पेश करना चाहता हूं कि आप इस तारीखी मौके पर इस ऐवान की रवायात को आगे बढ़ाने का फरीजा अन्जाम देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस ऐतिहासिक और तवारीखी सदन में आपके सर्वसम्मति से चुने जाने पर सभी दल के माननीय नेताओं और कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो बधाई दी है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए बधाई देना हूं । मुझे तो वह अवसर याद आता है जिस समय आप इस पीठ पर 10 तारीख को विराजमान हुए थे वह दुखपूर्ण घड़ी थी । सभी माननीय सदस्यों के मन में जिज्ञासा थी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिसकी सरकार है कौन सदस्य उस गौरवमयी पीठ पर आसीन होगा । श्रीमन्, आपके एक सदस्य के रूप में जिस तरह से आपकी संसदीय परम्पराओं में या संसदीय कार्यों में अभिरुचि रही है उसको देखते हुए आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, सभी पार्टियों के सदस्यों के मन में यह था कि जब भी आपके दल की तरफ से इस पीठ के लिये कोई नाम प्रस्तावित होगा तो माननीय बी० आर० वर्मा का ही नाम होगा, यह हम सबके मन में धारणा थी और उसी के अनुरूप आपके दल ने फैसला लिया जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के मन में आपके प्रति आस्था और विश्वास कायम था कि आप इस पीठ के स्तर और इस पीठ की गरिमा के अनुसार इस सदन का संचालन करेंगे । भविष्य में इस पीठ से सदन का संचालन करने के लिये संविधान के अनुच्छेद, नियमावली, नियमों के अनुसार और पुरानी परम्पराओं के अनुसार, आप इस सदन का संचालन करेंगे । मेरी शुभकामना है कि इस सदन का संचालन आप पुराने नियमों, पुराने अनुच्छेदों और पुरानी परम्पराओं और पूर्व अध्यक्षों के निर्णयों के आधार पर करेंगे वहीं पर आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिनसे भविष्य में आने वाले उत्तराधिकारी अपना मार्गदर्शन करेंगे और उनको अंगीकार करेंगे । हमारे तमाम माननीय सदस्य आपको बधाई देते हैं । इस सदन में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, केशरी नाथ त्रिपाठी जैसे लोगों ने ऐसे मापदंड स्थापित किये हैं और ऐसे फैसले दिये है जो टार्च की तरह हैं और न केवल इस सदन में बल्कि देश और दुनियां के लिये आदर्श हैं और आगे आने वाले दिनों के लिये वह एक नजीर हैं । इस गरिमामयी पद पर आप विराजमान हुए हैं आपको हम बधाई और शुभकामनायें देते हैं कि भविष्य में आप इस सदन का संचालन गरिमामयी ढंग से करेंगे और कुछ ऐतिहासिक और गौरवशाली निर्णयों से इस सदन की गरिमा को और ऊंचा ले जायेंगे । धन्यवाद ।

* श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, इस गरिमामयी पद पर आपके निर्विरोध निर्वाचित होने पर मैं उत्तराखंड के समस्त विधायकों की तरफ से, वहां की जनता की तरफ से आपको बधाई देता हूं और शुभकामनायें अर्पित करता हूं । मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र उत्तराखण्ड जो देश को पानी देता है, पूरे देश को सिंचाई की सुविधायें देता है, पेयजल उपलब्ध कराता है और उद्योग धंधों की सहायता करता है और हिमालय जो इस देश का मुकुट है उस क्षेत्र की समस्याओं को जब लेकर हम यहां आते हैं तो अक्सर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ऐसा होता रहा है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती रही है। पिछले दिनों जब इस माननीय सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा उत्तराखण्ड राज्य बनाने का तो उस पर भी हमारी बात को नहीं सुना गया और केवल एक राजनीतिक खेल खेला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, हिमालय रहेगा तो पूरा देश रहेगा और पूरा प्रदेश रहेगा। आप इस सदन में अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए हैं, मैं संरक्षण चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पद की गौरवमयी परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे क्योंकि बहुत नीचे उतर आयी हैं यह परम्पराएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परम्परा को आप आगे बढ़ायेंगे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की तरह उस कुर्सी पर बैठकर सभी सदस्यों को संरक्षण देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों की ओर से आपको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज मुझे इस सदन के सर्वोच्च पीठ पर निर्विरोध चुने जाने के अवसर पर जो हार्दिक बधाई नेता सदन, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता जनता दल, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अभिव्यक्त किया है मैं उसके लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस गरिमामय कुर्सी पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महापुरुष बैठे हैं जो दूसरे अन्य महापुरुष बैठे हैं जिनका लम्बा संसदीय इतिहास रहा है, लम्बा संसदीय ज्ञान रहा है, इस कुर्सी पर मेरे जैसा अल्पज्ञ शायद कभी नहीं बैठा है जिसको कम संसदीय अनुभव हो परन्तु मेरे पूर्व महापुरुषों ने इस कुर्सी पर बैठकर जो अनुकरणीय और सुयोग्य पथ प्रदर्शन किया है वह मेरे लिये पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा, वह मेरे लिये आदेश होगा।

(मेजों की थपथपाहट)

आप सभी आदरणीय सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए सम्बल होगा जिससे मैं बैठकर इस गरिमामय कुर्सी की मर्यादाओं की रक्षा कर सकूं। वह आपका प्यार, मोहब्बत व स्नेह का सम्बल मेरे लिये मार्गदर्शक व पथप्रदर्शक का कार्य करेगा। इन शब्दों के साथ सभी दलों के नेताओं, माननीय सदस्यगणों ने जिस भावना को अभिव्यक्त किया है उसी उम्मीद और उसी भावना के अनुरूप मैं कर सकूं यह भी कृत्य से ही प्रदर्शित होगा, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में मैं एक लोभ जो मेरे दिल में है उसको ऐसे मौके पर जरूर अभिव्यक्त करना चाहता हूं उसको मैं अपने सभी वरिष्ठ नेतागणों, सभी वरिष्ठ सदस्यगणों से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि नये माननीय सदस्यों के मेरे दिल में एक लोभ है उस लोभ के वहन यदि मैं उनको कुछ ज्यादा समय दे दूं तो उसको कदाचित आप पक्षपात मत समझियेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी आदरणीय सदस्यों का प्यार, स्नेह, और आशीर्वाद मिलेगा सदन के संचालन में। एक बार पुनः आप सभी आदरणीय सदस्यगणों के प्रति हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया होने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नेता सदन आरक्षण पर बोलना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

यह उस समय मंत्रियों का वक्तव्य जब आता है। गन्ना किसानों के बकाये के संदर्भ में औचित्य के प्रश्न पर अभी जब अधिष्ठाता जी बैठे थे, तो उन्होंने इसे कान्टीन्यू किया है, तो मैं इसे कान्टीन्यू करता हूं।

अभी इस पर श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा जी बोल रही थीं, अगर वह कुछ कहना चाहें तो कहें।

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा के न खड़े होने पर)

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के संबंध में बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, प्रदेश में गन्ना किसानों को उनके बकाये की वसूली बड़ी अहम समस्या है। प्रदेश सरकार पर 154 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। सरकारी चीनी मिलों पर 92 करोड़ रुपया बकाया है और निजी चीनी मिलों पर 52 करोड़ रुपया बकाया है। इस कारण गन्ना किसान के सामने बड़ी भारी समस्या है। इस समय गन्ना किसान को पैसे की बड़ी जरूरत है, उसको बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है, उनको किताबें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है। गरीब गन्ना किसानों को अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसे की आवश्यता है। पैसे के बिना उनको अपनी लड़की की शादी कर पाना कठिन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको तत्काल भुगतान किया जाये। हमारे यहां पर नवाबगंज चीनी मिल है। वहां का मजदूर भूखों मर रहा है और उसको गन्ने का पुराना भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस कारण वहां पर काफी जनाक्रोश है। बभनान शुगर मिल का गन्दा पानी बभनी महरागौरा, मानपुर ढड़हुआ आदि गांवों में फैल गया है, इस कारण वहां के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस को भी दूर किया जाना चाहिए और प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा दिखायी जानी चाहिए और मिल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, मान्यवर, सरकार नवाबगंज शुगर मिल को बेचने की साजिश कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलें, यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री राम विशुन आजाद–

गन्ना कृषकों की आर० सी० कट रही है जिससे किसान बहुत परेशान है और अगर उनको तत्काल भुगतान न किया गया, तो उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको तत्काल भुगतान कराया जाये।

* श्री ऊदल–

इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों के विचार आ चुके हैं। इसकी ग्राह्यता इसीलिये हो जाती है कि पिछले सत्र में गन्ना किसानों का रुपया चीनी मिलों पर डेढ़ अरब रुपये बकाया था, उसके भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। गन्ना किसानों के रुपये का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अक्तूबर से मिलें चलने लगेंगी और जो बकाया है उसके भुगतान की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, चाहे जैसे हो सरकार को भुगतान की व्यवस्था करना चाहिए। गन्ना किसानों का जो बकाया है वह मय सूद के भुगतान किया जाना चाहिए। मान्यवर, अगर इसको आप ग्राह्य नहीं करते हैं तो सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार मय सूद के जल्दी से जल्दी भुगतान करा दे, यही इसकी ग्राह्यता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, गन्ना किसानों के बकाये की बात चल रही है, पूरे देश में सर्वाधिक चीनी मिल देवरिया जनपद में हैं, 14 चीनी मिल हैं। देवरिया, पड़रौना जनपदों का 63 करोड़ रु० बकाया है। एक ओर तो उनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है तो दूसरी ओर जो उनके कर्जे हैं उसके लिये जबरिया उनको तहसील में बन्द किया जा रहा है। इस वर्ष 198 करोड़ रु० मूल्य के 347 लाख कुन्टल की पेराई की गयी है और पिछले साल देवरिया और पड़रौना में एक कुन्टल से ज्यादा पेराई की गयी है। लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। देवरिया में 5 निगम की चीनी मिलें हैं उन पर जो बकाया है उसके भुगतान की व्यवस्था की जाय। 1 लाख 75 हजार किसानों की कम्प्यूटर में फीडिंग नहीं की गयी है पर्चियां नहीं दी गयी थीं। पर्चियों को बड़े पैमाने पर बेचा गया और बड़ी गड़बड़ी की गयी है। पिछले मुख्य मंत्री जी पडरौना में गये थे तब यह कहा गया था कि किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है पचियां नहीं दी गयी हैं उनकी जांच करायी जायेगी। परन्तु अभी तक उस मामले में कोई जांच नहीं करायी गयी है। आगे पुनः सर्वे हो रहा है। देवरिया और पडरौना के किसान पर्चियों की गड़बड़ी के चलते परेशान न हो इसको देखा जाय। पिछली गड़बडियां और जो घोटाले हैं उनकी जांच करायी जाय और उनके लिये कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए देवरिया के किसानों का भुगतान कराया जाय।

* श्री स्वयंवर चौधरी–

वैसे तो पूरे प्रदेश में यह समस्या है। जो अन्य माननीय नेतागण ने बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। सिद्धार्थ नगर में हमारी कोई चीनी मिल नहीं है। न वहां कोई ऐसी समिति है जिससे सम्बद्ध होकर गन्ना किसानों की समस्या हल करायी जाय। जो वहां का गन्ना है या तो उसको बस्ती की मिल पर गन्ना लगाना पड़ता है या बलरामपुर अथवा तुलसीपुर में गन्ना ले जाना पड़ता है। और, जब उसके भुगतान का मामला आता है, तो इस साल से यह प्राविधान किया गया कि गन्ना किसानों का भुगतान मिल गेट पर होगा, मिल गेट पर उन किसानों को बुलाया जाता है। 3-3 दिन तक हमारे सिद्धार्थनगर के गन्ना किसान मिल गेट पर बैठे रहे उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया। जो हमारे यहां एक सिद्धार्थनगर जनपद में लगाने के लिए वर्ष 1990-91 से प्रस्तावित है उस मिल को सिद्धार्थनगर जनपद में लगवाकर गन्ना किसानों की समस्या को हल कराने की व्यवस्था की जाय।

*श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, गन्ना किसानों का गन्ने का मूल्य सरकारी चीनी मिलों में और गैर सरकारी चीनी मिलों में बकाया है। काफी दिनों से दुर्व्यवस्था के चलते लोगों को उनके बकाया का भुगतान नहीं मिला। आज प्रदेश में तमाम बकाया धनराशि जो सोसाइटी की है या मालगुजारी की हो या अन्य कोई बकाया है उसके लिये जिलों में छापे डलवाये जा रहे हैं लोगों को जेलों में बन्द किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे क्षेत्र में औराई चीनी मिल है। इस विधान सभा में पिछले सदन में हमने इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था जिसमें शासन से वक्तव्य भी हुआ था। आज जो घाटे का स्वरूप दिखाया जा रहा है चीनी मिलों में, गन्ना विकास के लिये कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है जो भी वहां पर प्रबन्धक जाते हैं या तो कोई चीफ इंजीनियर हो जाते हैं या कोई दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया जाता है। जिसकी वजह से कुप्रबन्धकीय व्यवस्था के कारण अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये अधिकारी मेन्टीनेंस के नाम पर पुराना सामान लगा देते हैं, जिससे समय पर चीनी मिलें नहीं चल पाती हैं और 2-2, 3-3 दिन तक किसानों का अपना ट्रैक्टर, ट्राली खड़ी रखनी पड़ती है, जिससे किसान का गन्ना सूखता है। इसके अतिरिक्त गन्ना तौलने के लिये जो कांटे लगाये जाते हैं, उनमें भी ऐसी तकनीक पैदा कर दी जाती है, जिससे 5 से लेकर 10 क्विंटल प्रति ट्रैक्टर, ट्राली गन्ना कम उतरता है, इसी को जब प्राइवेट से तुलवाकर किसान लाते हैं तो ज्यादा होता है। इस तरह से साजिश करके किसानों को गन्ना मूल्य का उचित दाम नहीं दिया जाता है। हमारे यहां की औराई चीनी मिल को पिछली सरकार ने बेचने की लिस्ट में रखा था और यह कहा कि यह मिल घाटे में चल रही है।

हम लोगों ने इसका विरोध किया, 80 लाख का घाटा इसका पिछले सत्र में था और इस सत्र में यह घाटा बढ़कर ढाई करोड़ रुपये हो गया। हमने यह कहा था कि यदि इसके प्रबन्धक को बदल दिया जाय तो यह घाटे में नहीं रहेगी। इस मिल का इतिहास रहा है कि जब-जब यहां अच्छे प्रबन्धक रहे हैं, यह मिल घाटे में नहीं रही है, लेकिन जब-जब भ्रष्ट अधिकारी यहां नियुक्त किये जाते हैं, जिन्हें प्रबन्धकीय ज्ञान नहीं रहता है, उनके कारण मिल को घाटा होता है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि औराई चीनी मिल में एक अच्छे, सुयोग्य प्रबन्धक को नियुक्त किया जाय और पिछले प्रबन्धक ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो वहां पहले चीफ इंजीनियर थे, जिनको प्रबन्धक बना दिया गया था, के 13 साल के कुप्रबन्धक की उच्चस्तरीय जांच कराकर दंडित किया जाय, जिससे गन्ना किसानों का हित सुरक्षित हो सके।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों के बकाये के प्रश्न को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। श्रीमन्, यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक स्थान विशेष का नहीं है, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां 4 श्रेणियों की चीनी मिलें हैं। एक तो सहकारी चीनी मिलें हैं, दूसरी निगम की चीनी मिले हैं, तीसरी निजी चीनी मिले हैं और चौथी भारत सरकार के उपक्रमों के द्वारा लगाई जाने वाली चीनी मिलें हैं। इन चारों प्रकार की चीनी मिलों पर कुल 153 करोड़ रुपये का बकाया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रश्न ग्राह्यता के लिये और क्या हो सकता है, जो लाखों किसानों की जिन्दगी से जुड़ा हो। उत्तर देने के लिये जब कोई मंत्री खड़ा हो, तो हमारी यह अपेक्षा होगी कि वह यह सुनिश्चित बता दें कि बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा देंगे। दूसरी बात, आगे भुगतान यथा समय हो, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी और तीसरी बात, आज जो किसानों का देय है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिसके लिये किसानों को हवालातों में बन्द कर रहे हैं, उनके उत्पीड़न को सरकार तत्काल बन्द करा देगी, यह तीनों बातें स्पष्ट आ जायं। जो प्रश्न माननीय जगदम्बिका पाल, नरेश अग्रवाल जी ने उठाया है, मैं इस पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, इस सदन के आदरणीय सदस्यों और नेताओं ने गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के बारे में नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है। श्रीमन्, यह सही है कि इस समय 153.02 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। अगर इस बकायेदारी में भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन आने वाली चीनी मिलों का भी 22.36 करोड़ रुपया बकाया है। श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, जो 4 कोटियां हैं, चीनी मिलों की, उनका अलग-अलग विवरण दे रहा हूं, ताकि माननीय सदस्यों की जिज्ञासा और चिन्ता शान्त हो सके। श्रीमन्, निजी क्षेत्र के चीनी मिलों पर 59.68 करोड़, सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों पर 10.71 करोड़, निगम क्षेत्र के चीनी मिलों पर 7.27 करोड़ और भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन का पहले ही बता चुका हूं। इस प्रकार जो प्रतिशत बकायेदारी का आया वह निजी क्षेत्र के चीनी मिलों का 4.12 प्रतिशत, सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों पर 1.80 प्रतिशत और निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर 14.42 प्रतिशत की बकायेदारी है। श्रीमन्, मैं आपका और श्री प्रमोद तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन जो चीनी मिलें हैं उनका 50 फीसदी बकाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है। कांग्रेस के आदरणीय नेताओं से अनुरोध है कि वह इस बकायेदारी के भुगतान में इस सरकार की मदद करने की कृपा करें क्योंकि सबसे ज्यादा बकायेदारी भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन चीनी मिलों पर है।

श्रीमन्, अभी कई माननीय सदस्यों ने मार्गदर्शन दिया। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों और निगम क्षेत्र की चीनी मिलों की जो बकायेदारी है, उस बकायेदारी के सम्बन्ध में सरकार की अलग से जिम्मेदारी बनती है और सरकार समय-समय पर अलग से प्रबन्ध भी करती रही है। श्रीमन्, निगम के मिलों पर बकायेदारी 7.27 करोड़ और सहकारी क्षेत्र की 10.71 करोड़ रुपये की है। श्रीमन्, इस सरकार ने, सुश्री मायावती जी ने मुख्य मंत्री पद ग्रहण करते ही 20 करोड़ रुपये स्वीकार कर दिये गये हैं, इससे साफ जाहिर है कि यह किसानों के प्रति इस सरकार की नीयत कितनी साफ है और यह सरकार किसानों की कितनी पक्षधर है। जहां तक निजी क्षेत्र के चीनी मिलों पर बकाये का सवाल है, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी नोटिस पर बल देते हुये उल्लेख किया था कि उनको भी अलग से समय-समय पर निर्देश दिये जा रहे हैं और दबाव बनाये हुये हैं कि वह बकायेदारी का अतिशीघ्र भुगतान करें।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गन्ना की अध्यक्षता में कई बार बैठकें हो चुकी हैं और आगे भी इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलें अतिशीघ्र समय-समय पर गन्ने की कीमतों व बकायेदारी का भुगतान किया करें। श्रीमन्, इस सरकार को सत्ता में आये हुये अभी एक माह मात्र हुआ है। यह बकायेदारी पुरानी सरकार की अकर्मण्यता और उसकी देन है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही 20 करोड़ रुपया अलग से स्वीकृत कर दिये हैं, भारत सरकार से इस मामले में अनुरोध कर लिया गया है और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर भी लगातार सरकार दबाव बनाये हुये है। इसके साथ ही जो हमारी निगम क्षेत्र की और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें है उनको भी पर्यवेक्षण में लिया जा रहा है और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर बकायेदारी क्यों होती है, क्या कहीं कोई प्रशासनिक कमियां है और अगर कोई अनियमितता पायी जाती है तो उन पर भी कार्यवाही की जायेगी कि आखिर इतने लम्बे समय तक किसानों की बकायेदारी पर संबंधित अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते ?

मैं समझता हूं कि पूरे तथ्य प्रकाश में आ गये हैं। सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से सजग है। हमको अभी एक माह ही काम करते हुये हुआ है, यह कहना गलत है कि सरकार ने किसानों के हितों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है। यह भी कहना गलत है कि सरकार निजी क्षेत्र के चीनी मिलों पर ठीक से दबाव नहीं बना रही है। हम निगम क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अनुश्रवण कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पहली बात तो यह बता दें कि कब तक यह भुगतान हो जायेगा ? दूसरी बात यह बता दें कि प्रदेश सरकार का भारत सरकार पर कितना बकाया है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह बात इसमें कहां से आ गयी ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। मान्यवर, यह दायित्व सरकार का है, वह गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराये।

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

हमारे हृदय में भारत सरकार का भी सम्मान है और प्रधान मंत्री जी का भी सम्मान है। श्रीमन्, बीच में टोका-टोकी अच्छी बात नहीं है। जब सदन के माननीय सदस्यगण बोल रहे थे तो सत्तापक्ष चुपचाप सुन रहा था। मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यगण व माननीय नेताओं को ध्यानपूर्वक सुना। अब मुझे उन्हें जवाब देने का अवसर देना चाहिये। मेरा भारत सरकार के प्रति भी सम्मान है, माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति भी सम्मान है, और माननीय विधायगण के प्रति भी सम्मान है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमने तो केवल तथ्यों की जानकारी दी है। हमारी सरकार को अभी आये मात्र एक माह हुआ है और हमने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। इसके लिए तो इन्हें हमें बधाई देनी चाहिये थी। शेष मामलों में हम कठोर कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसलिए नियम–300 के अन्तर्गत जो यह नोटिस दी गई है, मान्यवर, आप भी इससे स्वयं विज्ञ होंगे और माननीय श्री किरनपाल सिंह जी भी इससे स्वयं विज्ञ होंगे, यह नोटिस किसी भी तरह से नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। जो नोटिस दी गई है इसका कहीं पर भी संसदीय नियमों के संचालन से कोई ताल्लुक नही है। सरकार का पक्ष आ गया है। इसलिए आप इस नोटिस को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्न के रूप में जो यह मामला उठाया गया है यह किसी भी रूप से नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री राम विशुन आजाद आदि कई कांग्रेस के माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल व श्री यशपाल जी की है। इसमें से कोई दो माननीय सदस्य ग्राह्यता पर अपनी बात कहें।

(श्री राम विशुन आजाद व श्री जगदम्बिका पाल वेल पर आ गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके अपने स्थान पर वापस चले जायें। एक माननीय सदस्य ने नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी है, जिसे मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। उस समय भी आप लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। दूसरी सूचना आप लोगों की है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम तो समय सीमा चाहते हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल व श्री राम विशुन आजाद अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमने तो 20 करोड़ रुपए दिये हैं, इसके लिए तो हमें बधाई दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल जी आप दूसरी सूचना पर ग्राह्यता के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कहीं से भी वह सूचना नियम–340 की परिधि को दूर-दूर तक छूती नहीं है।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) नहीं लिखा जायेगा। तिवारी जी दूसरी सूचना पर बोलना चाहें तो दो मिनट कह सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप तीन माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं और आप लोग ही सदन में अव्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी सूचना पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं (व्यवधान) मैं तीसरी सूचना ले रहा हूं। तीसरी सूचना (व्यवधान) श्री अजय कुमार पोइया की है। (श्री अजय कुमार पोइया के खड़े न होने पर) चौथी सूचना श्री राम सरन वर्मा की है (श्री वर्मा के खड़े न होने पर) पांचवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की है (व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, एक गम्भीर वित्तीय संकट आज सदन और प्रदेश के सम्मुख आ गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा स्वीकृत बजट की धनराशि में से मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष मे आवंटित 20 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध लगभग 43 करोड़ रुपया पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बांट दिया गया (व्यवधान) इससे प्रदेश में एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

छठी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र, सातवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग और आठवीं सूचना श्री तीरथ राज जी की है (व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

अध्यक्ष जी एक गम्भीर वित्तीय संकट आ गया है यहां पर अव्यवस्था पैदा कर जानबूझकर व्यवधान डाल रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 308 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1995 को पारित किया गया था तथा जो श्री कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 14 जुलाई, 1995 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जुलाई, 1995 को वापस प्राप्त हो गया है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी...

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अध्यक्ष–

। विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 1995 की बैठक में विधान सभा के वर्तमान सत्र के उपवेशनों का सदन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है :–

1–दिनांक 21 तथा 24 जुलाई, 1995 को सदन के उपवेशन न रखे जायं और दिनांक 21-7-1995 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए आय-व्ययक पर साधारण चर्चा तथा विधायी कार्य को दिनांक 25 जुलाई, 1995 को रखा जाय ।

2–दिनांक 18 जुलाई, 1995 को विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के दिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

3–सदन का दिनांक 18 जुलाई, 1995 से दिनांक 17 अगस्त, 1995 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय ।

<u>जुलाई, 1995</u>

18 मंगलवार

1–अध्यक्ष, विधान सभा का निर्वाचन ।

2–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

3–<u>5.00 बजे अपराह्न</u>

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–(एक घंटा)

19 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

2–<u>5.00</u> बजे अपराह्न

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (आधा घंटा)

(ख) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (आधा घंटा)

नोट :–। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

20 गुरूवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

जुलाई, 1995

21 शुक्रवार
22 शनिवार — बैठक नहीं होगी ।
23 रविवार
24 सोमवार

25 मंगलवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

26 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार
27 गुरूवार — एवं मतदान ।

28 शुक्रवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

29 शनिवार — बैठक नहीं होगी ।
30 रविवार

31 सोमवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

अगस्त, 1995

1 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार
2 बुधवार — एवं मतदान ।
3 गुरूवार

4 शुक्रवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अगस्त, 1995

5 शनिवार	
	बैठक नहीं होगी ।
6 रविवार	
7 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
8 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार
9 बुधवार	एवं मतदान ।
10 गुरूवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
11 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
12 शनिवार	
	बैठक नहीं होगी ।
13 रविवार	
14 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
15 मंगलवार	(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
16 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
17 गुरूवार	1–विधायी कार्य (आधा दिन) 2–असरकारी दिवस (आधा दिन) 21 जुलाई, 1995 के स्थान पर । ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन में आक्षेपात्मक व अपमानजनक कथन पर आपत्ति तथा मुस्लिमों को आरक्षण नीति के संबंध में चर्चा की मांग

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन को सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में बताना चाहती हूं । मान्यवर, जब से मैंने पिछड़े मुसलमान भाइयों को आरक्षण का लाभ ।

(व्यवधान)

+ श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार ने गन्ने के भुगतान के लिए । xxx । कोई आश्वासन नहीं दिया और न कोई नीति निर्धारित किया इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने अभी सदन की बहिर्गमन करते समय कुछ अनर्गल, अप्रासंगिक और नीयत पर शंका करने वाले आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाये हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भाजपा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को किसानों के बकाये के सम्बन्ध में जेल भेजा था उसके बावजूद श्री प्रमोद जी ने कुछ अप्रसांगिक आरोप लगाये हैं । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा ।

नोटः– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

| x x x | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी पार्टी के शासनकाल में गन्ना किसानों का एक-एक पैसे का भुगतान किया गया था और भाजपा की किसानों के लिए प्रतिबद्धता है कि उनकी रक्षा की जाय। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री ने भी अभी किसानों के प्रति समादर व्यक्त किया है और मैं भी उनका समादर करता हूं। इसलिए मान्यवर, अभी आपके सामने जो श्री प्रमोद तिवारी जी ने अप्रसांगिक आरोप लगाये हैं वह घोर असंसदीय हैं इसलिए उन्हें कार्यवाही से निकलवा दें और भविष्य के लिए व्यवस्था दें कि आये दिन बैठे ठाड़े जो अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाये जाते हैं और आपकी पीठ पर भी लगाये जाते हैं उन पर कोई व्यवस्था दें और हमें संरक्षण प्रदान करें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी किसी बहुत महत्वपूर्ण नीति के सम्बन्ध में इस सदन में वक्तव्य देने के लिए खड़ी हुई थीं और आरक्षण नीति के सम्बन्ध में कहना शुरू किया था लेकिन बीच में कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी बोलने लगे, इसलिए मुख्य मंत्री जी बैठ गयीं। मान्यवर, पहली बात मुख्य मंत्री के वक्तव्य की प्रतियां नहीं मिली हैं। लेकिन मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि चूंकि आरक्षण की नीति अपने में एक महत्वपूर्ण नीति है। सरकार को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। आरक्षण नीति के बारे में किस पहलू पर क्या अपने दल का दृष्टिकोण है उस दल को दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। इसलिए व्यवस्था चाहता हूं मुख्य मंत्री जी आरक्षण के विषय में जो नीति यहां पर प्रस्तुत कर रही हैं उस पर या तो खुली चर्चा हो जाय जिससे प्रत्येक दल का दृष्टिकोण आ जाय और सरकार का भी दृष्टिकोण आ जाय अन्यथा एक पक्षीय दृष्टिकोण हो गया तो कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र और जनता के भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आरक्षण के मुद्दे पर कौन दल कहां खड़ा है, दल की क्या नीति है इस पर आप खुली चर्चा करा लें और समय तय कर लें कि कब चर्चा होगी। और श्रीमन्, अभी जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपने स्वभाव अनुसार जो असंगत और निराधार आरोप लगाए हैं कि | × × × | गन्ना किसानों के सम्बन्ध में यह मिल मालिकों से मिल गये हैं, यह बिलकुल बेबुनियाद और गलत है। यह भाजपा का ही कार्य था कि उसने अपने शासनकाल में देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति के दामाद को किसानों के बकाये का भुगतान न करने पर जेल में डालकर जौ की रोटियां खिलाई थी और फिर 72 घंटे नहीं लगे थे कि उसने सारे गन्ने का भुगतान किसानों को कर दिया था और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका मेल कांग्रेस तंदूर पार्टी के साथ है, हमारे साथ नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने उस कथन को निकालने की प्रार्थना आपसे की थी .....

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको दिखवा लूंगा, नियम संगत जो कार्यवाही में नहीं होगा, उसको निकलवा दूंगा।

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विचार रखा गया है, इस पर सदन में चर्चा कराने के बारे में और उसके लिए समय निश्चित करने के सम्बन्ध में तो नेता सदन को यह पूरा-पूरा अधिकार है कि वह या उनका कोई मंत्री किसी भी समय सदन में कोई मन्तव्य रख सकता है, जो चाहे वह वक्तव्य सदन में किसी भी समय दे सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कहीं से रोक नहीं है। नेता सदन जब भी चाहें कोई बात या विचार अथवा घोषणा सदन में कर सकते हैं। उस पर चर्चा कराने या न कराने का आपको अधिकार है। आप चर्चा करा लें, हमारी बात स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सदन के बहुमूल्य समय को इस तरह से व्यर्थ न गंवाएं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं कहना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा, कि जिस व्यक्ति का नाम तन्दूर काण्ड में आ रहा है, उस शर्मा को हमने-हमारी पार्टी ने सन् 1991 में ही निकाल दिया था, [x x x]।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्री प्रमोद तिवारी जी ने अभी पहले जो सदन के सामने कहा है....

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, उसको मैं दिखवा लूंगा और जो नियम संगत नहीं होगा, उस पोरशन को निकलवा दूंगा.....

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

उसको निकलवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा वरना .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि जो नियम संगत नहीं होगा उसको निकलवा दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो असंसदीय है।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कल्याण सिंह–

मुख्य मंत्री जी आरक्षण के लिए विस्तार से अपनी नीति की घोषणा करना चाहती हैं, यह उनको अधिकार है, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है कि सभी अपना-अपना दृष्टिकोण, अपनी-अपनी बात रखना चाहते हैं। आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लें, जिससे इस पर खुली डिवेट हो जाए और सभी की बात आज जनता के सामने आ जाए।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जिस आरक्षण की नीति के बारे में अभी मुख्य मंत्री जी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रही थीं, उसमें अन्य कुछ दलों के नेताओं की राय आई है कि उस पर विस्तार से सभी के विचार आ जाए, तो सरकार अपनी नीति, और अपनी बात स्पष्ट करने के लिए हर समय तैयार है।

तो अगर इस सदन के माननीय सदस्यगण की राय हो तो एक तारीख कोई निश्चित कर ली जाय। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विस्तार से विचार करके कोई और तारीख तय कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति में विचार करने के बाद ही कोई तिथि तय कर ली जायेगी।

औचित्य के प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आगे आय-व्ययक पर चर्चा है, सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, सुन तो लें। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कहिये।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैंने नियम–५५१ में एक मामला दिया था वह प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री विवेकानुदान कोष के दुरुपयोग का मामला था।

श्री अध्यक्ष–

उस पर मेरी व्यवस्था सुन लें। .....

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आज भी वह मामला दिया, लेकिन यह माननीय सदस्य कांग्रेस के लोग उस मामले को आने देना नहीं चाहते । पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग का मामला है । कल भी इन्होंने सारे मामले निरस्त कराकर छोड़े । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यह महत्वपूर्ण मामला है, मुझे अवसर मिलना चाहिए । यह औचित्य का प्रश्न है । अनुच्छेद-202 के अन्तर्गत बजट पास करने का अधिकार है और उसी के अनुसार धन का आवंटन होता है । जिस उद्देश्य के लिये विवेकानुदान कोष स्थापित किया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति न करके धन का प्रयोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटा गया है और सारी व्यवस्था को खंडित किया है । 20 लाख रुपये का प्राविधान था ।

श्री अध्यक्ष–

आपने औचित्य का प्रश्न किया है, उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं । इसे अस्वीकार कर चुका हूं । आप आगे दे दीजियेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कृपा करके एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आगे की मद ले चुका हूं । जो सूचनाएं महत्वपूर्ण थीं उन्हें कल फिर दे दीजियेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें । वैसे जो आपकी आज्ञा होगी, शिरोधार्य है । औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

बतायें, क्या औचित्य का प्रश्न है ?

* डा० सरजीत सिंह डंग–

नियम-308 के अन्तर्गत सूचना दी जाती है । एक दो सदस्य जिनकी सूचना सुन ली गई उसके बाद वैल में आकर सदन को अव्यवस्थित कर देते हैं तो इसमें बाकी सदस्यों का क्या दोष है कि उनकी बात इस सदन में न सुनी जाय । आप हमारे हितों के संरक्षक हैं । जब सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं तो उन्हें किसी भी दशा में सुनना चाहिए । मैं लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को अन्दर से खोखला किये जाने की बात कह रहा था । प्रेस रिपोर्टरों का रिश्वत के नाम पर.....

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक व अन्य सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री डंग जी मैं निरस्त कर चुका हूं, आप अगले दिन दे दीजियेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, चार लोग सदन को अव्यवस्थित कर दें और बाकी लोग अपनी बात न कह पायें यह किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य आय-व्ययक पर विचार रखना चाहता है..... (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना की जानकारी

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन होना चाहिए ....

(व्यवधान)

मान्यवर, 25 तारीख को मैंने नियम 51 में सूचना दी थी परिवहन विभाग से संबंधित । आपकी समस्त व्यवस्था के बाद, स्वीकार होने के बाद कुछ नहीं हुआ है मैं चाहूंगा, कि इसमें आप समुचित निर्देश दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बजट पर चर्चा आरम्भ होने जा रही है आप सूचना दे दीजियेगा मैं इसको दिखवा लूंगा । (व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, पूरा राष्ट्र इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर नहीं आय-व्ययक के चर्चा पर बोलें औचित्य के जितने प्रश्न थे सबको अस्वीकार कर दिया गया है। आय-व्ययक की चर्चा पर श्री नरेश अग्रवाल को बुलाया था।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्रीमन् आपने मुझे बालने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं सुश्री मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कर रहित बजट पेश किया है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कौन सी अव्यवस्था हो गई ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मद संख्या–10 पर श्री प्रमोद तिवारी जी का नाम बुलाया है इसमें नाम पुकारने पर कौन सी अव्यवस्था हो गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मद संख्या–10 पर आय व्ययक पर बोलना चाहते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप व्यवस्था पर सुन लें। आप व्यवस्था अस्वीकार कर दीजिएगा लेकिन सुन तो लें !

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं विचार रख रहा हूं और ये बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा० त्यागी जी आप बैठ जाएं। मद संख्या–10 पर आय व्ययक पर चर्चा के लिए आपका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

आदरणीय सदस्यगण और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है माननीय सदस्यगण इस समय कोई पत्र न दें अपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। मंत्री जी इस तरह से कोई पत्र न लें।

(व्यवधान)

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उत्तम आचरण का अनुसरण करें कोई पत्र सदन में न दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप व्यवस्था सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 पर बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी–

किसी मद पर सुन लें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जब नाम बुला लिया तो कहां से अव्यवस्था हो गई ?

श्री प्रमोद तिवारी–

बिना सुने कह रहे हैं सुन तो लें। मेरा एक अनुरोध है और इससे सभी सहमत होंगे कि यहां पर आपके माइक की जो व्यवस्था है इसमें कहीं कोई कमी है। आप वहां से क्या बोल रहे हैं तीन चौथाई हम सुन नहीं पाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको आय-व्ययक पर बोलने के लिए बुलाया है। माइक को हम दिखवा लेंगे। अगर सभी माननीय सदस्य शांत रहेंगे तो सभी को सुनाई देगा।

श्री बालेश्वर त्यागी–

आपने हमें बुलाया था लेकिन यह लोग अव्यवस्था फैलाते हैं और उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सदन में उत्तम आचरण का प्रदर्शन करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने हमको बजट पर बोलने के लिए बुलाया है लेकिन मैं अपनी जगह पर श्री जगदम्बिका पाल को बोलने के लिए संस्तुति करता हूं। वह हमारे दल के प्रमुख सचेतक भी हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सुश्री मायावती सरकार द्वारा 1995-96 के बजट अनुमानों के उपर तैयार किए गए बजट भाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया । श्रीमन्, यह सरकार जिन परिस्थितियों में बनी उन परिस्थितियों से पूरा प्रदेश अवगत है । मान्यवर, पिछली सरकार में जिस तरह की कठिनाईयां दिक्कतें, दुस्वारियां प्रदेश के दलितों, किसानों, बुनकरों को हो रही थीं वह सरकार जिस तरह से अहंकार से ग्रस्त थी उसकी परिणिति हुई कि नई सरकार का गठन हुआ । जब नई सरकार बनी और नई सरकार के नेतृत्व में एक दलित समाज की महिला के हाथ में सत्ता आई तो उसका स्वागत हम सभी ने किया और हमने अपेक्षाएं और स्वागत इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश में हजारों साल से जो शोषण, त्रासदियां और विषम परिस्थितियां चल ही थी उन्हीं के समाज की एक महिला को उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला कि उन विषंगतियों को, उन विषमताओं को और उन त्रासदियों को दूर करें और समाज को ऊपर ले जाए ।

जब यह सरकार इस पूरे वर्ष के लिए अपने बजट को प्रस्तुत कर रही है तो इस सरकार का दर्पन है कि इस सरकार के भविष्य के क्या कार्यक्रम होंगे ? प्रदेश के शोषित, दलित और सर्वहारा वर्ग के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं होंगी ? गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए या जिस तरह से गरीब और अमीर के बीच खाइ है उसे खत्म करने के लिए क्या कार्यक्रम होंगे ? इन सब चीजों को बजट प्रतिबिम्बित करता है । पूरे प्रदेश की जनता को इस बात की अपेक्षायें हैं कि नयी सरकार पिछली सरकार की तुलना में कुछ गुणात्मक परिवर्तन करेगी और कुछ अच्छे तरीके से कार्य करेगी और समाज के जो शोषित, गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिये कारगार उपाय किये जायेंगे । मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उनको मैंने पढ़ा और उनका गहराई के साथ अध्ययन किया और उनके माध्यम से मैंने सरकार की दिशा जाननी चाही । मैंने यह जानने की कोशिश की, कि इस सरकार की प्राथमिकतायें क्या हैं । मुख्य मंत्री जी का कहना है कि समतामूलक समाज की स्थापना की जायगी, एक बात उन्होंने और कही, कि सामाजिक न्याय की बात केवल सरकार नहीं करेगी बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी करेगी मुझे इन बातों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुयी, कि सरकार समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की स्थापना करेगी, लेकिन मुझे निराशा हुयी जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से उनका 43 पेज का बजट भाषण सुना ।

मैंने इस बजट को पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिये कौन से प्राविधान किये गये हैं या जिस समता मूलक समाज की स्थापना की बात मुख्य मंत्री जी कर रही हैं उसकी रूपरेखा और उसकी कार्य योजना क्या है ? बजट के इन 43 पृष्ठों में मुझे यह कहीं नहीं दिखा, शायद मुख्य मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण देंगी तो समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में उन्होंने कौन से कार्यक्रम निर्धारित किये हैं वह बतायेंगी । सामाजिक परिवर्तन के बारे में सरकार के मन में क्या है उस दिशा में निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगी । इस सदन में आज बहुजन समाज वादी पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता

---

* नोट:–वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पार्टी के सहयोग से यह सरकार बनी है । पिछली सरकार में माननीय कल्याण सिंह नेता विरोधी दल थे, पिछली सरकार के डेढ़ साल के शासनकाल में हमने यह महसूस किया है कि उस सरकार ने गरीबों, किसानों के विरोध में कुछ फैसले किये हैं । उदाहरण के लिये पिछली सरकार ने विद्युत की दरों में वृद्धि की । एक तरफ किसानों को 16 घंटे बिजली भी नहीं मिली और दूसरी तरफ उन पर बिजली के दरों का भार बढ़ा दिया गया, जिससे आम किसानों की दुश्वारियां बढ़ी । इसी तरह से रोडवेज की बसों के किराये में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि रोडवेज की बसों से गरीब, आदमी जिनके पास कार, टैक्सी से यात्रा करने की क्षमता नहीं है वही लोग ज्यादातर अपने गंतव्य तक जाने के लिये यात्रा करते हैं । उन पर भी किराये का भार बढ़ा दिया । जो इस प्रदेश के 80 फीसदी लोग हैं जो गांवों में बसते हैं और गरीब हैं, किसान हैं अगर सरकार इन 80 प्रतिशत लोगों के लिये प्राथमिकतायें नहीं निर्धारित करती है और उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है यह सरकार उनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो फिर लोग कहेंगे यह सरकार जनता की हितैषी नहीं बल्कि जनता की विरोधी है । पिछली सरकार ने जिस तरह से सिंचाई की दरों में वृद्धि की वह भी ध्यान देने की बात है । मैं मिर्जापुर सोनभद्र गया था वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है और बिजली भी नहीं आ रही है लेकिन सिंचाई की दर जिसको वहां के लोग पनिकर कहते हैं, उसमें वृद्धि कर दी गयी है । पिछली सरकार ने जो सिंचाई की दरों में वृद्धि रोडवेज के किराये में वृद्धि, विद्युत दरों में वृद्धि की है उसका असर सामान्य लोगों, गरीबों और विद्युत उपभोक्ता पर पड़ा है । इन तीनों चीजों की दरों में कमी करेंगे लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने जिससे बहुत अपेक्षाएं थी, तमाम कमजोर गरीब लोगों को अपेक्षाएं थी, लेकिन इन अपेक्षाओं के अनुरूप न सिंचाई दरों में कोई कमी की गयी न विद्युत दरों में और न रोडवेज की दरों में ।

मान्यवर, जैसा संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इस सरकार को एक माह हुआ है तो शायद उनका ध्यान प्रदेश की इन मौलिक कठिनाइयों की तरफ नहीं गया इसलिए शायद उन्होंने रोडवेज की, सिंचाई की दरों में कमी करने की घोषणा नहीं की । एक माह किसी सरकार के लिए उसके कार्य करने का पूरा मूल्यांकन नहीं होता । मैंने पिछली सरकारों को 3 माह, 4 माह का समय दिया लेकिन इस सरकार को तो यह नहीं कह सकते कि यह सरकार पूर्णतः असफल है । लेकिन मान्यवर, हम अपेक्षाएं जरूर करेंगे, हम सुझाव जरूर देंगे । हम एक माह में उसका मूल्यांकन करने नहीं जा रहे हैं लेकिन तीन माह में मूल्यांकन करेंगे इस सरकार का ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैंने अभी शुरू किया है, मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं जो नेता को समय देते हैं वही मुझे दें ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो चीजें मुख्य हैं सिंचाई और विद्युत अगर हम विद्युत पर और सिंचाई पर ध्यान नहीं देंगे तो यह ठीक नहीं रहेगा । जो हमारा परिव्यय है वह हम इन्हीं दो मुद्दों पर खर्च करते हैं लेकिन आप देखें यह 43 पृष्ठ पर जो वक्तव्य है इस पर सबसे कम धन दिया गया है । अगर ऊर्जा पर सिंचाई पर धन नहीं होगा तो गरीब और दलितों की झोपड़ियों में जहां आज भी प्रकाश नहीं है आज भी तमाम गांव विद्युत से वंचित हैं, तमाम अनुसूचित जातियों की बस्तियों में

जहां आज तक प्रकाश नहीं है उसके लिए कुटीर ज्योति की योजना चलाई गयी थी वह अनुसूचित जाति के लोगों को जो विद्युत नहीं ले सकते हैं उन्हें एक बल्ब फ्री दिया जायेगा सरकार के द्वारा तो इस सरकार इस तरह का निर्णय करेगी कि इन छप्परों में भी प्रकाश हो। विद्युत के लिए तीन चीजें होती हैं, विद्युत उत्पादन और उसका पारेषण तथा उसका वितरण इसमें एक पैराग्राफ है उसमें कही कोई उल्लेख नहीं है लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया है कि पिछले वर्ष 21.673 मिलियन यूनिट के विरुद्ध इस वर्ष विद्युत उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर 26.028 मिलियन यूनिट रखा गया है। पिछली सरकार ने 16 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की थी और इस सरकार ने भी वही प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम 16 घंटे बिजली देंगे। मान्यवर, आपको भी पता है कि आज 16 घंटे विद्युत कहीं नहीं मिल रही है। आज जिला मुख्यालयों पर विद्युत नहीं आती है और गांवों में तो कई-कई दिन तक नहीं आती है लखनऊ शहर जो प्रदेश की राजधानी है में रोज आये दिन विद्युत और पानी न मिलने के कारण जाम हो रहा है। विद्युत और पानी की समस्या विषम हो गयी है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ शहर के लिए 300 हैण्डपम्प दिये हैं लेकिन 65 जिला मुख्यालय हैं और किसी जिला मुख्यालय में जहां पेयजल का संकट है कहीं हैण्डपम्प की बात नहीं की गयी है।

मान्यवर, जब तक पावर जनरेशन बढ़ेगा नहीं उत्पादन बढ़ेगा नहीं। आनपारा में पावर हाउस तैयार हो गया लेकिन उसका ट्रासमीशन लाइन न होने के कारण उसकी वितरण व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है अगर वितरण और पारेषण को ठीक करना चाहेंगे तो आज लाइनलास को कम करने का उपाय करेंगे, उस दिशा में भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का लाइन लास अधिक है। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि यहां पर लाइन लास 27 प्रतिशत है। अगर आप प्लान्ट लोड फैक्टर नहीं बढ़ायेंगे, तो कैसे काम चलेगा, जो आप 17 घंटे बिजली की बात करते हैं, वह पूरी नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिये। मान्यवर, जहां तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें किसानों को नहीं है, उनको समय से और पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। एक मान्यवर, सरयू परियोजना है, शारदा सहायक परियोजना बनी, माननीया इंदिरा जी ने कृपा की थी, वह बन गयी और उससे सिंचाई की दिक्कत काफी हद तक दूर हुई।

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सिंचाई और विद्युत के लिये कोई विशेष बात नहीं किया है, केवल एक-एक पैराग्राफ में सारी बात कह दी है। परिव्यय की बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे विश्व बैंक से सहायता लें और चाहे भारत सरकार से सहायता लें, जिस तरह से भी हो आप सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी का कार्य करें। सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर सके इसलिये मैं कुछ दे रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि स्पिनिंग मिलें ज्यादातर बन्द पड़ी है। बस्ती जिले में मगहर की स्पिनिंग मिल है, वह बन्द है। विचार यह था कि अगर बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में सस्ता सूत उपलब्ध कराया जायेगा तो वह सस्ता कपड़ा बना सकेंगे। यहां पर मजदूरों को और कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता है, उनको कई मास से वेतन नहीं मिला है। मगहर की जानकारी है, वहां पर 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहां के मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार को उनके वेतन भुगतान का प्राविधान करना चाहिये। इसी प्रकार से मान्यवर, खलीलाबाद की मिल है..

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं तो केवल सुझाव दे रहा था। 5 मिनट आप दे दें मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से अराजकता का दौर चल रहा था, इस वित्तीय अराजकता का दौर आपके समय में समाप्त हुआ है, यह सराहनीय बात है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल योजना का 72 प्रतिशत व्यय किया जायेगा, यह स्वागत योग्य बात है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की समस्या है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 34 लाख लोगों के नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज हैं। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार एक करोड चार लाख लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। जब तक हम बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं दे पायेंगे तब तक प्रदेश की गरीबी को दूर नहीं कर सकते। बेरोजगारी को दूर करने के लिये हमें ऐसी योजनाओं को लागू करना पड़ेगा जिससे नौजवानों के हाथों में काम मिल सके। वर्तमान में जो योजनायें हैं जैसे नेहरू रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और मैला मुक्ति योजना, जो योजनायें बैंकों के सहारे पर चलती हैं इन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है और काफी पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। नई सरकार को एक नई संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

मान्यवर, आज मेरे एक सवाल में यह जानकारी चाही गयी थी कि गाजियाबाद में प्रधान मंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो यह जानकारी दी गयी कि 30 हजार दो सौ आठ आवेदन प्राप्त हुए उसमें 409 स्वीकृत हुए और बैंकों ने केवल 76 लोगों को ऋण प्रदान किया और यह एक-एक लाख नहीं किसी को 10 हजार किसी को 5 हजार किसी को 20 हजार, सबसिडी भ्रष्टाचार में चली गयी। ऐसी योजनायें बनायी जानी चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के अन्दर रोजगार बढ़े। उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो बड़े उद्योगपति प्रदेश के अन्दर आयेंगे। उद्योगों को विकसित करने के लिये माहौल बनाने के साथ-साथ आधार भूत सुविधाओं की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने जितने क्षेत्रों को विकसित किया है उन क्षेत्रों में मेन्टीनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर सड़कें नहीं हैं पानी का निकास नहीं है बिजली की व्यवस्था नहीं है और इसके अतिरिक्त दो-दो तरह के टैक्स हैं। इन्हीं सब बातों के चलते उद्योगपति प्रदेश के अन्दर आकर्षित नहीं हो रहे हैं नये उद्योग नहीं आयेंगे तो लोगों के लिये रोजगार नहीं बढ़ सकेंगे। यहां मैं यह

चाहता हूं कि बिजली की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है । जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा हम उत्तर प्रदेश के विकास को उद्योगों के विकास को गति नहीं दे सकेंगे । मान्यवर, उसके साथ ही साथ सौर ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम शोध कर सकते हैं अगर हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध करके कम कीमत पर विद्युत उत्पादन की व्यवस्था कर सकें और आम आदमी के लिये उस व्यवस्था को ला सकें तो उत्तर प्रदेश में यह एक क्रांतिकारी कदम होगा ।

मान्यवर, पानी के संकट के बारे में अनेक सवाल उठे हैं चाहे जो भी ट्यूबवेल चाहे इण्डिया मार्का–II व III लगें लेकिन जल स्तर नीचे जा रहा है इसको रोकने की कोशिश की जाए । दुनिया में ऐसे देश हैं जहां 2 प्रतिशत बरसात होती है वहां बरसात के पानी को संग्रह करके जमा कर लिया जाता है और कुओं के माध्यम से वाटर लेविल को ठीक रखा जाता है । अपने प्रदेश में वाटर लेविल को ठीक रखने की इजराईल की तरह से कुएं खोद कर बरसात के पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है । नई सरकार से लोगों को कर ढांचे में बड़े सुधार की आशा है । पूर्व मुख्य मंत्री ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे प्रदेश से बिक्री कर को समाप्त कर देंगे लेकिन उन्होंने बिक्रीकर समाप्त नहीं किया केवल नाम बदल दिया, कर ढांचे में सरलीकरण हो इस पर गम्भीरता से विचार करें । अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे कर ढांचे में सरलीकरण होगा तो उद्योगपति आकर्षित होंगे और नये रोजगार के अवसर विकसित होंगे । गरीब बच्चों को शिक्षा, दवाई की बात कही गयी है मैं इसका स्वागत करता हूं । अगर बच्चे को पढ़ाई देनी है तो स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, टाट पट्टी चाहिए ब्लैक बोर्ड चाहिए अध्यापक चाहिए, स्कूल में पढ़ाने की संस्कृति चाहिए । आज प्राथमिक पाठशालायें अनाथ हो गयी हैं । मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करें, जिससे गरीब लोगों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके और जो विद्यालय स्थापित हैं, उनमें पढ़ाई का वातावरण बने, आज इस तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, चिकित्सा के संबंध में भी कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है । जितना चिकित्सा सेवाओं के वेतन पर खर्च किया जाता है, उसका केवल एक चौथाई हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है, जिसकी वजह से गरीब के बच्चों को दवाई नहीं मिल पाती है और अस्पताल में बच्चे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के अन्दर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें दवाओं के बजट को बढ़ाया जाय और अस्पतालों के अन्दर दवाओं का मिलना सुनिश्चित हो । अन्त में मैं अपनी अन्तिम बात कह कर समाप्त कर रहा हूं । यह सरकार गरीबों के लिये काम करने का संकल्प लेकर आयी है, मेरे शहर में लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जो नारकीय जीवन जी रहे हैं । दिल्ली की सरकार ने घोषणा की है कि वहां झुग्गियों में रहने वालों के यहां 25 रुपये में लट्टू (बिल्ब) लगाये जायेंगे । आज मेरे यहां की जनता लखनऊ की ओर देख रही है कि उसकी भी झोपड़ी में लट्टू लगेगा, इस सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों को शामिल करें, धन्यवाद ।

* श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट गरीबों, दलितों के लिये पेश किया गया है, वह बहुत अच्छा बजट है और उससे अच्छा बजट और कोई हो नहीं सकता है। मैं विशेष रूप से अपने विधान क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां एक नई आई० टी० आई० खोलने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है, इसके लिये मैं माननीया मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं, इसी प्रकार से गरीबों को, पिछड़ों, दलितों को इस बजट में अनेक सुविधायें देने की व्यवस्था की गयी है, मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, पिछली सरकार से पूरा प्रदेश पीड़ित हो गया था। लोगों में, जनसामान्य की यही चर्चा थी कि इस सरकार के रहते कोई जी भी पायेगा या नहीं। इस सरकार के आने से एक राक्षस राज का अन्त हुआ है। इस नई सरकार के आने से हम सभी लोगों को प्रसन्नता है और पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला ने मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ली है, इस बात की भी प्रसन्नता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, उसी प्रकार गरीबी के पैमाने पर जब अन्य प्रदेशों से तुलना की जाती है तो भी हम काफी पिछड़े हुए हैं। सरकार ने बजट के माध्यम से जो अपनी नीतियां दी हैं मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और निश्चित रूप से समर्थन में बोल रहा हूं। आज गांवों में स्कूलों की अत्यन्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से विद्यालयों की स्थापना तथा इन जिलों में शिक्षा का उन्नयन करने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फैसला लिया था, आज उसको लागू किये जाने की नितान्त आवश्यकता है, यह हमारी अपेक्षा भी है। यदि इसे लागू किया जाय तो शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी प्रगति कर सकेंगे। मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे। अस्पतालों की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है, उस पर शासन को विचार करना पड़ेगा। आज गरीब व्यक्ति अस्पतालों में जाता है, उसको वहां दवाईयां नहीं मिल पाती हैं, अस्पताल के अगल-बगल जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों पर अस्पतालों की दवाईयां मिल जाती हैं। वह दवायें जो अस्पतालों में मिलनी चाहिए वह दुकानों पर पहुंच जाती हैं। सरकार को प्रभावी कदम उठाकर इस पर रोक लगानी पड़ेगी ताकि ऐसे लोग जो दुकानों से दवा नहीं खरीद सकते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं, उनको अस्पतालों से दवा मिल सके। मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से चुनकर आता हूं, जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति है, पूर्वांचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां पर गरीबी भी अधिक है। वहां पर एक गेडा योजना विकसित की गयी जिससे इस क्षेत्र का विकास होता, रोजगार का सृजन होता लेकिन मुझे दुःख है कि वहां जैसा अधिकारी होना चाहिए वह नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर के कमिश्नर उसके कार्यपालक अधिकारी हैं । मान्यवर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ऐसे अधिकारी जो निश्चित रूप से किसी भी सरकार को बदनाम करते हैं ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने की ओर भी सरकार ध्यान दे । यदि गेडा जैसी योजना के ऊपर ध्यान दिया जाये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का काफी विकास हो सके लेकिन नहीं हो रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा । विद्युत के संदर्भ में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बजट भाषण पढ़ा है, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को थोड़ा बजट, भाषण में दिया है एक बार फिर संशोधन करके विद्युत की दृष्टि से ध्यान देना पड़ेगा, वहां के उद्योग चौपट हो रहे हैं । पिछली सरकार ने जो विद्युत के बारे में घोषणा की थी वह मात्र एक स्वप्न था । मैनेजमेंट के अभाव के कारण आज उत्तर प्रदेश की स्थिति विद्युत के हिसाब से बहुत खराब हो गयी है । एक-दो घण्टे नहीं पिछली सरकार में 10-10 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी, मान्यवर, इसे भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कैसे लोगों को बिजली मिल सके, कैसे लोगों को बिजली की सुविधा के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

अभी मैंने आज भी नियम 300 के अन्तर्गत सवाल लगाया था । गोरखपुर जैसे शहर जो पूर्वांचल की राजधानी है, लोग बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं, ट्यूबवेल बीमार पड़े हैं, ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, नये ट्यूबवेल तो लग ही नहीं रहे हैं । वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे बरसात के समय में घरों में पानी भर जाता है । यह कहा जाता है कि गोरखपुर तो कटोरे की तरह है वहां की ड्रेनेज सिस्टम किसी भी तरह ठीक नहीं हो पायेगी, मान्यवर, यदि ठीक नहीं हो पायेगी तो लोग रहेंगे कैसे ?

मान्यवर, गोरखपुर से आसाम तक जाने के लिये बंगाल होते हुए, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगलादेश है, उसकी सीमा में जाने के लिये गोरखपुर से होकर जाना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ल जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं तो सरकार के समर्थन में बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ठीक है, मान्यवर । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दलितों के विकास, किसानों के विकास, अल्पसंख्यकों के विकास तथा पिछड़ी जातियों के विकास की बात नहीं के बराबर की है । यह सरकार अनुसूचित

जातियों की दुहाई की बात करती है और किसानों के विकास की बात करती है परन्तु आज तक पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसी प्रकार का विकास का कार्य नहीं हुआ है । कांग्रेस की यदि जवाहर रोजगार सुनिश्चित रोजगार योजना नहीं होती तो प्रदेश में कहीं पर भी एक फावड़ा मिट्टी नहीं पड़ती, गांव में कहीं पर भी एक ईंट नहीं लग पाती, पेयजल के नाम पर एक नल नहीं लग पाता और यदि अम्बेडकर योजना न होती तो इन्दिरा आवास योजना के तहत दलितों का एक घर नहीं बन पाता । भारत सरकार ने स्वतः रोजगार योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने एवं स्वावलम्बी बनाने की जो योजना चलाई है, जो कांग्रेस की देन है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । जनपद गोण्डा एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिला है । वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 का अभी तक जिला योजना तथा राज्य सेक्टर का पैसा अभी तक विकास के लिये नहीं पहुंचा है । जनपद गोण्डा में एक भी सड़क पर एक भी फावड़ा मिट्टी नहीं डाली गयी है और एक भी सड़क के सतह लेपन पर डामर नहीं कराया गया है । मेरे मनकापुर विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में आज तक एक भी फावड़ा मिट्टी नहीं डाली गयी । दलितों की विकास के दुहाई की बात सरकार करती है अनुसूचित जाति के लोगों की विकास की बात आप करते हैं लेकिन आज तक एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिजन विद्युतीकरण के तहत अनुसूचित जाति के गांवों का विद्युतीकरण किया जाय । वहां पर आवास बनाये जायं । शिक्षा के नाम पर एक भी प्राइमरी स्कूल, एक भी जूनियर हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट तक शिक्षा देने के लिये हमारे क्षेत्र में स्कूल न के बराबर हैं । इसलिये स्कूलों की व्यवस्था की जाय । हमारे क्षेत्र में बभनान शुगर मिल है, जिसका गन्दा पानी बभना, महरा और दड़उवा मेहनिया करनपुर आदि गांवों में फैल चुका है, जिसके कारण लोग और कृषकों के खेतों में गंदा पानी फैलने से धान की फसल की रोपाई नहीं हो पा रही है । इसलिये कृषकों के जीवन यापन में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए । वर्तमान समय में वहां पर कालरा की बीमारी से 14–15 लोग मर चुके हैं और 100 से ऊपर लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं । स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई उपचार नहीं किया जा रहा है और न ही दवाई दी जा रही है । इस बीमारी से अधिक प्रभावित जो गांव हैं उनमें अधिकांशतः पिछड़ा दलितों के गांव हैं । वहां पर जिला प्रशासन गया तो जरूर परन्तु एक पैसे की दवाई उपलब्ध नहीं करायी गयी । इसलिये सरकार से मेरी मांग है कि वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयां उपलब्ध करायी जायं । और वजीरगंज, बभनान व मसकनवा बाजार हैं, जो बहुत विकसित बाजार हैं, इसलिये बाजारों को टाउन एरिया बनाने की व्यवस्था की जाय । किसानों की सिंचाई के लिये वजीरगंज व छपिया में एक-एक कलस्टर नलकूप दिया जाय । जिससे फसल अच्छी होगी और किसानों को अपने उत्पादन का सही लाभ मिलेगा और तभी इस क्षेत्र एवं जनपद का विकास हो पायेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री मेवालाल बागी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस विशाल प्रदेश के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिये अवसर प्रदान किये हैं। मान्यवर, आज इस सरकार के सत्ता में आने के बाद गरीबों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। इससे पूरा देश प्रभावित हुआ है। मैं चन्द बातें आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, भदोही विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, भदोही पहले बनारस जनपद में था, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इसे जिला बनाने की घोषणा तो कर दी है लेकिन पूर्ण रूप से आज तक वहां विभागों का चयन नहीं किया गया है, अधिकारी और कर्मचारी वहां नहीं दिये गये हैं जब किसी को कोई काम पड़ता है तो उसे बनारस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कभी भदोही दौड़ना पड़ता है जिससे विकास संबंधी योजनायें धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिये आवश्यक है कि तत्काल वहां अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय, ताकि जनप्रतिनिधि और वहां के आम लोगों को सुरक्षा मिल सके।

मान्यवर, भदोही नगर की हालत जर्जर है वहां पैदल चलना मुश्किल है सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। भदोही डालर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां का बना हुआ कारपेट दुनिया में प्रसिद्ध है, वहां के विकास के लिये पैसा भारत सरकार से मिलता है लेकिन वहां सड़कों और नालियों की हालत को देखते हुए विदेशी व्यापारी बनारस आकर ही लौट जाता है जिससे वहां के कारपेट बनाने वालों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि वहां की सड़कों और नालियों के लिये अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाय, वहां की पेयजल की समस्या सुधारी जाय।

भदोही में एक जिला अस्पताल मुख्यालय में बनाया जाय ताकि कारपेट का कारोबार करने वाले, उसमें काम करने वाले गरीब मजदूर जो बीमार पड़ जाते हैं उनकी बीमारी का इलाज वहीं हो सके, गरीब मजदूर होने के कारण वह अनेक लम्बी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इसलिये वहां एक अस्पताल मुख्यालय में स्थापित किया जाय जिसमें सारी सुविधायें उपलब्ध हों। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है बधाई देता हूं और समर्थन करता हूं।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज इस प्रदेश की दलित महिला मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। परम पूज्य डा० भीमराव अम्बेडकर ने वर्गविहीन समाज की स्थापना की जो प्रेरणा दी थी उससे निश्चित रूप से गरीब और दबे लोगों को ऊपर उठने का मौका मिला है। उसी के साथ-साथ अपने को ऊंची जाति का कहने वाले लोगों में जो छुआछूत की बीमारी थी उसको समाप्त करने के लिये सन् 25 में डा० हेडगेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की और आदरणीय

नोट –* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पं० दीन दयाल उपाध्याय जी ने आदर्श समाज की स्थापना का सोच दिया तो उसी सोच के अन्तर्गत आज उत्तर प्रदेश में दलित मुख्य मंत्री बना तो उन सभी महान राष्ट्र प्रेमियों को मैं धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, आज इस बजट को देख कर थोड़ा कष्ट भी हमें होता है। माननीया मुख्य मंत्री मानती हैं कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर उनकी जान बचाई है और प्रेस वालों ने उनकी मदद की है तो मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में ताज प्रेस क्लब के लिये मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की थी लेकिन वह 10 लाख रुपया ताज प्रेस क्लब की बिल्डिंग के लिये नहीं मिल पाया है जिससे पत्रकारों को कष्ट का सामना करना पड़ा रहा है। मान्यवर, इस समय आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी योजनायें चलायी जा रही हैं वह फेल हो गयी हैं। हुडको से ऋण लिया है लेकिन उसे वह चुका नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा 50 करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना आगरा में बनाई जा रही है आगरा की जनता को आगरा विकास प्राधिकरण से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और जो योजनायें चलाई जा रही हैं वे सभी फेल हैं। मेरी सरकार से मांग है कि आगरा की जनता के लिये पर्याप्त शौचालय बनाये जायं। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि आगरा की जनता को अपने इलाज के लिये अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, आगरा में बिजली शिक्षा नहीं मिल पा रही है जिससे वहां की जनता परेशान है इस ओर सरकार ध्यान दे। बिजली न मिलने के कारण वहां के उद्योगपति जेनरेटर चला कर प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे। मान्यवर, आगरा का दुर्भाग्य है कि वहां की जनता चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा की बात हो इन सभी समस्याओं से वहां की जनता ग्रसित है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दे।

मान्यवर, आगरा जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुत संख्या है और इस वर्ग के लोग आगरा में 50 प्रतिशत से अधिक रहते हैं लेकिन इन लोगों की दलित मुख्य मंत्री के समय में यह समस्यायें दूर नहीं हुई तो कब दूर होंगी ? मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि हम इनकी समस्याओं को दूर करना चाहती हैं लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आगरा की जनता के लिये मुख्य मंत्री जी क्या करती हैं ? मान्यवर, यह भी कहा जाता है कि आगरा की जनता ने मुख्य मंत्री की पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं जिताया है इसलिये ऐसा न हो कि वहां के लिये कुछ न किया जाय। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आगरा की तमाम समस्याओं को सरकार दूर करने का शीघ्र प्रयास करे। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री इन्द्रभद्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन द्वारा रखे गये बजट पर मुझे भी आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च करने का जो प्राविधान रखा है मैं उसके लिये उनका आभारी हूं। निश्चित रूप से उनके मन में गांव के विकास के लिये जो पीड़ा थी उसके लिये उन्होंने धन का आवंटन सुनिश्चित किया है।

मान्यवर, बजट भाषण के पेज 5 पर माननीया मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिये बिजली की अबाध उपलब्धता का जिक्र किया है और उसके पूर्व भी इस सदन के कई मुख्य मंत्री बिजली की बात

को लेकर काफी चिंतित रहे हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं जहां उनकी मंशा गांवों में विद्युत आपूर्ति 16 घंटे सुनिश्चित करने की है जैसा बजट भाषण के पृष्ठ 5 पर दिया है कि 16 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी लेकिन आज के हालत को देखते हुए, विशेषकर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड वल्दीराय के बारे में कहना चाहता हूं और पिछले बजट सत्र में भी मैंने यहां सदन में सरकार से अनुरोध किया था और पुनः आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 16 घंटे विद्युत आपूर्ति हमारे विकास खण्ड वल्दीराय में केवल कागजों में है । इस संबंध में मेरे बार-बार के प्रयास के बावजूद लगता है कि विभाग इसके प्रति कतई सचेष्ट नहीं है । दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी बल दिया है । (व्यवधान) आप बहुत कम समय दे रहे हैं, मुश्किल से अभी दो मिनट हुए हैं । बहुत कम गांवों में और विशेष रूप से दलित परिवार वाली बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

पिछले सदन में भी विद्युत विभाग के बजट पर इस बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । आज भी कई गांव सभाएं ऐसी हैं जहां पोल पड़े हैं, लेकिन वहां के तार कहीं अन्य गांवों में चले गये हैं, जिनका पता नहीं है । ग्राम सभा खादर, बसन्तपुर, ब्लाक कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में आज भी 30 पोल सन् 1990 से पड़े हैं और वहां के तार और कहीं लगे होंगे । केवल कागज में विद्युतीकरण हो गया और लाईन आज तक उस गांव में नहीं पहुंची हैं । इसी तरह से तीन अन्य भी ग्राम सभाएं हमारे यहां की हैं, जैसे जरइकला, ब्लाक वल्दीराय और धनपतगंज ब्लाक के कन्हैटी एवं पीपरगांव । इन स्थानों पर क्रमशः 36, 41 और 35 पोल विभाग द्वारा भेजे गये थे, लेकिन तार आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी कृपया उसे पूर्ण कराने का कष्ट करें ।

मैं नेता सदन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट में निराश्रित वृद्धों, विधवाओं के लिये पूर्व वर्ष में निर्धारित धनराशि में 34 प्रतिशत की इस बार वृद्धि की है और किसान पेंशन के लिये जो करीब 19 करोड़ की वृद्धि की है, उसके लिये भी वह धन्यवाद की पात्र हैं । लेकिन एक निवेदन करूंगा कि वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को जो पेंशन वितरित की जाती है, उसके लिये यह निश्चित नहीं है कि किस माह से किस माह तक की पेंशन उन्हें दी जा रही है । इसमें बड़ा विषम अन्तराल हो जाया करता है । तो इसके लिये एक उचित समय निर्धारित किया जाये । (इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए) इसमें समय का पालन भी कराया जाय, जिससे सम्बन्धित वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पता लगे कि कब से कब तक की पेंशन मिली है और अब कब मिलेगा ?

जहां तक पेयजल व्यवस्था का जिक्र किया गया है, इसके पूर्व भी मैंने मुख्य मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से यह अवगत कराया था कि हमारे क्षेत्र वल्दीराय में पेयजल की गम्भीर समस्या है । आज भी वहां शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध नहीं हो पाता है । आज जब इस मद में उन्होंने अधिक धन का प्राविधान रखा है तो वल्दीराय के लिये भी और अधिक धन की व्यवस्था की जाए । अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मेरे ही जनपद से ही आपका भी क्षेत्र आता है आप वहां के विधायक हैं और उसी क्षेत्र के निवासी सदन में नेता सदन रहे हैं और माननीय अध्यक्ष रहे हैं उनका भी मेरा ही क्षेत्र रहा है (व्यवधान) एक मिनट का समय आप जिले के नाते ही और दे दें । श्री श्रीपति जी मिश्र, मेरे ही क्षेत्र के विधायक, मा० अध्यक्ष और मुख्य मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा जिन बहुत सी सड़कों का शिलान्यास

किया गया है । पत्थर लगे पड़े हैं । मैं चाहता हूं कि जितना परिव्यय निर्धारित किया गया है उसमें इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर आप ले लें । श्रीमन्, एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आप सब भी उससे अवगत होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, एक मिनट का समय और दें अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा । माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ–14 पर सिंचाई के लिये निशुल्क सिंचाई व्यवस्था का प्राविधान किया गया है । हमारे विकास खण्ड सुल्तानपुर में आज भी जितने राजकीय नलकूप हैं 80 प्रतिशत खराब पड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

श्रीमन्, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । जो राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं उनके बारे में आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से चाहता हूं कि उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाय । पृष्ठ–16 पर ग्राम सभाओं के तालाबों को पट्टे पर मछुआरों को देने की बात कही है । इस संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत से ग्राम सभाओं में मछुवारे नहीं हैं तो वहां पर अन्य व्यक्तियों को तालाब पट्टे पर दिये जाय । अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि खेलकूद और बाल कल्याण पर बहुत कम शब्दों में बात रखी गयी है । बहुत से साथी अवगत होंगे कि आज प्रदेश में जितने भी स्टेडियम बने हैं वहां शुल्क लिया जा रहा है । यह पिछली सरकार ने नई व्यवस्था की थी.....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता सदन से निवेदन करूंगा कि इस शुल्क को समाप्त किया जाय। मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट भाषण का समर्थन करता हूं ।

श्री मन्नू लाल कुरील–

मान्यवर,

इस जमाने की बेइन्साफिया किससे कहूं हमदर्द।
चमनवालों को दीदारे–ए-चमन नहीं मिलता ।
किसी के पैरों तले बिछते हैं गलीचे ।
किसी को बाद मरने तक कफन नहीं मिलता ।

प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया तो यह आशा थी कि यह बजट दलितों पीड़ितों के लिये लाभकारी होगा लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आज की स्थिति वैसी ही है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां की भूमि ऊबड़-खाबड़ है। यहां पर पैदावार नहीं होती है। यहां के लोग पानी के लिये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति की ओर से पानी नहीं मिलता तो कुछ भी पैदावार नहीं हो पाती है। इसी तरह से प्रदेश से दूर होने के कारण यातायात के साधन मुहैया नहीं होते। पेयजल की स्थिति यह होती है कि बरसात के दिनों में तो पानी मिल जाता है लेकिन गर्मी के दिनों में अप्रैल मई के शुरू होते ही पानी का जल स्तर नीचा हो जाता है। हैण्ड पम्प सूख जाते हैं और क्षेत्रीय लोगों को एक-दो किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि शासन की ओर से बुन्देलखण्ड के लिये अलग से बजट में प्राविधान किया जाय। सड़कों के विकास एवं निर्माण के लिये जो धनराशि है उसको और बढ़ाया जाय। पिछली सरकार ने बुन्देलखण्ड को विकसित करने के लिये 10 करोड़ रुपया दिया था मैं चाहूंगा कि वर्तमान मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी 15 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित करें और बुन्देलखण्ड का विकास सुनिश्चित करें। ताकि सड़कों का विकास और हो सके और प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित रूप से चलाये जा सकें। मैं जिस मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आता हूं वहां पिछड़े लोग रहते हैं वहां लकड़ी बेचने के अलावा लोगों के पास कोई धंधा नहीं है। वहां की जमीन ऊबड़-खाबड़ है मेरा सरकार से निवेदन है कि जमीन को समतल बनाने के लिये शासन की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग वहां जीवन यापन कर सकें और अपने परिवार का पालन कर सकें। लकड़ी बेचने के बारे में वन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लकड़ी बेचने को रोक देते हैं उनके खाने के लाले पड़ते हैं मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र को ऊपर उठाया जाय। एक निवेदन और करूंगा पिछली भा०ज०पा सरकार ने प्राविधान किया था कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक बालिका माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। एक सरकार चली गई बालिकाओं के विकास के लिये उनके कल्याण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक इण्टर कालेज खोला जाए।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

* श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड जो प्रदेश का सबसे बड़ा पिछड़ा भू-भाग है यहां की जनता इस प्रदेश की सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछले पूरे वर्ष भर उद्वेलित रही है, आन्दोलित रही है। श्रीमन्, कुछ राजनीतिक दलों ने वहां की जनता को उकसा कर उनकी भावनाओं से खेलकर वहां एक ऐसा आन्दोलन पैदा कर दिया कि आज वह लोग उत्तराखण्ड की बात करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका इस सरकार को समर्थन प्राप्त है। वहां का विकास खत्म हो गया है। गत वर्ष से आज तक जो पैसा वहां दिया गया है पिछली सरकार ने पैसा वापस मंगाकर उसका अपव्यय न जाने किन योजनाओं में परिवर्तित करके किया है। उस धन को पहाड़ में वापस

नोट –* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाए और पहाड़ की योजनाओं के निर्माण पर लगाया जाए । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा 31 मार्च को एक शासनादेश हुआ वहां की सड़कों के लिये, वहां के पुलों के लिये, जो धन उपलब्ध कराया गया था वहां से बहुत दूर होने के कारण वहां के कमिश्नरों के खाते में पैसा जमा नहीं हो सकता था, इसलिये सरकार ने व्यवस्था की कि यह पैसा जिलाधिकारी लखनऊ के खाते में जमा किया जाए । लेकिन मान्यवर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी के खाते में पैसा जमा नहीं कराया जिससे व्यवहारिक अड़चन आ रही है यह शंका की जा रही है कि स्वीकृत योजनाओं को यह रद्द न कर दें ऐसा इसलिये किया गया, क्योंकि बी० जे० पी० के विधायक लाभ से वंचित रह गये । श्रीमन्, मुख्य सचिव का यह आदेश चला गया है कि 20 प्रतिशत तक जिन योजनाओं में काम नहीं हुआ है वह रोक दी जाएं । इस आदेश के तहत वहां सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये सरकार को आदेशित किया जाए ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान जिन आन्दोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था जो आज भी जीवन मृत्यु से खेल रहे हैं उनको इस सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया और यह नहीं दिया गया तो क्या अन्य मृतकों को घायलों को; उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों को मुआवजा दिया जायेगा । मेरा सरकार से निवेदन है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान खटीमा मंसूरी मुजफ्फरनगर कांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से की जा रही है उसके अलावा मानव आयोग और अन्य एजेन्सियों द्वारा भी उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान हुई घटनाओं की जांच की जा रही है ? मैं सरकार से निश्चित रूप से आश्वासन चाहता हूं कि उस आन्दोलन के दौरान जिन अधिकारियों ने आन्दोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और निर्दोष लोगों की जानें लीं और घायल किया उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाए । पवतीय क्षेत्र में चालू योजनाओं का सुदृढ़ीकरण और वहां के कार्य को पूरा कराने में इस सरकार ने प्राथमिकता से काम कराने का निर्णय लिया है मेरा निवेदन है कि करोड़ों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जाता है उसका बहुत अपव्यय होता है उसको रोका जाए । वहां की योजनाओं की देख रेख के लिये स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी समिति गठित की जाए जो उनकी देखभाल करने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दे । श्रीमन्, इस बजट भाषण में सरकार द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि उत्तराखण्ड के नागरिकों के विरुद्ध जो मुकदमें न्यायालयों में लम्बित थे वह वापस ले लिये गये है यह सरासर झूठ है क्योंकि वहां के आन्दोलनकारी मुकदमें भुगत रहे हैं । मान्यवर, मैं वहां की मूलभूत समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पूरे उत्तराखण्ड में पिछले वर्ष उत्तराखण्ड का विकास कार्य नहीं हुआ है । इसलिये पिछले वर्ष के धन का सही वितरण वहां पर कराया जाए और जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए जाएं, उनको दण्डित किया जाए । बजट भाषण के 38वें पेज पर यह दर्शाया गया है कि उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों पर जो मुकदमें न्यायालय में लम्बित थे उनको वापस ले लिया गया है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और मेरी जानकारी में है कि आज तक किसी पर कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है और अगर मुकदमें वापस लिये गये हैं तो उसकी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए । मेरा निवेदन है कि उसकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर विकास पर्यटन के माध्यम से किया जा सकता है, पशुपालन के माध्यम से किया जा सकता है । वहां की बेरोजगारी दूर करने के लिये पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।गढ़वाल मोटर आनर्स, के० एम०

ओ०, टी० एम० ओ० के माध्यम से गाड़ियां चलाई जाती हैं। पिछले वर्ष व्यवस्था की गयी है कि लाइसेन्स बाहर के लोगों को दिये जाते हैं जिससे स्थानीय मोटर मालिक प्रभावित होते हैं। उनके रोजगार बन्द हो गये हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

अंश कालिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में पूर्व मुख्य मंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन कराते हुए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की सेवा के अनुभवी व्यक्तियों, शिक्षकों को रोजगार की गारन्टी देने का कष्ट करें। हिल कैडर क्लास–2 तक लागू कर स्थानीय युवकों को रोजगार दिये जाने, कैडर के अनुसार .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

पदोन्नतियों पर लगी रोक को शीघ्र हटाकर सभी पदों को शीघ्र भरा जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण, पालीटेक्निक, होटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कालेज आदि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, पर्वतीय क्षेत्र में हैं उनमें स्थानीय युवकों को भरती किया जाए और यह निश्चित किया जाए कि कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय युवकों का चयन इन संस्थाओं में किया जाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये पर्यटन, पशुपालन, मत्स्य पालन, हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, हार्टीकल्चर के माध्यम से फलों के उत्पादन, पुष्प उत्पादन और जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से वहां के विकास की आधार शिला बनाई जाए और ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिससे वहां के विकास का लाभ पूरे प्रदेश को मिल सके।

* श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं आपके माध्याम से सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले रायबरेली जनपद का पूर्वांचल विकास निधि से पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाए ताकि रायबरेली को अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलोन में विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत दी जा रही है जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की कटौती की जा रही है। मेरे क्षेत्र के विकास के लिये यह आवश्यक है कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्युत दी जाय। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सलोन विधान सभा क्षेत्र में जो गांव हैं वहां पर आने जाने के लिये सड़क ठीक न होने के कारण लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। सड़कों पर जो बोल्डर डाल दिये गये हैं उन पर जब वहां के किसान सायकिल से चलते हैं तो उनको सायकिल के टायर 6 महीने भी नहीं चलते हैं और बोल्डरों के कारण कट जाते हैं। सलोन विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन सड़कों पर बोल्डर बिछाये गये हैं उन सड़कों का डामरीकरण किया जाय ताकि जनता

नोट –* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को आने जाने में असुविधा का सामना न करना पड़ें । हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है । जहां पर भी जाता हूं वहां की जनता मुझसे हैण्ड पम्प मांगती है । पूर्व सरकार ने अपने विधायकों के लिये 100-100 हैण्ड पम्पों को दिया था लेकिन जो विधायक भाजपा के थे उनको एक भी हैण्ड पम्प नहीं दिया गया था । मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि सलोन विधान सभा क्षेत्र में 150 इंडिया मार्क–II हैण्ड पम्प दिये जायं ताकि वहां की जनता की पेयजल की समस्या का समाधान हो सके । मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं मैं आपका आभारी हूं ।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पिछली सरकार के समय में जिस तरह की अराजकता, अन्याय, अत्याचार, हत्याओं, बलात्कार और जो जो इस तरीके शब्द कहे जायं वह कम ही पड़ जाते हैं, इनका ही पिछली सरकार में बोलबाला था । जो वातावरण पूरे प्रदेश में बन गया था वह इस सरकार के आने से खत्म हुआ है । पूरे प्रदेश की जनता ने आजादी में सांस ली है और आजादी महसूस की है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब पूरा प्रदेश पिछली सरकार के अत्याचार, अन्याय और शोषण से त्रस्त था इस सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाल कर जनता को राहत पहुंचायी है । उस सरकार के हटते ही पर्वतीय क्षेत्र में एक हर्ष का माहौल बना है । पिछली सरका ने पर्वतीय क्षेत्र में एक हर्ष का माहौल बना है । पिछली सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास का गला घोंट दिया था और जो विकास कार्य रोक दिये गये थे उनको यह सरकार शुरू कर रही है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने चहेतों को 45 करोड़ 10 लाख रुपये की सड़कें बांटी थी लेकिन भा० ज० पा० के किसी भी सदस्य के क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं दी गयी । जब कोई भी मुख्य मंत्री सदन में शपथ ग्रहण करता है तो वह व्यक्तिगत राजनैतिक विद्वेष से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को समान रूप से देखता है । लेकिन पिछली सरकार ने पहाड़ के संबंध में जो किया वह इस देश के इतिहास में कलंक के रूप में अंकित रहेगा । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के जो पिछड़े काम हैं उसको यह सरकार तीव्र गति से शुरू कराये । पृथक उत्तरांचल के प्रस्ताव के ऊपर यह लोकप्रिय सरकार जैसा कि विगत सरकारों ने 2 प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजे हैं हमें आशा है कि यह सरकार भी उसी तरह उत्तरांचल के प्रस्ताव को पारित कर केन्द्र सरकार को तत्काल भेजेगी । मान्यवर, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और अनेक स्थानों पर 25-25 रुपये का एक कनस्तर पानी मिल रहा है और 15-15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है । अहिरौली, पोखरा, टानकोट, इमैला, वीरोखाल, बाडुला आदि ऐसे अनेक गांव हैं जहां पानी का भारी अभाव है वहां लोगों ने अपने जानवर बेच दिये हैं और लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं पेयजल की समस्या बराबर बनी हुई है । सड़कों की स्थिति वहीं है । विद्युत की स्थिति यह है कि 1972 से जो पोल खड़े हैं वह आज भी खड़े हैं मेरा अनुरोध है कि इन पालों पर विशेष व्यवस्था के तहत विद्युतीकरण किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, चिकित्सा की स्थिति यह है कि पिछले डेढ़ दो वर्षों से एक रुपये की भी दवाई आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नहीं गयी है जबकि अधिकांश स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं और अस्पतालों के स्थिति यह है कि अस्पताल काफी दूर-दूर हैं जिससे वहां के मरीजों को 25–30–40–40 कि० मी० दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है और इतनी दूर जाने के कारण वह बीच में ही अपना दम तोड़ने पर मजबूर हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि चिकित्सालयों में दवाई पहुंचे तथा अधिक से अधिक चिकित्सालय कर्ण प्रयाग क्षेत्र में खोले जांय।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 4पी अधिकारियों को भेजा जाता है या तो पेंशन के लिए, या पनिशमेन्ट के लिए, या प्रशिक्षण के लिए या पैसों के लिए जोकि पहाड़ के लिए नितान्त दुर्भागयपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्र में संघर्षशील, योग्य और उत्तम प्रविष्ट के लोगों को भेजा जाना चाहिए।

मान्यवर, श्री मुलायम सिंह यादव ने वहां के विकास का गला घोट दिया है उनहोंने वहां के सारे विकास के कार्य को ठप करके राजनीतिक विद्वेषिता की भावना से काम किया है।

"असम्भवम् हेम मृगस्यजन्म, तथापि रामो, लुलुभे मृगायाः
प्रायः समापनां विपत्ति काले, धीयोअपि पुसां मलिनाः भवन्ति।"

मान्यवर, जब किसी के जाने के दिन होते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है और इसी के तहत उनहोंने उत्तराखण्ड पर अत्याचार किया है। मुझे आशा है कि उत्तरांचल के अन्दर यह सरकार विकास के कार्य शुरू करेगी इसी आशा और विश्वास के साथ इस सरकार के बजट पर बल देता हूं।

श्री राजा राम त्यागी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं एक ऐसे जनपद से विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पूरे देश का ही नहीं, प्रदेश की ही नहीं पूरे विश्व के 101 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती इन्दिरागांधी प्रतिनिधित्व करती थीं। माननीय प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं मैं उनको बताना चाहता था। कांग्रेस के शासन में विकास के नाम पर वहां एक ढकोसला था मैं बताना चाहता हूं कि वहां कोई विकास नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पीने के पानी की समस्या है। पूरे विधान सभा में पानी की समस्या बनी हुई है। निश्चित रूप से जो बहन सुश्री मायावती जी ने बजट पेश किया है वह जनता के लिए सुखदाई होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रायबरेली जनपद में करीब एक साल के वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। बिजली की समस्या इतनी गम्भीर है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है। पिछली सरकार ने पेयजल के लिए सपा विधायकों को जल निगम के माध्यम से 100–100 हैण्डपम्प इंडिया मार्क–2 दिये थे। वहीं पिछली सरकार ने भाजपा विधायकों के साथ पक्षपात किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक हैण्डपम्प वहां के लिए उपलब्ध कराये जायें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर विद्युत के खम्भे तो गाड़ दिये गये हैं लेकिन उनमें तार नहीं खींचे गये हैं जिससे लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक सड़कों पर गिट्टी पड़ी हुई है लेकिन उस पर तारकोल नहीं डाला गया है जिससे जनता को आने-जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्ययवर, मा० मुलायम सिंह यादव ने वित्तीय कुप्रबन्ध, अपव्यय और जन विरोधी नीतियों से प्रदेश को दिवालिया बना दिया था। मा० मुलायम सिंह यादव ने अपने विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है। वर्ष 1993-94 में 20 लाख के प्राविधान के विपरीत 2 करोड़ 92 लाख 79 हजार व 1994-95 में 29 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किये। वर्तमान परिस्थितियों में जो बजट माननीया मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा है और सराहनीय बजट है, जिसके लिये वह बधाई की पात्र हैं उन्होंने गांव और गरीबों का ख्याल रखते हुए प्रदेश सरकार के वार्षिक परिव्यय का 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पर बल दिया है। मान्यवर, कुल विभाज्य परिव्यय का 27 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के विकास के लिये रखा गया है। फास्फेटिक और पोटेन्सिक उर्वरकों को व्यापार कर से मुक्त करके 75 करोड़ की राहत दी है और एक लाख निर्बल वर्ग के आवास निर्मित किये जाने की व्यवस्था की है। आर्थिक अपराधों के निस्तारण हेतु लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मेरठ में विशेष अदालतों की स्थापना बहुत अच्छा कदम है। दुर्बल वर्ग की महिलाओं के लिये लखनऊ, आगरा, में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का प्राविधान एक सराहनीय कदम है वार्षिक योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के परिव्यय में गत बजट के मुकाबले वृद्धि की गयी है किसी कार्यक्रम में 24 प्रतिशत, किसी 59 प्रतिशत किसी में 178 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इस तरह से गरीबों की खुशहाली का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

मान्यवर, अब मैं आगरा की समस्याओं के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगरा की सबसे बड़ी समस्या पेय जल की समस्या है और दूसरी समस्या यहां पर बिजली आपूर्ति का निरन्तर न आना है और इस कारण जो पर्यटक आते हैं सुबह आकर शाम को चले जाते हैं। दिल्ली की लॉबी कहती है कि वहां पानी नहीं है, वहां निरन्तर बिजली नहीं, गुंडागर्दी होती है। दिल्ली की लाबी को निष्प्रभावी करने के लिये वहां निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जाय। ताज क्षेत्र में जो प्रदूषण की आशंका बनी रहती है उस आशंका से बचा जाय। पानी के लिये बैराज निर्माण की आवश्यकता है। बैराज का निर्माण किया जाय। जब तक बैराज का निर्माण नहीं होता है मथुरा के माट ग्रांट नहर का पानी आगरा को दिया जाय। आगरा में 600 गैलन लीटर प्रतिदिन के पानी की आवश्यकता है। लेकिन 435 गैलन लीटर पानी उपलब्ध होता है। 165 गैलन लीटर जो पानी की कमी बनी हुई है उसको दूर किया जाय। उस पानी को शुद्ध करने के लिये एक विशेष अनुदान जल संस्थान को दिया जाय जिससे शुद्ध पानी जनता को मिल सके। वहां पर बैराज का निर्माण किया जाय जिससे पानी की समस्या दूर हो सके।

मान्यवर, इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों का जाल बिछाने के लिये, इस शहर को प्रदूषण से बचाने के लिये वहां रिंग रोड का निर्माण हो। मान्यवर, इसलिये जैसा कि मैंने पहले कहा था आगरा एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देता है पानी शुद्ध रूप से मिले, निरन्तर विद्युत आपूर्ति मिले, इसे प्रदूषण से बचाने के लिये इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों का जाल बिछाया जाय ताकि पर्यटक वहां 2-4 दिन रह सकें और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीबों को रिक्शे वालों को, तांगे वालों को, मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके, इससे आगरा और अधिक विदेशी मुद्रा दे सकेगा । अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा में बैराज का निर्माण और रिंग रोड के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय । कहने के लिये आगरा एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है लेकिन उद्योग वहां खत्म हो रहे हैं । ताज क्षेत्र जो आगरा मथुरा तक फैला हुआ है उन पर ध्यान दिया जाय । आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, फतेहपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी से निर्वाचित होकर मैं अपने मालिकों की सेवा करने के लिये यहां आया हूं ।

मान्यवर, जब से सदन में निर्वाचित होकर आया हूं दो-दो मुख्य मंत्रियों के बजट भाषण सुनने का मौका मिला है । इसके पूर्व मुख्य मंत्री मा० मुलायम सिंह यादव जी का पूरा बजट भाषण सुनने का मौका मिला । विपक्ष में होते हुए भी लगा था कि बजट बड़ा लुभावना है गांव के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, दलितों के लिये, शोषितों के लिये और यहां तक विकलांगों के लिये भी उसमें बात कही गयी । पूर्व मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि गांवों को 14 घंटे बिजली मिलेगी और पूंछ तक नहरों को बम्बों को पानी मिलेगा । 14 घंटे तो दूर 4 घंटे भी बिजली हमारे गांवों को नहीं मिली । पूंछ तक पानी तो दूर रहा मूंछ तक भी पानी नहरों को बम्बों को नहीं मिला । इसके साथ ही बिन्दकी में भारी पेयजल का संकट है । भारी संघर्ष के बाद 10 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प आवंटित हो पाये हैं । जितने भी सरकारी नलकूप लगे हैं, उनको देखा जा सकता है । जितने भी बिजली के खम्भे हैं, गांवों का विद्युतीकरण कागजों पर हो गया है मौके पर विद्युतीकरण नहीं है । 50 प्रतिशत इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प जो लगे हुए हैं खराब पड़े हुए हैं । विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी 141 ऐसी सड़कें हैं जिनके निर्माण न होने से गरीबों किसानों और तमाम जनता को भारी परेशानी हो रही है । 10 किलोमीटर क्षेत्र में कोई पशु सेवा केन्द्र नहीं है ।

जिन किसानों के गाय, बैल बीमार हो जाते हैं, उन्हें उपचार हेतु 10-10 किमी० दूर ले जाना पड़ता है । तमाम ऐसे गांव हैं, जैसे अरौती, जद्दूपुर, रायपुर, फौलादपुर, आलमपुर, मैहीपुर, बसियापुर, महमूदपुर, उर्दूपुर, विक्रमपुर, तंबुली, बाहूपुर, कटरी, पुरानी कटरी, धोबीखेड़ा, जहां 90 फीसदी जाति, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । यदि इस सरकार में भी इन गांवों को पेयजल, बिजली, सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी, तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो यहां जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, के रहते कभी यहां का उत्थान नहीं हो सकेगा । इसके साथ ही साथ मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि अपने बजट में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है । मैं काफी लम्बे समय से यह मांग करता रहा हूं कि विकलांगों के लिये एक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाय । पहली बार इस बजट में देखने को मिला कि विकलांगों के कल्याण के लिये एक बोर्ड का गठन किये जाने की बात है । मान्यवर, यहां श्रीराम पाल जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि विकलांगों का शोषण करने वाली तमाम संस्थायें बनी हुई हैं, जो तथाकथित ऐसी संस्थायें विकलांगों से चन्दा लेती हैं, ऐसी तमाम संस्थाओं की लोगों द्वारा शिकायतें मिलती हैं, ऐसी शिकायतों की उन शहरों के जिलाधिकारियों से जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कराई जाय और जो बोर्ड का गठन हुआ है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि किसी विकलांग को ही उसका अध्यक्ष नामित करने का कष्ट करें।

इसके साथ ही साथ विकलांगों, पीड़ितों, दलितों, शोषितों के प्रति इस सरकार ने जो चिन्ता जताई है, कहीं उसी प्रकार ऐसा न हो, जैसा पूर्व मुख्य मंत्री ने बड़ा लुभावना बजट पेश किया था और उसके बाद क्या हुआ, यह सभी को मालूम है। इसलिये इस बजट को अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव महरी है, जो जी० टी० रोड से 5 किमी० की दूरी पर है, वहां मिर्गी, दौरे, बेहोशी की निशुल्क दवा दी जाती है, इस दवा को लेने के लिये बड़ी दूर-दूर से लोग वहां आते हैं, लेकिन वहां आने का मार्ग बिल्कुल खराब अवस्था में है, जिससे लोगों को वहां दवा लेने आने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं शासन से मांग करता हूं कि जल्दी ही इस सड़क को बनवाया जाय, ताकि वहां मिलने वाली दवा से लोग वंचित न रह सकें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, गुड़िया, दशहरा, दीपावली, रक्षाबन्धन का त्योहार आने वाला है, इस मौके पर तमाम लोग वहां दवा लेने आयेंगे, आप जानते भी हैं कि जो कमजोर होगा, पीड़ित होगा, उसी को दवा की आवश्यकता होगी, अतः ऐसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का तत्काल निर्माण कराया जाय। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। जब अधिष्ठाता महोदय इस कुर्सी पर बैठते हैं तो नये सदस्यों को बड़ा भरोसा रहता है और जब अध्यक्ष महोदय इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिये ही समय देते हैं, जबकि अधिष्ठाता महोदय की निगाह शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर जाती है, इसलिये मैं उनका पुनः हृदय से आभारी हूं।

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सर्वप्रथम जो बजट भाषण आया है उसके पृष्ठ–38 पर घोषणा आयी है कि जो मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे, सी० बी० आई० की जांच रिपोर्ट के आधार पर, उनके खिलाफ मौजूदा सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड के निर्दोष व्यक्तियों पर जिन पर दमन अत्याचार हुए, उनको वापस लिया जायेगा। इस घोषणा का मैं अपनी ओर से और पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि कितने ही बड़े पद पर कोई व्यक्ति क्यों न हों, चाहे वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ही क्यों न हों, यदि सी० बी० आई० की जांच के घेरे में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दण्डित करने के लिये तनिक भी संकोच नहीं किया जाना चाहिए। मैं केवल दो तीन बिन्दु आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

पहली बात जैसा कि अभी पूर्व वक्ता डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी ने बताया कि 45 करोड़ 10 लाख रुपये की स्वीकृतियां मार्च में जारी की गयी थी उसमें कई त्रुटियां थीं, विसंगतियां थीं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उसकी समीक्षा करके सभी 19 के 19 विधान सभा क्षेत्रों में समान रूप से वितरण किया जाये।

दूसरी बात हिल कैडर 25-11-92 से लागू है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा कहना है कि आज भी हिल कैडर प्रभावी रूप से लागू नहीं है। अनुसूचित या गरीब तबके के जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से रोजगार, नियुक्ति पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिल कैडर में 31 विभाग शामिल किये गये हैं मैं चाहता हूं कि उन 31 विभागों में सम्यक् रूप से हिल कैडर लागू रहे। मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री रमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में

"कौशिक समिति" का गठन किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट आयी थी उसकी रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार किया था। उसमें वर्तमान के 8 जिलों का परिसीमन कर 14 जिलों के पुनर्गठन की बात कही गयी थी, इसके साथ ही तीसरी कमिश्नरी बनाने की बात भी हुई थी। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस विषय को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गम्भीरता से लें। इसका परसीमन करने के लिये राज्य सरकार सक्षम है, इसका परिसीमन किया जाये।

मान्यवर, मैं रानीखेत विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। यहां की अधिकांश सड़कें कच्ची हैं और काफी खराब हैं। इन सड़कों के लिये विगत दो-तीन वर्षों से कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मोटर मार्गों को पक्का किया जाये और नये मोटर मार्गों का निर्माण किया जाये और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि रानीखेत को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से दोहरायी जा रही है तथा राजस्व परिषद् के पास विचाराधीन है। इसको अविलम्ब जिला घोषित करने के लिये शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे उत्तराखण्ड का क्षेत्र विगत एक वर्ष से लगातार दमन, अत्याचार, हड़ताल और आन्दोलन का केन्द्र रहा है। वहां की समस्याओं का समाधान न होने के कारण ऐसी स्थिति रही है। मेरा निश्चित मानना है कि मौजूदा सरकार उत्तराखण्ड की ओर ध्यान देगी। मौजूदा सरकार ने उत्तराखण्ड के लिये 547 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी तथा प्रदेश के मंत्रिमण्डल को बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ ही इस बजट पर बल प्रदान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं, आपका आभारी हूं। मैं जनपद रायबरेली के तिलोई विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। अभी रायबरेली जनपद के दो विधायकों ने बोला उसी संदर्भ में, मैं अपनी बात कह रहा हूं। उसी संदर्भ में, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि रायबरेली जनपद को आज से कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मानचित्र से निकाल दिया गया था। 1966 में ही इसे उत्तर प्रदेश के मानचित्र से निकाल दिया गया था जब हमारे जिले से श्रीमती इन्दिरा गांधी जी सांसद थीं। रायबरेली को सीधे केन्द्र से पैसा मिला करता था। 1984 में उनका देहान्त हो गया और फिर श्री राजीव गांधी जी उस जिले से सांसद बन गये और वही व्यवस्था जारी रही। केन्द्र से पैसा आता रहा परन्तु जब उनका देहान्त हो गया तो अब इस जिले को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जो केन्द्र से पैसा दिलवा सके। अभी भी इस जिले का नाम प्रदेश के मानचित्र से हटा हुआ है। इसलिये मेरा वर्तमान मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम वह रायबरेली जनपद को उत्तर प्रदेश के मानचित्र में वापस ले आयें ताकि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को जो बजट मिलता है, इसे भी मिल सके। आज जो रायबरेली का बजट है वह इससे कम है। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। सैकड़ों किलोमीटर सड़क पड़ी हुई हैं जिन पर निर्माण कार्य होना है। जिनसे लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं।

इसलिये इन सड़कों का निर्माण कराया जाय। पेयजल की आज यहां पर गम्भीर समस्या बनी हुई है और पिछले कई वर्षों से सूखा भी पड़ रहा है। रायबरेली में आज भी पानी की अव्यवस्था बनी हुई है। हम सभी विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है कि पूर्वांचल विकास निधि से रायबरेली को जोड़ दिया जाय ताकि इसका अधिक से अधिक से लाभ वहां की जनता को मिल सके और विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जब इस प्रदेश की जनता ने तानाशाही सरकार से मुक्त होकर खुले आसमान के नीचे सांस लेना शुरू किया तो बुन्देलखण्ड, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, के लोगों के मन में भी एक आशा की किरण जागी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक बुन्देलखण्ड का नाम लेकर राजनीति करने वाले दल के व्यक्ति ने बुन्देलखण्ड को छला है। ऐसा कोई बजट अभिभाषण नहीं रहा होगा जिस पर बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन पर चर्चा न हुई हो और घड़ियाली आंसू न बहाये गये हों। लगभग तीसरी बार मैं ही चुनकर आया हूं और तीन सरकारें मैं भी देख चुका हूं। हम समर्थन कर रहे हैं परन्तु बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इस बजट भाषण में कहीं पर भी बुन्देलखण्ड का जिक्र नहीं हैं इसे देखकर बड़ा कष्ट हुआ है। ७ विधायक बुन्देलखण्ड से बी० एस० पी० के चुनकर आये हैं कदाचित् अन्य जगहों से ज्यादा इस क्षेत्र से चुनकर विधायक वहां की जनता ने भेजी हैं। इसके बावजूद भी बजट भाषण में उस क्षेत्र की घोर उपेक्षा देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई। मैं न चाहते हुए भी अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। हम समर्थन कर रहें हैं और समर्थन करने के लिये बाध्य हैं।

लेकिन दुख इस बात का है कि जिस जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं, जिसने चुन कर हमें भेजा है उस उत्तरदायित्व को हमें पूरा करना है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुश्री मायावती जी ने जो बजट पेश किया है उसको उठा कर देख लें तो उसमें बुन्देलखण्ड की जिस तरह से उपेक्षा की गयी है वह न करें वहां की तरफ विशेष ध्यान दें अन्यथा वहां की जनता न हमें माफ करेगी और न इस सरकार को माफ करेगी, फिर बुन्देलखण्ड की जनता एक एक कृत्य का हिसाब मांगेगी। बुन्देलखण्ड प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है.वहां की परकैपिटा इनकम सबसे कम है। बुन्देलखण्ड में न तो उद्योगों की अवस्थापना की सुविधायें हैं और जो उद्योग लगे हैं वह भी उजड़ रहे है क्योंकि वहां उद्योगों को मिलने वाली सुविधायें विदड्रा हो गयी है, उद्योगों की अवस्थापना के लिये मिलने वाली सुविधा खतम कर दी गयी है, वहां सैल्सटैक्ट में मिलने वाला एक्जमसन खतम कर दिया गया है, वहां मिलने वाली बिजली की छूट खतम कर दी गयी है। तो फिर बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े इलाके में कौन उद्योगपति उद्योग लगाने आयेगा। जब उसे कानपुर में उद्योग लगाने में सारी सुविधायें मिलेंगी तो वह बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाने नहीं जायेगा चाहे आप जितना प्रयास कर लीजिये। जो उद्योग लगे हैं उन्हें अब सैल्सटैक्स का एक्जमसन नहीं मिल रहा है वहां एक डायमंड उद्योग है जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है वह उद्योग दो काम करता है एक तमाम लोगों को नौकरी देता है इसके अलवा वह जनता के हित में पैसा खर्च करता है, वहां पर्यटन को बढ़ाने में पैसा लगता है। (लाल बत्ती होने पर) आपको मालुम है कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो ५ मिनट और दें। वहां परिछा थर्मलपावर से निकलने वाली कोल ऐश को बहुत बड़ी समस्या है। इस कोल ऐश की समस्या को कैसे खतम किया जाय इससे प्रदूषण वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण होने का खतरा है जनजीवन पर बुरा असर बुरा प्रभाव पड़ता है और आम जनता के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह डायमंड सीमेंट लाखों रुपया इस पर खर्च करता है लेकिन मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे सेल्स टैक्स में कोई एक्जम्सन नहीं है। केवल 5 वर्षों के लिये सैल्सटैक्स में एक्जम्सन था। जब शुरू में यह उद्योग लगा तो उनसे कहा गया कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की तरह 12 साल तक एक्जम्सन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों में यह एकमात्र उद्योग है जो निजी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड में लगा हुआ है लेकिन इसका कम्पटीशन मध्य प्रदेश और राजस्थान से होता है जो उससे लगे हुये हैं। जिन्हें 12 साल सेल्सटैक्स का एक्जम्सन लेते हैं जबकि डायमड सीमेन्ट को यह सुविधा उनको नहीं है जिससे उनसे वह कम्पटीशन नहीं कर पाते हैं।

इस तरह से और भी उद्योगों की अवस्थापना सुविधाओं का अभाव वहां है। पूरा बुन्देलखण्ड विकास के नाम पर त्राहि-त्राहि कर रहा है। वहां के विकास के लिये इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई गयी है, बुन्देलखण्ड की परकैपिटा इनकम सबसे कम है (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तीन मिनट और हैं।

मान्यवर, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाती है कहा जाता है कि वहां की जनता अलग होने की बात कर रही है, वहां के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं ? तो वह दिन दूर नहीं है जब बुन्देलखण्ड के लोग भी अपने सीने पर गोली खाने के लिये आगे बढ़ेंगे। बुन्देलखण्ड के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये और जो अन्याय उनके साथ हो रहा है वह बन्द होना चाहिये अन्यथा वहां की जनता बाध्य हो कर उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिये आन्दोलित हो जायेगी, वहां पृथक राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन शुरू हो गया है, लोग जेल जा रहा है। मैं सुश्री मायावती जी से निवेदन करता हूं कि क्योंकि वह गरीब परिवार से आई हैं और पिछड़े वर्ग की हैं इसलिये उनसे अपेक्षा है कि वह पिछड़े क्षेत्र के दुखदर्द को समझेंगी और पिछड़े बुन्देलखण्ड के साथ न्याय करेंगी वहां उद्योगों को लगाने के लिये सुविधायें प्रदान करें। वहां उद्योग लगाने वालों को सेल्सटैक्स, विद्युत टैक्स में एक्जम्सन दें, वहां जो डायमेंड सीमेन्ट जो निजी क्षेत्र का एकमात्र उद्योग है उसे भी इनमें छूट दें।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत अधिक प्रताड़ित हो रहा है। मान्यवर, 2 तारीख को स्टेट गेस्ट हाउस, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई जिसमें वहां का मिनी मुख्य मंत्री उस घटना में सबसे आगे था उसने झांसी की जनता के जीवन में जहर घोल दिया है। अभी कुछ दिन पहले झांसी में खुली सड़क पर 4-5 गाड़ियों में वह मिनी मुख्य मंत्री असलहे लेकर घूमा और इस तरह का काण्ड किया जिससे कि लोग अपने-अपने घरों से बाहर न निकलें। वहां एक आदमी 10 बजे दिन में सड़क पर मार दिया गया और बाद में उसकी लाश सड़क पर घंटों पड़ी रही लाखों लोगों ने इस घटना को देखा तो जीप में लादकर वे लोग ले गये। अगले दिन अखबारों में पढ़ा पुलिस ने उसे खूंखार अपराधी बताकर इनकाउन्टर बता दिया तो वहां की जो पुलिस थी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई और मान्यवर, झांसी में और पूरे बुन्देलखण्ड में आज अपराधी अनियंत्रित हो गये हैं। वहां ला एण्ड आर्डर फेल हो गया है। 50-50 अपराधों में लिप्त वांछित अपराधी जिन्हें जिलाबदर कर दिया गया ? ऐसे दो सौ से अधिक लोगों को जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्र के लाइसेंस दिये गये हैं जो बिना जांच और रिपोर्ट के दिये गये हैं इसलिये वहां आज अपराधी निर्भय होकर आग्नेयास्त्रों से लैस होकर अपराध कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों से यदि आग्नेयास्त्र वापस लिये नहीं गये तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठ जायं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन और सुन लें और वह यह है कि पिछली सरकार ने सपा नेताओं के दबाव में अधिकारियों ने जिन जलाशयों से, शहर में पानी की आपूर्ति होती थी उनका निर्धारित जल स्तर से कम हो जाने के बावजूद भी दबाव में आकर सिंचाई के लिये खोल दिये और जल निगम के अधिकारी कहते रहे कि ऐसा न करें लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया जिससे जून में सारे जलाशय सूख गये और वहां की जनता एक-एक बाल्टी पानी के लिए तरस गयी इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। (व्यवधान)

* श्री रामजीत भारद्वाज–

श्रीमन्, मैं जनपद वाराणसी से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मैं ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मान्यवर, 1942 और आजादी की लड़ाई के समय में धानापुर के लोगों ने कसमें खाई थीं कि देश को आजाद करायेंगे और देश की आजादी के बाद हमारी हिस्सेदारी बनेगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 48 सालों बाद भी धानापुर विधान सभा क्षेत्र पूरा का पूरा उपेक्षित रहा है। इसलिए जब से इस विधान सभा से जो एम०एल०ए० चुनकर आये हैं वे अनुरोध करते रहे हैं और मैंने भी पिछली बार बजट भाषण के दौरान अपने यहां की समस्याएं यहां रखा था। लेकिन हमारी किसी भी समस्या पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्यवाही किया है। न तो उस पर कार्यवाही की गयी। अगर ऐसी बात है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह का व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जाता है ? पिछली बार जब मैं मा० मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ आठ-आठ महीने तक दौड़ता रहा, तो मजबूर होकर मुझे अनशन करना पड़ा, तब कहीं जाकर बड़ी मजबूरी में बनारस से गाजीपुर को जोड़ने वाले यहुजी नाले को पुल को उन्होंने मंजूर किया और उसके लिए कुछ पैसा भी दिया, लेकिन दुख है कि आज तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। तो उस पुल के निर्माण हेतु तत्काल कार्यवाही शुरू की जाय। आजकल बरसात के दिन हैं, लेकिन आज तक पूरे बनारस जिले में बरसात नहीं हुई है। वहां जमानियां भूपौली पम्प कैनाल है, नारायणपुर और देवकली का बन गया, लेकिन आज तक उसके साथ बनी हुई जमानियां भूपौली पम्प कैनाल पर काम नहीं हुआ है। वह आज गंगा के पानी में डूब गया है, जिससे वहां पर आज सिंचाई के साधन खत्म हो गये हैं। इसके लिए तत्काल व्यवस्था करायी जाय और हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां पर राहत कार्य चलाया जाए। हमारे क्षेत्र में एक छतरपाल गांव है, जहां के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टेट सेक्टर से मंजूर कर लिया गया था, लेकिन आज तक उसका पैसा नहीं मिला है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करायी जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की बात अभी तक कम्पलीट नहीं हो पायी है। नहर की व्यवस्था न होने से वहां की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अक्सर हमारा घेराव करती है । अतः तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए । मैं यह उम्मीद करता हूं और बहिन जी मुख्य मंत्री जी की नीतियों और कार्यक्रमों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए बजट का समर्थन करता हूं और यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, मेरा जनपद महराजगंज अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । मेरे महराजगंज जनपद को बने 6 वर्ष हो गये दो अक्टूबर, 1989 में बना था, लेकिन आज तक उसके मुख्यालय का निर्माण नहीं हुआ है न वहां कॉलेज और न राजकीय अस्पताल हैं इनके कारण वहां की जनता की काफी समस्यायें झेलनी पड़ती हैं । अभी विगत दिनों लखनऊ के समाचार-पत्रों में मुख्य पृष्ठों पर महराजगंज में आयी बाढ़ की खबरें प्रमुखता से छपी थीं । यहां पर सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गये और हजारों लोग बेघर हो गये । परिवहन के संबंध में भी हमारे यहां मेन लाईन की व्यवस्था नहीं है । इसलिए आपसे परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आपसे प्रार्थना करता हूं । वहां पर मात्र चार घण्टे ही बिजली मिलती है, इसलिए आप ऐसे निर्देश जारी करें कि महराजगंज में कम से कम 16 घण्टे बिजली मिले । हमारे यहां के सैकड़ों गांव आज तक मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े हैं । जिसके कारण हजारों लोग जो बीमार पड़ते हैं अस्पताल नहीं जा पाते हैं और इलाज की व्यवस्था न हो पाने के कारण मर जाते हैं। इसी तरह से बच्चो की पढ़ाई की भी काफी दिक्कते हैं। अभी हाल ही में श्रम मंत्री महाराजगंज गये थे। वहाँ की जनता ने उनसे अपनी समस्यए बताई थी। जनता ने वहां पर मुख्यालय का निर्माण जल्द से जल्द करवाये जाने के लिये कहा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया।

श्री इरशाद -

मान्यवर, आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दलित सरकार कायम हुई है। यह सरकार बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के सपनों और विचारों पर आधारित सरकार है, समानता के आधार पर आधारित सरकार है। इस सरकार ने प्रदेश के समाज के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, मजलूम तबके के लोगों को उनका पूरा-पूरा हक दिया है। इस बजट की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहां पर बहस करना मुमकिन नहीं है लेकिन इस बजट में अल्पसंख्यक के लिये जो बातें कही गई है उसके लिये सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हू। किसी भी देश और समाज का अल्पसंख्यक वर्ग खुशहाल है तो वहा लोकतंत्र मजबूत होगा। इस बजट पें अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये एक नये विभाग की स्थापना की घोषणा की गई हैं। बहुत से समाचार पत्रों में अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में सवाल उठाये जा रहें हैं। मैं समझता हूं कि इस अल्प संख्यक कल्याण विभाग से उनके सवालों का जवाब मिल जायेगा । शांति सुरक्षा बल के बारे में समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति होगी? उर्दू के अध्यापकों के भविष्य के बारे में सवालात किये जा रहे हैं, उर्दू ट्रांसलेटरों के भविष्य के बारे में समाचार-पत्रों में सवालात उठाये जा रहे हैं। लेकिन में समझता हूं कि माननीय पत्रकारों को हमारी सरकार की नीतियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का गहराई से अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया हैं, उसका मंत्री भी अल्पसंख्यक वर्ग का होगा। यह विभाग अल्पसंख्यक के कल्याण के लिये कार्य करेगा। हमें पूरी आशा है कि बाबा सहाब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान की रचना की थी और ऐसे संविधान की रचना की थी, जिसमें हर धर्म को मानने वाले के लिये उनके धर्म के अनुसार जीवन गुजारने का अवसर दिया गया था। ऐंसे महान व्यक्ति के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी को सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को उनका अधिकार देगी, इसका हमको विश्वास है। इसके अलावा मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र भोपालपुरा आजमगढ़ जो कि दरिया ए घाघरा के किनारे बसा है, के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बरसात में दरिया ए घाघरा की बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं। उनके घर घास फूस के बने हैं, उनके पास स्थायी मकान नहीं हैं। बाढ़ आती है तो बेघर हो जाते हैं। गरमियों के दिन में आग लगने से तमाम बस्तियां वीरान हो जाती हैं। सरकार से आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहां के लोगों के जो कि दरिया-ए-घाघरा के किनारे रहते हैं, कोई कल्याणकारी योजना लागू करेगी। उनके लिए मुखतलिफ मकान बनवायें जाएं। ताकि सब महफूज रहें। हर साल लगने वाली आग उनको तबाह और बरवाद न कर सके। शुक्रिया।

श्री रंगनाथ मिश्र–

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं जनपद भदोही के बारे में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं इसके पहले नयी सरकार की मुखिया सुश्री मायावती जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, यह वास्तव में प्रगतिगामी बजट रहा है। जहां इन्होंने 72 प्रतिशत बजट के लिए योजनाओं का संकल्प किया है। मान्यवर, सभी सरकारें किसानों की और गांव की बात करती है लेकिन जहां इस देश के प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि निचले स्तर पर इस देश में जो भी धन जाता है वह स्वीकृत धन का मात्र 15 प्रतिशत होता है। 75 प्रतिशत उसके अधिकारी अन्जाने लोग बीच में हड़प जाते हैं यह 72 प्रतिशत समझते हैं। इस प्रदेश की मुखिया यह महसूस करती होंगी कि इस 72 प्रतिशत का कितना गांव को जाएगा। कितना किसानों को जाएगा जब तक निचले स्तर पर भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाएगा तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है वह इसी तरह से आज भी भ्रष्ट अधिकारी लोग 72 प्रतिशत गांव में नहीं जाने देंगे। जनपद भदोही में एक साल हो गया जिले का उद्घाटन किया था। पिछले बजट में ढाई करोड़ दिया गया था जबकि बजट के कटौती प्रस्ताव में मैंने मांग की थी संशोधन की बात करते हुए, कि ढाई करोड़ से जनपद का विकास नहीं हो सकता है। यह नया जिला है। पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन श्रीमन् पैसा बढ़ाने के बजाय वह ढाई करोड़ रुपया भी भदोही को नहीं मिला। आज यह स्थिति है 27 विभागों के कार्यालय नहीं हैं आज वहां की जनता ठोकर खा रही है। जिला बनारस में अधिकारी कहते हैं जनपद भदोही बन गया है वहां के अधिकारी करेंगे मत्स्य पालन, चिकित्सा आदि 27 विभाग हैं जहां कार्यालय नहीं खोले गये हैं। डी० एम० के लिए कोई स्थान नहीं है पुलिस अधीक्षक दूर-दराज में रह रहे हैं जबकि पुलिस अधीक्षक को पुलिस मुख्यालय पर रहना आवश्यक है लेकिन धनाभाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा अधिकारी सबसे बड़ा है वह जिला मुख्यालय पर बैठकर जनता की परेशानी को सुन सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भदोही जिले में सबसे बड़ा उद्योग

कालीन का उद्योग है यह ऐसा उद्योग हैं जो गरीबों को ऊपर उठाने में मदद का कार्य करता रहा है, गरीबों और कमजोर वर्ग को उठाने में मदद की भूमिका अदा कर रहा है और विदेशी मुद्रा दिला रहा है। 12 करोड़ प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला यह उद्योग है। लेकिन यह उद्योग राष्ट्रद्रोहियों के कुचक्र में फंस कर रह गया है। एक संस्था खुली हुई है एक सज्जन हैं जो विदेशों में जाकर यह आरोप लगाते हैं कि हिन्दुस्तान का कारपेट बच्चों के खून से रंगता है। मैं रायबरेली अमेठी का नाम सुनता था। –

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष मुनः पीठासीन हुए)

वहां पर राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी ने बहुत पैसा दिया है। वहां बहुत विकास हुआ है। लेकिन पिछले दिनों पार्लियामेंट के चुनाव में हम गए थे तो देखा कि वहां पर किसी भी गांव में पक्के मकान बहुत कम थे चाहे वह पिछड़े वर्ग के लोगो के मकान हो, या अंगड़े वर्ग के लोगों के सभी मकान ज्यादातर कच्चे थे लेकिन हमारे यहां भदोही जनपद में कारपेट की वजह से कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा, जहां पक्के मकान न बने हों चाहे वह अगड़े वर्ग के हो या पिछड़े वर्ग के सभी लोगों के घर पक्के बने हुए हैं। भदोही में विकास कारपेट की वजह से हुआ है। लेकिन कारपेट जो प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार देता है वह आज बन्द होने के कगार पर पहुंच गया है। आज यह कहा जा रहा है कि कारपेट में बहुत केमिकल प्रयोग होते है जिससे प्रदूषण पैदा होते हैं उस प्रदूषण के कारण कारपेट उद्योग पर प्रतिबन्ध लगाने का कुचक्र किया जा रहा है। यह कारपेट व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

कारपेट व्यवस्था जो केवल उत्तर प्रदेश में है जिसका केन्द्र भदोही है उसके लिए विशेष व्यवस्था करें। जो स्वामी अग्निवेश विदेशों में चिल्ला रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। उनको जेल में बन्द कराया जाए। बचपन से जो बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर कारपेट का काम सीख रहे हैं वह अपने मन से सीखते हैं उनको कोई मजदूर नहीं करता है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं एक बन्दूक के लिए बनारस में दरख्वास्त देते हैं लेकिन पुलिस अधीक्षक भदोही की जब रिपोर्ट जाएगी तब उनको लाइसेंस मिलेगा जिससे पिछले दिनो से काफी अव्यवस्था फैली है। कभी बनारस की बात होती है कभी भदोही की बात होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भदोही जिले में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल में कराड़ों रुपये का घोटाला हुआ है जिसके बारे में शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दें।

श्रीमान आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

वर्ष 1995-96 क आय व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इस पर कल अपने विचार रख लीजियेगा। आपको कल पूरा मौका मिलेगा, इसमें कोई कटौती नही की जायगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदयनारायण दीक्षित)–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में अधिनियमित किया गया था । इसके उपबन्धों के कार्यान्वयन में अनुभव की गयी कुछ कठिनाइयों के निराकरण के लिये संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में 21-9-1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, सन् 1994) प्रख्यापित किया गया था । इस अध्यादेश में मुख्यतया इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी । एक व्यवस्था यह की गयी थी कि पंचायत चुनावों के संबंध में आवश्यक कार्य सुचारुरूप से संचालित हो सके इसलिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा । दूसरी व्यवस्था यह थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन और पर्यवेक्षण तथा निर्वाचनों से संबंधित समस्त कर्तव्यों का संपादन करेगा । इसके अतिरिक्त पहाड़ी जिलों में 5 किलोमीटर अर्धव्यास के बजाय एक किलोमीटर अर्धव्यास के क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था भी इसमें की गयी है ।

इसी तरह से पहाड़ी जिलों के लिये इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से एक किलोमीटर अर्ध-व्यास (2 किलोमीटर व्यास) के भीतर के क्षेत्र को क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार देने की व्यवस्था इसमें की गयी है । इसके अतिरिक्त पहाड़ी जिलों में 7 किलोमीटर अर्ध व्यास के भीतर के क्षेत्र को जिला पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकार को शसक्त करने के उद्देश्य से यह संशोधन पेश किया गया है । इसी तरह से पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की भागीदारी पंचायत चुनावों में सुनिश्चित हो सके उसके लिये पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अवधारण के संबंध में नियत रीति से सर्वेक्षण करने की व्यवस्था भी इस संशोधन में प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम में एक नई धारा 27-ख बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है । जिसके अनुसार कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उनमें से एक ही स्थान पर रहेगा इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये यह संशोधन लाया गया है ।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह भी अनुभव किया गया कि एक हजार से कम जनसंख्या वाले एक किलोमीटर अर्ध व्यास के भीतर के किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करने के

उपबंध से पर्वतीय जिलों में ग्राम पंचायतों का क्षेत्र बहुत छोटा हो जायगा और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जायगी इसलिये 26 नवम्बर, 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 1994) प्रख्यापित करके यह व्यवस्था की गयी थी कि पर्वतीय जिलों के संबंध में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3, जैसी वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के पूर्व थी, के अधीन गठित किसी गांव सभा के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है चाहे उसकी आबादी 1 हजार से कम ही क्यों न हो ? श्रीमन्, इन दोनों अध्यादेशों को समेकित करके उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधि, 1995 श्रीमन्, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इसे पारित करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह विधेयक अध्यादेश के रूप में उस सरकार ने पेश किया था जिसकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। लोकतंत्र के जो चारों स्तम्भ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस तो इन चारों स्तम्भों को पिछली सरकार ने ध्वस्त कर दिया था। उसी का परिणाम था कि जो पंचायत राज चुनाव हुये हैं उनमें जो गड़बड़ियां की गयीं उसकी पिछली सरकार की नीयत थी इसलिये उसने नियमों की कमजोरी का लाभ लेकर यह काम किया और चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुयीं। मान्यवर, मतदाता सूची जो बनाई गई उसमें संशोधन के नाम पर जैसे कल नामांकन होना है और आज रात उसे बदल दिया गया। इसी तरह से तत्काल प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया, हम विधायकगण लड़ते हैं, गणना होती है और उसके बाद प्रमाण-पत्र मिल जाता है, प्रमाण-पत्र मिल जाने के बाद उसमें रद्दो बदल नहीं किया जा सकता है। इस बार क्या हुआ कि जीत गये तो कहा कि जाइये प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा चाहे क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव हों या ग्राम्य पंचायत के हों इनमें कितनी हेरा-फेरी की गयी मैं उसके वर्णन में नहीं जाना चाहता। मैं एक विवरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीतापुर के ब्लाक रेउसा में एक ही गांव में 3 प्रधानों को प्रमाण-पत्र दे दिये गये यह सब काम दबाव में किया गया और कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 5 वर्षों तक कोर्ट में काटा जा सकता है। गांव के लोगों के पास न तो पैसा है और न ही वे पढ़े लिखे हैं ? तो मान्यवर, जिसने पूरा-पूरा भ्रष्ट आचरण किया है वह भी न्यायालय में जाकर 5 वर्ष तक रह सकता है। माननीय पंचायती राज मंत्री ने सदन के बाहर बहुत घोषणाएं की हैं और बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं की हैं जिसका बहुत स्वागत हुआ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है हम इसका संशोधन नहीं रखते लेकिन आपको याद होगा कि पहले भी जब चर्चा हुई थी मूल अधिनियम में चर्चा करते समय सदन में एक ऐसा वातावरण बन गया था कि उस समय चर्चा नहीं हो सकी थी। उस समय भी मैंने प्रतिनिधित्व करते समय यह कहा था कि इसमें दलों के नेताओं की बैठक या दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कर ली जाय। इस पंचायत राज अधिनियम को अति प्रभावी करने, ग्राम्य विकास की संरचना को सही मायने में प्रभावी करने के लिए अगर उचित समझें तो इस सुझाव को स्वीकार करें। तब इसको पास कर दें। लेकिन इसमें भी खामी है आपने जो कहा है राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारी की

नियुक्ति होगी, आज हम सत्ता में है, कल सत्ता में न हो अलग बात है लेकिन शासन विधि के अनुसार चलेगा लेकिन हमारे द्वारा बनाये गये नियम सदा सर्वदा के लिए रहेंगे । राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया है तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी मर्जी से जिलाधिकारी, सी०डी०ओ० जिसको चाहे तय करे मैं इस पर बल नहीं देना चाहता हूं । तो मेरा सुझाव है कि दलों के नेताओं की या उनके प्रतिनिधियों को लेकर एक कमेटी बना दी जाये और वह सुझाव दे कि इसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी सत्ता और धन का गलत ढंग से प्रयोग किया, जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ हे। आप विचार कर लें और एक कमेटी बना दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

* श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि अपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ बातें सुझाव के आधार पर कहना चाहता हूं । अगर पंचायत चुनाव को बाहु बल और धन बल के प्रयोग से दूर करना है, तो मेरा सूझाव है कि क्षेत्र पंचायतों के चुनाव अभी नहीं हुये हैं, आप उनको सीधे जनता द्वारा करा दें, बी० डी० सी० के मेम्बर द्वारा न करायें। इससे यह होगा कि शराब पिलाने का काम और लोगो को कमरो में बन्द करने का काम समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं । उनकी जांच की जायेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप दोषी अधिकारियों को तो दंडित कर सकेंगे लेकिन जो व्यक्ति चुन गया है, उसको नहीं हटा पायेगे । जनप्रतिनिधियों को पैसे के बल पर खरीद लिया जाता है और बाहुबल की बात की जाती है और अपहरण जैसी बातें होती है । दूसरी बात मैं कर कहता हुं कि चुनावों से सम्बन्धित याचिकायें जिला जज के यहां होती है और कुछ याचिकायें परगनाधिकारी के यहां पर होती हैं । तो जो मामले जिला जज के यहां पर होते हैं उनके विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो मामले परगना धिकारी के यहां पर होते हैं उनमें एक समय सीमा बांध दी जाय, ५० दिन की समय सीमा दे दी जाये कि इतने दिन में उसका निर्णय हो जायेगी इन शाब्दो के साथ मैं राजेन्द कुमार गुप्त द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अपने को संबद्ध करता हूं। उन्होने कहा कि अभी काफी गुन्जाइश है। जैसा उन्होने कहा कि एक समिति बना दी जाय जो इन बातों पर विचार करे और डा० राम मनोहर लोहिया जी के सपने सरकार हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उदय भान सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिये । मैं अपने को गुप्त जी और त्रिपाठी जी के सुझावों से सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनावों में जिस प्रकार से बेईमानी हुई है और हेराफेरी हुई है वह किसी से छिपा नहीं है । अभी हमारे सामने एक चान्स बाकी है । क्षेत्र पंचायतों के चुनाव होने बाकी हैं । आप सभी लोगों को पता है कि पंचायत चुनावों के दौरान किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की

---

* वक्ता ने वाक्यांश का पुनरीक्षण नहीं किया।

जाती है, बाहुबल की बात की जाती है और अपहरण जैसे मामले होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो चुनाव हों, सीधे-सीधे जनता के द्वारा हों, जनता के मैदान में, जनता की अदालत में, जो व्यक्ति जनसेवक होगा, जिसे जनता प्रसन्द करेगी वही चुनकर आयेगा। इसलिए ब्लाक प्रमुखों का जो चुनाव हो वह सीधे-सीधे वोटिंग सिस्टम द्वारा हो।

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मैं श्रधेय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और आदरणीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी के विचारों से अपने से सम्बद्ध करते हुए इस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत आभारी हूं पंचायत राज मंत्री जी का जिन्होंने पीड़ा को महसूस किया है और समझा है। दस-दस बारह-बारह किलोमीटर की परिधि में आज भी पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है। मैदानी क्षेत्र का एक विधान सभा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत के लगभग समान है। एक व्यक्तियों को यदि अपने ग्राम प्रधान से कोई काम लेना होता है तो तीन दिन उसको आना-जाना पड़ता है, उसको रुकना पड़ता है। मैं आपका आभारी हूं आपने इस पीड़ा को पहचाना। एक किलोमीटर की परिधि में, पर्वतीय क्षेत्र का एक किलोमीटर आधा किलोमीटर बहुत होता है, खड़ी चढ़ाई, घनघोर जंगल और बीच में अनेक जंगली जानवर, आदमखोर बाघ आदि तमाम समस्यायें आती है। मेरा सुझाव है कि एक तो जहां अभी भी 7-8 किलो मीटर की परिधि में वर्तमान में अभी ग्राम पंचायते हैं उनको कम कर दिया जाय तथा भौगोलिक आधार पर यहां ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। आधे-पौन किलोमीटर की परिधि में ही एक ग्राम पंचायत को सुनिश्चित करके, और चुनाव के बारे में जो सुझाव जनता द्वारा चयन के सम्बन्ध में उठा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, और संशोधन पर बल देता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन रखा है उससे मैं सहमत हूं। चूंकि परिसीमन में, इसके बाद चुनाव में हर जगह इतनी परेशानियां हैं नियम इतने अस्पष्ट है कि जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं और अधिकारियों की मनमानी होती है ये बात आई थी कि कोई गांव दूसरे गांव में नहीं मिलाया जायेगा लेकिन बहुत से ऐसी ग्राम पंचायतें बनी है जिसमें दूसरा गांव भी आ गया है। इसके परिसीमन को आप पुनः ठीक करा सकते हैं। परिसीमन ही गलत हुआ है इसलिए जो चुनाव हुए गलत हो गये। ऐसे ही, विकास खण्ड के, बी० डी० ओ० के, जिलापरिषद् के हैं, परिसीमन हैं, नियम विरुद्ध हैं। इनको देखने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि परिसीमन कार्य में जिन्होंने अनियमितातायें अपनायी हों, जिनमें प्राइमाफेसी केस बनता हो, उन अधिकारियों की सूची बनायी जाय, जो गल्तियां हुई हैं, उनको देखा जाय, यह अति आवश्यक है। दूसरी बात जो माननीय उदयभान सिंह और माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने कहीं, ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में सीधे चुनाव की, मेरी समझ में यह सम्भव नहीं है। संविधान में यह बात स्पष्ट आयी है, 73वें संशोधन में, उसमें है अपने से ही अध्यक्ष का चुनाव हो, यह जिला परिषद् के लिये है, ब्लाक के लिये है। संविधान के सम्बद्ध में उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐक्ट पास नहीं कर सकती है। हां केन्द्र से यह निवेदन कर सकती है कि वह इस ऐक्ट में संशोधन करे, अगर स्टेट चाहे तो अपने में से चुनाव करे या चाहे तो सीधे करवायें। जब तक केन्द्र 73वें संशोधन में यह नहीं

जोड़ती है तब तक सम्भव नहीं है । मैं समझता हूं कि पंचायत राज मंत्री ने भी इसका अध्ययन किया होगा । जिला अध्यक्ष, प्रमुख का चुनाव हो, उसमें खरीद-फरोख्त बंद होनी चाहिये । केन्द्र सरकार ने जो संविधान बनाया है, उसमें यही है कि वह अपने में से ही चुनेगें, इस बात के रहते यह एक्ट कैसे बनेगा इसके लिए मेरा सुझाव है कि बकायदा संकल्प के रूप मे इसे लाया जाय और केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाय कि वह इस धारा में परिर्वतन करे, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजाराम त्यागी---

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी की बात को बल देते हुये मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं । मान्यवर, जनपद रायबरेली में बछरांवा सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र है जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं । यह एक संयोग की बात है कि महराजगंज, बछरांवा, शिवगढ़ तीनों विकास खंड इस क्षेत्र में जो पड़ते है, वह सभी प्रमुख के पद अनुसूचित जति के लिये आरक्षित है । इन तीनों विकासखंडों के संबंध मे बताना चाहता हूं कि अभी से जिन लोगों के पास बाहुबल है , पैसा है, वह क्षेत्र समितियों के सदस्य खरीद-फरोख्त की तैयारी में है और कुछ ने तो खरीद कर कब्जे में कर भी रखा है । मैं चाहता हूं कि सरकार संविधान में संशोधन के लिये केन्द्र सरकार से अनुशंसा करें और ब्लाक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा हो ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो निवर्तमान ब्लाक प्रमुख है, वह विकास खंडों में बैठकर दबदबा बनाये हुये है और वी०डी०सी० सदस्य पर भी दबदबा बनाये हुये हैं, ये सभी प्रतिपक्षी दलों के लोग हैं, यह अभी भी हर चीज में हस्तक्षेप करते है । मैं चाहता हूं कि इनकों भी किसी प्रकार हटाया जाय इसी के साथ मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, श्री त्रिपाठी जी की बात पर बल देते हुये आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे पंचायत राज अधिनियम पर बोलने का अवसर प्रदान किया । हमारे यहां जो आठ पर्वतीय जनपद हैं, उनमें चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है । परिसीमन का जो कार्य हुआ है, उसके संबंध में मैं पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस संबंध में सम्मानित विधायकों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न उपस्थित किये हैं जो सूचीबद्ध हुये हैं । अनेक विकास खण्ड ऐसे हैं, जहां 50 ग्राम सभायें हैं और वहां पर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या 150 से ऊपर है और कई विकास खण्ड ऐसे हैं, जिनमें 100 से ऊपर ग्राम सभायें हैं और 100 से कम ही क्षेत्र पंचायतें हैं । जो परिसीमन का कार्य हुआ है, निश्चित रूप से वह अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार हुआ है जो असंवैधानिक है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और चुनाव की कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रही है, अतः एक कि०मी० का व्यास क्षेत्र पंचायत के लिये निर्धारित किया जाय । पर्वतीय क्षेत्र में परिसीमन काफी गड़बड़ हुई है, अतः पर्वतीय क्षेत्र में दुबारा परिसीमन हो जाय, इसके लिये व्यवस्था की जाय और जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पंचायत राज मंत्री द्वारा आज जो बिल रखा गया है, उस पर माननीय [illegible] कुमार गुप्त जी, माननीय त्रिपाठी जी की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुये केवल 2-3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वर्तमान जो पंचायत राज एक्ट है, उसमे एक हजार से ऊपर ग्राम सभा बनी है और जो नगर परिषद् ऐक्ट है, उसमें 30 हजार की आबादी है। इस प्रकार ग्रामसभा की आबादी 1000 से लेकर 29 हजार हो सकती है। जो मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ग्राम सभाओं का पुनर्गठन हुआ उसमें 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार तक की ग्राम सभायें इस वक्त मौजूद हैं, इस पर मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब पुनर्गठन करना है तो इस प्रकार से इसका पुर्नगठन हो कि विकास में सबको बराबर की भागीदारी मिले।

दूसरी बात जो पिटीशन है, जो चुनाव में गल्तियां हुई उसकी तरफ ध्यान आकर्शित करते हुए पूरे प्रदेश की जितनी गड़बड़ियां हुई उसकी कम्पलेंट हुई, जांच के आदेश दे दिये गये। अब आयुक्त महोदय से जांच करवा रहे है। जांच में जो लोग गलत तरीके से चुने गये हैं, प्रभावित नहीं होंगे, जो चुन गये हैं वह तो रहेंगे ही बल्कि जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको दण्डित करने की व्यवस्था की जायेगी। मेरा सुझाव यह है कि पिटीशन का जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय का कड़ाई से पालन किया जाय। हर पिटीशन हर हाल में 6 महीने या साल भर में डिसाइड हो जाय। 6 महीने का समय पिटीशन निर्धारित करने का है तो उस समय के अन्दर ही निर्धारित हो जाना चाहिए। लेकिन अगला चुनाव आ जाता है और पिटीशन 5 वर्ष के बद भी निर्धारित नहीं होता, इस सम्बन्ध में सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा एडजोरमेंट न दें और निर्धरित समय मे हर हाल मे निपटारा करावें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी विषमता है उसमें दो परिस्थितियां है। मान्यवर, मै शाहजहांपुर से चुनकर आता हूँ। शाहजहांपुर में और देवरिया में दो प्रत्याशियों को बराबर बराबर मत मिले। देवरिया में रिजेल्ट इस आधार पर घोषित कर दिया गया कि जिसकी पहली प्रिफरेंस है उसे जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया जबकि शाहजहांपुर मे लाटरी निकाली गयी। मान्यवर, एक ही स्थिति मे दो जिलों में दो विपरीत परिस्थितियां एडाप्ट की गयीं। जिलाधिकारियों ने अपने-अपने तरीके से नियम-कानून की व्याख्या कर ली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी विषमताए हैं, उन विषमताओं की तरफ भी ध्यान दें, अपने इन संशोधनों के साथ इसका समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । इस पंचायत राज अधिनियम के तहत 4 पदों पर चुनाव किया गया, उसमें जो चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये हैं वह अलग-अलग आवंटित नहीं किये गये हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो गांव का मेम्बर है उसको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है, ग्राम प्रधान के लिये दूसरा चुनाव चिन्ह हो, इसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिये और जिला पंचायत सदस्य के लिये चुनाव चिन्ह अलग-अलग आवंटित होने चाहिए अभी जो चुनाव हुआ है उसमें एक ही तरह का चुनाव चिन्ह चारों पदों के लिये दिया गया, सिर्फ मत पत्र के रंग में अन्तर था । व्यावहारिक रूप से उसमें यह हुआ कि जो ग्राम प्रधान का कन्डीडेट है वह अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करे और जो जिला पंचायत सदस्य चुने गये वह निष्पक्ष इसलिये नहीं थे कि उस ग्राम प्रधान के लोग अपने ही चुनाव-चिन्ह का प्रचार किया और मतदाताओं से यह कहा कि जितने भी मत-पत्र हैं उस पर मेरे ही चुनाव चिन्ह पर मुहर मारिये । मान लीजिये साईकिल, कार, कुर्सी चुनाव चिन्ह रखा गया तो वह चारों के लिये रखा गया । ऐसा सुनने में आया कि मतदाता जो निरक्षर थे उन्होंने केवल एक ही मत-पत्र पर मोहर लगाई और शेष सादे लौटा दिये । अगर ग्राम प्रधान का प्रचार हुआ तो उसने कार पर मोहर लगा दी जब कि अन्य तीन पद जो कि कार ही चुनाव चिन्ह था उसको सादे लौटा दिया । मैं यह चाहता हूं कि जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो वह चार सदस्यों को अलग-अलग हो ताकि जो भी जिला परिषद् के सदस्य हों वह अपने-अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर प्रचार कर सके । दूसरा, मान्यवर, जहां पर मोहर लगाने का कार्य होता है, वहां पर अंधेरा होता है और मत पत्रों का रंग पहचानने में काफी परेशानी होती है, इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाय और हर सदस्य का अलग-अलग चुनाव चिन्ह हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री स्वयंबर चौधरी–

मान्यवर, आपने पंचायत राज पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बी० डी० सी० के क्षेत्र का परिसीमन किया गया है और ग्राम प्रधान का किया गया है वह 1000 व 2000 की आबादी पर किया गया है । बी० डी० सी० के तहत एक-एक गांव 4-4 भागों में बांटे गये हैं और उसके प्रतिनिधि अलग-अलग हैं । ब्लाक स्तर पर जब बैठकें होती हैं तो विकास कार्य की समीक्षा कौन आदमी कहां तक करेगा, इसका पता ही नहीं चल पाता है, जिससे एक विसंगति पैदा हो जाती है । इसलिये मेरा कहना है कि ग्राम सभा का परिसीमन अगर एक हजार का है तो वही बी० डी० सी० का होना चाहिए । यदि ग्राम सभा का एक हजार है तो बी० डी० सी० का भी वही होना चाहिए यदि दो हजार है तो वही बी० डी० सी० का होना चाहिए ताकि दोनों लोगों के बीच में तालमेल बना रहे । दोनों के परिसीमन की सीमा अलग-अलग होने से विसंगति पैदा होती है । बी० डी० सी० के चुनाव में जो पर्चे डाले गये, अब मैं सिद्धार्थनगर की बात कहना चाहता हूं, चार-चार जगहों के मतपत्र एक ही बक्से में डाल दिये गये । जब मतगणना शुरू हुई तो यही नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मालूम पड़ पाया कि कौन सा मतपत्र किस बी० डी० सी० क्षेत्र का है। जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ववर्ती सरकार ने हारे हुए प्रत्याशी को अपने दबाव में जीता हुआ घोषित करवा दिया।

इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बी० डी० सी० व ग्राम पंचायत की सीमा समान कर दी जाय। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, आपने पंचायती राज संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे एक बात कहनी है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री उदय भान सिंह जी ने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायती राज चुनावों में धांधलियां हुई हैं और जिस प्रकार से बाहुबलियों का प्रयोग किया गया है यह किसी से छिपा नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि ब्लाक प्रमुखों के जो चुनाव अब शेष रह गये हैं उसको किसी भी तरह से जनता के द्वारा कराया जाय। चाहे उसके लिये राज्य सरकार को केन्द्र से सिफारिश करनी पड़े या फिर राज्य सरकार कोई कानून बनाकर इस काम को करे। परन्तु इस चुनाव को जनता द्वारा कराया जाना चाहिए ताकि बाहुबलियों का जो प्रयोग किया जाता है वह न होने पाये और जो अनाप-सनाप पैसा खर्च किया जाता है, वह न होने पाये साथ ही जो अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है वह रुक जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आदरणीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बहुमूल्य सुझाव और अपने विचार व्यक्त किये। उन सभी माननीय सदस्यों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि गांव पंचायत की व्यवस्था पर अभी बहुत कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर अंतर मंथन की प्रक्रिया चल रही है। यह संशोधन जिस रूप में मैंने पेश किया है इसका समर्थन भी सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते समय किया है उसके लिये मैं सभी का आभारी हूं और जो संशोधन आपकी अनुज्ञा से पेश किया है उसका समर्थन किया है तो मेरा अनुरोध है कि इसे पारित कराने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो सुझाव इस संबंध में दिये हैं उनसे मंत्री जी सहमत हैं और सहमत न होते तो यह विज्ञापित क्यों करते ? अभी इसमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत कुछ सुधारों की गुंजाइश है तो इन सब पर विचार करने के लिये एक कमेटी बना दें जिस पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आने वाला है जो इस पूरे अधिनियम को सार्थक बनाने की दृष्टि से विचार करेगी। सदन की कमेटी इस पर विचार कर लेगी। इसकी आवश्यकता पर पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी यादव ने और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भी एक बैठक में इस बात को माना था वह भी इस बात से सहमत थे कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उनको ठीक करने के लिये सदन की कमेटी बनाने की बात थी लेकिन जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मामला सदन में आया तो उस समय हो हल्ला में पास हो गया इसमें सुधार की आवश्यकता है अगर संविधान बाधक है तो उस पर भी विचार हो सकता है, इसलिये कमेटी बना दी जाय जो इस पर विचार करे इसमें कोई कठिनाई होने वाली नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय गुप्त जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके विचारों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन यह विधेयक जिस रूप में आया है उसी रूप में पारित कराने की कृपा करें। जो बहुमूल्य सुझाव आये हैं मैं समझता हूं कि जो बहुमूल्य सुझाव माननीय त्रिपाठी जी ने, माननीय सदस्य बछरावां और माननीय पोखरियाल जी ने दिये हैं इन सुझावों के अलावा भी वह सुझाव दे सकते हैं इस पर हम वार्ता कर लेंगे। यह संशोधन पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 29 तक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) यह 22 अप्रैल, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (टट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"(टटट) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, इस, रूप में पदानिहित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;"।

धारा 5-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5–क में, शब्द "सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने" के स्थान पर शब्द "प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये और होने रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 9 में,––

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्––

"(1–क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1–ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जैसी नियत की जाय।";

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन या अनुसार" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग", के स्थान पर शब्द "जहां तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे ;

(ङ) उपधारा (12) में, खण्ड (ख) में, शब्द "की गयी कार्यवाही" के पश्चात् शब्द "या इस निमित्ति नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 9-क का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 9-क में,--

(क) शब्द "जिसका नाम किसी" के पश्चात् शब्द "ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत" के स्थान पर शब्द "उस ग्राम पंचायत या संबंधित न्याय पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 11-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (2) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,--

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।"

धारा 11-च का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 11-च में, उपधारा (1) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान के पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्---

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तर काशी या चमोली के पर्वतीय जिलों में इस अधिनियम की धारा 3, जैसी यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, के अधीन गठित किसी गांव सभा के क्षेत्र को यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से कम हो, राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

धारा 12-च का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार तक" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्,–

"(च) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियम भूतलाक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं, बनाये जा सकते हैं।"

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (5) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :––

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

धारा 12–खख का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 12–खख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में प्रधान, उप प्रधान या किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।"

धारा 32 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में, शब्द "ग्राम सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 110 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (2) में, खण्ड (2-छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्––

"(2-छ) न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति ;"।

धारा 113 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 113 में, उपधारा (1) निकाल दी जायेगी।

धारा 118 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 118 में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार" रख दिये जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 1 का संशोधन

14–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्––

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिये ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्धनों, लोपों या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा या अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे।"

धारा 2 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 2 में,––

(क) खण्ड (6) में,––

(एक) शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "निगमित" रख दिया जायेगा ;

(दो) शब्द "इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो" के पश्चात् शब्द और अंक "और क्षेत्र समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी क्षेत्र समिति से है" बदल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (11) में,

(एक) शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "निगमित" रख दिया जायेगा,

(दो) शब्द "इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो" के पश्चात् शब्द और अंक "और 'जिला परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनिययम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था के अधीन स्थापित किसी जिला परिषद् से है" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,—

"(16-क) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (टटट) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से है ;" ;

(घ) खण्ड (23) में शब्द और अंक "धारा 5 या 17 के अधीन जारी अधिसूचना के जारी होने के दिनांक" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उस खण्ड के लिये प्रथम क्षेत्र पंचायत या उस जिले के लिये प्रथम जिला पंचायत के संघटन के दिनांक" रख दिये जायेंगे ;

(ङ) खण्ड (31) और (32) निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

16—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

क्षेत्र पंचायत का संघटन और निगमन

"5-(1) प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से संघटित की जायगी ।

(2) क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी ।

(3) क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था ।"

धारा 6 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक

खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्,–

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से एक किलोमीटर के अर्द्धव्यास (दो किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, यद्यपि कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दो हजार से कम हो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,—

"(4) किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है और, यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं, बनाये जा सकते हैं।"

धारा 6-क का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

धारा 7-क का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 7-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

धारा 17 का संशोधन

20– मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्,–

"17–(1) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से संघटित की जायेगी।

जिला पंचायत का संघटन और निगमन

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।"

धारा 18 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 18 में,––

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,––

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से सात किलोमीटर के अर्द्धव्यास पर (चौदह किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को या उसके बराबर किसी क्षेत्र को जैसा नियत किया जाय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है यद्यपि कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार से कम हो।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायगा।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,–

"(4) किसी जिला पंचायत के प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियत भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं बनाये जा सकते हैं।"

धारा 18–क का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 18–क में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

धारा 19–क का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 19–क में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

नई धारा–27–ख का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 27–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"27–ख–कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से–

एक साथ एक से (क) क्षेत्र पंचायत का सदस्य न होगा, या

अधिक पद धारण करने का निषेध

(ख) जिला पंचयत का सदस्य न होगा,

और किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों द्वारा की जा सकती है।"

धारा 46 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "जो यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तथा अन्तरिम जिला परिषद् के नियोजन में निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व हों" के स्थान पर शब्द और अंक "जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व जिला परिषद् के नियोजन में हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 264–क का संशोधन

26–मूल अधिनियम की धारा 264–ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्,–

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख, उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के सदस्य के पद के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।"

धारा 266 का संशोधन

27–मूल अधिनियम की धारा 266 में, उपधारा (1) में, "निश्चित दिनांक" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे।

धारा 270 का संशोधन

28–मूल अधिनियम की धारा 270 में–

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द और अंक "या इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था," बढ़ा दिये जायेंगे :

(दो) शब्द "यथास्थिति, इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम" बढ़ा दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (ख) में, "निश्चित दिनांक" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे।

धारा 271 का संशोधन

29–मूल अधिनियम की धारा 271 में,–

(क) खण्ड (क) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन जिला पंचयतों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधन इस अधिनियम के अधीन प्रथम जिला पंचायत" रख दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायतों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम क्षेत्र पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

30–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 29 तक इस विधेयक के अंग माने जांय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 30

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 30

के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1995

"30–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 या उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथा संशोधन अध्याय–दो और अध्याय–तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।"

पंचायत राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं इस संशोधन से सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 30 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाय–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 1995, उत्तर प्रदेश अध्यादेश 18, सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27, 1994

"30–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 या उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथा-संशोधित अध्याय–दो और अध्याय–तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 30 इस विधेयक का अंग माना जांए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18-7-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की है–प्रदेश के समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है ।

यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की–प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में है । इसे भी वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की–जनपद हरिद्वार में खतरनाक साहसिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता के समय प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था न होने से एक उदीयमान प्रतियोगिता बालिका की मृत्यु के सम्बन्ध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

चौथी सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की–जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

इस सूचना को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

पांचवीं सूचना डा० रामबाबू हरित की–प्रदेश में लावरी व्यवसाय से बढ़त अपराध एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

छठी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की—श्री हरवंश सहाय, भूतपूर्व एम०एल०ए० एवं प्रवक्ता मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज भाटपाररानी, जिला देवरिया के अवैध निष्कासन एवं जबरन वेतन रोकने के सम्बन्ध में है।

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 18-7-95

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 9 का उत्तर पिछले पृ० 25 पर)

अनुलग्नक–I

1-12-93 से 1-2-95 तक घटित अपराधों का थानावार विवरण :

क्रम सं०	थाना	हत्या	दलित उत्पीड़न	चोरी	डकैती	अफीम स्मैक तस्करी
1	कोतवाली नगर	21	39	132	4	32
2	देवां	17	30	25	2	2
3	सफदरगंज	9	8	19	–	18
4	जहांगीराबाद	5	12	13	1	–
5	जैदपुर	8	12	9	–	42
6	कोठी	7	17	15	1	31
7	सतरिख	14	16	11	1	16
8	हैदरगढ़	5	12	15	–	5
9	लोनी कटरा	9	13	9	–	5
10	असन्दरा	3	21	14	1	10
11	सुवेहा	6	12	13	–	7
12	रामसनेही घाट	6	32	22	1	12
13	रूदौली	9	23	22	–	–
14	मवई	5	22	3	–	2
15	पटरंगा	13	17	17	1	1
16	राम नगर	9	34	16	2	8
17	बद्दोसराय	3	7	5	–	1
18	टिकैतनगर	3	14	3	–	2
19	दरियाबाद	4	15	5	1	2
20	पसौली	13	16	14	2	19
21	फतेहपुर	11	28	34	2	2
22	मोहम्मदपुर	6	14	12	1	4
23	बड़ूपुर	6	8	6	–	–
24	कुर्सी	3	7	1	–	2
25	घुंघेतर	–	9	5	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारा० प्र० सं० 15 का पीछे का पृ० 27 पर)

सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की उन इकाइयों की सूची जिनकी निजी क्षेत्र में सौंपने का प्रकरण विचाराधीन है

क्र०सं०	निगम/उपक्रम का नाम	उन इकाइयों के नाम जिनके निजीकरण पर विचार हो रहा है
1	2	3
1	उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम	1–गजल टूरिस्ट रिसाट, नरौरा
		2–पर्यटक आवास गृह, मथुरा
		3–पर्यटक आवास गृह, गोकुल गांव, मथुरा
		4–गोकुल रेस्टोरेन्ट, मथुरा
		5–पर्यटक आवास गृह, हरिद्वार
		6–पर्यटक आवास गृह, भदोही
		7–पर्यटक आवास गृह, पीरान–ए–कलियर
		8–पर्यटक आवास गृह, देवगढ़
		9–पर्यटक आवास गृह, राधाकुण्ड, मथुरा
		10–पर्यटक आवास गृह, बरसाना, मथुरा
		11–पर्यटक आवास गृह, बदायूं
		12–पर्यटक आवास गृह, काछला, बदायूं
		13–पर्यटक आवास गृह, मुंशीगंज
		14–होटल ताजखेमा, आगरा
		15–मिडस्ट्रीम मोटल, मुजफ्फरनगर
2	उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम	1–झांसी इकाई
		2–मऊनाथ भंजन इकाई
		3–अकबरपुर इकाई
		4–बांदा इकाई
		5–बलिया इकाई
		6–भदोही उलेन्स इकाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
3	उ०प्र०-राज्य औद्योगिक विकास निगम	1–उ०प्र० इंस्ट्रमेन्ट लि०
		2–उ०प्र० डिजिटल्स लि०
4	उ०प्र० राज्य लघु उद्योग निगम	1–उपासिक पाटरिज, खुर्जा
		2–चिनहट पार्टरिज, लखनऊ
5	उ०प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम	1–सामूहिक सुविधा केन्द्र, उन्नाव
		2–सामूहिक सुविधा केन्द्र, बस्ती
		3–सामूहिक सुविधा केन्द्र, जायस (रायबरेली)
		4–सोमूहिक सुविधा केन्द्र, फतेहपुर
		5–लोकोशाप, रामपुर
		6–बिक्री केन्द्र, लखनऊ (निशातगंज)
		7–बिक्री केन्द्र, इलाहाबाद
		8–बिक्री केन्द्र, गोरखपुर
		9–हाई फ्रीक्विन्सी फ्लो मोल्डिंग प्लाट, आगरा
		10–माइक्रोसर्विस स्टेशन
6	इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कं०	सम्पूर्ण
7	उ०प्र० राज्य चीनी निगम	चीनी मिलें
		1–मेरठ
		2–बरेली
		3–बाराबंकी
		4–नवाबगंज (गोण्डा)
		5–बैतालपुर (देवरिया)
		6–घुघली (महराजगंज)
		7–मुण्डेरवा (बस्ती)
		8–बुढ़वल (बाराबंकी)
		9–पिपराइच (गोरखपुर)
		10–महोली (सीतापुर)
		11–देवरिया
		12–भटनी (देवरिया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		13–छितौनी (देवरिया)
		14–रामकोला (देवरिया)
		15–हरदोई
		16–लक्ष्मीगंज (देवरिया)
		17–शाहगंज (जौनपुर)
		18–नन्दगंज (गाजीपुर)
		19–रायबरेली
		20–घाटमपुर (कानपुर देहात)
		21–छाता (मथुरा)
		22–रामपुर
8–सहकारी चीनी मिल संघ		1–औराई (वाराणसी)
		2–रसड़ा (बलिया)
		3–सठियांव (आजमगढ़)
		4–साथा (अलीगढ़)
		5–सुल्तानपुर
		6–जेवर (बुलन्दशहर)
9–उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ		1–फतेहपुर इकाई
		2–कम्पिल इकाई
		3–मगहर इकाई
		4–नगीना इकाई
		5–बुलन्दशहर इकाई
		6–इटावा इकाई

उपरोक्त के अतिरिक्त निरन्तर हानि पर चल रहे सहकारी शीत गृहों तथा तहसील एवं ब्लाक स्तर के पी०सी०एफ० के 198 गोदाम जिनकी उपयोगिता नगण्य है, को लीज पर दिये जाने/निजीकरण पर विचार किया जायेगा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 6 का पीछे का पृष्ठ 30 पर)

(1) की जी०आर०पी० हापुड़ थाना जी० आर० पी० गाजियाबाद पर पंजीकृत अपराध

क्रमांक	मु० अ० सं०	धारायें	संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना की गयी अथवा नहीं	परिणाम
1	2	3	4	5
1	2/90	307 भा० द० वि०	हां	आरोप पत्र दिया गया।
2	37/90	100वी/108/128 रेल ऐक्ट	..	चौकी रामपुर को स्थानान्तरित।
3	39/90	379 भा० द० वि०	,,	अन्तिप रिपोर्ट लगायी गयी।
4	41/90	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	आरोप पत्र दिया गया।
5	46/90	379/भा० दं० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।
6	47/90	100वी/108 रेट ऐक्ट	,,	आरोप पत्र दिया गया।
7	48/90	279/427 भा० द० वि०	,,	,, ,,
8	57/90	120 रेल ऐक्ट	,,	,, ,,
9	58/90	..	..	.. ..
10	64/90	379 भा० द० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।
11	75/90	100वी/108/128 रेल ऐक्ट	,,	आरोप पत्र दिया गया।
12	76/90	427 भा० द० वि०/120 रेल ऐक्ट	,,	,, ,,
13	86/90	60 एक्सप्लोसिव ऐक्ट	,,	,, ,,
14	959/90	379/411 भा० द० वि०	,,	,, ,,
15	108/90	121 रेल ऐक्ट	,,	,, ,,
16	115/90	328/279 भा० द० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।
17	128/90	279/427 भा० द० वि०	,,	,, ,,
18	133/90	279 भा० द० वि०	,,	,, ,,
19	158/90	146रेल ऐक्ट/427 भा० द० वि०	,,	,, ,,
20	159/90	145 रेल ऐक्ट	नहीं	

1	2	3	4	5
21	164/90	506भा० द० वि०/ 146 रेल ऐक्ट	हां	आरोप पत्र दिया गया ।
22	169/90	279/427/337 भा० द० वि०	,,	,, ,,
23	182/90	60 एक्सप्लोसिव	,,	,, ,,
24	184/90	302/201 भा० द० वि०	,,	कोतवाली हापुड़ को स्थानान्तरित।
25	187/90	145 रेल ऐक्ट	,,	आरोप पत्र दिया गया ।
26	190/90	379/356 भा० द० वि०	,,	चौकी गजरौला को स्थानान्तरित।
27	213/90	420/171 भा० द० वि०	,,	आरोप पत्र दिया गया ।
28	236/90	379 भा० द० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ।
29	253/90	,,	,,	,, ,,
30	279/90	,,	,,	आरोप पत्र दिया गया ।
31	280/90	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,, ,,
32	284/90	379 भा० द० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ।
33	348/90	,,	,,	मुकदमा स्थानान्तरित किया गया।
34	91/91	279/427 भा० द० वि०	,,	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ।

(2) थाना जी० आर० पी० शामली पर पंजीकृत अपराध :–

1	2/91	60 एक्सप्लोसिव ऐक्ट	नहीं	—
2	3/91	,,	,,	—
3	4/91	,,	,,	—
4	5/91	,,	,,	—
5	6/91	,,	,,	—
6	7/91	379/411 भा० द० वि०	,,	—
7	8/91	379/356 भा० द० वि०	,,	—
8	9/91	146 रेल ऐक्ट	हां	आरोप पत्र दिया गया ।
9	10/91	25 आर्म्स ऐक्ट	नहीं	—
10	11/91	,,	,,	—
11	12/91	145/146 रेल ऐक्ट	,,	—
12	13/91	141/174 रेल ऐक्ट	,,	—

1	2	3	4	5
(3) चौकी जी० आर० पी० मैनपुरी/थाना जी० आर० पी० टूण्डला पर पंजीकृत अपराध :—				
1	356/91	5वी-1/379 भा० द० वि०	हां	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ।
2	414/91	5सी/379 भा० द० वि०	नहीं	—
3	434/91	147/324/323 भा० द० वि० 3एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट	नहीं	—
4	445/91	5 वी-1/379 भा० द० वि०	हां	अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ।
5	456/91	,,	,,	,,
6	461/91	,,	,,	,,
7	462/91	,,	,,	,,
8	464/91	394 भा० द० वि०	,,	आरोप पत्र दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 37 का पिछले पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1995 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 37 का अनुलग्नक

श्री घनश्याम शुक्ल 223/14-3-95 37–क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 तक प्रत्येक थानावार कितने अपराध पंजीकृत किये गये । कितनों पर कार्यवाही सुनिश्चित क गयी ? कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ? क्या सरकार लम्बित पड़े मामलों में शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अपराध आंकड़ा थानावार, जनपद गोण्डा दिनांक 1-1-95 से 31-5-95 एवं वर्ष 1994, 1993 1992, 1991 का

क्र० सं०	थाना का नाम	1-1-95 से 31-5-95 तक					वर्ष 1994					वर्ष 1993					वर्ष 1992					वर्ष 1991				
		कुल पंजीकृत अपराध	खारिज	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	कुल पंजीकृत अपराध	खारिज	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	कुल पंजीकृत अपराध	खारिज	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	कुल पंजीकृत अपराध	खारिज	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	कुल पंजीकृत अपराध	खारिज	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	बलरामपुर नगर	112	2	21	38	49	340	9	252	73	6	703	10	639	52	2	653	4	604	44	1	600	9	533	58	–
2	बलरामपुर देहात	54	4	36	4	10	110	9	88	12	1	124	2	108	14	–	134	2	123	7	2	139	5	116	18	–
3	महराजगंज	32	1	25	4	2	93	3	73	17	–	174	1	167	6	–	157	5	141	11	–	204	11	173	20	–
4	मीरा घीराहा	38	1	29	6	2	76	2	62	12	–	149	1	142	6	–	102	1	94	7	–	122	5	103	14	–
5	तुलसीपुर	73	6	52	9	6	136	9	111	16	–	300	2	276	21	1	311	9	270	32	–	378	13	319	45	1
6	ललिया	34	–	23	2	9	80	9	66	5	–	147	5	133	9	–	129	4	122	2	1	123	18	89	15	1
7	इरिया	22	1	13	1	7	61	3	51	6	1	74	1	63	10	–	107	7	90	10	–	231	3	226	2	–
8	पचपेड़वा	48	1	19	8	20	110	3	86	16	5	178	6	160	11	1	233	5	214	13	1	146	7	133	6	–
9	को० गैसड़ी	32	–	20	4	8	63	3	36	23	1	88	1	73	14	–	75	3	60	12	–	27	2	22	3	–
10	को० जरवा	30	1	24	4	1	67	1	56	10	–	71	2	58	11	–	85	6	65	13	1	9	2	6	1	–
11	नवाबगंज	84	5	48	14	17	348	13	278	55	2	485	4	458	23	–	533	13	505	15	–	456	9	411	36	–

अतारांकित प्रश्न

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	कबीरगंज	39	2	32	3	2	220	7	195	18	-	346	16	298	32	-	349	15	315	18	1	349	37	285	27	-
13	तरबगंज	58	1	34	8	15	200	2	169	25	4	310	8	271	28	3	290	13	244	33	-	284	15	228	41	-
14	उमरी बेगमगंज	47	1	36	4	6	141	12	105	20	4	115	3	95	17	-	152	11	132	9	-	127	1	114	12	-
15	उतरौला	78	3	48	12	15	321	18	218	83	2	438	11	361	64	2	424	20	325	79	-	274	22	187	65	-
16	सा० नगर	43	5	25	6	7	124	2	113	9	-	223	7	199	17	-	237	12	205	18	2	173	8	155	10	-
17	रेहराबाजार	45	-	28	7	10	139	10	102	25	2	169	10	145	13	1	169	9	149	11	-	164	9	144	11	-
18	सोंडारे	23	-	19	2	2	67	6	58	3	-	133	10	117	6	-	114	5	102	7	-	144	5	126	13	-
19	को० नगर	249	17	152	25	55	667	17	540	97	13	1258	7	1134	115	2	961	5	851	105	-	889	4	804	77	4
20	को० देहात	142	12	107	6	17	354	17	301	36	-	426	16	385	24	1	353	20	308	25	-	440	44	339	57	-
21	इटियाथोक	60	4	40	6	10	202	12	171	19	-	295	3	274	18	-	252	12	213	27	-	330	10	295	25	-
22	खरगूपुर	88	4	66	12	6	211	9	186	16	-	206	2	192	12	-	199	3	182	14	-	208	21	158	29	-
23	मनकापुर	65	4	24	19	18	265	11	194	52	8	329	7	289	30	3	350	15	285	49	1	342	11	263	68	-
24	छपिया	59	-	54	3	2	154	4	128	21	1	287	2	269	16	-	271	16	232	23	-	222	15	193	14	-
25	मोतीगंज	48	-	41	3	4	147	7	133	7	-	221	12	203	5	1	166	5	148	13	-	185	7	154	24	-
26	धानेपुर	32	2	17	-	13	57	4	44	9	-	88	1	86	1	-	273	5	249	19	-	238	8	213	17	-
27	कर्नलगंज	193	7	165	13	8	658	16	570	71	1	631	21	552	54	4	698	34	576	86	-	1042	60	828	154	-
28	परसपुरा	49	2	32	5	10	230	12	185	31	2	309	15	259	35	-	230	16	189	18	7	254	32	177	45	-
29	कटराबाजार	62	3	36	13	10	156	7	127	22	-	281	7	251	23	-	199	8	173	18	-	236	16	174	46	-
30	कौड़िया	34	2	21	5	6	171	16	139	16	-	219	13	202	14	-	188	11	166	11	-	265	9	224	32	-
	योग	1973	91	1287	246	349	5968	253	4837	825	53	8777	196	7859	701	21	8394	294	7334	749	17	8601	418	7192	985	6

इस जनपद की पुराने लम्बित अभियोगों का अधिकतर विवेचनायें जनपद से बाहर बाह्य खेलों द्वारा सम्पन्न की जा रही है जिसके शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु पत्रांक प्रेषित किया जा रहा है जनपद स्तर पर लम्बित अभियोगों की विवेचनाओं के निस्तारण में विवेचकों द्वारा सतह प्रयास जारी है।

नत्थी 'ङ'

गाजियाबाद जिले में सहायतित इकाइयों की सूची जिनके द्वारा पिकप के देयों का नियमित रूप से भुगतान किया नहीं जा रहा है।

अतिदेय की स्थिति 31-3-95 को (लाख रु० में)

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	मूलधन	ब्याज	योग
1	2	3	4	5
1	मे० एबनर फार्मासिटिकल्स लि०	71.50	94.09	165.59
2	मे० एलाइड फाइबर्स ग्लास प्रोडक्ट्स लि०	17.68	63.92	81.60
3	मे० आदर्श प्रोडेक्ट्स (प्रा०) लि०	14.31	2.47	16.78
4	मे० अल० नफीस प्रेजन फूड्स एक्सपोर्ट प्रा० लि०	8.27	--	8.27
5	मे० एग्रीकेम प्लास्टिक (प्रा०) लि०	7.18	4.55	11.73
6	मे० आनन्द मेटल बाक्स	1.40	0.06	1.46
7	मे० बी० एस० आयल प्रा० लि०	16.68	1.75	18.43
8	मे० बीनटोन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	92.40	112.13	204.53
9	मे० बाई व्हील एनसीलरीज प्रा० लि०	23.49	3.69	27.18
10	मे० भारत फोटो सर्किट लि०	34.50	78.62	113.12
11	मे० कृष्णा पेपर मिल्स (भार्गव पेपर)	0.41	16.22	16.63
12	मे० बाल्स एण्ड सिलफस लि०	13.16	0.97	14.13
13	मे० क्वार कुशन प्रा० लि०	--	1.20	1.20
14	मे० चन्द्रावती पालीमर्स प्रा० लि०	4.83	0.58	5.41
15	मे० कैलीपर्स नगाई लि०	165.62	132.15	2.97.77
16	मे० केमोपल्प टिशु लि०	8.50	--	8.50
17	मे० एस्म पलीफिल्म्स् लि०	48.00	69.22	117.22
18	मे० एक्सप्रेस हीटैच प्रा० लि०	50.25	5.38	55.63
19	मे० एन० जे० वीडियो प्रा० लि०	54.29	20.69	74.98
20	मे० इगल फिल्म्स्	--	0.59	0.59
21	मे० फार्चून पलीमर्स इण्डस्ट्रीज लि०	57.00	40.24	97.24
22	मे० गोल्डमाइन डोमेस्टिक एक्लायन्स प्रा० लि०	14.60	--	14.60
23	मे० गिलेक्स वाचेज प्रा० लि०	70.25	110.16	180.41
24	मे० गुप्ता पेपर मिल्स प्रा० लि०	110.86	107.86	218.72
25	मे० ग्लास ट्रानिक्स (इ) लि०	25.15	21.39	46.53
26	मे० पाम इटेबिल्स लि०	97.75	116.39	214.14
27	मे० ज्ञपुरिया पेपर मिल्स प्रा० लि०	4.56	25.79	30.35

1	2	3	4	5
28	मे० हिन्डन पेपर अण्ड बोडर्स प्रा० लि०	50.89	38.79	89.68
29	मे० हाईटेक फलक्सोटेक्स प्रा० लि०	1.94	1.53	3.47
30	मे० इन्टीकोन (इ) लि०	18.50	9.14	27.64
31	मे० इनडाना फूड्स लि०	40.50	34.97	75.47
32	मे० इसकोन कैमिकल्स लि०	5.71	0.21	5.92
33	मे० इनोवेटिव बायोटेक सिस्टम प्रा० लि०	12.00	13.78	25.78
34	मे० कवत्रा पेपर	1.50	0.09	1.59
35	मे० कालीन्दी स्टील्स एण्ड ट्यूब्स लि०	47.30	41.12	88.42
36	मे० कृष्णा सेनयेटिक्स लि०	11.48	--	11.48
37	मे० कोनार्क उद्योग लि०	58.50	30.71	89.21
38	मे० के शूज प्रा० लि०	0.50	0.66	1.16
39	सर्वश्री मोदी नगर पेपर मिल्स लि०	1.92	0.23	2.15
40	मे० महाराष्ट्रा स्टील्स लि०	2.70	2.78	5.48
41	मे० मीनाक्षी एसोसियेट्स प्रा० लि०	7.87	--	7.87
42	मे० एम० के० टी० रूमी शू० ओवरसीज प्रा० लि०	--	1.39	1.39
43	मे० मैगनम पेपर्स प्रा० लि०	—	0.10	0.10
44	मे० मनोरमा पैकेजिंग प्रा० लि०	0.56	--	0.56
45	मे० निहारिका इलैक्ट्रानिक्स	15.75	34.90	50.65
46	मे० नामरिशिका इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	19.85	130.87	150.72
47	मे० निशा स्टेशनरी मैन्यूफैक्चरिंग को० प्रा० लि०	6.86	--	6.86
48	मे० नर्मदा बीयरिगस प्रा० लि०	9.14	--	9.14
49	मे० नोवा क्वायल्कस प्रा० लि०	9.11	--	9.11
50	मे० ओम शक्ति रोलर फ्लोर मिल्स प्रा० लि०	90.00	52.35	142.35
51	मे० पेन्टागान स्क्रूज एण्ड फास्टनर्स	3.00	39..67	42.67
52	मे० परफेक्ट लेटेक्स प्रा० लि०	61.18	23.06	84.24
53	मे० रोहित प्रोसेसर प्रा० लि०	62.50	73.78	136.28
54	म० रामा रोम स्टील्स प्रा० लि०	33.37	16.72	50.09
55	मे० रानी सती पेपर मिल्स प्रा० लि०	24.30	119.76	144.06
56	मे० रूही केमिकल्स (इ) प्रा० लि०	25.75	30.65	56.40
57	मे० रेसीसटो प्लेक्स प्रा० लि०	--	0.08	0.08
58	मे० आर० पी० एग्रो प्रा० लि०	24.33	3.83	28.16
59	मे० रसना आटोमोबाइल्स प्रा० लि०	12.05	5.84	17.89
60	मे० सारनक्यू इलेक्ट्रानिक्स लि०	82.50	82.92	165.42

1	2	3	4	5
61	मे० सिस्टम कन्ट्रोल एण्ड ट्रान्सफारमर्स प्रा० लि०	19.85	27.08	46.93
62	मे० स्टील एण्ड फास्टनर्स लि०	28.50	212.11	240.61
63	मे० श्याम चरन मेटल एण्ड वायरस प्रा० लि०	2.25	3.64	5.89
64	मे० सीकर इण्डस्ट्रीज लि०	4.20	2.71	6.91
65	मे० शिप्रा होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रा० लि०	31.78	2.01	33.79
66	मे० श्री रघुनाथ इलेक्ट्रानिक्स लि०	--	7.92	7.92
67	मे० स्टोज गियर्स प्रा० लि०	--	2.16	2.16
68	मे० टेक्नीकास्ट इन्जीनियरिंग प्रा० लि०	27.60	28.18	55.78
69	मे० ट्रोडेन्ट वार्पस मिल्स प्रा० लि०	50.80	94.87	145.67
70	मे० तिरुपति पेपर मिल्स प्रा० लि०	20.75	18.34	39.09
71	मे० यू० सी० एल० प्लास्टिक लि०	6.04	--	6.04
72	मे० यूनीएयर रेफ्रिजरेशन्स प्रा० लि०	24.68	6.18	30.86
73	मे० यूनाइटेड आर्क एलेक्ट्रोडोज लि०	68.00	108.98	176.98
74	मे० यू० जी० हास्पिटल प्रा० लि०	--	7.25	7.25
75	मे० यूनाइटेड प्रोवन्सेस सेरामाइल लि०	--	1.37	1.37
76	मे० वरमानी स्टील स्टैपस प्रा० लि०	34.22	4.89	39.11
77	मे० विम्पो फूड्स (इ) प्रा० लि०	54.00	206.23	260.23
78	मे० ब्राइट रबर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	--	7.34	7.34
	योग :	2126.87	2561.29	4688.16

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 68 पिछले पृष्ठ 55 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 7995 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर का संलग्नक

विवरण थानावार अपराध जनपद भदोही

क्र० सं०	नाम थाना	1-6-94 से 23-3-95 तक							7-6-93 से 23-3-94 तक						
		हत्या	डकैती	लूट	राह-जनी	छिनैती	चोरी	योग	हत्या	डकैती	लूट	राह-जनी	छिनैती	चोरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ज्ञानपुर	6	–	3	–	–	12	21	4	–	4	–	–	11	19
2	गोपीगंज	2	1	8	–	–	19	30	5	–	–	–	–	13	18
3	औराई	2	1	2	–	–	17	22	3	–	–	–	–	13	15
4	कोईरोना	1	–	2	–	–	6	09	–	2	1	–	–	1	04
5	भदोही	4	–	6	–	–	24	34	4	2	7	–	–	38	51
6	चौरी	1	1	2	–	–	15	19	4	3	1	–	–	15	23
7	सुरियावां	3	2	2	–	–	10	17	6	2	1	–	–	21	30
	योग	19	5	25	–	–	103	153	26	9	14	–	–	112	161

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–68 के उत्तर का संलग्नक

दिनांक 1-6-94 से 23-3-95 एवं 1-6-93 से 23-3-94 तक घटित विभिन्न अपराधों का थानावार विवरण

जनपद–वाराणसी

क्र० सं०	नाम थाना	1-6-94 से 23-3-95 तक घटित अपराधों का विवरण						7-6-93 से 23-3-94 तक तक घटित अपराधों का विवरण					
		हत्या	डकैती	राहजनी	छिनैती	लूट	चोरी	हत्या	डकैती	राहजनी	छिनैती	लूट	चोरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मिर्जा मुराद	3	–	–	2	–	30	–	1	–	1	1	21
2	सैयदराजा	01	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
3	सारनाथ	–	1	–	–	5	18	4	2	–	–	3	30
4	कोतवाली	6	–	–	–	2	7	3	–	–	–	–	21
5	जैतपुरा	5	–	–	–	3	21	2	–	–	–	3	18
6	शहाबगंज	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	2	5
7	चेतगंज	1	–	–	–	12	26	7	–	–	–	1	52
8	धीना	4	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	4
9	दशाश्वमेघ	3	–	–	–	2	33	4	–	–	–	1	54
10	मुगलसराय	3	2	–	–	1	8	5	–	–	–	2	21
11	धानापुर	5	–	–	–	1	13	5	–	–	–	–	4
12	रामनगर	2	–	–	–	–	4	6	–	–	–	–	11
13	आदमपुर	–	–	–	–	–	16	4	–	1	–		13
14	चन्दौली	2	–	6	–	2	15	4	–	3	–	2	9
15	फूलपुर	5	–	-	-	2	29	3	1	–	–	2	32
16	जन्सा	4	–	–	–	1	12	4	–	–	-	4	11
17	चकिया	4	–	–	–	1	7	7	1	–	–	–	7
18	कैण्ट	9	1	–	–	5	108	12	1	–	–	–	10
19	सिगरा	7	–	–	–	10	62	3	–	–	–	5	8
20	मडुवाडीह	2	–	–	–	3	22	1	–	–	–	1	25
21	लक्सा	1	–	–	–	5	16	3	–	–	–	1	11
22	बड़ागांव	8	–	–	–	5	29	3	1	–	–	1	22
23	शिवपुर	3	1	–	–	4	24	2	1	–	–	3	25
24	चौबेपुर	2	–	–	–	3	8	3	–	–	–	3	19
25	अलीनगर	–	–	1	–	–	2	9	3	5	–	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	कोतवाली	3	–	–	–	–	8	2	2	–	–	1	8
27	नौगढ़	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4
28	चोलापुर	4	–	–	–	6	21	2	1	–	–	2	3
29	चौक	5	–	–	–	1	27	2	–	–	–	4	31
30	बबुरी	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	5
31	लंका	5	–	–	–	5	55	6	–	–	–	6	55
32	बलुआ	4	–	–	–	–	6	4	1	–	–	–	5
33	भेलूपुर	7	–	–	–	1	69	5	1	–	–	4	97
34	रोहनिया	6	–	–	–	4	30	5	–	–	–	2	23
	योग	118	6	7	2	84	735	123	17	10	1	67	827

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्ती 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 105 का पिछले पृष्ठ 68 पर)

लखनऊ में स्थित विभिन्न विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

पदनाम व संख्या : समूह "घ" के कर्मचारी

क्र०सं०	विधायक	फर्राश	बियरर	कुक	मिश्ती	माली	पेज मैन	चौकीदार ब्याय	चपरासी	रूम यून	मसालची	कुर्सी मैन	वाटर कर्म०	सफाई आ०	टे० मैन	फा०
1	वि० नि०–1	43	11	5	4	5	5	–	4	3	1	9	3	–	19	8	–
2	वि० नि०–2 (नया)	12	8	2	–	2	–	–	6	–	–	6	1	–	5	7	–
3	वि० नि०–2 (पुराना)	15	11	3	3	–	–	1	5	1	1	6	1	–	9	6	–
4	वि० नि०–3.	11	2	–	–	4	–	–	–	1	–	–	1	–	6	5	1
5	वि० नि०–4.	16	11	2	1	5	1	–	5	2	–	2	1	1	8	7	1
6	वि० नि०–5.	9	4	2	–	2	–	–	4	1	–	2	1	–	6	4	–
7	वि० नि०–6.	13	–	1	–	1	–	–	7	1	–	–	1	–	6	2	–
8	वि० नि० 7. (बहुखण्डी मंत्री आवास)	6	2	–	–	–	–	–	4	–	–	1	1	–	2	2	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ में स्थित विभिन्न विधायक निवासों में नियुक्त समूह "ग" के कर्मचारियों का विवरण :–

पदनाम व संख्या :

क्र०सं०	विधायक निवास/ संख्या	व्यवस्थापक	लिपिक	स्टोर कीपर	टे० आ०	स्वागती	लेखा लिपिक	काउन्टर क्लर्क-कम-स्टोर कीपर	ज्येष्ठ लिपिक
1	वि० नि०–1.	2	3	–	–	–	–	–	–
2	वि० नि०–2. (नया)	–	–	1	–	–	–	1	–
3	वि० नि०–2 (पुराना)	–	–	1	1	1	1	–	–
4	वि० नि०–3.	1	–	–	–	1	–	2	–
5	वि० नि०–4.	–	–	–	–	–	–	2	–
6	वि० नि०–5	–	–	1	–	–	–	–	1
7	वि० नि०–6.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	वि० नि०–7. (बहुखण्डी मंत्री आवास)	–	1	–	1	–	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 106 के पीछे पृष्ठ 68 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले मंगलवार के लिये श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–106 के उत्तर का संलग्नक

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में नगर क्षेत्र वाराणसी में घटित अपराधों माह दिसम्बर, 1993 से अब तक का तुलनात्मक तीन वर्षीय आंकड़ा निम्न प्रकार है ।

क्र०सं०	अपराध शीर्षक	दि० 1-12-93 से 31-12-93	1-1-94 से 31-12-94	1-1-95 से 30-6-95	1-12-93 से 30-6-95 तक का योग
1	डकैती	2	5	5	12
2	399/402 भा० द० वि०	–	3	–	3
3	लूट	3	65	24	92
4	हत्या	5	68	41	114
5	दहेज हत्या	2	13	7	22
6	बलवा	9	110	56	175
7	नकबजनी	26	150	65	214
8	279/337	9	61	40	110
9	279/304 भा० द० वि०	7	107	48	162
10	चोरी तार तांबा	3	9	1	13
11	चोरी हाईड्रिल	–	–	1	1
12	चोरी ट्रान्सफार्मर	–	–	–	–
13	रोड होल्डप	–	–	–	–
14	बलात्कार	–	10	3	13
15	अपहरण	4	33	17	54
16	304 भा० द० वि०	–	7	3	10
17	307/308 भा० द० वि०	12	107	53	172
18	324/325 भा० द० वि०	13	136	56	205
19	चोरी साधारण	46	301	82	429
20	चोरी साइकिल	7	70	30	107
21	चोरी पशु	–	6	–	6
22	चोरी आग्नेयशास्त्र	1	2	1	4
23	चोरी वाहन	18	171	104	293
24	अन्य भा० द० वि०	64	618	257	939
	योग : भा० द० वि०	231	2052	894	3177

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये अ० ता० प्र० सं० 114 का पीछे पृ० 7 पर)

दिनांक 1-12-93 से 1-1-94 तक घटित अपराधों का विवरण

क्र०सं०	थाना	चोरी	डकैती	हत्या	अफीम स्मैक तस्करी	राहजनी	हरिजन	बलात्कार
1	कोतवाली नगर	12	–	1	1	3	–	–
2	देवा कोतवाली	–	–	–	–	2	2	–
3	सफदरजंग	3	–	–	–	–	–	–
4	जहांगीराबाद	–	–	–	–	–	2	–
5	जैदपुर	2	–	–	2	–	1	–
6	कोटी	–	–	–	–	–	–	–
7	सतरिख	–	–	1	–	–	1	–
8	हैदरगढ़	–	–	1	–	–	–	–
9	लोनी कटरा	1	–	–	–	–	–	–
10	असन्दरा	–	–	–	–	–	1	1
11	सुबेहा	–	–	–	–	1	1	–
12	रामसनेही घाट	3	–	1	–	–	2	–
13	पटरंगा	1	–	–	–	–	2	–
14	मवीं	1	–	–	–	–	–	–
15	रुदौली	–	–	–	–	–	–	–
16	रामनगर	2	–	2	–	–	2	–
17	बदोसराय	1	–	–	–	–	–	–
18	टिकैतनगर	–	–	–	–	–	3	–
19	दरियाबाग	–	–	–	–	–	–	–
20	मरौली	–	–	–	–	–	–	–
21	पतेहपुर	–	1	–	–	3	3	–
22	मोहम्मदपुर	–	–	2	–	–	2	–
23	बड़ेहपुर	–	–	–	–	–	–	–
24	घुघतेर	–	–	–	–	–	2	–
25	कुर्सी	–	–	–	–	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 162 का पिछले पृ० 92 पर)

गत वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित समाचार पत्रों को अनियमित प्रकाशन अथवा प्रकाशन बन्द होने के कारण पूरे वर्ष विज्ञापन नहीं दिये गये ।

1.	हि० दै०	कुमुद टाइम्स, आगरा ।
2	..	ब्रजेश टाइम्स, अलीगढ़ ।
3	..	अमृत प्रभात, इलाहाबाद ।
4	अं० दै०	नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद ।
5	हि० दै०	जनसमावेश, गाजियाबाद ।
6	..	पूर्वान्चल सेवा, गोरखपुर ।
7	..	शाश्वत, गोरखपुर ।
8	..	अर्थ व्यापार प्रगति, कानपुर ।
9	..	सियासत, कानपुर ।
10	..	नयभारत टाइम्स, लखनऊ ।
11	..	आजाद अवध सत्ता, लखनऊ ।
12	..	सांध्य जागरण, लखनऊ ।
13	..	समूह टाइम्स, मेरठ ।
14	..	नगराज दर्पण, नैनीताल ।
15	..	कालप्रवाह, सहारनपुर ।
16	..	उदय भारत, सहारनपुर ।
17	..	लोकइच्छा, वाराणसी ।
18	उर्दू दै०	मुएल्लिम ए उर्दू, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 184 विधान सभा ( )–1995–572 (डी० टी० पी०) ।